महानगर नई दिल्ली रविवार 22 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (14+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

नागरिकता कानून के विरोध के बीच

हजार से ज्यादा शिक्षाविदों ने किया समर्थन

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में भारत और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 1,100 शिक्षाविदों और शोध विशेषज्ञों ने शनिवार को एक बयान जारी किया। बयान में हस्ताक्षर करने वालों में राज्यसभा के सदस्य स्वपन दासगुप्ता, आइआइएम शिलांग के प्रमुख शिशिर बजोरिया, नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति सुनैना सिंह, जेएनयू के डीन (एसएलएल और सीएस) ऐनुल हसन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज में सीनियर फेलो अभिजीत अय्यर मित्रा और पत्रकार कंचन गुप्ता शामिल हैं।

समाज के प्रत्येक वर्ग से, 'संयम बरतने और दुष्प्रचार, सांप्रदायिकता एवं अराजकता के जाल में नहीं फंसने' की अपील की

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब देश भर में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। अपने बयान में इन शिक्षाविदों ने समाज के प्रत्येक वर्ग से, 'संयम बरतने और दुष्प्रचार, सांप्रदायिकता एवं अराजकता के जाल में नहीं फंसने' की अपील की है।

बयान में कहा गया, 'हम बेहद गुस्से के साथ इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जानबूझ कर तनाव एवं भय की अफवाह फैला कर देश में बाकी पेज 8 पर

बर्फ की चादर

लाहौल-स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद शनिवार को चारों तरफ फैली बर्फ की चादर। उधर, कश्मीर घाटी में भी शनिवार से 40 दिन का कड़ाके की सर्दी का दौर 'चिल्लई कलां' शुरू हो गया। इन 40 दिनों के दौरान घाटी में बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और तापमान काफी घट जाता है।

यूपी में जारी हिंसा बिहार में भी बवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध में हिंसा जारी है। उत्तर प्रदेश में जारी बवाल के बीच शनिवार को बिहार में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई और रेल व सड़क यातायात बाधित रहा। उत्तर प्रदेश में हिंसा में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें शनिवार को एक प्रदर्शनकारी के रामपुर में मारे जाने की खबर है। जबकि, फिरोजाबाद में हिंसा में मारे गए दो लोगों के शव बरामद किए गए। शुक्रवार को देर रात तक कुल 13 लोग मारे गए। देर रात गोली लगने से घायल छह लोगों ने अस्पतालों में दम तोड़ा। वाराणसी में भगदड़ में जख्मी आठ साल एक बच्चे की भी अस्पताल में मौत हो गई।

पूरे राज्य में करीब 10000 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 705 लोगों को गिरफ्तार किया गया बाकी पेज 8 पर

यूपी में आठ साल के बच्चे समेत मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हुई

प्रदेश में 10 हजार लोगों पर एफआइआर, 705 गिरफ्तार

बिहार में राजद के बंद के दौरान बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा

पटना में शनिवार को विरोध जताते प्रदर्शनकारी।

'पुलिस ने किसी पर भी गोली नहीं चलाई'

"पुलिस ने किसी पर भी गोली नहीं चलाई और जो लोग गोली लगने से मरे हैं वे प्रदर्शनकारियों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग की जद में आने के कारण मारे गए हैं। किसी व्यक्ति की पुलिस की गोली लगने से मौत हुई है तो हम उसकी न्यायिक जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं व बच्चों को ढाल बनाया। -ओमप्रकाश सिंह,पुलिस महानिदेशक

दिल्ली में पुलिस का फ्लैग मार्च और अन्य संबंधित खबरें
- पेज 4 पर

मलेशियाई प्रधानमंत्री के बयान पर भारत का विरोध
देश के अन्य राज्यों में हिंसा व प्रदर्शन
उपद्रवियों को भेजे जा रहे हैं नोटिस
- खबरें पेज 8 पर

नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के तीन सैनिक ढेर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारतीय थलसेना की जवाबी कार्रवाई में शनिवार को तीन पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तान ने शुक्रवार की रात और शनिवार को अखनूर के पलांवालां, राजोरी के केरी, तंगधार के केरन सेक्टर में संघर्षविराम का उल्लंघन कर भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त गोलाबारी की।

भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई हैं। खबर लिखे जाने तक कई मोर्चों पर गोलाबारी जारी थी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में राकेट लांचर और तोपखाने का भी इस्तेमाल किया है।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे गोलाबारी शुरू कर दी, जो सुबह तक जारी रही। पलांवाला सेक्टर में पाकिस्तान ने एमबेस पोस्ट से सेना की नथु कुलियां पोस्ट को निशाना बना कर गोलाबारी शुरू कर दी। सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें पाकिस्तान की टी-15 चौकी पूरी तरह तबाह हो गई, जबकि टीजे बंकर पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। गोलाबारी में तीन पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।

पाकिस्तान की टीजे बंकर पोस्ट शनिवार को दिन भर खाली पड़ी रही। गोलबारी के चलते पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों के शव भी शनिवार दोपहर तक नहीं उठाए थे। शनिवार की सुबह थोड़ी देर की शांति के बाद पाकिस्तान ने लगभग 11 बजे पाकिस्तानी गोलाबारी शुरू बाकी पेज 8 पर

सीमा पर गश्त करते जवान। फाइल फोटो

संघर्षविराम उल्लंघन पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई।

भारतीय सेना ने रॉकेट लांचर और तोपखाने से दिया जवाब।

सीमा पार तंगधार और केरी सेक्टर में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह।

हैदराबाद मुठभेड़

आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश

हैदराबाद, 21 दिसंबर (भाषा)।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शनिवार को पशुचिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले में कथित मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर चारों आरोपियों के शव गांधी अस्पताल में सुरक्षित रखे हुए हैं। मुठभेड़ के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश जारी किए।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान और न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी की खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने तेलंगाना के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बाकी पेज 8 पर

हाई कोर्ट का निर्देश : 23 दिसंबर से पहले पोस्टमार्टम पूरी कर रिपोर्ट हाई कोर्ट महापंजीयक के समक्ष दाखिल की जाए।

रांची बलात्कार कांड के दोषी को फांसी की सजा

रांची, 21 दिसंबर (भाषा)।

तीन वर्ष पूर्व 2016 में 15 और 16 दिसंबर की मध्य रात्रि को इंजीनियरिंग की एक छात्रा को बलात्कार के बाद जलाकर मारने वाले मुख्य आरोपी राहुल राज को द्रुत गति से की गई एक माह की अदालती सुनवाई के बाद शनिवार को फांसी की सजा सुनाई गई।

सीबीआइ की एके मिश्रा की एक विशेष अदालत ने इस बाकी पेज 8 पर

28 मार्च, 2018 को सीबीआइ को सौंपा गया था मामला।

एक माह की अदालती सुनवाई के बाद फांसी की सजा सुनाई गई।

कोटा में दो को उम्रकैद

कोटा (राजस्थान), 21 दिसंबर (भाषा)।

राजस्थान के कोटा जिले में दो साल पहले नाबालिग से बलात्कार के लिए 70 वर्षीय व्यक्ति और उसके 40 वर्षीय सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

लोक अभियोजक विजय कचावा ने बताया कि पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार शर्मा ने शुक्रवार को कोटा जिले के निवासी बाबूलाल बाकी पेज 8 पर

दिल्ली में भाजपा की रैली आज

मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रामलीला मैदान में धन्यवाद रैली में शामिल होंगे। यह रैली कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री का आभार जताने के लिए बुलाई गई है। रैली संयोजक विजय गोयल ने बताया कि रैली में करीब दो लाख लोगों के आने की संभावना है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं व और युवा शामिल होंगे। यह विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा की पहली रैली है।

रैली के लिए रामलीला मैदान में 80 गुना 40 फुट का बड़ा स्टेज बनाया गया है। स्टेज के दोनों तरफ बड़ी-बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है ताकि रैली में आने वाले लोगों को प्रधानमंत्री को सुनने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके अतिरिक्त रैली के दौरान ही आम जनता के दस्तखतों वाले 11 बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री होंगे शामिल

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मंत्रियों और नौकरशाहों से आधारभूत संरचना और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नीतियां बनाने को कहा।

प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पिछले छह महीने में आधारभूत संरचना, कृषि और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की समीक्षा के लिए की गई बैठक में निर्देश दिए।

मंत्री परिषद के साथ हुई मैराथन बैठक करीब नौ घंटे तक चली और इस दौरान मोदी ने कहा कि अब तक कड़ी मेहनत की गई है किंतु विशेषज्ञों और हितधारकों व लोगों की राय के आधार पर और हासिल बाकी पेज 8 पर

मंत्री परिषद के साथ हुई मैराथन बैठक करीब नौ घंटे तक चली

जनसत्ता बारादरी

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि सूबे में किसान से लेकर कामगार बहुत बुरी हालत में हैं। कांग्रेस आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ ही आम लोगों का भरोसा जीतेगी। विस्तृत बातचीत पेज 7 पर

दरअसल

सिर्फ धमाका करते हैं ये पटाखे | **कोहरे की मार** | **ट्रेन को नहीं होता कोई नुकसान**

सिग्नल के लिए अभी भी पटाखों के सहारे रेलवे

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

धुंध व कोहरे में सिग्नल के लिए रेलवे को अभी भी पटाखों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस पुरातन तकनीक का सबसे अधिक प्रयोग उत्तर भारत में हो रहा है। यह धमाका ही कोहरे व धुंध में नहीं दिख रहे सिग्नल के आने की चेतावनी है। इस चेतावनी के बाद ही रेल चालक मार्ग का सिग्नल देखकर रुकता या आगे बढ़ता है।

यह पटाखा (डेटोनेटर) जैसे ही इंजन के पहले पहिए के नीचे आता है, दबाव से फट जाता है और जोरदार धमाका करता है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पटाखे (डेटोनेटर) एक परंपरागत सिग्नल की प्रक्रिया है। इसके लिए रेलवे के पास एक फॉग सिग्नलमैन स्टॉफ होता है। इस स्टॉफ को ही ये पटाखे उपलब्ध कराए जाते हैं। कर्मचारी किसी भी रेल सिग्नल से एक निर्धारित दूरी पर इन पटाखों को पटरी से ऐसे बांधते हैं कि पटाखे का पिछला हिस्सा सीधे इंजन के पहिए के नीचे आ जाता है। इसके बाद यह पटाखा धमाके के साथ आवाज करता है। इस पटाखे में जानबूझ कर ऐसे केमिकल प्रयोग किए जाते है, जो सिर्फ धमाका करें। इसका कोई भी असर ट्रेन पर नहीं होता। इस धमाके को आने वाले सिग्नल का संदेश माना जाता है।

पूरा देश इस समय ठंड व कोहरे की चपेट में है। कोहरे का सबसे अधिक असर उत्तर भारत में होता है। इन राज्यों को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने के लिए रेलवे रोजाना 1000 से 1200 गाड़ियां चलाता है। रेलवे के मुताबिक धुंध व कोहरा बाकी पेज 8 पर

यात्री सुविधा के लिए किए गए इंतजाम

एक घंटे से अधिक की देरी होने पर भेजे जा रहे यात्रियों को एसएमएस।

यात्रियों के लिए खानपान के स्टॉल देर तक खोल गए हैं।

भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

रविवारी
22 दिसंबर, 2019

आग के मुहाने
महानगरों के अनेक रिहाइशी इलाकों में अवैध रूप से कारखाने चलते हैं। उनमें सुरक्षा मानकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। इस वजह से आग लगने की घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पेश है अमलेश राजू और निर्भय कुमार पांडेय की रिपोर्ट।

• कहानी/ दिव्या विजय • प्रसंग/ श्रीभगवान सिंह • समाज/ पुष्पलता • शख्सियत/ मदन मोहन मालवीय • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

समझें बच्चों के मन को • वंदना शर्मा • कविता/ राजेश चंद्र शर्मा • कहानी/ शिल्पा जैन सुराणा

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Nageshwar Prasad R/o-VPO-Newdhiya,Mejaroad,Allahabad, Uttar Pradesh-212303,have changed my son's name from Abhinav to Abhinav Kumar Vide Affidavit Dated-19/12/2019,before, Notary,Public Delhi. 0040525120-7

I, Vinita W/o Deginder Pal R/o H.No.18/340 Dakshinpuri-Extension, New Delhi-110062 have changed my name to Seema for all purposes. 0040525109-6

I, Sunderm Thakur S/o Sh. Dharmendra Kumar R/o E-120, Prashant Vihar, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Sunderam Thakur for all purposes. 0040525039-1

I, Shabana Azami D/o Mohammad Umar R/o-Kidwai Nagar, Gursahaiganj, Kannauj-U.P., have changed my name to Shabana Begum for all purposes. 040525100-3

I, Seema W/o Ashutosh Mangla R/o-97 2nd-Floor Block-K.P Maurya-Enclave Pitampura Delhi-110034. Changed my name to Seema Mangla. 0040525135-2

I, Satish kumar S/o Sh. Ram shri R/o B-218,gali no-20,Madanpur khadar Extn,New delhi -110076 have changed my name to Satish saini for all future purposes. 0070689422-1

I, Satish Kumar Upadhyay S/O Krishna Kumar R/O-B-11 Anand-Utsav Ashram Haripur Kalan, Dehradun, Uttarakhand-249205. Changed My Name To Satish Kumar. 0040525090-2

I, Saroj Kumari W/o Sunil Verma R/o-483AF ShaktiKhand-3 Indirapuram Ghaziabad UP have changed my name to Saroj Verma. 0040525109-2

I, Riya alias Riya Sharma D/O Pramod Sharma R/O WZ-444, Basai Darapur, Tanwar Chopal, Ramesh Nagar, Delhi-110015 have changed to my name Riya Sharma for all purpose. 0040525118-2

I, Rehana Sultana W/O Mirza RaEes baig H.NO.B-36, 1st-floor, DDA-colony, New Jafrabad, Delhi-110032. have changed my name to Rehana Begum. 0040525109-3

I, Ranjit Kaur W/o Parvinder Singh R/o C-15, Ground Floor, Raja Garden, New Delhi-110015, have changed my name to Ranjeet Kaur for all purposes. 0040525045-1

I, Rahul S/o Shri Surender Lohia R/o-H.No. 621, Village-Ghitorni, M.G.Road, New Delhi-110030. Have add my surname with my name i.e. Lohia. I will be known as Rahul Lohia for all future purposes. 0040525100-7

I, Sharif Ahmad S/o Mohammad Rafik R/o-C-164, Gali-1, Mohalla-Dilshad Masjid, Mustafabad, Delhi-110094. have changed my name to Sharif,for all purposes. 0040525109-1

I, Pushpa Devi W/o Attar Singh Grewal R/o A-24, Aman Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, have changed my name from Pushpa Devi to PUSHPA GREWAL. 40525054-1

I, Praver Bhatnagar S/o Sh. Dinesh Swaroop Bhatnagar R/o-B-55 second-floor south-city-2,rosewood-city sector-49,Gurugram Haryana. Have changed my name from Pravar Bhatnagar to Praver Bhatnagar,for all purposes. 0040525135-3

I, Partap Singh S/o Umed Singh R/o House No.143, Sector-5, Gurgaon, Haryana-122001 have changed my name to Partap Kataria for all future purposes. 0040525087-1

I, Pardeep Dahiya S/O Dharambir Singh R/O R-4, Lampur Road, Swatantar-Nagar, Narela, Delhi-110040. Have Changed My Name To Pardeep. 0040525090-9

I, Naina Bhatia W/o Anil Sehgal R/o-B-24, Sai Appartment, Opp. DD Club, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Naina. 0040525100-2

I, Mohammad Muqeem S/O Ali Hasan, H.No-E-338, E-Block Part-2. Qutab Vihar Delhi-110071. Changed My Name To Mohammad Mukeem. 0040525090-1

I, Mayank S/O Sanjay Kumar R/O Cb/108-C, DDA Flats, Hari Nagar, Delhi-110064. Has Changed My Name To Mayank Arora. 040525090-3

I, Maina Bithu W/o Mahendar Singh R/o H.No.12/102 NRC sriniwas Puri Delhi 110065, have changed my name to Maina for all purposes. 0040525085-1

I, Km. Usha W/O Vijay Pal Singh R/O-C-287, Block-C, New Ashok Nagar, Delhi-110096, Have Changed My Name To Usha Chouhan. 0040525090-6

I, Jyoti Tondon W/o-Rajinder Kumar R/o-E-131/1, Om Vihar, Phase-5, Uttam Nagar New-Delhi 110059 have changed my name to Jyoti. 040525100-1

I, Jai Deep Singh R/o Flat No. 99, 1st Floor, Seemant Vihar Society, Kaushambi, Ghaziabad - 201010, have changed my name to Jaideep Singh Bisht. 0070689419-1

I, Honey/Honey Garg S/o Mukesh Kumar R/o A-1/179, Paschim Vihar, Delhi-110063, have changed my name to HONEY KUMAR GARG. 0040525037-1

I, Honey Kumar Garg R/o A-1/179, Paschim Vihar, Delhi-110063, have changed my minor daughter's name from Aaradhaya to AARADHYA. Correct names of parents of Aaradhya are HONEY KUMAR GARG and GINNY RANI. 0040525037-2

I, Hitherto Known As Vijaypalsingh Chauhan Alias Vijay Pal Singh,S/O Bani Singh R/O-C-287, Block-C, New Ashok Nagar, Delhi-110096, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Vijay Pal Singh. 0040525090-7

I, Harpreet S/o Shri Jeet Singh R/o G-2/19, Upper Ground Floor, Budh Vihar Phase-1, Delhi-110086, have changed my name from Harpreet to HARPREET SINGH for all future purposes. 40525064-1

I, Harjinder Singh S/o Amrik Singh R/o-Qtr No-2, Gurdwara Mata Sundri, Delhi-110002, have changed my name to Harjinder Singh Aulakh. 0040525135-1

I, Harish Kumar S/o Lakshmichand, A-1/118, Top floor, Sector-17, Rohini Delhi-85. Have Changed My Name To Harish Kumar Ramchandani Permanently. 0040525100-6

I, Niti Gupta W/O Salill Gupta R/O-F-168d (GF), Rajouri Garden, New Delhi, Have Changed My Name To Niti Aggarwal. 0040525100-5

I, Gurvinder Kaur Gill W/o Paramjit Singh R/O C-11c, Janta-Flats, Raghubir-Nagar, New Delhi, have changed my name to Gurvinder Kaur. 0040525100-8

I, Davinder Kumar Mourya S/o Ghanshyam Dass R/O B-37, G/F Tagore-Garden Extn., New Delhi, have changed my name to Davinder Kumar. 0040525100-9

I, Daljeet Singh Bhatti S/o Partap Singh Bhatti R/o.C-219, Pul-Prehladpur, N.D-110044, my father Partap Singh Bhatti, Partap Singh and Pratap Singh all name are same person. 0040525100-10

I, Bibek Kumar Ojha S/o Prabhash Narayan Ojha R/o-C-334, Lajpat Nagar, Sahibabad, Ghaziabad have changed my name to Vivek Kumar Ojha. 0040525100-4

I, Bhupendra Sharma, S/o Yad Ram Sharma, R/o H.No. A-24A, Neb-Vally, Neb-Sarai, Delhi. Have changed my name to Bhupinder Sharma. 0040525135-6

I Yogesh Verma S/o Late Sh.Sham Dass Verma R/o C-159, Ashok Vihar Phase-I, Delhi-110052 have changed the name of my minor daughter from Vidisha to Vidisha Verma for all purposes. 0040525034-4

I Yogesh Kumar S/o Late Sh.Sham Dass Verma R/o C-159, Ashok Vihar Phase-I, Delhi-110052 have changed my name to Yogesh Verma for all purposes. 40525034-1

I Tanisha D/o Sh.Yogesh Verma R/o C-159, Ashok Vihar Phase-I, Delhi-110052 have changed my name to Tanisha Verma for all purposes. 40525034-2

I Sanjida Saifi W/O Mohd Sayeed R/O C-82, Radhey Shyam Park Extension Krishan Nagar Delhi-110051 Have Changed My Name To Sanjeeda Begum. 40525090-5

I Sangeeta D/o Sh.Shambhu Nath Arora W/o Sh.Yogesh Verma R/o C-159, Ashok Vihar Phase-I, Delhi-110052 have changed my name to Sangeeta Verma for all purposes. 0040525034-3

I Ratan Pal Barua S/o late Sh.Prafulla Kumar Barua R/o-K-2125, CR.Park, New Delhi-19 have changed my name to Ratan Barua (DOB:15-2-1955). 0040525090-10

I Prem Lata D/o Sh.Ram Surat R/o WZ-57-A, 1st Floor, Gali No.7, Sanatan Dharam Mandir, Ram Garh Colony, Basai Dara Pur, Near Moti Nagar, New Delhi-110015 have changed my name to Preet Lata for all purposes. 0040525034-7

I Navdeep Ashok Garg S/O Ashok Hazari Lal Garg R/O-R.562. NEW Rajinder Nagar New Delhi-110060 Have Changed Name Of My Minor Son Darsh Navdeep Garg To Darsh Garg. 0040525090-8

I Mohd Saeed S/O Mohd Abdul Gapphur R/O-C-82, Radhey Shyam-Park Extension-Krishan Nagar Delhi-110051 Have Changed My Name To Mohd Sayeed. 0040525090-4

I Dipti D/o Sh.Rohtash W/o Sh.Pankaj Sharma R/o C-46, Swami Dayanand Colony, Delhi-110007 have changed my name to Deepti Sharma for all purposes. 40525034-5

I Brijesh Kumar S/o Sh. Raghuveer Singh R/o B-318/9-10, M.B.Road, Chungi No.2, Lal Kuan, Village Jaitpur, New Delhi-110044 have changed my name to Brijesh Ujjainwal for all purposes. 40525034-6

I Army No. 15414016 W, Deshamukh Harish Chandraramchandra ADM BN AMC Centre & College Cantt. Lucknow. In my service record my name is wrongly entered Deshamukh Harish Chandramchandra. In future my name is known as Deshmukh Harishchandra Ramchandra. 0060071703-4

I Army No. 15414016 W, Deshamukh Harish Chandraramchandra ADM BN AMC Centre & College Cantt. Lucknow. In my service record my wife's name is wrongly entered Subhangi H Deshmukh. In future my wife's name is known as Subhangi Harishchandra Deshmukh. 0060071703-3

I Aakil alias Mohd. Aakil S/o Sharif Ahmed R/o H.No.K-12/A, Street No.1, Near Khaddey Wali Masjid, Gautam Vihar, Ghonda, North East, Delhi-110053 have changed my name to Mohd. Aakil for all purposes. 0040525034-8

I Afsana Javed R/o Haroon Nagar sec- 2 Phulwari Patna is changing my name from Afsana Javed to Afshan Javed. 0070689420-1

CHANGE OF NAME

I, RUDRA PARTAP SINGH, S/o **OM PARKASH**, residing at, Village Sirdhan, P.O. Bangoan, Fatehabad, Haryana, 125050, India, changed my name from RAJNISH to RUDRA PARTAP SINGH vide affidavit dated 18.12.2019 sworn before Notary Banarsi Dass Bansal at Fatehabad. Henceforth, I shall be known as **RUDRA PARTAP SINGH** for all purposes.

मैं, इजहार अहमद सिददीकी पुत्र स्व. मुईद अहमद नि. 551क/340थ/3 आजाद नगर आलमबाग थाना कृष्णानगर लखनऊ का हूँ। मैंने अपने पुत्र का पुराना नाम अर्श को बदल कर नया नाम अयान सिददीकी रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र अर्श को अयान सिददीकी के नाम से जाना व पहचाना जाऐ।

मैं, हेमा बिष्ट, पुत्री श्री चंदन सिंह, पत्नी श्री भरत सिंह, निवासी ई-365/ए, गली न. 8, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091, ने अपना नाम बदल कर हेमा कड़ाकोटी कर दिया है।

खोया+पाया

I,Priyanka D/o-Sanjay Aggarwal R/o-RZ-438D, GaliNo.-16,SadhNagar,Palam Colony,New Delhi-110045,have lost my 10th Certificate and Marksheet which Roll.No.8766108.Finder please Kindly inform the above mentioned residential address. 0040525120-8

It is notified for the information that my original secondary CBSE certificate and Marksheet Roll No.-6354981, year 2000 has been actually lost. Please contact: Ram Nath S/o Vardharam R/o B-532, Mangolpuri, Delhi. 0040525072-1

It is notified for the information that my original secondary CBSE certificate and Marksheet Roll No.-8184833, year 2017 has been actually lost. Please contact: Ishaan Malhotra S/o Sumit Malhotra R/o 41, Sainik Vihar, Pitampura, Delhi. 40525072-2

My original Property document of Register-4368, Vol-No.5873 Page-No.102-108, Book-No.1, Plot-No.56 Pocket-9, Sector-23-B, Dwarka has been lost.Finder contact:Jatin Gulrajani S/o Prakash Chander R/o-Flat.No.701, Plot-No.8C, Arjun Apartment, Sector-7,Dwarka, New Delhi-110075. 0040525135-4

I Shishir Kumar Trivedi S/o Sh.Sushil Trivedi R/o 210, Himgiri Apartment, J-Block, Vikas Puri, New Delhi have lost GBPA File issued by Punjab National Bank. Finders may contact at: 9312400295. 0040525034-9

I Shiv Kumar S/o Bisheshar Dayal R/o BJ-128, Shalimar Bagh West Delhi-88 have changed my name to Shiv Kumar Gupta 0040525109-9

I, Rajiv Saxena S/o.Sh.Tej Bahadur Saxena R/o 1774 1st Floor,CR Park Delhi lost original Receipt worth Rs. 251600 dt: 27/11/2018 of Flat No.C/CA-604 of Aditya Urban Homes,Please Call.9810083600 0040525083-1

I, Vishal Tyagi S/o Manoj Kumar Tyagi R/o-110 Rajgali, Babarpur Shahdara Delhi-110032 lost my X-pass Marksheet Year-2018 Roll No.8167511 CBSE-Delhi 0040525109-7

I Kapil S/o Sh.Satish Kumar Anand R/o E-19, House No.24, Sector-3, Rohini, Delhi have lost my own property documents, cheque book of Bank & Aadhar Card of my family members (Jyoti, Kapil & Saroj) in Rohini Sector-7. Finders may contact at: 9990907999. 0040525034-10

मैं, हरीश चंद्र शर्मा S/o रामेश्वर शर्मा R/o 17/431-B गुलाब फार्म, संगम विहार, नई दिल्ली-80 ने अपने H.No.-JA-24, Basement खिडकी एक्स, मालवीय नगर, नई दिल्ली की प्रॉपर्टी पेपर चेन (GPA, WILL) खो गई है जो 14.10.1999 को पंजीकृत कि गई थी, मिलने पर संपर्क करें-9811746993

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to general public that our clients Shri Ashok Khurana S/o Shri Gobind Ram Khurana & Shri Nikhil Khurana S/o Shri Ashok Khurana both resident of 114-C, Phase-III, Deep Enclave, Ashok Vihar, Delhi-110052 are going to purchase the property bearing No. 26-C, IInd Floor with roof rights, Pocket-D, Deep Enclave, Ashok Vihar, Delhi-110052 from its previous owner Sh.Anil Kumar Marwaha. If anyone from public at large has any objection or having any right/claim in the aforesaid property, can contact to our clients within 15 days from the publication of this notice.

Sd/-
GAUR & ASSOCIATES, ADVOCATES
GOPAL DASS KATHURIA (ADV)
MOB.N0.9818920778

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Sobia Alam Khan D/O Rais Alam Khan R/O 7842, 2nd Floor, Nai Basti, Bara Hindu Rao, Delhi-110006 declare that name of my mother has been wrongly written as Rumana in my 10th, 12th class marksheet, certificate, and Passport No. N5802134. The actual name of my mother is Rumana Parveen, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client namely Mahavir S/o Dhuria Ram R/o L-1/A/832, Gali No. 13, Sangam Vihar, New Delhi has severed all his relations with his son namely Monu, he is not in my client's control. Mahavir has disown his son namely Monu from all his moveable and immovable properties with immediate effect. In case any kind of misconduct, fighting, legal activity and transaction done by them my client shall not be responsible for theri any acts indeed.

Pankaj Srivastav, Advocate
Ch. 466, Lawyers Block, Saket Court, ND

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुव्वकिलों मैनेजर साह गौड़ पुत्र खेदारू साह एवं फूलवती देवी पत्नी मैनेजर साह गौड़ निवासीगण-ए-226/ए-205, कुतुब विहार-1, नई दिल्ली ने अपने पुत्र पवन कुमार साह को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करके अपने पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। इनके किसी लेनदेन के लिए मेरे मुव्वकिल जिम्मेदार नहीं है।

हस्ता./-
आर.एस. मिश्रा अधिवक्ता
चेम्बर नं.-1, पटियाला हाउस कोर्ट
नई दिल्ली-110001
मो. 9811047405

PUBLIC NOTICE

We, Adhikari & Co. (Advocates & Legal Consultants), under instructions of our clients Shri Gurinder Pal Singh S/o Late Shri Amar Singh and Smt. Rajinder Kaur W/o Shri Gurinder Pal Singh both Resident of 1/9326, Gali no. 7, West Rohtash Nagar Shahdara, Delhi-110032, do hereby inform the General Public at large that our aforesaid clients hereby Disassociate themselves from 1) Daughter Ms. Harpreet kaur, 2) Son Mr. Amneet Singh, and 3) Son Mr. Baljeet Singh, from all and any relations with them and further Disown them from the Moveable & Immovable Properties of our client whatsoever. Henceforth, the aforesaid children shall not have any Relations with our aforesaid clients, in any manner whatsoever. Any person dealing with the aforesaid persons, shall deal with them on his own Risk and Consequences without having any liability on our aforesaid clients.

Inder S. Adhikari (Advocate)
Ch.No. F-419, 4th Floor,
Karkardooma Court Complex,
Delhi

PUBLIC NOTICE

My client Mrs. Suman W/o Late Shri Roop Kishore R/o H.No.313/1, Street No.2, Than Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-110005 has severed terminated all relation his son Mr. Vineet Anand S/o Late Shri Roop Kishore R/o H.No.313/1, Street No.2, Than Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi -110005 and disinterited/ disowned him from his all moveable and immvoable properties due to his misbehaviour, Cruelty and non-compliance. In future if any person dealing with the aforesaid debarred person, tht shall be his/her own risk and cost and my client will not be responsible for the same in any manner.

Hemant Sharma (Advocate)
Ch.No.M-14, Civil Wings,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

This is to bring to notice of public at large that my client Smt. Krishna Devi w/o Laxman Das R/o F-129, Street no.16 B Block-F, Pul Prahladpur, New Delhi-110044, has disowned/ debarred her son Sh. Yogesh Kumar from her all movable and immovable properties, due to his misbehaving and disobeying with my client, her relatives and her other family members and my client also severed all relations with him, henceforth any person dealing with him would do so at his/her own risk and consequences and my client shall not be liable for any of his acts/deeds.

B P BHARTI (Advocate)
Ch. No. 319 Saket Courts, New Delhi-17

सूचना

[illegible]

यह सूचना **दिनांक 22 दिसम्बर 2019** को प्रकाशित।

[illegible]

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Vijay Pal Yadav, S/o Sh. Ram Prasad Yadav and his wife Shakuntla, R/o H.No 455-A, Gali No.1, Bhagat Vihar, Karwal Nagar, Delhi do hereby disown/debar their daughter namely Ms. Kajal Yadav from their all movable and immovable properties and severe all relations from her, anybody dealing with her will do at his own costs and risks.

Sd/-
ANMOL KUMAR
(Advocate)
En No. D/820/2010

सार्वजनिक सूचना

मैं, श्रीमती शशी मेहरा पत्नी श्री राजेश मेहरा निवासी - फ्लैट-सी-2ए, प्रथम तल, पारसनाथ पैराडाईज, मोहननगर जिला गाजियाबाद हाल पता- ई-1504, सैक्टर-77, प्रतीक विष्ट एरिया नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर ने अपने पुत्र आशीष मेहरा पुत्रवधू रेनू मेहरा को गलत व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने समस्त प्रकार के रिश्ते नाते समाप्त करती हूँ।

HANEEF KHAN
(Advocate)
Reg. No. 18372/99

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, SHEESH RAM S/o JASOUNDI, residing at PLOT NO. A-6, FLAT NO. GF-2, GROUND FLOOR, BLOCK-A, BRIJ VIHAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201011, declare that the name of my father has been wrongly written as JASAUNDHI SINGH in my AADHAAR CARD. The actual name of my father is JASOUNDI which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

This My Client **KULDEEP KAUR W/o SHRI HARKIRAT SINGH R/o H.No.1, T.F., D-BLOCK, VIKASPURI, DELHI-110018**, has lost/misplaced her original GPA & WILL regd. on Dt. 18.02.2000, in respect of **FLAT No.13-B, F.F., BLOCK-AP, PITAMPURA, DELHI-110034.** And to publish the misplacement of said regd. GPA & WILL in News Papers on her behalf.

DINESH DUA (Advocate)
A-1/69, Sector-16, Rohini
Delhi-89

PUBLIC NOTICE

ENTIRE FIRST FLOOR OF THE FREEHOLD PROPERTY NO. 9, GURU NANAK CHBS LTD. KNOWN AS HEMKUNT COLONY NEW DELHI

Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with Bank of Baroda**, my client(s) entered in to Agreement to Sell dated 04.12.2019 executed by Shri Anil Kumar Agarwal & Smt. Neera Agarwal in favor of Shri Kamal Paul in respect of captioned property.

It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank, financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents / court judgment or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 3 days from the day of publication, failing which the title / Transfer Deed / Sale Deed executed in favor **Shri Kamal Paul or its nominees** shall be deemed to be clear and marketable without any defect, encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms company, financial Institution / Bank.

NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile - 8587868167, Email : nir2verma@gmail.com

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT JAGMATI W/O SH. JAI SINGH GAHLAWAT AND JAI SINGH GAHLAWAT BOTH RESIDENT OF 148, HAMIDPUR VILLAGE, KHAMPUR, DELHI-110036 SERVE ALL RELATIONS AND DISWONED/ DEBARRED HER SON AMARJEET SINGH GAHLAWAT AND DAUGHTER IN LAW AND GRAND CHILDREN FROM ALL MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY AND ASSETS DUE TO THEIR MISBEHAVIOUR AND HOSTILE ATTITUDE. ANYBODY DEALING WITH THEM, SHALL DO AT HIS/ HER OWN RISK.

SD/- (**SURENDER NANDAL**)
ADVOCATE

PUBLIC NOTICE

I, Kulwant Kaur wife of Sh. Surjit Singh R/o 38-A, 3rd Floor, Gali No.1, Shyam Nagar, Delhi-51 , am the owner of One Shop on Ground Floor, part of Property No. C-20, GALI NO.7, NEW GOBIND PURA, DELHI-51.

The Previous GPA, Agreement for Sale, Affidavit, Receipt, Will and Possession Letter in respect of the said SHOP which was in the name of Smt. Sumitra Rani executed by Sh. Ram Rattan executed on 03-11-2000 duly registered in the office of S.R. VIII Delhi has been lost and I have lodged the Information Report on 10.12.19 vide LR No. 1983847/19.

The said shop is absolutely free from any encumbrances whatsoever. If any person has any claim or interest over the said shop, he/she is requested to forward their claim/s along with the relevant documents to me within 15 days of this public notice. If no claim is received, it shall be presumed after 15 days that the shop is free from all encumbrances.

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

Sunil Parsad (Advocate)
Juris NextGen Law Offices
E-56, Greater Kailash Enclave Part-1
New Delhi-110048

Classifieds
EXPRESS EDUCATION
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT
IAS & HOW TO CRACK IT
FREE SEMINAR
ROHINI
Sun. 22nd Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.
TILAK NAGAR
Sun. 29th Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.
NIRVANA IAS ACADEMY
Batches Start 5th January 2020
Weekend Batches Available
www.nirvanaias.com
ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85.
TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.
Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005
LAST BATCH FOR 2020 PRELIMS
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

महाराष्ट्र को भी सीएए लागू करने से मना करना चाहिए : पवार

पुणे, 21 दिसंबर (भाषा)।

पवार ने सीएए और एनआरसी को केंद्र सरकार की चालें करार दिया जो देश को त्रस्त कर रहे गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि आठ अन्य राज्यों की ही तरह महाराष्ट्र को भी नए नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार कर देना चाहिए। इस कानून को लेकर पवार को भय है कि यह भारत के धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है।

पवार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को केंद्र सरकार की चालें करार दिया जो देश को त्रस्त कर रहे गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है। उन्होंने संदेह जताया कि केंद्र नए नागरिकता कानून का विरोध कर रही राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। राकांपा, शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस के साथ एक घटक है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित किए जाने के दौरान इसका विरोध किया था। पवार ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'राजग के सहयोगी दल के शासन वाले बिहार समेत आठ राज्यों ने कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है और महाराष्ट्र का भी रुख यही रहना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'लेकिन अगर राज्य केंद्र सरकार के आदेश का विरोध करते हैं, ऐसी आशंका है कि केंद्र इन राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकती है।' बिहार के अलावा, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ने सीएए लागू करने का विरोध किया है।

मुख्यमंत्री उद्धव ने रविवार को कहा था कि सीएए का क्रियान्वयन उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, 'हम नए कानून की वैधता को जांच रहे हैं। कुछ लोगों ने सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हम यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि नया कानून संविधान के ढांचे में फिट बैठता है या नहीं।' इस बीच, पवार ने आरोप लगाया कि केंद्र अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और पक्षकारों से बातचीत करने से बच रहा है जबकि सीएए के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'सीएए और एनआरसी देश के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने की चाल है।' उन्होंने आरोप लगाया कि नया कानून देश के सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा खड़ा करता है। उन्होंने कहा, 'न सिर्फ अल्पसंख्यक बल्कि जो लोग भी देश की एकता एवं प्रगति की चिंता करते हैं, वे सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं।' पवार ने नए कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने और श्रीलंका के तमिलों को इससे बाहर रखने के चयनात्मक तरीके पर भी सवाल उठाया।

'पाक के खिलाफ संघर्ष में आगे रहने के लिए एकीकृत जनसंपर्क कमान की जरूरत'

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

देश के साइबर सुरक्षा प्रमुख ने पाकिस्तान के साथ विमर्श की लड़ाई में आगे रहने के लिए सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के लिए एक एकीकृत जन संपर्क कमान की जरूरत पर शनिवार को जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 'डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' (डीजी-आईएसपीआर) के जरिए अपने इन कार्यों में तालमेल बना रखा है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) राजेश पंत ने कहा कि सशस्त्र बलों के तीन अंगों के अपने-अपने जनसंपर्क अधिकारी हैं और वे अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कहा, 'हम डीजी-आइएसपीआर के समतुल्य अपना तंत्र बनाने जा रहे हैं क्योंकि सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के अपने खुद के जनसंपर्क हैं और वे अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। ऐसे में, अब राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद किसी व्यक्ति को अब विमर्श की लड़ाई पर और इसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने पर गौर करना होगा।'

पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के लिए प्रवक्ता के तौर पर काम करने वाले डीजी-आईएसपीआर के बारे में बात करते हुए पंत ने कहा कि पड़ोसी देश ने विमर्श की लड़ाई में इस एजेंसी के जरिए अपने कार्य में तालमेल स्थापित कर रखा है। उन्होंने यहां एक सेमिनार में कहा, 'उनके (पाक के) डीजी-आइएसपीआर के बनने के बाद से हम दूसरी ओर से (पश्चिम सीमा से) क्या प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने अपने कार्य में तालमेल बना लिया है।' आधिकारिक ट्विटर हैंडल के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर इस पद पर दिसंबर 2016 से हैं। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) पंत ने कहा, 'जब वह (डीजीआईएसपीआर) विमर्श की लड़ाई करता है, जैसा हमने कश्मीर के मामले में कहा, वह यूरोप को यह संदेश भेजता है कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।' उन्होंने कहा कि जब वे (डीजीआइएसपीआर) इस्लामी देशों से बात करते हैं, तब वे उनसे कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। 'वे दक्षिण पूर्व एशिया से क्षेत्रीय अस्थिरता के बारे में कहते हैं।'

शांति और सद्भाव के लिए आज मार्च निकालेंगे गहलोत

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 21 दिसंबर।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि धार्मिक आधार पर लोगों को देश से बाहर करने के लिए सरकार खुद अफवाह फैला रही है। देश और प्रदेश में शांति और सद्भाव बना रहे, इसके लिए गहलोत रविवार को जयपुर में शांति मार्च निकालेंगे।

इस मार्च में नागरिकता कानून का विरोध करने वाले तमाम लोगों और संगठनों से शामिल होने की अपील उन्होंने की।

गहलोत ने शनिवार को कहा कि कानून का विरोध करने वालों को हिंसक घटनाओं से बचना चाहिए। हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार होना चाहिए। इसी मकसद से उन्होंने रविवार को जयपुर में शांति मार्च निकालने का फैसला किया है। प्रदेश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सरकार सभी कदम उठा रही है और सभी समुदायों को भरोसे में लेकर काम कर रही है। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री एनआरसी को लागू करने की प्रतिबद्धता को धमकी की तरह जाहिर कर रहे हैं। धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर करने और बसाने को लेकर सरकार ही भड़काऊ बयानबाजी कर अफवाह फैलाने में लगी है।

गहलोत ने कहा कि कई प्रदेशों में हिंसक घटनाएं होना दुखद है। देश में आज जो हालात बन गए हैं वो चिंताजनक है। गहलोत ने लोगों से अपील की कि वे हिंसा और अफवाहों से बचें। विरोध करने के संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल अहिंसक तरीके से किया जाना चाहिए। गहलोत का कहना है कि सरकार ने इस कानून को लेकर जो भ्रम पैदा किया है, उससे ही लोग भड़क रहे हैं। दुर्भाग्य से सरकार जनभावना को समझने में विफल रही है। उसके कारण ही हालात बहुत बिगड़ गए हैं। सरकार को अब इस कानून को ही समाप्त करने की घोषणा करनी चाहिए। हालात की गंभीरता को देखते हुए इस विवादास्पद कानून को वापस लिया जाना ही देशहित में है। ऐसे विभाजनकारी फैसले से देश का भला नहीं होने वाला है।

पलामू से दो सशस्त्र नक्सली गिरफ्तार

मेदिनीनगर, 21 दिसंबर (भाषा)।

पलामू जिले के छत्तरपुर थाना क्षेत्र से शनिवार को पुलिस की विशेष टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापा मारकर भूमिगत उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी के दो सशस्त्र उग्रवादियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एक सूचना के आधार पर इन दोनों उग्रवादियों को छत्तरपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इन उग्रवादियों के पास से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। पुलिस ने गिरफ्तार टी पी सी चरमपंथियों की पहचान जितेंद्र यादव (31) और साबिर अंसारी (26) के रूप में की है।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व ही करमाचराई स्थित क्रशर पर इनके नेतृत्व में उग्रवादियों के दस्ते ने धावा बोलकर उत्पात किया था और गोलीबारी करके दहशत पैदा की थी। लिंडा ने बताया कि, गिरफ्तार दोनों नक्सली रंगदारी वसूलने एवं अन्य अनेक आपराधिक कृत्य में शामिल रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को विश्वास है कि इनसे कई चरमपंथी घटनाओं का पर्दाफाश होगा।

शहर काजी ने की नौजवानों से शांति बनाए रखने की अपील

भोपाल (मप्र), 21 दिसंबर (भाषा)।

भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ देश और मध्य प्रदेश में हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर शनिवार को नौजवानों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे कानून हाथ में न लें और ऐसा कोई काम न करें, जिससे कौम की बदनामी हो और प्रदेश का माहौल खराब हो।

शहर काजी ने कहा कि पिछले दिनों हुकूमते हिंद ने एनआरसी और सीएए को राज्यसभा और लोकसभा में पास कराया है तभी से हिंदुस्तान के मुसलमानों और धर्मनिरपेक्ष लोगों में बैचेनी है। मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं कि मैं इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कमलनाथ और दूसरे प्रदेशों की इस्लामी और धर्मनिरपेक्ष तंजीमों से राब्ता बनाए हुए हूं और हमारी कोशिश है कि इस कानून को जल्द से जल्द रद्द कराया जाए।

www.readwhere.com

घर में मिला दंपति का शव, पुलिस जांच में जुटी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र में स्थित दिचाउं कलां में शनिवार को एक दंपति का शव घर से बरामद हुआ है। इनकी पहचान सुदेश (46) और पत्नी स्नेहा के तौर पर हुई है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राव तुलाराम अस्पताल में भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच में घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। आशंका है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर खुद भी जान दे दी। फिलहाल पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

> आशंका है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर खुद भी जान दे दी

जानकारी के मुताबिक, दंपति सुदेश और स्नेहा दिचाउं कलां में परिवार के साथ रहते थे। परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ता है, जबकि बेटी आठवीं कक्षा की छात्रा है। महिला के शरीर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, जबकि उसके पति सुदेश का शव छत पर फंदे से लटका पाया गया। पुलिस को शुरूआती जांच में पता चला है कि सुदेश पर 13 लाख रुपए का कर्ज भी था। वह पिछले काफी समय से तनाव में था और उसका इलाज चल रहा था।

आशंका है कि शुक्रवार रात दंपति के बीच झगड़ा हुआ, उसके बाद सुदेश ने अपनी पत्नी की पहले धारदार हथियार से हत्या की और बाद में खुद को पंखे के सहारे फांसी का फंदा लगा लिया। इनकी शादी 2002 में हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

'वकील एक हफ्ते में कर सकेंगे लाभकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वकील एक सप्ताह के बाद अपना पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार व्यवस्था तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने पटियाला हाउस कोर्ट में आयोजत एक कार्यक्रम में यह बयान दिया। उन्होंने वकीलों को दिल्ली सरकार की ओर से वकीलों के कल्याण के लिए लिए गए फैसलों की भी जानकारी दी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी वकील इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें सुविधाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन को बार काउंसिल प्रमाणित करेगी और दिल्ली सरकार कल्याण योजनाओं का लाभ वकीलों को जारी

करेगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी परेशानियों के कारण ही यह योजना लागू नहीं हो पाई। तमाम अड़चनों के बाद हमने हार नहीं मानी और अपने घोषणा पत्र के तमाम वादे पूरे किए हैं। दिल्ली सरकार इन योजनाओं के तहत 50 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करेगी। सरकार ने पिछले चुनाव में वकीलों से किए गए सारे वादे पूरे कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए दिल्ली सरकार ने 13 सदस्यीय कमेटी बनाई। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद वकीलों के कल्याण की योजनाओं को तैयार किया गया है। दिल्ली सरकार ने वकीलों के लिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, वकीलों के दो बच्चों व परिवार के लिए पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ओर अदालत परिसर में लाइब्रेरी में 10 कम्प्यूटर, जैसी सुविधाएं देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने वकीलों के चैंबर पर भी 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं देने की व्यवस्था लागू की है। अब तक यह सुविधा केवल रिहायाशी परिसरों के लिए लागू की थी।

भलस्वा में मातृ शिशु केंद्र शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को भलस्वा में नवनिर्मित मातृ शिशु केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र एक एकड़ क्षेत्र में बना है। इसका लाभ भलस्वा व आसपास के निवासियों को होगा। इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली महापौर अवतार सिंह भी उपस्थित थे। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले पांच साल में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बद से बदतर हुई है। दिल्ली सरकार के पास स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 7500 करोड़ रुपए के विशाल बजट के बावजूद भी डिस्पेंसरी, पोलीक्लीनिक और मोहल्ला क्लीनिक स्तर पर चिकित्सा सेवाएं देने में बुरी तरह नाकाम रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 900 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में 30000 अतिरिक्त बिस्तर की सुविधा देने का वायदा किया था। दिल्ली सरकार के इस कार्यकाल में केवल दो डिस्पेंसरी ही खोली गई हैं और एक भी नया अस्पताल या पॉलीक्लिनिक नहीं खोला। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना तो दूर दिल्ली सरकार ने योजना मद में निगमों को दिया जाने वाला फंड भी काटा है। ताकि निगम को नए पालीक्लिनिक और डिस्पेंसरियां खोलने से रोका जा सके।

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
ट्राइडेंट फ्लेक्सिबल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ट्राइडेंट फ्लेक्सिबल प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	08.01.2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51109DL2008PTC172391
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	1. **पंजीकृत पता** : ए-138, प्रथम तल, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 2. **साइट कार्यालय/इकाई** : प्लॉट नं. 72, खसरा नं. 61, मटियाला गाँव, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	13.12.2019 माननीय नई दिल्ली पीठ, न्यायालय-IV, एनसीएलटी विधि अधिकरण द्वारा सीपी सं. (IB)-1728(एनडी) 2019 के तहत आदेश द्वारा
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	16.06.2020 (आईआरपी की नियुक्ति की सूचना की तिथि अर्थात 19.12.2019 से मान्य 180 दिन)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नाम : सतीश जोशी** पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P01295/2018-19/12306
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	**पता** : एफ-207, आदित्य ट्रेड टॉवर, प्लॉट नं. 4, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पॉकेट ओ एवं पी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095 ई-मेलः recourse2018@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	**पता** : एफ-207, आदित्य ट्रेड टॉवर, प्लॉट नं. 4, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पॉकेट ओ एवं पी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095 ई-मेलः recourse2018@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	02.01.2020 (आईआरपी की नियुक्ति की सूचना की तिथि अर्थात 19.12.2019 से मान्य 180 दिन)
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	अप्रयोज्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध हैः	(अ) वेबलिंक : http:// ibbi.gov.in/home/downloads (ब) अप्रयोज्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने 13.12.2019 को **ट्राइडेंट फ्लेक्सिबल प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध सीपी सं. (IB)-1728(एनडी) 2019 के तहत आदेश द्वारा कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

ट्राइडेंट फ्लेक्सिबल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 02.01.2020 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में आवंटिती/गृह क्रेता, जैसा मामला हो, के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से प्रपत्र सीए में अपनी पसन्द का अधिकृत प्रतिनिधि निदर्शित करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

ह./-
सतीश जोशी
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
दिनांक : 21.12.2019
स्थान : नई दिल्ली
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P01295/2018-19/12306

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः एमएमएच कॉलेज, गाज़ियाबाद, उ0प्र0

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गांरटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
1.	**कर्जदारः (1) श्री शकील, पुत्र श्री अब्दुल बारी (2) श्री वकील पुत्र श्री अब्दुल बारी (3) मोहम्मद सलीम पुत्र श्री अब्दुल बारी** **सभी निवासीः** मकान नं.1109, गली नं.2, निकट मोती मस्जिद कैला भट्टा, गाज़ियाबाद, उ0प्र0 **(लोन खाता नं.3956271790)**	**श्री सलीम पुत्र श्री अब्दुल बारी** के नाम पर साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति मकान नं.1109, खसरा नं. 156/4 का भाग, गांव कैला भट्टा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, एरिया परिमाप 90.29 वर्ग मीटर **जो घिरी है:** **उत्तरः** 10 फीट रोड **दक्षिणः** खालिद का मकान **पूर्वः** गुलशेर का मकान **पश्चिमः** इस्लामुद्दीन का मकान	**29.11.2019 को एनपीए 30.11.2019** को बकाया **रु.12,48,083/-** (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज दर्शाता है)
2.	**कर्जदारः** **श्री विक्रम एवं श्री कनुज शर्मा** ऊपरी भूतल, प्लॉट नं.75 एवं 76, फ्लोरा एन्क्लेव, इन्द्रागढ़ी, गाँव-दासना, गाज़ियाबाद-201001 **गारंटरः** **श्री आशा नन्द पुत्र राम दत्ता** मकान नं.967/सी, वार्ड नं.7, महरौली, गदईपुर, दक्षिणी दिल्ली-110030 **(लोन खाता नं.3929806902)**	**श्री कनुज शर्मा पुत्र श्री धरम पाल शर्मा** के नाम पर साम्यिक बंधक आवासीय फ्लैट अपर ग्राउंड फ्लोर (बिना छत अधिकार), प्लॉट नं. 75 एवं 76, खसरा नं. 543, एरिया परिमाप 54.34 वर्ग मीटर, फ्लोरा एन्क्लेव, इंद्रगढ़ी, गांव डासना, परगना डासना, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, उ0प्र0। **जो घिरी है:** **उत्तरः** 25 फीट रोड **दक्षिणः** प्लॉट नं. 57 एवं 58 **पूर्वः** प्लॉट नं. 75 का भाग **पश्चिमः** प्लॉट नं. 78 का भाग	**29.11.2019 को एनपीए 30.11.2019** को बकाया **रु.19,46,985/-** (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज दर्शाता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः गाज़ियाबाद
दिनांकः 30.11.2019
प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमएमएच कॉलेज, गाज़ियाबाद

Ministry of Tribal Affairs
Government of India

ट्राइब्स इंडिया
The Art and Soul of India
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित
(जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

भारतीय जनजातीय शिल्प, संस्कृति, आदि व्यंजन और व्यापार का सबसे बड़ा उत्सव

go tribal

आदि महोत्सव

20 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2019
स्थानः उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी
विपिन खण्ड, गोमती नगर, निकट R.B.I., लखनऊ
समयः प्रातः 11 से सायं 9 बजे तक

उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी में आपका स्वागत है

मेटल क्राफ्ट

ट्राइबल टेक्सटाईल

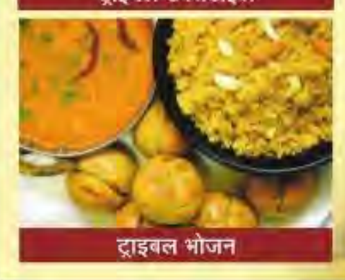

ट्राइबल भोजन

आदि महोत्सव के प्रमुख आकर्षण

- सम्पूर्ण देश से लगभग 200 ट्राइबल शिल्पकार
- हैण्डलूम व हैण्डीक्राफ्ट की प्रदर्शनी एवं बिक्री
- खाद्य एवं वन्य उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री
- हेरिटेज टेक्सटाइल एवं लद्दाख की पशमीना एवं अन्य राज्यों के ऊनी उत्पाद
- आदि व्यंजन का आनन्द लें

connect with us
@tribesindia
www.tribesindia.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आस्ति वसूली शाखा, 26/28, कनाट प्लेस, नई दिल्ली,
ई-मेल : arbdelhi@unionbankofindia.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदारों एवं जमानतियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों, जिस पर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (प्रतिभूत लेनदार) द्वारा कब्जा कर लिया गया है, निम्नलिखित कर्जदारों एवं जमानतियों से **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया** (प्रतिभूत लेनदार) द्वारा निम्नलिखित बकाये की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", तथा "जो कुछ भी वहीं है" के आधार पर 10.01.2020 को विक्रय किया जायेगा। आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि एवं अन्य विवरण निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	शाखा, अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नम्बर	कर्जदार का नाम व पता	जमानती का नाम व पता	नीलामी पर रखी अचल सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में ऋणभार, यदि कोई हो	लिया गया रचनात्मक या भौतिक कब्जा	कर्जदार/जमानती से वसूली योग्य बकाया (रु.)	आरक्षित मूल्य ज.ध.रा. संविदा बढ़ोत्तरी	नीलामी की तिथि एवं समय संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	आस्ति वसूली शाखा, श्री दिवाकर चौधरी फोन : 9971781144	गार्टेक्स कंसेप्ट क्लोदिंग लि. कार्यालय डी23बी, तिलक विहार, तिलक नगर, दिल्ली-110018, फैक्ट्रीः खेवट/खाता संख्या 702/839, दुधौला-धातिर रोड, जिला पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा	1.श्री कुलबीर सिंह, मकान नं. 126, सेक्टर-28, फरीदाबाद-121008. 2. श्री तरन पाल सिंह, मकान नं. 126, सेक्टर-28, फरीदाबाद-121008. 3. श्री करन दीप कौर, मकान नं. 126, सेक्टर-28, फरीदाबाद-121008. 4. श्री भूपिन्दर सिंह साहनी, मकान नं. ए-53/1, डीएलएफ सिटी, फेज-1, गुरुग्राम-122001. 5. श्री गुरमीत सिंह साहनी, मकान नं. ए-39, रोजवुड सिटी, सेक्टर-49, गुरुग्राम-122001 6. श्री देवेन्दर पाल सिंह खोली, मकान नं. ए-39, रोजवुड सिटी, सेक्टर-49, गुरुग्राम-122001	खाता नं. 76 (खसरा नं. 368 एवं 374) एवं खाता सं. 151 (खसरा नं. 373) खाता नं. 367, ग्राम नालहेरा बक्कल, अम्बाला रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 73), सहारनपुर, उ.प्र., माप : 15447 वर्ग मीटर	अज्ञात	भौतिक	31.03.2012 तक रु. 122437986.12 एवं इस पर भावी ब्याज तथा लागत	724.00 लाख 72.40 लाख रु. 1 लाख	10.01.2020 को 12.00 बजे अपराह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक 09.01.2020 को 5 बजे अपराह्न 06.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
2.	आस्ति वसूली शाखा, श्री दिवाकर चौधरी फोन : 9971781144	1. विनय भण्डारी, 2. पद्मिनी भण्डारी, 3. विनीत भण्डारी, अपार्टमेंट/फ्लैट सं. 604, ब्लॉक नं. 2, 6ठी मंजिल, यूनिवर्ल्ड गार्डन, सेक्टर 47, गुरुग्राम (हरियाणा) **साथ ही** : मकान नं. 6033, सेक्टर 7, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 **साथ ही** : वी 264, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027	1. विनय भण्डारी, 2. पद्मिनी भण्डारी, 3. विनीत भण्डारी, अपार्टमेंट/फ्लैट सं. 604, ब्लॉक नं. 2, 6ठी मंजिल, यूनिवर्ल्ड गार्डन, सेक्टर 47, गुरुग्राम (हरियाणा) **साथ ही** : मकान नं. 6033, सेक्टर 7, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 **साथ ही** : वी 264, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027	अपार्टमेंट/फ्लैट सं. 604, ब्लॉक नं. 2, 6ठी मंजिल, माप सुपर एरिया 2027 वर्ग फीट, यूनिवर्ल्ड गार्डन, सेक्टर-47, गुरुग्राम (हरियाणा)	अज्ञात	भौतिक	31.03.2018 तक 1,63,73,574.10/- तथा 01.04.2018 से अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं लागत।	रु. 140.00 लाख रु. 14.00 लाख रु. 1.00 लाख	10.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे दोपहर तक 09.01.2020 को 5 बजे अपराह्न 06.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
3.	आस्ति वसूली शाखा, ललित मोहन जोशी, 9610447251	मैसर्स एनसीएमएल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 1818, नया बाजार, दिल्ली या 10, वर्धमान सिटी 2 प्लाजा, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002; साथ ही : खसरा नं. 512, 513, 514, ग्राम छिजारसी, कुलिच नगर, परगना डासना, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. इसके निदेशक श्री मोहन लाल जैन, श्री सुमित जैन (निदेशक), श्री मनीष जैन (निदेशक) के माध्यम से सभी निवासी 108-109-110, वर्धमान प्लाजा-II, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 साथ ही : आर-4/13, राजनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.	श्रीमती कमला जैन, श्रीमती संगीता जैन, एन.एम. एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, एन.एम. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ओनेक्स बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जीनियस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि., मोहित निधि एग्रो ऑयल्स प्रा.लि., श्री मनीष जैन (एचयूएफ) (जमानती) सभी निवासी : 108-109-110, वर्धमान प्लाजा-II, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002	सम्पत्ति खाता सं. 131, खसरा नं. 515, सामने बजाज धर्मकाँटा, ग्राम छिजारसी, कुलिच नगर, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़, उ.प्र.-201307, माप : 11329.43 वर्ग मीटर जो मैसर्स एनसीएमएल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर है। उत्तर : सड़क, दक्षिण : पीछे अन्य की सम्पत्ति, पूर्व : एनसीएमएल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पश्चिम : नाली एवं कच्ची सड़क।	अज्ञात	भौतिक	24.06.2015 तक रु. 1,03,68,95,951.00 (रुपये 103 करोड़ अड़सठ लाख पिचानबे हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) तथा भावी ब्याज तथा बकाया लागत।	रु. 900.00 लाख रु. 90.00 लाख रु. 1.00 लाख	11.01.2020 को 1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक 09.01.2020 को 5 बजे अपराह्न 04.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
4.	आस्ति वसूली शाखा, ललित मोहन जोशी, 9610447251	मैसर्स विभा ओवरसीज एक्जिम प्रा.लि., श्री आलोक गुप्ता, श्रीमती विभा गुप्ता निवासी : डी-9, महारानी बाग, नई दिल्ली एवं श्री पवन गुप्ता निवासी मकान नं. 12/6, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, अनंगपुर रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-121005.	श्री आलोक गुप्ता, श्रीमती विभा गुप्ता, निवासी : डी-9, महारानी बाग, नई दिल्ली एवं श्री पवन गुप्ता निवासी मकान नं. 12/6, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, अनंगपुर रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-121005.	अचल सम्पत्ति मकान सं. : सी-732, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065, माप : 478.3 वर्ग गज जो श्रीमती विभा गुप्ता पत्नी श्री आलोक गुप्ता के नाम पर है। सीमाएँ इस प्रकार हैं : उत्तर/पश्चिम : सर्विस लेन, दक्षिण/पूर्व : 30 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर/पूर्व : मकान नं. 731, दक्षिण/पश्चिम : मकान नं. 733	2017 का एसए सं. 356 डीआरटी दिल्ली में लम्बित	भौतिक	02.12.2014 तक रु. 95,28,69,572.72 (रुपये पिचानबे करोड़ अट्ठाईस लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ बहत्तर एवं बहत्तर पैसे मात्र) एवं भावी ब्याज तथा लागत।	रु. 2075.00 लाख रु. 20.75 लाख रु. 1 लाख	11.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे दोपहर तक 09.01.2020 को 5 बजे अपराह्न 04.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
5.	आस्ति वसूली शाखा, ललित मोहन जोशी, 9610447251	कीप इन टच क्लोदिंग प्रा.लि., दुकान नं. 3, निकट प्राइमरी स्कूल, घरोली, मयूर विहार फेज III, नई दिल्ली-110096, **साथ ही** : बी-63, सेक्टर-83, नोएडा, उ.प्र.-201301	श्री अम्बर जोशी, एसवी-01/04, टीएफ यूटोपिया, सेक्टर-93 ए, नोएडा, उ.प्र.-201301 श्री आकाश जोशी, ईएच 1/805, यूटोपिया एल्डेको, सेक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.-201301 सुश्री साक्षी आनन्द, ईएच 1/805, यूटोपिया एल्डेको, सेक्टर 93ए, नोएडा, उ.प्र.-201301 सुश्री अनिता जोशी, एसवी-01/04, टीएफ यूटोपिया, सेक्टर-93 ए, नोएडा, उ.प्र.-201301	श्री आकाश जोशी के नाम पर धारित प्लॉट सं. जी-002, केनसिंगटन पार्क 1, जेपी ग्रीन्स, सेक्टर 133, नोएडा, क्षेत्रफल 127.93 वर्ग मीटर, **सीमा : उत्तर** : सड़क, **दक्षिण** : प्लॉट सं. जी-003, **पूर्व** : प्लॉट सं. जी-001, **पश्चिम** : अन्य का प्लॉट।	2018 का एसए सं. 586 डीआरटी लखनऊ में लम्बित	भौतिक	31.1.2016 तक रु. 8,18,33,143.09 एवं 1.2.2016 तक भावी ब्याज एवं व्यय सहित।	रु. 65.00 लाख रु. 6.50 लाख रु. 50,000	10.01.2020 को 1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक 09.01.2020 को 5 बजे अपराह्न 06.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in में प्रावधानित लिंक देखें।

ई-नीलामी एजेन्ट का विवरण : मैसर्स 4क्लोजर, वेबसाइट : www.bankauctions.in, हेल्पलाइन नं. : 08142000062/66, (मो.) दूरभाष : 040-23836405, सम्पर्क व्यक्ति श्री विकास : 8142000809, ई-मेल : vikas@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in

इसे उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी विक्रय की धारिता के विषय में कथित ऋण के कर्जदार/रों तथा जमानती/यों केलिए प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के प्रावधान के तहत सूचना के रूप में लिया जाये।

दिनांक : 20.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी,
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आस्ति वसूली शाखा

www.readwhere.com

नागरिकता कानून पर बोले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा

भारत ने किया ऐतिहासिक जिम्मेदारी का निर्वाह

मृणाल वल्लरी
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचारक राकेश सिन्हा का कहना है कि भारत सरकार के ऐतिहासिक कदम पर भ्रम फैलाया जा रहा है और दुष्प्रचार कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के पास कोई मूल मुद्दा नहीं है और वह धारणा के आधार पर सरकार का विरोध कर रहा है। उनके पास विरोध का कोई नैतिक और संवैधानिक आधार नहीं है। सिन्हा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून संवैधानिक और भारत की सभ्यता के अनुकूल है। आजादी के पहले भी यहां यहूदियों और पारसियों को इसलिए जगह दी गई थी क्योंकि उनके साथ धार्मिक भेदभाव के आधार पर अत्याचार हो रहा था।

जनसत्ता से खास बातचीत में सिन्हा ने कहा कि ताजा कानून को समझने के लिए हमें 1950 में बनाए गए हालात को भी समझना होगा। आजादी और विभाजन के बाद 1950 में नेहरू–लियाकत समझौता हुआ था। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में जाने वाले हिंदुओं को भय था कि वहां उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। एक–दो लोगों को छोड़ कर उस वक्त किसी ने भी जनसंख्या की अदला–बदली की बात नहीं की थी। उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुओं को मौखिक संदेश दिया था कि वहां उनके जीवन और धर्म की सुरक्षा होगी, उन पर किसी तरह के अत्याचार को रोकना हमारी जिम्मेदारी होगी।

इसके बाद नेहरू और लियाकत के बीच समझौता हुआ कि अपने–अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता उन देशों की होगी जो सैद्धांतिक रूप से ठीक बात थी। यह समझौता आठ फरवरी को हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 19 फरवरी को इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घटी। विभाजन के बाद बिगड़े इस हालात को ठीक करने का काम मोदी सरकार ने किया। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और यह लोगों को आस्था का अधिकार देता है। इसमें मुसलमानों को इसलिए शामिल नहीं किया गया कि उनकी आस्था का अधिकार सुरक्षित है। उनके संघर्ष के क्षेत्र किन्हीं और कारणों से हैं, मजहब

के आधार पर नहीं हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और सिखों के अधिकार खतरे में हैं। उन्हें उनका अधिकार देना भारत में किसी का अधिकार छीनना कैसे हो सकता है।

क्या सरकार को अंदाजा था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोधी हो जाएगा और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी दलों के नेता भी इसके खिलाफ होंगे? इस सवाल के जवाब में राकेश सिन्हा ने कहा कि इस कानून की पृष्ठभूमि 1950 से तैयार थी। राजस्थान के जैसलमेर में बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी रह रहे थे। कांग्रेस के समय में भी बहुत धीमे तरीके से ही सही मताधिकार को छोड़कर शरणार्थियों को अन्य सुविधाएं दी गईं। 2003 में मनमोहन सिंह और 2012 में माकपा ने भी इसकी वकालत की थी। तो पूरी तरह से आम सहमति को देखकर ही यह कानून बनाया गया है।

विरोध के तरीके पर सवाल उठाते हुए सिन्हा ने कहा कि यह वही पुरस्कार वापसी गिरोह है जो महज धारणा के आधार पर नरेंद्र मोदी का विरोध करता है। बातचीत की कोई पेशकश नहीं, कोई ज्ञापन नहीं और सीधे हिंसक विरोध शुरू कर दिया। बिना किसी उत्तेजना के हिंसा की गई। भारत में बुद्धिजीवियों के एक वर्ग और पश्चिम के बुद्धिजीवियों में एक गठबंधन है जो अपनी नापसंदगी को दुष्प्रचार की शक्ल दे बैठते हैं। इस तरह के हिंसात्मक आंदोलन राष्ट्र की छवि को धूमिल करते हैं। यह सरकार के खिलाफ नहीं राज्य को चुनौती देने वाला विरोध हो गया है।

क्या सरकार को असम के जमीनी हालात का पता नहीं था? इस सवाल पर राकेश सिन्हा ने कहा कि एनआरसी को लेकर असम में जो हुआ वह असम समझौते और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर और उसके अधीनस्थ हुआ। एनआरसी पूरे देश में हो यह सरकार की मंशा है। लेकिन इसके राष्ट्रव्यापी स्वरूप, कानून और प्रक्रिया पर अभी कुछ बात भी नहीं हुई है।

राष्ट्रव्यापी एनआरसी को लेकर विरोध आसमान में तीर चलाना है। दुनियाभर के विश्वविद्यालयों सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने नागरिकता संशोधन कानून पर सवाल उठाए हैं। क्या इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को बड़ा नुकसान होगा? इसके जवाब में राकेश सिन्हा ने कहा कि भारत ने 2014 के बाद पूरी दुनिया में नई छवि का निर्माण किया है।

अभी गुटनिरपेक्षता जैसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा है लेकिन नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। ये क्षणिक बाते हैं। हल्की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, इसका कोई बड़ा महत्त्व नहीं है। भारत ऐतिहासिक रूप से उन सभी को शरण देता रहा है जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हैं। राज्यविहीन और अधिकारविहीन लोगों को नागरिकता देने का कदम उठा भारत ने वैश्विक नैतिक जिम्मेदारी में अहम भागीदारी निभाई है।

सांसद गौतम गंभीर को फोन पर मिल रही धमकी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर को परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिलने का मामले सामने आया है। इस संबंध में गौतम गंभीर ने शाहदरा जिले के डीसीपी अमित शर्मा को लिखित में शिकायत दी है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को अंतरराष्ट्रीय (इंटरनेशनल) नंबर से फोन कर–के जान से मारने की धमकी मिली है।

पिछले तीन दिनों से आ रहे थे धमकी भरे फोन
अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर से मिल रही है सांसद को धमकी

उन्होंने 20 दिसंबर को लिखित में शिकायत की थी। फिलहाल पुलिस ने उनकी शिकायत ले ली है और उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है। गौतम गंभीर अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहते हैं।

गौतम गंभीर की ओर से कहा गया है कि पिछले तीन दिन से यह फोन आ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले फोन को देखते हुए पुलिस से शिकायत कर दी और और मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन करने का कहा है।

वहीं, पुलिस का कहना है कि शुक्रवार को गौतम गंभीर ने शिकायत की थी। शिकायत ले ली गई है और इस मामले को जिला साइबर सेल यूनिट और अन्य विभाग को भेज दिया गया है, जो फोन नंबर के आधार पर फोन करने वाले के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। गौतम गंभीर के परिजनों की सुरक्षा का सवाल है तो दिल्ली पुलिस हर जनप्रतिनिधि और उनके परिजनों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। साइबर यूनिट जल्द ही अपने सर्विलांस और अन्य तकनीक की मदद से फोन करने वाले के बारे में जानकारी जुटा लेंगे।

दरियागंज हिंसक प्रदर्शन में शामिल 16 लोग गिरफ्तार

चंद्रशेखर आजाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

दरियागंज के दिल्ली गेट पर हुए हिंसक प्रदर्शन में शनिवार तड़के पुलिस ने जामा मस्जिद से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को हिरासत में लिया। बाद में पुलिस ने चंद्रशेखर पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लोगों को उकसाने और दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने शुक्रवार रात झड़प के कुछ देर बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं, शनिवार को भी पांच लोगों को हिंसक झड़प में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर समेत 16 लोगों को पुलिस ने दरियागंज में आगजनी और बवाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोपहर बाद पुलिस ने सभी को अदालत में पेश किया।

दिल्ली की एक अदालत ने दरियागंज हिंसा मामले में गिरफ्तार किए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आजाद ने इस आधार पर जमानत मांगी कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि उन्होंने जामा मस्जिद पर जमा भीड़ को दिल्ली गेट जाने के लिए उकसाया था, जहां पहुंचकर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। पुलिस ने गवाहों को धमकाने का अंदेशा जताते हुए जमानत का विरोध किया और कहा कि कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी न्यायिक हिरासत जरूरी है। एक वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि वह जांच अधिकारी को आजाद के ठिकानों की जानकारी देने का निर्देश दे।

वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने दरियागंज में शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सभी को पुलिस ने शनिवार को अदालत के समक्ष पेश किया था। इस दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक ने नाबालिग होने का दावा किया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसकी उम्र 23 साल है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार शाम को हुई हिंसक झड़प के दौरान कुल 41 लोगों को चोटें पहुंची थीं, जिनमें 13 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दो लोगों के सिर में गंभीर चोट लगी हैं जबकि एक व्यक्ति का पैर टूट गया। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है जबकि अन्य लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हिंसक झड़प के दौरान लोगों ने एक पुलिसकर्मी की निजी कार में आ लगा दी थी, जिसमें उसकी वर्दी भी जल गई।

भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया।

पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

पुलिस ने बताया कि दरियागंज और जामा मस्जिद के आसपास पूरी रात सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। शांति बनाए रखने के लिए शनिवार को सीआरपी के जवानों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। भीम आर्मी के आह्वान पर शुक्रवार को जामा मस्जिद पर सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी का प्रमुख चंद्रशेखर पुलिस को चकमा देकर वहां से गायब हो गया। लेकिन शाम में एक बार फिर चंद्रशेखर जामा मस्जिद में मौजूद अपने समर्थकों के बीच पहुंच गया और नारेबाजी शुरू कर दी। देर रात तक वहां नारेबाजी होती रही। उधर शाम में दिल्ली गेट पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया और दरियागंज थाने के बाहर खड़ी एक कार में आग लगा दी।

पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन

दरियागंज में हुई हिंसक झड़प में शामिल होने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात को 40 लोगों को हिरासत में लिया था। इसकी जानकारी जैसे ही प्रदर्शन कर रहे छात्र–छात्राओं और सामाजिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मिली। बड़ी संख्या में लोग आइटीओ स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। इन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ दिया जाए। साथ ही आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने नाबालिगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

कांग्रेस करेगी कानूनी मदद

दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने बताया कि बेगुनाह लोगों को भी पुलिस ने हिंसक झड़प में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया है। सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कि वह जरुरतमंद को सभी प्रकार की कानूनी मदद देंगे। वहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने शनिवार को ऐलान किया कि वह नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिजन को 5 – 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा।

दिल्ली में कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी, सड़कों पर जाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

इंडिया गेट पर शनिवार को सैकड़ों छात्रों, पेशेवरों और नागरिक समाज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और और कहा कि नए कानून से देश का धर्मनिरपेक्ष तानाबाना तार–तार हो सकता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यह कानून देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने को नष्ट कर सकता है। राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और सीएए मिलकर बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। वहीं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने शनिवार को फिर से विश्वविद्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया।

कुछ दिन पहले ही इसके परिसर और इसके आसपास पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक प्रदर्शन हुए थे। छात्राओं के प्रदर्शन में बाद में छात्र, संस्थान के पुराने विद्यार्थी और बाहरी लोग भी शामिल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने लड़ के लेंगे आजादी और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए छात्राओं ने उनसे प्रदर्शन के दौरान गाली–गलौज या असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहा। इसके साथ ही शनिवार को चाणक्यपुरी में उत्तर प्रदेश भवन के पास संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चार विद्यार्थियों को हिरासत में ले लिया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। प्रदर्शन की वजह से कई इलाकों में लोगों को जाम से दो–चार होना पड़ा। कालिंदी कुंज को पिछले एक सप्ताह से प्रदर्शन को देखते हुए बंद कर दिया गया है। इस कारण सभी वाहन डीएनडी से होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि आश्रम चौक से लेकर महरानी बाग तक लोगों को जाम में फंसने को मजबूर होना पड़ रहा है। गीता कॉलोनी की ओर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया था। पुस्ता से दरियागंज की ओर जाने वाले लोगों को घंटो जाम में फंसने को मजबूर होना पड़ा। इसी प्रकार मध्य दिल्ली में भी कई इलाकों में लोगों को जाम से दो–चार होना पड़ा। रिंग रोड पर यातायात काफी धीमी गति से चल रहा था। लाजपत नगर, ओखला में जाम की स्थिति बनी रही।

67 से अधिक सीट के लक्ष्य के साथ उतरेगी आम आदमी पार्टी : अरविंद केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

70 विधानसभा सीटों में 67 सीट जीतने का कीर्तिमान बना चुकी आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में इससे भी अधिक सीट के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को कहा कि 2015 के चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीट का लक्ष्य तय करने की जरूरत है। पार्टी के हर सदस्य को यह चुनाव पूरी ताकत से लड़ना है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। पिछली बार हम 67 सीटों पर जीती और इस बार हमें उससे कम नहीं, बल्कि उससे ज्यादा हासिल करना चाहिए। इस दौरान पार्टी के सदस्य 70 में से 70 के नारे लगा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस चुनाव में जिम्मेदारी लेने के लिए खुद आगे आएं और चुनाव के कार्य में जुटे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक

विमर्श को बदल दिया है और अन्य दलों को विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए बाध्य किया है। अन्य पार्टियों ने 70 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाया। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के लोग भी अब आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज तक 70 साल में कोई भी विरोधी ऐसा नहीं होगा, जो यह कह सके कि हमने स्कूल अच्छा कर दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली सरकार के कामों के आधार पर वोट मांगने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता खुद आकर हमारे काम गिना रही है।

दिल्ली हमारी पार्टी का आधार है। यहीं से हम लोगों ने राजनीतिक सफर की शुरूआत की है। यहां पर हमें बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ना है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति को बदला है। पहले हम अमेरिका से सीखते थे, आज अमेरिका और कई अन्य देश हमारे मोहल्ला क्लीनिक से सीख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ काम पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। आज पूरी दुनिया में दिल्ली सरकार के काम की चर्चा हो रही है।

प्रधानमंत्री की रैली को लेकर कड़े इंतजाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित प्रधानमंत्री की रैली आतंकियों के निशाने पर है। रामलीला मैदान समेत आसपास के इलाके की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। खुफिया एजंसी को सूचना मिली है, जिसमें कहा गया है कि रैली में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। नागरिकता संसोधन कानून पर दिल्ली समेत देश भर में मच रहे बवाल की वजह से पुलिस व सुरक्षा एजंसियां और भी सर्तक हो गई हैं। खुफिया एजंसी के इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। जिसमें रैली स्थल सहित उसके आसपास के इलाके में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

भाजपा की रैली चुनावी ढकोसला : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर केंद्र और दिल्ली सरकार जमकर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और पूर्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री अजय माकन ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि रविवार को रामलीला मैदान में हो रही भाजपा की यह रैली चुनावी ढकोसला है। अजय मकान ने 98 पन्ने का दस्तावेज जारी करते कॉलोनियों को नियमितिकरण से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से सात सवाल पूछे हैं। अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कहा जा रहा है कि लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा। पर भाजपा इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख जनता को धोखा दे रही है। यह चुनावी एजंडा है, जिसका फायदा भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में लेना चाहती है। अजय माकन ने कहा कि पहला सवाल बनता है कि अभी तक 1797 अनधिकृत कॉलोनियों का लेआउट प्लान क्यों नहीं पास किया गया।

‘काम पर गए लोगों को उपद्रवी बता किया गिरफ्तार’

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

जामा मस्जिद इलाके में शुक्रवार को दिन भर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद शाम को प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे। इसके बाद दरियागंज में जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय के बाहर पथराव शुरू कर दिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिसकर्मी के निजी वाहन में आग लगा दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 उपद्रवियों को मौके से हिरासत में लिया है। कानूनी प्रकिया पूरी करने के बाद पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है।

उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों से मिलने के लिए उनके परिवार के सदस्य शनिवार सुबह दरियागंज थाने पहुंचे। परिवार के सदस्यों का आरोप था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से कुछ लोग घर से काम करने की बात कह कर निकले थे। वह दरियागंज और जामा मस्जिद इलाके में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर दंगा करने और पुलिसकर्मियों पर

पुलिस पर आरोप

जो रुका उसे पकड़ा लिया गया

आगजनी के दौरान मौके पर मौजूद मोहम्मद अकरम ने बताया कि पुलिस ने उसे भी लाठी से पीटा लेकिन वह वहां से भाग निकला। वह वहां एक मोटर गैराज में मैकेनिक का काम करता है। उसके हाथ पर पैर में चोटें पहुंची है। उसने बताया कि आगजनी के बाद मौके पर जो लोग रुक गए, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अकरम ने बताया कि नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग अपने घरों को लौट रहे थे, तभी अचानक से सैकड़ों लोगों की भीड़ आई और पुलिस से हिंसक झड़प करने लगी।

बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। खजूरी निवासी मोहम्मद इशफाक (60) को भी दरियागंज में हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी पत्नी का आरोप है कि वह जामा मस्जिद इलाके में लोहे का काम करते हैं। शुक्रवार सुबह वह काम पर जाने की बात कह कर निकलने थे। उनकी पत्नी ने बताया कि जब देर शाम तक नहीं लौटे तो उन्होंने टीवी पर समाचार देखा। इसी बीच देर रात उनके पास थाने से फोन आया कि मोहम्मद इशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 52 साल की उनकी पत्नी ने कहा कि एक बुजुर्ग शख्स कैसे उपद्रव कर सकता है।

वहीं, गिरफ्तर में लिए गए मोहम्मद रहीम (19) के भाई चांद मोहम्मद ने बताया कि उनका भाई जामा मस्जिद इलाके में एक छोटे से कारखाने में काम करता है। शाम के समय वह पास के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया था। नमाज पढ़कर लौट रहा था, तभी भीड़ उग्र हो गई और पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। हिंसक घटना के बाद उसका फोन काफी देर तक बंद जा रहा था, लेकिन रात करीब साढ़े 10 बजे उसके भाई ने फोन कर बताया कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद रहीम अपने परिवार के साथ उत्तरी–पूर्वी दिल्ली में रहता है। उसने परिवार को यह भी बताया था पुलिस ने उसे कह रहे हैं कि अधिकारी के आने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा।

शाहीद नगर, लोनी गाजियाबाद निवासी अब्बास मोहम्मद के भाई औरंगजेब ने बताया कि उनका भाई दरियागंज में बढ़ई का काम सीखता है। वह सुबह काम पर जाने की बात कह कर निकला था। पर जब वह शाम तक घर नहीं लौटा तो उसके मालिक को फोन किया गया, जिसके बाद पता चला कि दरियागंज में बवाल हो गया था। कुछ समय बाद उसके एक दोस्त ने फोन कर बताया कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। देर रात को पुलिस ने फोन कर बताया कि उसे गिरफ्तार कर लिया है। सुबह वकील लेकर दरिया गंज थाने पहुंचे।

www.readwhere.com

महाराष्ट्र में किसानों के दो लाख तक कर्ज माफ करने की घोषणा

नागपुर, 21 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को किसानों के दो लाख रुपए तक कर्ज माफ करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन यह घोषणा करते हुए कहा कि 30 सितंबर, 2019 तक लिए गए फसल ऋण हमारी सरकार द्वारा माफ किए जाएंगे। ऋण की उच्चतम सीमा दो लाख रुपए तक है। इस योजना को महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समय पर कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों के लिए एक विशेष योजना लाई जाएगी।

देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि सरकार ने पूरा कर्ज माफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया।

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री जयंत पाटील ने कहा कि कर्ज माफी शर्तरहित होगी और इसका विवरण भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया जाएगा।

सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि सरकार ने पूरा कर्ज माफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया।

उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना नीत सरकार किसानों को बेमौसम बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रति हेक्टेयर पचीस हजार रुपए की सहायता देने में विफल रही है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने से पहले खुद इसकी मांग की थी। इसके बाद फडणवीस और अन्य भाजपा नेताओं ने विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

सीएए अनैतिक, समझदार सरकार इसे वापस लेगी : गुहा

बंगलुरु, 21 दिसंबर (भाषा)।

प्रतिष्ठित इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने संशोधित नागरिकता कानून को शनिवार को अनैतिक और संविधान की भावना के विरुद्ध बताया और कहा कि कोई भी समझदार और न्यायपूर्ण सरकार इसे वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि एनआरसी को तत्काल वापस लेना विश्वास बहाल करने और देश को मरहम लगाने के लिए पहला आवश्यक कदम है।

गुहा ने ट्वीट किया, 'दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला कि एनआरसी को फौरन वापस लेना विश्वास बहाल करने और देश को मरहम लगाने का पहला आवश्यक कदम है। दूसरा सीएए अनैतिक और संविधान की भावना के विरुद्ध है। कोई भी समझदार और न्यायपूर्ण सरकार इसे भी वापस ले लेगी।' गुहा उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें शहर में लागू निषेधाज्ञा की अवहेलना करते हुए यहां टाउन हॉल के समीप प्रदर्शन करने के लिए गुरुवार को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए गुहा ने कहा था कि यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है कि पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही जो कि नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है।

मेघालय में इंटरनेट सेवाएं बहाल

शिलांग, 21 दिसंबर (भाषा)।

मेघालय में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर पिछले आठ दिन से ठप पड़ी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है।

गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट और व्यापक स्तर पर संदेश भेजने की सेवाओं पर 12 दिसंबर को रोक लगाई गई थी, जिसे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने के बाद शुक्रवार शाम सात बजे बहाल कर दिया गया। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और एसएमएस सेवाएं बहाल करने के निर्देश दिए।

अधिकारी ने बताया कि विधानसभा में राज्य में इनर लाइन परमिट (आइएलपी) लागू करने के लिए केंद्र से आग्रह करने के एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से गुरुवार को स्वीकार करने के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और संदेश सेवाओं को बहाल करने का निर्णय लिया गया। पूर्वी खासी हिल्स के जिला के मजिस्ट्रेट एमडब्लू नोंगब्री ने बताया कि सदर और लुमदिएंजरी थाना क्षेत्रों में लगे कर्फ्यू में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक 16 घंटे के लिए ढील दी गई है। पिछले 24 घंटे में इन इलाकों से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है।

इस बीच, मुख्यमंत्री पुलिस बाजार इलाके में शुक्रवार रात क्रिसमस की खरीदारी करते नजर आए। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य में जारी प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों से मिलने मुख्यमंत्री शनिवार सुबह एक सरकारी अस्पताल भी पहुंचे। कंफेडरेशन ऑफ मेघालय सोशल आर्गनाइजेशन (सीओएमएसओ) ने राज्य में इनर लाइन परमिट (आइएलपी) को लागू करने के लिए केंद्र से आग्रह करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक INDIAN OVERSEAS BANK

एनएचपीसी कॉम्प्लैक्स, 1ला एवं 2रा तल, फर्स्ट बिल्डिंग (मैन गेट के निकट), सेक्टर-33, (आईओबी एनएचपीसी के ऊपर शाखा-1501, फरीदाबाद) जिला फरीदाबाद, पिन कोड-121003, हरियाणा राज्य

मेगा नीलामी

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधानों के अंतगत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2)/8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल/अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

शाखा का नाम एवं सम्पर्क व्यक्ति का विवरण	खाता का नाम खाता नं. आईएफएस कोड	एनपीए तिथि	मांग सूचना तिथि तथा मांग सूचना में मांग की गई राशि	सांकेतिक कब्जा की तिथि एवं कब्जा सूचना में मांग की गई राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि
बहादुरगढ़ श्री शिव यादव शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं.- 8128715311	सक्षम राहुल ट्रेडिंग खाता नं.-16070113301010 आईएफएससी- IOBA0001607	31.3.2017	8.5.2017 रु. 16,34,409.00 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक चार्जेज	3.12.2019 रु. 16,25,404.00 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक चार्जेज	श्रीमती पूजा, पत्नी श्री सुरेन्दर कुमार के नाम में बाका ग्राम- भपरोदा, निकट एच.डी. कॉन्वेन्ट स्कूल, तहसील- बहादुरगढ़, जिला झज्जर में खाली भूमि प्लॉट नं. 1665/1 मिन, माप 700 वर्ग याईस।	25,27,000 2,52,700 10000/-
भिवानी श्री मनोज वर्मा शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं.- 8284810441	मै. माडर्न चौधरी एग्रीकल्चर स्टोर खाता नं.-03250113301010 आईएफएससी- IOBA0000325	30.4.2019	9.5.2019 रु. 83,67,588.56 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक चार्जेज	18.10.2019 रु. 8844442.56 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक चार्जेज	श्री नवीन सिंह के नाम में वार्ड नं. 1, भिवानी, तहसील एवं जिला भिवानी, माप 1260 वर्ग याईस में राजस्व सम्पदा मौजा भिवानी लोहार, अब देव नगर विदित के भीतर भिवानी हाँसी एसएच, बीडी गुप्ता मेमोरियल पार्क के निकट, मैन हाँसी रोड के नाम से विदित बाका में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति, सम्पत्ति/यूनिट नं. निल, जो खेवत नं. 1923, खतोनी नं. 2264-2265 एवं खसरा नं. 32//24/2(2-18), 32//23(3-7) में शामिल है।	रु. 12486300/- (1% कर शामिल) रु. 1248630 10000
					श्री राजेश कुमार के नाम में वार्ड नं. 6, भिवानी तहसील एवं जिला भिवानी, माप 81 वर्ग याईस में व्यावसायिक तीन मंजिला मकान, एम.सी. यूनिट नं. एस-524 जो मैन रोड, लोहार चोप्टा -बाजार रोड के निकट, लगभग मैन लोहार चोप्टा चौक से 105 की दूरी पर, पंचायती गेट बाका लोहार चोप्टा/बाजार के नाम से विदित के निकट स्थित है।	रु. 6639500/- (1% कर शामिल) रु. 663950/- 10000/-
पानीपत श्री अमिय पंकज शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं.- 9140049806	1. प्रार्थना वूलटेक्स प्रा.लि. खाता नं. 129702000001297 आईएफएससी-IOBA0001297 2. प्रार्थना टेक्स्टाईल्स खाता नं. 129702000001297 आईएफएससी-IOBA0001297	1.10.2018 1.10.2018	10.5.2019 रु. 127482970.19 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज, चार्जेज आदि 10.5.2019 रु. 19213218.49 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	2.11.2019 रु. 133232355.00 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज, चार्जेज आदि 2.11.2019 रु. 20513186.44 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्रीमती उषा रानी तथा श्री नवीन दीवान के नाम में एम.सी. लिमिट पानीपत के भीतर, माप 192.25 वर्ग याईस में आवासीय भवन जो खसरा नं. 4007 का भाग है, मकान सं. 667, वार्ड नं. 1, बाका पट्टी इंसार, आबादी, न्यू सुखदेव नगर, कृष्ण कृपा मंदिर के निकट।	रु. 12949300/- (1% कर शामिल) रु. 1294930 10000
					श्रीमती पायल दीवान के नाम में एम.सी. लिमिट पानीपत के भीतर, माप 17.88 वर्ग याईस में व्यावसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 15 जो सम्पत्ति/मकान सं. 774 का भाग है, वार्ड नं. 3, कुमार मार्केट के नाम से विदित आबादी, पचरंगा बाजार के निकट।	रु. 30,94,200/- रु. 3,09,420/- 10000
					श्रीमती पायल दीवान के नाम में एम.सी. लिमिट पानीपत के भीतर, माप 17.55 वर्ग याईस में व्यावसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 14-बी जो सम्पत्ति/मकान सं. 774 का भाग है, वार्ड नं. 3, कुमार मार्केट के नाम से विदित आबादी, पचरंगा बाजार के निकट।	रु. 27,03,700/- रु. 2,70,370/- 10000
					श्री नवीन दीवान के नाम में खेवत नं. 1982, खतोनी नं. 3490, खसरा नं. 5097/2(0-15), 5079(3-18), 5080(3-9), 5081(3-0), 5082(9-3), 5083(3-3), 5084(4-1), 5085(8-11), 5086/1(3-6), 5087(1-10), 5088/1(1-3), बाका पट्टी इंसार, जसबीर कॉलोनी के नाम से विदित आबादी, बरसात रोड के निकट, एमसी लिमिट पानीपत के बाहर, माप 2016 वर्ग याईस के भाग की भूमि पर स्थित औद्योगिक भवन	रु. 3,48,99,600/- (1% कर शामिल) रु. 34,89,960/- 10000
					श्री नवीन दीवान के नाम में खेवत नं. 1982, बाका पट्टी इंसार, आबादा जसबीर कॉलोनी, नूरवाला, बरसात रोड, एम.सी. लिमिट के भीतर, पानीपत, माप 650 वर्ग याईस के भाग की भूमि पर स्थित औद्योगिक भवन	रु. 49,78,400/- (तथा 10% कर) रु. 4,97,840/- 10000
					श्रीमती पायल दीवान के नाम में खेवत नं. 305, खतौनी नं. 344, मुरब्बा नं. 14, किल्ला नं. 25, खेवत नं. 457, खतोनी नं. 508, मुरब्बा नं. 15, किल्ला नं. 21, बाका ग्राम फरीदपुर, तहसील-घरौंदा, जिला-करनाल, माप 2.1625 वर्ग एकड़ के भाग की भूमि।	रु. 32291400/- (1% कर शामिल) रु. 32,29,140/- 10,000
पानीपत श्री अमिय पंकज शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं.- 9140049806	रीतिका ट्रान्स्पोर्ट क. खाता नं. 129702000001297 आईएफएससी-IOBA0001297	31.3.2019	10.5.2019 रु. 18210056.52 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	16.10.2019 रु. 1,88,52,114.52 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्री प्रताप सिंह तथा श्री सतीश कुमार के नाम में सेक्टर-25, ट्रान्स्पोर्ट नगर, हुडा, पानीपत, माप 75 वर्ग याईस में स्थित व्यावसायिक भवन शॉप नं. 125	रु. 77,16,200/- (1% कर शामिल) रु. 7,71,620/- 10,000
पानीपत श्री अमिय पंकज शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं.- 9140049806	एस.के. एण्टरप्राईजेज खाता नं. 129702000001297 आईएफएससी-IOBA0001297	30.11.2018	7.12.2018 रु. 8210414.38 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	8.11.2019 रु. 9264914.38 के साथ अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर भुगतान की तिथि तक आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	बाका पट्टी राजपुतान, आबादी संतम धरम मार्केट, पंजाब नेशनल बैंक के निकट, एसड. कॉलेज रोड, एम.सी. लिमिट के भीतर, पानीपत, हरियाणा, माप 71.76 वर्ग याईस में स्थित व्यावसायिक भवन, प्लॉट नं. 27	रु. 3,56,37,500/- (1% कर शामिल) रु. 3563750/- 10,000
पानीपत श्री अमिय पंकज शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं.- 9140049806	एस.के. ट्रेडर्स खाता नं. 129702000001297 आईएफएससी-IOBA0001297	30.6.2018	11.7.2016 रु. 11691179/- तथा उस पर ब्याज	19.9.2016 रु. 11691179/- तथा उस पर ब्याज	खसरा नं. 295/1 मिन, बाका पट्टी मोखदूम जडगन, सम्पत्ति सं. 561-ए/16, बाका आबादी, महा चौक के निकट, मैन रोड, एम.सी. लिमिट के भीतर, पानीपत के भाग की भूमि की सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज, स्वामित्व श्री बाल किशन बत्रा, पुत्र श्री रामरखा बत्रा (66.66 वर्ग याईस) तथा श्री राजकुमार बत्रा पुत्र श्री रामरखा बत्रा (283.33 वर्ग याईस) क्षेत्रफल 350 वर्ग याईस	रु. 74,00,000/- (1% कर शामिल) रु. 7,40,000/- 10,000
कौशाम्बी श्रीमती रुचि बत्रा शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 9582391880	मै. आर.एस. टेलीशॉपी खाता नं. 23870113301010 आईएफएससी- IOBA0002387	31.3.2019	12.4.2019 रु. 1913318.78 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	6.9.2019 रु. 1918737.78 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	प्लॉट नं. जीएच-11, क्रॉसिंग रिपब्लिक, ग्राम-डुण्डाहेरा, एनएच-24, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, माप 1050 वर्ग फीट में स्थित आवासीय फ्लैट, फ्लैट नं. 2301, 23वाँ तल, बिना छत के अधिकार के, टावर नं. ए-06, सैविअर गार्डन इसली। यह सम्पत्ति श्री ओम प्रकाश शर्मा तथा श्री कोमल शर्मा के नाम है।	रु. 31,42,600/- (1% कर शामिल) रु. 3,14,260/- 10000
रिसालु श्री समीर गुप्ता शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 8438252220	मै. प्रगति फीड्स खाता नं. 31710113301010 आईएफएससी- IOBA0003171	31.3.2019	24.4.2019 रु. 119458263.51 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	12.9.2019 रु. 126701095.29 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	प्लॉट एवं मशीनरीः चिमनी के साथ बॉयलर, ट्रान्सफोर्मर, इलेक्ट्रिक पैनल, फीड प्लान्ट जिसमें शामिल हैंः कॉन्वेयर ग्राइन्डर 2, पेलेट 1, इलेक्ट्रिक पैनल 1, मिक्सर 1, सिलोस बिन-1, पेल्लर, कूलर 1, ऑयल टैंक-1, बैगिंग-1, एलीवैटर्स-5, बैच हूपर 1, एमएस स्ट्रक्चर, चैन कान्वेयर, वेइंग स्केल 1, वेइंग ब्रिज	रु. 2,37,50,000/- रु. 23,75,000/- 1,00,000
					खेवर नं. 17, खसरा नं. 25/23/1 तथा खेवर नं. 19, खसरा नं. 25/12/2(2-4) 18/2(6-16), 19(8-0), 22(88-0), वाका गाँव- बिनजौल, तेहसील एवं जिला, पानीपत, माप 2.059 वर्ग एकड़ (16K 9.5एम) के भाग पर स्थित फीड मिल भवन, यह सम्पत्ति श्री चरण सिंह के नाम में है।	रु. 3,36,79,900 (1% कर सहित) रु. 33,67,990 1,00,000
गौर कॉलेज श्री विभाकर पाण्डेय शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 9471096490	मै. महला इंडस्ट्रीज खाता नं. 18000113301010 आईएफएससी- IOBA0001800	29.6.2019	1.7.2019 रु. 1411100.94 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	5.11.2019 रु. 1472250.00 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्री मनोज कुमार के नाम में वार्ड नं. 1, रोहतक, तहसील एवं जिला रोहतक, माप 93 वर्ग फीट में आवासीय भवन, सम्पत्ति सं. 1450 (पुराना) तथा 831/1 नया एवं यूनिट नं. 4-सी-920-यू-168 ए (कोठी कॉलोनी)	रु. 15,16,200/- रु. 1,51,620/- 10000
वेट कॉलेज श्री मनसिज भटनागर शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 9451005196	रब्बो खाता नं. 14750113301010 आईएफएससी- IOBA0001475	31.10.2018	3.11.2018 रु. 341762.00 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	10.12.2019 रु. 376900.00 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्री रब्बो के नाम में खसरा नं. 101 एवं 139 (पार्ट), मौजा जय सिंह पुरा, बांगरा, तहसील एवं जिला माथुरा, उत्तर प्रदेश, माप 85.26 वर्ग मीटर में स्थित सम्पत्ति।	रु. 10,37,400/- रु. 1,03,740/- 10000
वेट कॉलेज श्री मनसिज भटनागर शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 9451005196	रुप किशोर मुकेश कुमार सराफ 14750113301010 आईएफएससी- IOBA0001475	31.1.2018	1.7.2019 रु. 1663106.99 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	11.12.2019 रु. 1625255.00 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्रीमती शांति देवी ऊर्फ संतो के नाम में गली अहेरियन, सिटी मथुरा, तहसील एवं जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश, माप 63.93 वर्ग मी. में स्थित आवासीय सम्पत्ति मकान डब्ल्यू.आर. नं. 148/274 पुराना एवं 148/309 नया	रु. 17,62,300/- रु. 176230/- 10000
वेट कॉलेज श्री मनसिज भटनागर शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 9451005196	शिव कुमार खाता नं. 14750113301010 आईएफएससी- IOBA0001475	31.12.2017	18.1.2018 रु. 13629631.25 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	10.12.2019 रु. 1604320.48 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्री शिव कुमार के नाम में कृष्णा विहार, तहसील एवं जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति प्लॉट नं. सी.पी.-1 (उत्तर भाग)	रु. 42,57,000/- रु. 425700/- 10000
टिगाँव रोड श्री कृष्ण सिन्हा शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 7053587290	मै. सदाफ इंजिनियर्स इंडिया खाता नं. 21870113301010 आईएफएससी- IOBA0002187	3.9.2014	23.10.2017 रु. 1483563.00 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	1.1.2018 रु. 1528402.00 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्रीमती बेबी, पत्नी जावेद खान के नाम में एल.आई.जी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-3, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, माप 34.99 वर्ग याईस में स्थित आवासीय सम्पत्ति एच. नं. 2606, भूतल	रु. 15,20,000/- रु. 1,52,000/- 10000
समलखा श्री गौरव कुमार शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 7503979839	तारावती खाता नं. 36200113301010 IFSC-IOBA0003620	28.2.2019	23.4.2019 रु. 630575.44 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	5.12.2019 रु. 644755.01 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्रीमती तारावती, पत्नीश्री जोगिन्दर के नाम में बाका ग्राम-पट्टी कल्याणा, तहसील-समलखा, जिला-पानीपत, माप 290 वर्ग याईस में स्थित अपूर्ण आवासीय भवन	रु. 1841500 रु. 184150/- 10000
सेक्टर-58, नोएडा श्रीमती शालिनी शुक्ला शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 9811329329	खान इंडस्ट्रीज खाता नं. 17190113301010 IFSC-IOBA0001719	31.3.2018	4.4.2019 रु. 6389342.50 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	8.11.2019 रु. 6389342.50 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	स्व. बाबू खान के नाम में व्यावसायिक सम्पत्ति (लीज होल्ड अधिकार) नं. बी-42, जो सेक्टर-10, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर में स्थित है, माप 114 वर्ग मीटर	रु. 8297900 (1% कर शामिल) रु. 8,29,790/- 10000
कुण्डली श्री विकास पालीवाल शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 9168322023/ 8930290326	मै. आर.के. प्लास्टिक खाता नं. 219302000000146 IFSC-IOBA0002193	31.3.2018	27.8.2018 रु. 4851102.89 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	15.10.2019 रु. 4851102.89 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्री रणधीर सिंह तथा श्री बलवान सिंह के नाम में मैन जिन्द रोड, एम.सी. लिमिट के भीतर, गोहना, जिला-सोनीपत, हरियाणा, माप 4754 वर्ग फीट में व्यावसायिक सह आवासीय भवन	रु. 15904400 (1% कर शामिल) रु. 15,90,440/- 10000
गुड़गाँव श्री वसन्धा कुमार शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 9894780952	मै. सिस्टम इलेक्ट्रिकल्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी खाता नं. 04030113301010 IFSC-IOBA0000403	31.3.2019	3.5.2019 रु. 27959553.55 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	10.12.2019 रु. 29568081.40 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्रीमती राज कुमारी के नाम में वार्ड नं. 8, मैन सदर बाजार चौक-शिव मूर्ति चौक- न्यू कॉलोनी चौक (पुराना रेलवे/संत रवि दास मार्ग), जैकमपुरा, गुड़गाँव, हरियाणा-122001, माप 155 वर्ग याईस में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति, प्लॉट नं. 1/8 नया (पुराना नं. ईपी-598)	रु. 28443400 (1% कर शामिल) रु. 2844340/- 25000
सेक्टर-16 फरीदाबाद श्री निशान्त कुमार झा शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 8368201898	देवी चरण खाता नं. 24490113301010 IFSC-IOBA0002449	30.9.2017	8.12.2017 रु. 466289.13 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	20.3.2018 रु. 459287.27 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	अंजू शर्मा, पत्नी श्री देवी चरण के नाम में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पॉकेट-11, सेक्टर-3, फरीदाबाद, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा में आवासीय सम्पत्ति भूतल + 2 तल, एलआईजी कैटगरी, माप 14.04 वर्ग मी. तथा प्लिन्थ 302 वर्ग फीट के साथ	रु. 14,25,000/- रु. 1,42,500/- 50000
बिन्झोल श्री नवलेश गुप्ता शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 8252697711	मै. ऋतिका फार्म्स खाता नं. 30420113301010 IFSC-IOBA0003042	30.4.2019	7.5.2019 रु. 144659189.01 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	16.10.2019 रु. 150719956.01 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्रीमती रामरती देवी के नाम में खेवत नं. 140 मिन, खतोनी नं. 197, खसरा नं. 42//25(7-8), 43//21(8-0), 22(8-0), 23/2(5-16), 52//1(8-0), 2(8-0), 3/2(5-0), 8/2(4-4), 9/1(6-16), 53//5(7-8) तथा खेवत नं. 140 मिन, खतोनी नं. 197, खसरा नं. 61//2(7-6), 3(8-0), 7/2(2-4), 8(8-0), 9(8-0), 10/1(1-18), 61//12(3-7), 14(8-0), 13(7-16), 17(4-16), 274(0-2), वाका गाँव- छाजपुर कलॉन, उप-तहसील-बपोली, जिला-पानीपत, माप 3.979 वर्ग एकड़ के भाग की भूमि पर स्थित पॉल्ट्री की भूमि एवं भवन।	रु. 49076800 तथा (1% कर शामिल) रु. 49,07,680 10000
					श्रीमती नीना मलिक के नाम में सैक्टर-25, पार्ट-II, इंडस्ट्रियल वर्कर, आवासीय हुडा, पानीपत में स्थित खाली आवासीय प्लॉट, प्लॉट नं. 1150, माप 119.25 वर्ग याईस।	रु. 4840100/- (1% कर शामिल) रु. 488010 10000
					श्रीमती सुमन मलिक के नाम में सैक्टर-25, पार्ट-II, इंडस्ट्रियल वर्कर, आवासीय हुडा, पानीपत में स्थित खाली आवासीय प्लॉट, प्लॉट नं. 583, माप 168.93 वर्ग याईस।	रु. 72,94,800/- (1% कर शामिल) रु. 729480 10000
					श्रीमती राजबाला के नाम में सैक्टर-25, पार्ट-II, इंडस्ट्रियल वर्कर, आवासीय हुडा, पानीपत में स्थित खाली आवासीय प्लॉट, प्लॉट नं. 691, माप 116.5 वर्ग याईस।	रु. 5030700/- (1% कर शामिल) रु. 503070 10000
एसएमई-पानीपत श्रीमती स्मृति सेनापति शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 8368589559	मै. शिव हैंडलूम खाता नं. 28640113301010 IFSC-IOBA0002864	31.5.2019	11.6.2019 रु. 3149385.27 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	21.11.2019 रु. 3305573.38 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	1. श्रीमती रेखा के नाम में भरत नगर, शिव मंदिर/खेरा, एम.सी. लिमिट के बाहर, पानीपत में स्थित खेवत नं. 127, खतोनी नं. 162, खसरा नं. 100//17 (8-0), 18 (8-0), बाका पट्टी मखदूम जाडगन, आवादी के भाग में आवासीय मकान, माप 85 वर्ग यार्डस।	रु. 11,97,000 रु. 1,19,700 10,000
					2. श्री शिवचरण के नाम में भरत नगर, बबैल रोड के निकट, एम.सी. लिमिट के बाहर, पानीपत, माप 200 वर्ग याईस में स्थित खेवत नं. 339, खसरा नं. 10/5, वाका पट्टी मखदूम जादुगन, आबादी के भाग में औद्योगिक भवन	रु. 30,68,500 रु. 3,06,850 10,000
एसएमई-पानीपत श्रीमती स्मृति सेनापति शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 8368589559	प्रीत 3 इन्टरनेशनल खाता नं. 28640113301010 IFSC-IOBA0002864	29.6.2019	3.7.2019 रु. 12876219.73 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	4.12.2019 रु. 13649806.73 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्रीमती सर्बजीत कौर तथा बलविन्दर सिंह के नाम में राजस्व सम्पदा मौजा सोंधापुर, तहसील एवं जिला पानीपत के भीतर पानीपत-जटाल (जटाल) रोड, दोनों मुख्य नहर के क्रॉसिंग के बाद, जटाल रोड के ठीक निकट, सैनी स्वीट्स के निकट एवं इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पीछे के भाग को पृथक करने वाले 1ले मैन इन्टरनल स्ट्रीट में स्थित खेवत नं. 36 एवं खसरा नं. 35 एवं खसरा नं. 35//11(8-0), 12/2 (4-12), 19(6-18), 35//20-21 (16-0), 22 (7-6), 41//5-6(16-0), 15(2-4), 42//1(8-0), 2(8-18), 9(4-17), 10(8-0) कुल भूमि माप 91 के-15 एम जिसमें 75/16425 वाँ/प्रति जो 8एम 3सरसई/प्रति अथवा कुल 16एम-6 सरसई अथवा 500 वर्ग याईस होता है, से युक्त एक मंजिल का मिश्रित आवासीय भवन, प्लॉट नं. निल, माप 500 वर्ग याईस (अर्थात् 250 वर्ग याईस+250 वर्ग याईस।)	रु. 66,31,800/- (1% कर शामिल) रु. 6,63,180 10000
					श्रीमती सर्बजीत कौर तथा बलविन्दर सिंह के नाम में राजस्व सम्पदा मौजा सोंधापुर, तहसील एवं जिला पानीपत के भीतर पानीपत-जटाल (जटाल) रोड, दोनों मुख्य नहर के क्रॉसिंग के बाद, जटाल रोड के ठीक निकट, सैनी स्वीट्स के निकट एवं इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पीछे के भाग को पृथक करने वाले 1ले मैन इन्टरनल स्ट्रीट में स्थित खेवत नं. 36 एवं खसरा नं. 35 एवं खसरा नं. 35//11(8-0), 12/2 (4-12), 19(6-18), 35//20-21 (16-0), 22 (7-6), 41//5-6(16-0), 15(2-4), 42//1(8-0), 2(8-18), 9(4-17), 10(8-0) कुल भूमि माप 91 के-15 एम जिसमें 60/16425 वाँ/प्रति जो 6एम-6 सरसई/प्रति अथवा कुल 12 एम-12 सरसई अर्थात् 400 वर्ग याईस होता है, से युक्त तीन मंजिल का मिश्रित आवासीय भवन, प्लॉट नं. निल, माप 400 वर्ग याईस (अर्थात् 200 वर्ग याईस+200 वर्ग याईस।)	रु. 66,21,300/- (1% कर शामिल) रु. 6,62,123/- 10000
फरीदाबाद श्री डी.के. पुरी शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 9004979178	श्री नंद लाल एंड सन्स खाता नं. 01920113301010 IFSC-IOBA0000192	30.4.2019	30.6.2019 रु. 19636077.07 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	11.12.2019 रु. 20983457.07 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	श्री लीला नंदन के नाम में मैन मार्केट, एनएच-1, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा, माप 18 वर्ग याईस में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति, शॉप नं. 52	रु. 92,55,600/- (तथा 1% कर) रु. 9,25,560 100000
					श्री लीला नंदन के नाम में मैन मार्केट, एनएच-1, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा, माप 18 वर्ग याईस में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति, शॉप नं. 49	रु. 93,56,700/- (1% कर शामिल) रु. 935670 100000
					श्रीमती मुस्कान शर्मा के नाम में नेहरु ग्राउण्ड मार्केट, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा, माप 35 वर्ग याईस में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति शॉप नं. बी-235	रु. 10388200 (1% कर शामिल) रु. 1038820 100000
रेवाड़ी श्री प्रताप सिंह मीना शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं. 7027662928	मै. मंगला डेयरी खाता नं. 15400113301010 IFSC-IOBA0001540	31.5.2019	20.09.2018 रु. 60702027.57 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	6.12.2018 रु. 62707555.57 के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि	ग्राम गुरारबरा, तहसील एवं जिला-रेवाड़ी, हरियाणा की राजस्व सम्पदा में स्थित मंगला डेयरी फार्म के परिसर में संस्थापित मशीनरीज का हाइपोथेकेशन	रु. 95,00,000 रु. 9,50,000 1,00,000
					श्री किरण पाल, पुत्र श्री फकीर चंद के नाम में ग्राम-गुराबरा, तहसील एवं जिला-रेवाड़ी, हरियाणा की राजस्व सम्पदा में स्थित खेवत नं. 33, खतोनी नं. 35, रेक्ट. नं. 160, किल्ला नं. 23(8-0), रेक्ट नं. 168, किल्ला नं. 2(8-0), 3(8-0), 4(8-0), कित्ता 4 माप 32 कनाल में उसके 1/4 वें अंश अर्थात् 8 कनाल में, खेवत नं. 277, खतोनी नं. 309 मिन, रेक्ट. नं. 166, किल्ला नं. 2(7-8), रेक्ट. नं. 2(7-8), रेक्ट. नं. 168, किल्ला नं. 5/2(1-8), कित्ता 2 माप 8 कनाल 16 मरला एवं खेवत नं. 73, खतोनी नं. 800 मिन, रेक्ट. नं. 167, किल्ला नं. 1(8-0), माप 8 कनाल अर्थात् कुल क्षेत्रफल माप 24 कनाल 16 मरला के भाग की भूमि पर स्थित सम्पत्ति।	रु. 29171800 (1% कर शामिल) रु. 29,17,180 1,00,000
					श्री किरण पाल, पुत्र श्री फकीर चंद के नाम में ग्राम-गुराबरा, तहसील एवं जिला-रेवाड़ी, हरियाणा की राजस्व सम्पदा में स्थित खेवत नं. 614, खतोनी नं. 698, रेक्ट. नं. 143, किल्ला नं. 1/2/2(5-6), 2/2 (5-1) 10/2/1(4-12), 12(8-0), 13/1(3-16), 18(18-0), 19/2 (4-0), कित्ता 7, माप 39 कनाल 5 मरला में उसके 2/5 वें अविभाजित अंश अर्थात् कनाल 14 मरला के भाग की भूमि पर स्थित सम्पत्ति।	रु. 10411700 (तथा 1% कर) रु. 1041170 100000

स्थानीय सरकार की बकाया देयता (सम्पत्ति कर, पानी का कर आदि)/ज्ञात अधिभार, यदि कोई होः ज्ञात नहीं
ईमएडी तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 20.1.2020 के 5 बजे अप. तक है
निरीक्षण की तिथि एवं समय 20.01.2020, नीलामी की तिथि एवं समयः 21.1.2020, 10 पूर्वा.-5.00 अप.
जहाँ कहीं भी लागू हो, आरक्षित मूल्य में आईटी अधिनियम की धारा 194 (आईए) के अंतर्गत 1% कर शामिल नहीं है।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाईट अर्थात् www.iob.in [https://www.iob.in/Tender Details.aspx? Tendertype=E-Auction] तथा साथ हीं https://auctions.magicbricks.com में दी गई लिंक देखें।
ऊपर वर्णित तिथि को ई-नीलामी के आयोजन के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के अंतर्गत इसे ऋणधारक/को तथा गारन्टरों/उक्त ऋण के मार्टगैजरों के लिये सूचना मानी जाये।

तिथिः 21.12.2019, स्थानः फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

www.readwhere.com

एक बजट को पलटते जाना

दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

किसी भी वित्तमंत्री के लिए बजट का दिन उसके जन्मदिन से कहीं ज्यादा बड़ा और अहमियत वाला होता है। देश के लिए बजट बनाना एक यादगार और मील का पत्थर जैसा काम होता है। समय के साथ बजट के कुछ प्रस्तावों में संशोधन भी होंगे, आलोचना होने पर एक दो प्रस्ताव वापस भी लिए जा सकते हैं। कुछ अव्यावहारिक, अतार्किक प्रस्तावों को बिना किसी कार्रवाई के खत्म होने के लिए छोड़ दिया जाएगा।

बनाना और मिटाना

हालांकि 2019-20 का बजट अपने में अद्वितीय है। मुझे हाल में कोई ऐसा बजट याद नहीं आता, जब किसी वित्तमंत्री ने बजट तैयार करने के बाद पूरे होशो-हवास में उसे पलट दिया हो। बजट भाषण के दौरान प्रमुखता से रखे गए प्रस्तावों की मैंने एक सूची बनाई है। बजट बाद चर्चा में इन प्रस्तावों की खूबियों का एलान किया गया था। इनमें से हर एक को पलट दिया गया या वापस ले लिया गया। 1 फरवरी, 2019 से 23 सितंबर, 2019 के बीच 2019-20 का बजट संदिग्ध खातों के व्यर्थ विवरण की तरह सिमट कर रह गया।

उन बजट प्रस्तावों की सूची जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया

क्रम सं.	जुलाई, 2019 के बजट में प्रस्ताव	स्थिति
1	एफपीआइ और घरेलू निवेशकों पर यह प्रस्ताव 23 अगस्त को लंबी और कम अवधि वाले कैपिटल वापस ले लिया गया। गेन पर सरचार्ज।	यह प्रस्ताव 23 अगस्त को वापस ले लिया गया। 'पूंजी बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इक्विटी शेयरों / यूनिटों, जो धारा 111 ए और 112 ए में निर्दिष्ट हैं, के हस्तातंरण से होने वाले लंबी और छोटी अवधि के पूंजीगत लाभ पर वित्त (क्रमांक 2) विधेयक, 2019 के जरिए लगाए गए अधिभार की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया गया है।' - निर्मला सीतारमण, 23 अगस्त, 2019 को संवाददाता सम्मेलन में।
2	ओवरसीज सॉवरेन बांड जारी करना। 'सरकार विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा में उधारी जुटाने के कार्यक्रम के तहत उधारी का एक हिस्सा जुटाना शुरू करेगी। इससे घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मांग बनेगी और अच्छा असर पड़ेगा।' - पैरा 103, बजट भाषण, 5 जुलाई, 2019	कोई फैसला नहीं, लेकिन इसे लगभग छोड़ ही दिया है 'किसी भी बाजार में जाने से पहले उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक सुधार करने और विचार-विमर्श करने की जरूरत है। इसके लिए उचित तरीका निकालने के लिए अभी काम चल रहा है और इसकी खूबियों-खामियों की जांच की जा रही है। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और यह जारी रहेगी। इस साल के लिए मौजूदा सारी उधारियां रुपए के गुणक में बांड में हैं।' - सचिव, आर्थिक मामले, अतनु चक्रवर्ती, 23 सितंबर 2019
3	कारपोरेट कर में कटौती 'जहां तक कारपोरेट कर का सवाल है, हम इसकी दरों में चरणों में इसमें कमी जारी रखेंगे। इस वक्त पच्चीस फीसद की निम्न दर उन कंपनियों पर लागू होगी, जिनका कारोबार ढाई सौ करोड़ रुपए सालाना तक है। मैं इस दायरे को बढ़ा कर उन कंपनियों को भी इसमें शामिल करती हूं, जिनका सालाना कारोबार चार सौ करोड़ रुपए है। इसमें 99.3 फीसद कंपनियां आ जाएंगी। इस कर दर से अब सिर्फ 0.7 फीसद कंपनियां ही बाहर रह जाएंगी।' - पैरा 110 , बजट भाषण, 5 जुलाई, 2019	23 सितंबर, 2019 को अध्यादेश के जरिए इसे बदल दिया गया सारी घरेलू कंपनियों को 22 फीसद की दर से कारपोरेट कर देना होगा (सेस और सरचार्ज मिला कर यह प्रभावी दर 25.17 फीसद बैठती है।) इसके लिए इन कंपनियों के साथ शर्त यह है कि उन्हें अब और कोई कर रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इन कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) भी नहीं लगेगा। कोई भी नई घरेलू कंपनी जो एक अक्तूबर, 2019 के बाद बनाई गई है, उसे पंद्रह फीसद की दर से कारपोरेट कर देना पड़ेगा, जो प्रभावी रूप से 17.01 फीसद बैठेगा। - 23 सितंबर , 2019
4	एजेंल टैक्स	23 अगस्त, 2019 को वापस ले लिया गया 'इसमें वाणिज्य मंत्रालय के तहत पंजीकृत स्टार्टप पर आयकर कानून की धारा 56 (2)(सात बी) लागू नहीं होगी।' - निर्मला सीतारमण, 23 अगस्त 2019 को संवाददाता सम्मेलन में।
5	कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर के उल्लंघन का अपराधिकरण (31 जुलाई, 2019 को कंपनी कानून 2013 में संशोधन द्वारा)	23 अगस्त, 2019 को वापस ले लिया गया 'वह हर संदेह, जो बाहर बना हुआ था, उसे मैं आज दूर कर देना चाहूंगी। मुकदमे के रास्ते पर चलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। कारपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी को नागरिक मामलों की तरह ही लिया जाएगा, न कि आपराधिक मामलों की तरह।' - निर्मला सीतारमण, 23 अगस्त 2019 को संवाददाता सम्मेलन में।
6	नई इंटरनल कंबंशन इंजन (आइसीई) वाली कारों के लिए पंजीकरण शुल्क छह सौ रुपए से बढ़ा कर पांच हजार रुपए किया जाता है। आइसीई कारों के पंजीकरण के नवीनीकरण का शुल्क पंद्रह हजार रुपए प्रस्तावित किया जाता है (26 जुलाई, 2019 को प्रस्तावित)	23 अगस्त 2019 को वापस ले लिया गया नए वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क 2020 तक टाल दिया गया है- निर्मला सीतारमण, 23 अगस्त 2019 को संवाददाता सम्मेलन में।

परेशानियों का पुलिंदा

दुर्भाग्य से, वित्तमंत्री ने बजट में जो लुभावनी घोषणाएं की थीं, उन्हें वापस लेने भर से उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। ज्यादातर ढांचागत और कुछ चक्रीय समस्याएं भी अर्थव्यवस्था की तबाही का कारण बनी हैं, अर्थव्यवस्था डूब गई, आंकड़े बुरी तरह गड़बड़ा गए, बड़ी-बड़ी डींगें भी ज्यादा राजस्व नहीं जुटा पाईं या खर्च को काबू में रख पाईं, और इनका नतीजा महालेखाकार नियंत्रक के यहां से हर महीने जारी होने आंकड़ों में स्पष्ट नजर आया है।

आखिरी बार अक्तूबर 2019 में ये आंकड़े आए थे, जो बता रहे हैं कि शुद्ध राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान के मुकाबले मुश्किल से 41.4 फीसद भी नही रही, कुल प्राप्तियां 44.9 फीसद रहीं, वित्तीय घाटा 102.4 फीसद रहा और राजस्व घाटा 112.5 फीसद। वित्त मंत्री के पास अब और खर्चा करने या उधार लेने का कोई रास्ता नही बचा है।

धन डालने का भ्रम

फिर भी 5 जुलाई, 2019 से, वित्तमंत्री ने भारी-भरकम रकम देने का एलान किया है, जो कई क्षेत्रों में डाली जाएगी, जैसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों (सत्तर हजार करोड़), रियल एस्टेट (पच्चीस हजार करोड़), एनबीएफसी और एचएफसी (बीस हजार करोड़), आइडीबीआइ बैंक (चार हजार पांच सौ सत्तावन करोड़ रुपए) और पंजाब नेशनल बैंक (सोलह हजार करोड़ रुपए)।

जैसा कि डा. अरविंद सुब्रमण्यन और जोश फेलमेन का आकलन है कि अर्थव्यवस्था आइसीयू की ओर जाती दिख रही है, वित्तमंत्री को सिर्फ हरा ही हरा नजर आ रहा है!

जय और पराजय

तीरंदाज

■ अश्विनी भटनागर

जय में भी पराजय हो सकती है।

इस बात पर चर्चा करना व्यर्थ है कि हम अल्पकालिक जय की या फिर दीर्घकालिक जय की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पल में ही अगला पल छिपा होता है। दूसरे शब्दों में, इस पल की जय के द्वारा ही दूसरे पल की जय तक पहुंचा जा सकता है। यह बात पराजय पर भी लागू होती है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति में हार का मुंह देखता है, तो उसमें साहस का ह्रास हो जाता है और वह अपने आप को उस तरह नहीं संभाल पाता है कि तुरंत वह अपनी पराजय को जय में बदल सके। हां, कुछ बिरले होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, पर अमूमन ऐसा साधारण रूप में नहीं होता है। हारे हुए व्यक्ति को अपने को तब्दील करने में बहुत वक्त लगता है। अक्सर एक पूरी उम्र ही लग जाती है।

> बेहद अहमक किस्म के लोग दुस्साहस की वजह से अपने को 'लाइम लाइट' में लाने में कामयाब हो जाते हैं। वे दुस्साहस को अपनी योग्यता मान लेते हैं, क्योंकि वे वास्तविक सारगर्भी योग्यता से अनभिज्ञ होते हैं। वे योग्यता के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुस्साहस के जरिए जय हासिल करना उनको प्राकृतिक रूप से आकर्षित करता है। उनके लिए दुस्साहस समझ से ज्यादा अहमियत रखता है।

पर ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा जीतता ही रहे। उसको भी परिस्थितियां या फिर अति-आत्मविश्वास कभी न कभी हार के द्वार पर ला खड़ा करता है, पर चूंकि उसके पीछे जीत की एक छोटी-मोटी शृंखला होती है, तो उसके लिए अपने को विजय पथ पर पुनः लौटने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। संघर्ष तो करना पड़ता है, पर उसका संघर्ष हारे हुए आदमी की जद्दोजहद से बहुत कम होता है। आधा मसला तो उसके आत्मविश्वास से ही हल हो जाता है और बाकी रणनीति पर पुनः विचार कर के।

वैसे दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग-अलग प्रकार की चुनौतियां होती हैं। पर दोनों के लिए एक ही चीज पर सारा दारोमदार है। आत्मविश्वास का होना या न होना लक्षित करता है कि व्यक्ति किस श्रेणी में आता है। अक्सर बेहद काबिल लोग भी अंधेरे बंद कोनों में दुबके रह जाते हैं, क्योंकि वे प्रकाश में आने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। दूसरी तरफ बेहद अहमक किस्म के लोग दुस्साहस की वजह से अपने को लाइम लाइट में लाने में कामयाब हो जाते हैं। वे दुस्साहस को अपनी योग्यता मान लेते हैं, क्योंकि वे नेतृत्व की वास्तविक सारगर्भी योग्यता से अनभिज्ञ होते हैं। वे योग्यता के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुस्साहस के जरिए जय हासिल करना उनको प्राकृतिक रूप से आकर्षित करता है। उनके लिए दुस्साहस समझ से ज्यादा अहमियत रखता है। इस प्रवृत्ति के चलते वे समझना नहीं चाहते, विश्लेषण नहीं करना चाहते। वे बस करना चाहते हैं- और वही करना चाहते हैं जो मौजूदा पल में उन्हें जय का अहसास दिला सके। उनकी आत्म संतुष्टि जीत की क्षणिक अनुभूति में है।

निजी जीवन में जय और पराजय का प्रभाव व्यक्ति या उसके बेहद करीबी माहौल तक ही सीमित रहता है। इस घेरे में भी ऐसा हो सकता है कि एक अयोग्य सदस्य अपने दुस्साहस में कुछ ऐसा कर जाए, जिसका प्रभाव सारे कुटुंब पर लंबे अरसे तक पड़े। इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजपरिवार हैं, जिनके किसी एक पूर्वज ने ऐसा कुछ दुस्साहस किया, जिससे सदियों तक सत्ता और उसकी ताकत का प्रभाव उसके वंशजों को विरासत में मिला था। इसी इतिहास में ऐसे भी राजपरिवार हैं, जिनकी बनी-बनाई प्रतिष्ठा एक क्षण में मिट्टी में मिल गई और अगली पीढ़ियां वक्त के अंधेरो में गुम हो गई हैं।

साहस और दुस्साहस में राई भर का फर्क है। विजेता साहसी बताया जाता है और पराजित को दुस्साहसी कहा जाता है। पर जब पांसा फेंकने का क्षण होता है, तो वह किस पाले में पड़ेगा इसकी संभावना बराबर ही होती है। महाराणा प्रताप ने कई पराजय देखी थी, पर उनको हमेशा साहसी कहा जाता है। दूसरी तरफ, डकैत को हमेशा दुस्साहसी ही कहा जाएगा। एक तरह से जोखिम दोनों ही कामों में है- युद्ध में भी और डकैती में भी। दोनों के परिणाम कर्ता के लिए गंभीर हो सकते हैं। पर फर्क केवल इतना है कि वीर राणा प्रताप संप्रभुता के लिए युद्ध में उतरे थे, जबकि डकैत ने जोखिम अपनी धन लोलुता के कारण उठाया था। उसका कर्म हमेशा दुस्साहस की श्रेणी में आएगा और समाज से उसको कभी स्वीकृति नहीं मिलेगी। डकैत अपने अंचल में लोकप्रिय भी हो सकता है, शक्तिशाली भी, अपराजित भी, पर प्रसिद्ध कभी नहीं होगा। उसको मशहूर के बजाय कुख्यात ही कहा जाएगा।

समझदार और योग्य लोग इस फर्क को कायम रखने में सक्षम होते हैं। औरों के लिए क्षण की जीत या हार ही सबसे महत्त्वपूर्ण है। वे सिर्फ अपनी नाक तक ही देख पाते हैं। उसके आगे उनके लिए सब धुंधला है और इसलिए बेमानी भी है। पीछे भी जो कुछ बीत चुका है उनके लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उनकी आगे और पीछे दोनों की दृष्टि बाधित है। वे जो करेंगे दुस्साहस में करेंगे, जिसका प्रतिउत्तर किसी और के दुस्साहस में निहित होगा।

इस भ्रम के माहौल में

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

बहुत बार कह चुके हैं गृहमंत्री कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है नए नागरिकता कानून में। बहुत बार कह चुके हैं कि जब देश भर में भारत के नागरिकों की नागरिकता दर्ज की जाएगी एनआरसी में, तो किसी असली भारतीय को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन शायद अपने ही पुराने भाषण भूल कर कह रहे हैं ये बातें अब, जब देश के शहरों और विश्वविद्यालयों में उनके नए नागरिकता कानून का इतना विरोध दिखने लगा है। भूल गए हैं कि मुसलमान 'घुसपैठियों' को उन्होंने दीमक कहा है बार-बार। भूल गए हैं कि उन्होंने बहुत बार कहा है कि उनको ''चून-चून' कर बाहर फेंकेंगे।''

किस मकसद से उन्होंने ये तकरीरें दीं, सिर्फ गृहमंत्री खुद जानते हैं, लेकिन आम मुसलमान तक संदेश यही पहुंचा है नागरिकता कानून में संशोधन के बाद कि उनके खिलाफ साजिश है यह कानून। क्यों नहीं यह संदेश जाएगा, जब गृहमंत्री इतनी बार कह चुके हैं कि सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए यह संशोधन किया गया है। बाकी रहते हैं सिर्फ मुसलमान, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में उत्पीड़ित शिया और अहमदीया भी हैं। सो, अगर खौफ का माहौल बन गया है भारत के मुसलमानों में, तो क्यों न बने? अशांति और अराजकता देश के बड़े शहरों में फैलने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक चुनावी भाषण में पिछले हफ्ते कांग्रस पार्टी को चुनौती दी यह कहते हुए कि क्या कांग्रेस हर पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता देना चाहती है, क्या तीन तलाक को वापस लाना चाहती है, क्या अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहती है?

चुनौती देते हुए मोदी ने शायद ध्यान नहीं दिया कि ये तमाम कदम मुसलमानों से वास्ता रखते हैं। थोड़ा सोचने के बाद दिया होता यह भाषण तो जरूर दिखता उन्हें कि अशांति के माहौल में ऐसा भाषण आग सुलगाने का काम करेगा, बुझाने का नहीं। सो, सुलगती रही है आग और लखनऊ में जहां हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी तक जला डाली और मीडिया के ओबी वाहन भी जलाए गए, मालूम पड़ा है बाद में कि नकाबपोश बदमाश घुस गए थे विरोध करते लोगों के बीच और हिंसा करने के बाद गायब हो गए। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन विरोध की बुनियाद असली है, सो सबको 'अर्बन नक्सल' और राष्ट्रद्रोही कहने से आग और भड़कने वाली है।

अमन-शांति लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो जरूरी है कि अपनी ऊंचाइयों से उतर कर उन छात्रों से बातचीत शुरू करने का प्रयास करें, जिन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। जरूरी है इस बात पर भी ध्यान देना कि दुनिया में उनकी छवि कितनी बदल गई है उनके दूसरे दौर के पहले महीनों में। अपने पहले दौर में जब उन्होंने विकास और परिवर्तन के नारे पर पूर्ण बहुमत हासिल किया, तो दुनिया उनको भारत की नई आशा का प्रतीक मानती थी। जब उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ऐसा माहौल बनाना चाहती है भारत में, जो निवेशकों के लिए लाल कालीन बिछाएगा लाल फीताशाही हटा कर, तो विदेशी निवेशकों की कतारें लग गई थीं।

> अमन-शांति लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो जरूरी है कि अपनी ऊंचाइयों से उतर कर उन छात्रों से बातचीत शुरू करने का प्रयास करें, जिन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया है।

अफसोस कि अपने दूसरे दौर में उन्होंने विकास और परिवर्तन को ताक पर रख कर उन मुद्दों पर ध्यान दिया है, जो आरएसएस को प्रिय हैं। कोई छिपी बात नहीं है कि आम संघी मुसलमानों की तरफ शक की नजरों से देखता है, उनके राष्ट्र प्रेम और उनके मजहब पर शक करता है। सो, जब कोई सरकार ऐसे कदम उठाती है जो मुसलमानों के खिलाफ दिखने वाले होते हैं, तो आरएसएस के बड़े नेता हमेशा अपनी खुशी जाहिर करने में देर नहीं करते हैं। मोदी के दूसरे दौर में सिर्फ ऐसे कदम ही उठे हैं। कश्मीर जो भारत का अकेला मुसलिम बहुल राज्य था, तीन टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। और अब आया है ऐसा नागरिकता कानून, जिसने आम मुसलमानों में एनआरसी की संभावना से ही डरा दिया है।

मोदी अपने आप को गांधीजी का भक्त मानते हैं, सो विनम्रता से अर्ज करना चाहती हूं कि वे अपने आप से पूछें कि गांधी आज हमारे बीच होते, तो क्या सरकार के इस नागरिकता कानून के समर्थन में खड़े होते या इस कानून के जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बीच दिखते? इस सवाल का जवाब उनको फौरन मिल जाना चाहिए, इसलिए कि हिंदुओं और मुसलमानों में भाईचारा लाने के प्रयास में ही उन्होंने अपनी जान गंवाई। इस भाईचारे को कायम करना मोदी सरकार का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए अब। इसलिए कि इस नए नागरिकता कानून ने अगर मुसलमानों को एक संदेश दिया है, तो हिंदुओं को एक अलग और उतना ही खतरनाक संदेश दिया है कि भारत अब एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है।

सोशल मीडिया पर जो लोग अपने आप को मोदी के कट्टर भक्त मानते हैं, अभी से कहने लगे हैं कि समय आ गया है, मुसलमानों को भारत से भगा देने का। ताने देते हुए ट्वीट करते हैं कि मुसलमानों के लिए कई इस्लामी मुल्क हैं जाने को और पाकिस्तान तो है ही पड़ोस में। ऐसी बातें करते हुए शायद जानते नहीं हैं कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों का शुरू से सपना रहा है कि भारत एक बार फिर टूट जाएगा और बंटवारा होगा फिर से इस्लाम के नाम पर। इस बुरे सपने को पूरा करने का काम कर रहा है यह नया नागरिकता कानून, क्योंकि आम मुसलमानों ने इसको जोड़ लिया है एनआरसी के साथ, जिसमें वे जानते हैं कि लाखों, करोड़ों गरीब मुसलमान साबित नहीं कर पाएंगे कि वे हमेशा से रहे हैं भारत के नागरिक। जिनके सिर पर छत ही नहीं है, कहां से लाएंगे सबूत के दस्तावेज? कैसे साबित कर पाएंगे अपनी नागरिकता?

एक गुस्सा बिखरता हुआ

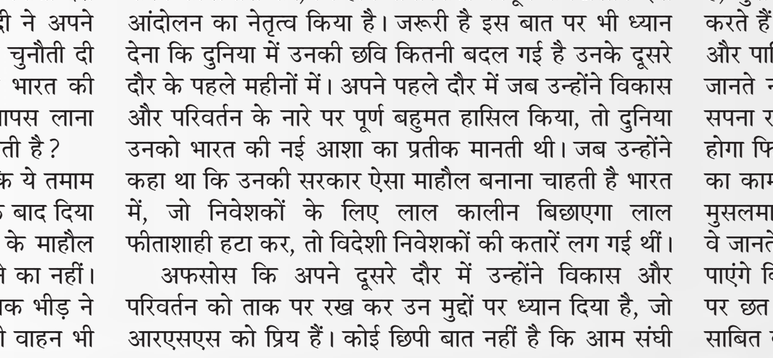

बारखबर

■ सुधीश पचौरी

दिल्ली, अमदाबाद, मुंबई, बंगलुरू, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी आदि दो दर्जन शहरों में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हैं। खबरें टपकती हैं : कुल सात राज्यों में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन है। नहीं, ये अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन हैं। असम में दो मरे। यूपी के दो दर्जन शहरों में विरोध प्रदर्शन! पुलिस चौकी भस्म! छह मरे!

फिर जामिया में विरोध। फिर जंतर मंतर और सीलमपुर में विरोध! पचासी गिरफ्तार। ओवैसी उवाच : हमें सड़कों पर निकलना होगा...

जामिया में बसों का दहन। 'आप' बरक्स 'भाजपा' बरक्स 'कांग्रेस' के एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप। दो-तीन वीडियो प्रसारित कि किसने कब कहां हिंसा की? कब आग लगाई? कब कैसे लाइब्रेरी में पुलिस घुसी? कैसे मारा-पीटा? एक युवक की जांघ में गोली लगी। एक को सीने में लगी। प्रदर्शन के नए हीरो, नई हीराइनें।

एक अंग्रेजी चैनल पर एक पैनलिस्ट इसे 'नाजी इंडिया' बताता है और 'कंसंट्रेशन कैंप' बनने की आशंका जताता है। एक बेहद तुनकमिजाज पैनलिस्ट दूसरे की टिप्पणी से नाराज होकर बहस से उठ कर चली जाती है। एक अन्य अंग्रेजी चैनल पर एक पैनलिस्ट जामिया और जेएनयू को बंद करने की सलाह देता है।

शनिवार की सुबह एक युवक बिना कमीज के नंगे बदन जामिया के एक गेट पर बैठ जाता है, जिसकी खबर सबसे पहले एक हिंदी चैनल को मिली दिखती है। उसी की एक रिपोर्टर उसकी मम्मी बन कर हर तीसरे वाक्य में अपना वात्सल्य टपकाती, उसे मनाती रहती है कि इतनी ठंड है और आपने कुछ नहीं पहना है, आपको ठंड लग जाएगी। आप कपड़े पहन लीजिए। वह दो घंटे तक मम्मी बन उसकी मान-मनौवल करती रहती है। कैमरा देख सीन बनाने के लिए लोग जुट जाते हैं। कुछ युवा की पीठ सहलाने लगते हैं। रिपोर्टर कहती रहती है कि मैं आपकी ही बात लोगों तक पहुंचाऊंगी, आप कपड़े पहन लीजिए...

यह कौन-सी पत्राकारिता है? ऐसे में प्रदर्शनकारियों का दिमाग न खराब न हो तो क्या हो? इस 'हाइप' को देख और कई युवा नंगे बदन आकर बैठ जाते हैं। जामिया में फिर जमावड़ा होने लगता है।

एक चैनल पर एक दल के नेता इसे 'सिविल वार की-सी स्थिति' कहते हैं। निहत्थे छात्रों पर लाठी चलाते हैं। इलाहाबाद, हैदराबाद, वाराणसी, नदवा, लखनऊ से विरोध प्रदर्शनों की लाइव खबरें आने लगती हैं। सभी जामिया में छात्रों पर हुए पुलिस अत्याचार के विरोध में निकल पड़ते हैं। वाराणसी से लेकर मद्रास आइआइटी के छात्र जामिया में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ निकल पड़ते हैं। बंगलुरू में रामचंद्र गुहा गिरफ्तार किए जाते हैं और शाम तक चैनलों पर 'आपबीती' सुनाने आ बैठते हैं।

एक चैनल खबर देता है कि जामिया की हिंसा के पीछे बाहरी तत्व रहे। फिर लाइन आती है कि राजनीतिक दल रहे! कोलकाता में ममता एनआरसी-सीएए विरोधी रैली का नेतृत्व करती हैं। विपक्षी नेता कहते हैं कि हम दमन को कंडेम करते हैं, यह कानून संविधान विरोधी है। प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर धरने पर बैठ जाती हैं, फिर जल्दी ही उठ जाती हैं।

एक चैनल पर एक पैनलिस्ट कई बार कहता है कि सीएए-एनआरसी को लेकर उठती आशंकाओं को दूर करना चाहिए, क्योंकि कई मुद्दों पर कन्फ्यूजन है। लेकिन प्रवक्ता कहते रहते हैं कि यह सब न्यस्त स्वार्थों की कारस्तानी है। गृहमंत्री दो चैनलों पर बातचीत करते बार-बार साफ करते हैं कि किसी भी भारतीय नागरिक को इससे कोई खतरा नहीं है। यह तीन पड़ोसी इस्लामिक देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है।...

लेकिन इतने भर से लोगों को भरोसा नहीं होता। पूछने पर कई प्रदर्शनकारी कहते हैं, कहने से क्या? वे लिख कर दें, छाप कर दें।... सीलमपुर का एक लड़का कहता है : एक बेटे को यतीम कर दिया और एक को गोद ले लिया, ये कौन-सा इंसाफ है?

बहुत से भ्रम, डर, शक, आशंकाएं और वहम एक साथ जग गए हैं और कोई नहीं है, जो उनको प्यार से समझाए। इनको उनसे डर है, तो उनको इनसे डर है। चैनल बहुतों से बात करते हैं और वे सभी समान रूप से कहते हैं कि वे मुसलमान हैं। पिछले बरसों से वे निशाने पर हैं। वे कहां जाएं? ऐसे प्रदर्शनकारियों की आशंकाएं बढ़ती हैं और कैमरों के जरिए अपनी व्यथा सुनाने लगते हैं। वृहस्पतिवार को बाईस शहरों में विरोध प्रदर्शन नजर आते हैं।

> बहुत से भ्रम, डर, शक, आशंकाएं और वहम एक साथ जग गए हैं और कोई नहीं है, जो उनको प्यार से समझाए। इनको उनसे डर है, तो उनको इनसे डर है।

ममता कहती हैं, मेरे जीते-जी सीएए लागू नहीं हो सकता। संसद में इसका सर्मथन करने के बावजूद नवीन पटनायक भी कह उठते हैं कि यह स्वीकार्य नहीं।

झारखंड की एक सभा में पीएम कहते हैं कि भारत के नागरिक चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, सिख या ईसाई, किसी पर यह कानून लागू नहीं होगा।... एक चैनल पर बड़े वकील हरीश साल्वे समझाते हैं कि यह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है और राज्य सरकारें लागू करने से मना नहीं कर सकतीं।...

एक अंग्रेजी चैनल लाइन लगाता है : यह 'धरना' नहीं 'दंगा' है। दूसरा लाइन लगाता है : यह 'प्रोटेस्ट' नहीं 'दंगा' है। क्या 'सूडोज' चाहते हैं कि दिल्ली जले? ऐसे चैनल आंदोलित लोगों को 'सूडोज' कह कर सिर्फ चिढ़ाते हैं और जाने-अनजाने तीखी प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। ध्यान रहे, आम जनता आपकी खबरों से अपना नजरिया बनाती है और प्रतिक्रिया भी करती है। एक विश्लेषक अवश्य कहता है कि यह बहुत से कारणों से बना संचित गुस्सा है, जो बिखर कर निकल रहा है।

वृहस्पतिवार की रात को ही शुक्रवार के प्रदर्शनों के संकेत मिलने लगते हैं। कैमरे सुबह से ही दिल्ली जामा मस्जिद पर जम जाते हैं। नमाज के बाद अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भीमसेना के चंद्रशेखर आजाद नजर आते हैं और फिर पुलिस की पकड़ से गायब हो जाते हैं। शाम को जामा मस्जिद से निकल कर लोग दिल्ली गेट पर नारे लगाने लगते हैं। दिल्ली गेट पर पुलिस का भारी बंदोबस्त है। पौने छह बजे आंदोलन खत्म होता है।

सात दिन बाद गृहमंत्रालय की मार्फत एक आश्वासन दिखता है कि अभी सीएए के नियम नहीं बने। लोग चाहें तो अपने सुझाव दे सकते हैं!

नई दिल्ली

www.readwhere.com

नौजवान इस देश को बदलेगा

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि सूबे में किसान बिल्कुल हताश और निराश हैं। बुंदेलखंड में किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहा है। रोजगार के मौके बहुत कम होने के साथ घरेलू उद्योग-धंधे बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आम लोगों के हक के लिए लड़ेगी और इसके जरिए ही जनता का भरोसा हासिल करेगी। कार्यक्रम का संचालन किया कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज ने।

बारादरी की बैठक में अजय कुमार लल्लू

सभी फोटो : अरुण चोपड़ा

जनसत्ता बारादरी

अजय कुमार लल्लू

कुशीनगर के सेवरही में 11 अप्रैल, 1979 को बेहद साधारण परिवार में जन्म। तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। परास्नातक तक की शिक्षा हासिल की। छात्र नेता के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले अजय भाजपा की लहर में भी इस सीट से 2012 और 2017 में दो बार विधायक बन कर विधानसभा पहुंचे हैं। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हर मुद्दे पर घेरने वाले अजय कुमार को धरना पुरुष भी कहा जाता है। कभी दिल्ली और नोएडा में कारखाने में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर चुके हैं और आज कांग्रेस को जनता की जंग से जोड़ने की कवायद में जुटे हैं।

मनोज मिश्र : जिन हालात में आप अध्यक्ष बने हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे में कांग्रेस की अच्छी स्थिति बनी रहेगी। वह भी तब जब सुनने में आया है कि राज्य के कुछ नेता आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं?

अजय कुमार लल्लू : नहीं यह बिल्कुल गलत है। पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे नेता, कार्यकर्ता पार्टी को आगे बढ़ाने में तत्पर हैं। इस बात का यह गवाह है कि पिछले हफ्ते भारत बचाओ रैली में उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक से हर नेता बड़े उत्साह से अपने साथ लोगों को लेकर आए थे। हमारा लक्ष्य एक विधानसभा से सौ लोगों को साथ लाने का था। सभी ने अच्छा काम किया। आप देख सकते हैं कि विपक्ष के रूप में बहुत कम दिनों में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर काफी संघर्ष कर रहा है। चाहे जन सरोकार, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामले हों या फिर किसानों के गन्ना बकाया का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो या फिर पीएफ घोटाले का। मुझे लगता है कि काफी चीजें बदली हैं और कार्यकर्ताओं के दम पर हम वापस होंगे।

मृणाल वल्लरी : उत्तर प्रदेश छात्र राजनीति का केंद्र रहा है और आज पूरे देश के विश्वविद्यालयों में केंद्र की नीतियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आपकी क्या रणनीति है इन छात्रों को एक करने की?

● देखिए, युवा शक्ति के बल पर जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी बढ़ती है। और आज के जो हालात हैं नौजवान इस देश की परिस्थिति को बदलेगा। भाजपा शुरू से छात्र राजनीति के खिलाफ रही है। चाहें लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला हो या इलाहाबाद

विश्वविद्यालय का, कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय में सभी जगह छात्रसंघ को समाप्त करना उनकी साजिश का हिस्सा है। छात्र राजनीति राजनीति की प्रथम पाठशाला है और हम सब उसी से निकल कर आए हैं और एक वैचारिक रूप से मजबूत भी होता है। वह समस्याओं को सुनता-समझता है और उसे उठाता है। भाजपा ने राजनीति की पौधशाला को खत्म करने का काम किया है। जिस तरह से यह छात्र संगठित और एकजुट हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार को कुर्सी से जमीन पर बैठाने का काम करेंगे।

दीपक रस्तोगी : केंद्र की नीतियों के खिलाफ जनता में नाराजगी दिखती है, लेकिन कांग्रेस उसे क्यों नहीं उठा पाती, जबकि चुनाव से पहले कांग्रेस रणनीति के बड़े दावे करती है, लेकिन चुनाव परिणाम के समय वह दिखता नहीं है, ऐसा क्यों?

● देखिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। जहां तक बात महाराष्ट्र और हरियाणा की है, तो वहां जनता ने जनादेश दिया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाया। वर्तमान में झूठ का बोलबाला है और यह जो सरकार हर मोर्चे पर चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर कानून व्यवस्था, पूरी तरह विफल है। हर विषय को तोड़-मरोड़ कर पेश करना और संविधान की आत्मा पर चोट करने का काम यह सरकार कर रही है। दोनों चुनावों में कांग्रेस ने काफी मेहनत की थी और राहुल गांधी ने भी प्रदेश के काफी मुद्दों को उठाया, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमियां रहीं। हमें उम्मीद है कि इन कमियों को चुनौती के साथ लड़कर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।

मुकेश भारद्वाज : जिस एक मुद्दे पर भाजपा ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया, उस पर पार्टी क्यों ध्यान नहीं देती, पार्टी परिवार से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है?

● गांधी परिवार का त्याग, संघर्ष और समर्पण का लंबा इतिहास है और उसे नकारा नहीं जा सकता। इंदिरा और राजीव जी ने इस देश के लिए शहादत दी है और निश्चित रूप से अगर पार्टी मजबूत है, तो वह राहुल गांधी और प्रियंका जी की वजह से है। पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जुझारू कमांडर की जरूरत होती है जो इस परिवार में मौजूद है। देश और कार्यकर्ता भी त्याग, संघर्ष और समर्पण को समझता है। इस नाते संगठन इनके नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है।

पंकज रोहिला : क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसान सरकार से नाराज हैं?

● उत्तर प्रदेश में किसान बिल्कुल हताश और निराश हैं। बुंदेलखंड में किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहा है। धान क्रय केंद्र कहीं खुले नहीं हैं। भाजपा पिछले समय में सदन में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की बात करती थी। संकल्प पत्र में बताया कि चौदह दिनों में भुगतान करेंगे, नहीं तो ब्याज सहित पैसा देंगे। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर पराली जलाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और दूसरी तरफ हाई कोर्ट के समाधान करने की बात पर सरकार कोई काम नहीं करती। पैंतीस सौ करोड़ रुपए से अधिक गन्ने का बकाया है और चीनी मिलों के मालिकों से गठजोड़ करने का काम यह सरकार करती है। और, जहां से गन्ना मंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं वहीं आसपास के जिलों में ढाई सौ करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। किसान आलू सड़क पर फेंकते हैं, तो उस पर सरकार मुकदमा करती है। पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, पर सरकार ने एक रुपए का मुआवजा नहीं दिया। किसान खून के आंसू रो रहा है। सरकार ने उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है और सब मुद्दों को लेकर हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

गजेंद्र सिंह : उत्तर प्रदेश में सत्ता से कांग्रेस का दूर रहने का कारण क्या जातिवाद है या कुछ और?

● उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद जाति और धर्म का जबसे बोलबाला रहा और मुद्दों और विषयों से पूरा प्रदेश भटक गया, राजनीति भटक गई। वहीं से कांग्रेस की समाप्ति का दौर शुरू हुआ। अब समय बदला है और लोगों को लग रहा है कि धर्म और जाति से निकल कर आगे सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पहले एक पहचान हुआ करती थी, आज क्या स्थिति हो गई है! मुरादाबाद का पीतल उद्योग ठप्प है, बुनकरों के लिए बिजली के दाम दोगुना बढ़ा दिए गए, अलीगढ़ का ताला-चाबी, मेरठ का खेल उद्योग, कानपुर का चमड़ा उद्योग बंगाल जा रहा है। पूर्वांचल-पश्चिम चीनी का कटोरा था, आज मिलें बंद हैं और किसानों का बकाया है। लघु उद्योग, उद्योग जो कंग्रेस सरकार के जमाने में उत्तर प्रदेश को दिए थे, वह सब कुछ इस सरकार ने नष्ट कर दिया। सारे कारखाने खत्म हो गए। आज पैंतालीस साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हम उत्तर प्रदेश को धर्म जाति की राजनीति से उठा कर ऊपर लाएंगे।

मृणाल वल्लरी : कांग्रेस का 2019 का घोषणापत्र उसकी नवउदारवादी नीतियों के ही खिलाफ था। अब अर्थव्यवस्था पर क्या सोच रही है पार्टी?

● भाजपा ने जीएसटी को लागू किया, कांग्रेस भी लागू करना चाहती थी, लेकिन उसका स्वरूप अलग था। कांग्रेस ने एक श्रेणी बनाई थी कि किस पर कितनी जीएसटी लागू करनी है, लेकिन उसे इस सरकार ने गलत तरीके से लागू करके छोटे कारोबारी, लघु उद्योग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। खुदरा व्यापार बंद हो गया है। मैं दिल्ली की बात करता हूं, जब मैं मजदूरी करने आया था 2007 में चुनाव हारने के बाद, तो इसी नोएडा में भवन निर्माण में दिहाड़ी करके तीन से साढ़े तीन सौ रुपए कमा लेते थे। उस समय स्थिति यह थी कि गांव से हम लोग यहां आकर डेढ़ माह में कुछ न कुछ कमा कर, खरीदारी कर वापस चले जाते थे। आज क्या स्थिति है। क्या कहीं भवन बन रहा है, कितनों के पास पैसा है। लोग स्वेटर बुन के पैसा कमा लेते थे। कोई न कोई काम मिल ही जाता था। घर में रोटी जाती थी। आज क्या है। कोई नहीं आता। कांग्रेस ने लोगों को मुख्यधारा में लाने का काम किया था। देश की स्थिति देख लीजिए। आज देश की तस्वीर बदल गई और तकदीर भी बदल गई है।

दीपक रस्तोगी : लगातार मुद्दे उठाने के बाद भी राहुल गांधी अमेठी हार गए और उन्हें बाहर जाना पड़ा। ऐसा क्यों?

● मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने देश में किसानों के लिए जो भूमि अधिग्रहण बिल लाने का काम किया था वह एक बड़ी क्रांति थी। बड़े उद्योगपतियों ने उनकी मुखालफत शुरू की, मैनेजमेंट किया और एक वातावरण बनाया। वे लगातार राहुल गांधी के दरवाजे पर खड़े होकर भूमि अधिग्रहण बिल न लाने की मांग करते रहे, लेकिन राहुल जी ने इस देश के किसान और नौजवान की सुनी और उस बिल को लाने का काम किया। इस कारण राहुल जी की छवि को बिगाड़ा गया।

मृणाल वल्लरी : गांधी बनाम सावरकर की बात आते ही भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर हो जाती है, इस विचारधारा की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं?

● यह देश गांधी, नेहरू, पटेल, आंबेडकर और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है। प्रेम और करुणा देश की पहचान रही है। जो संघ और सावरकर की विचारधारा रही है वह मैं मानता हूं कि आज वह इसे फैलाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। सच को कुछ दिन के लिए दबाया जा सकता है। लेकिन आने वाले दिन में सच ही जीतता है।

पंकज रोहिला : उत्तर प्रदेश के दो बड़े मुद्दे राम मंदिर और तीन तलाक को भाजपा भुना रही है, आपकी क्या रणनीति है?

● उत्तर प्रदेश का किसान दोगुना फसल की कीमत की बात करने वाली सरकार से जवाब चाहती है, गन्ना किसान बकाया भुगतान चाहता है, आलू किसान दाम चाहता है, कोल्ड स्टोरेज से किसान अपने सड़ रहे आलू निकाल कर बेचना चाहता है, धान का किसान धान बेचना चाहता है, बेरोजगार रोजगार चाहता है, बिजली की बढ़ी कीमतों से लोग निजात चाहते हैं, घोटाले में लिप्त सरकार से कर्मचारी अपने पीएफ के पैसे का हिसाब चाहता है, श्वेत पत्र चाहता है, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, बेटियां घर से निकलकर स्वतंत्रता से जीते हुए अच्छी शिक्षा चाहती हैं, पूर्वांचल के लोग इंसेफेलाइटिस से बच्चों का जीवन चाहते हैं। ठंड में डेंगू से मरने वाले लोग बढ़ गए हैं। कानपुर से लखनऊ तक लोग बीमार पड़े रहे। छह गांवों में दस हजार के करीब लोग बीमार थे। एक-एक घर में लोग बीमार थे, उनको मैं देखने गया। भाजपा जिलाध्यक्ष के परिवार में चार लोग खुद डेंगू से बीमार हो गए। ये लोग इलाज चाहते हैं। 370 और तीन तलाक के बारे में उत्तर प्रदेश नहीं जानता।

अजय पांडेय : जबसे कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर हुई है तब से लेकर आज तक कांग्रेस के यूपी अध्यक्षों ने ऐसा क्या नहीं किया, जो आप करने जा रहे हैं?

● मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस कोई जातिवादी संगठन नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। कांग्रेस ने सदा समाज के उपेक्षित, दबे, कुचले, निचले लोगों के उत्थान की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सब की आवाज बनी है। सामंतशाही के खिलाफ लड़ी है, कांग्रेस ने राजाओं का घमंड तोड़ा है। इसलिए यह किसी वर्ग और जाति में बांट देना गलत होगा। सबने वोट दिया तब कांग्रेस की सरकार बनी। और 2022 में एक-एक नौजवान, किसान, महिलाएं-बेटियां, मजदूर घर से निकल कर

गांधी परिवार का त्याग, संघर्ष और समर्पण का लंबा इतिहास है और उसे नकारा नहीं जा सकता। इंदिरा और राजीव जी ने इस देश के लिए शहादत दी है और निश्चित रूप से अगर पार्टी मजबूत है तो वह राहुल गांधी और प्रियंका जी की वजह से है। पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जुझारू कमांडर की जरूरत होती है, जो इस परिवार में मौजूद है।

कांग्रेस की सरकार बनाने आगे आएंगे। एक जाति नहीं, बल्कि सभी धर्म और वर्ग के लोग सरकार बनाएंगे। पिछले अध्यक्षों ने भी कई अच्छे काम किए। लेकिन कुछ में सफलता मिलती है कुछ में नहीं मिलती है। यह चलता रहता है। आज प्रियंका गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। हर तरह के कार्यों को लेकर आगे आ रहा है। जेल जा रहा है और लड़ रहा है। हमें भरोसा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी।

सूर्यनाथ सिंह : कांग्रेस विचारधारा की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना से गठबंधन करती है, यह विचलन नहीं तो क्या है?

● यह जो महाराष्ट्र की सरकार का मामला है उसमें हमें अखबारों और टीवी से पता चला कि सोनिया गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता, सभी वर्गों की बात कही है। और यह वचन लिया कि हम आपके साथ गठबंधन शब्द कहना तो गलत होगा, लेकिन साझा समझौता कर-के सरकार बनाते हैं तो इन विषयों पर ध्यान देना होगा। और मुझे लगता है कि इन साझा कार्यक्रमों पर सबकी सहमति बनी और शिवसेना धीरे-धीरे उन विषयों पर आगे चल रही है।

मुकेश भारद्वाज : आपके बयान में प्रियंका गांधी का बहुत जोर है, इसे क्या समझा जाए?

● प्रियंका कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस नाते वह उत्तर प्रदेश में प्रभारी हैं। इसलिए नेतृत्वकर्ता भी हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। वे मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों और नौजवानों की आवाज हैं। अगर देश में आमूल चूल परिवर्तन होगा तो वह राहुल जी के नेतृत्व में ही होगा।

प्रस्तुतिः सूर्यनाथ सिंह / मृणाल वल्लरी

किताबें मिलीं

एकांत में शब्द

इस विवेच्य कविता-संग्रह की अधिकतर कविताएं जीवन के वृहत्तर अभावों का पीछा करती दीखती हैं। कहीं-कहीं बेदी की कविता जनोन्मुखी तेवरों के साथ अपनी बात कहती भी लगती है। पर वास्तव में देखा जाए तो उनको 'एकांत में शब्द', 'पर दुख एकल नहीं होता', 'पांच सितारों का जन्मदिन', 'राष्ट्र के साथ' तथा 'प्रेम की प्रयोगशाला' जैसी कविताएं मानवीय ऊर्जा के रूबरू करवाती हैं जो वर्तमान कविता का पहचान बिंदु है।

आज, एक बार फिर हम गंभीर कविता के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। जन्म से मरण तक का हमारा वास्ता कविता से संबद्ध है यानी कविता की महनीयता से हम मुखापेक्षी नहीं हो सकते। इस दृष्टि से विवेच्य संग्रह की कविताएं जनोन्मुखी जमीन की तलाश में मानवीय अनुभूति का सच्चा यथार्थ हमारे पाले में आ टिकता है। 'वह अब नहीं तोड़ती पत्थर', 'नदी स्मृति में', 'नीड़ का चिंतन' जैसी कविताएं पाठकों को त्वरित झकझोरती हैं और हादसे से उभरे आदमी से साक्षात कराती हैं। 'बुद्धम शरणम् गच्छामि' एक अद्भुत कविता है, लंबी कविता की गुणात्मकता लिए।

संग्रह की कोई भी कविता ऐसी नहीं है, जो मात्र शाब्दिक साहस तक सीमित रही हो। कवि का हर कहन सहज-सरल भाषाजन्य है- राजनीति से नितांत परे होकर भी राजनीतिक है, उम्मीदों का वृहत्तर संसार रचता। बेदी की कविता मानवीय रिश्तों के चलते जीवन के बाह्य व अभ्यांतर को एक साथ समग्रता के साथ अभिव्यक्त करती है।

एकांत में शब्द : हरमहेंद्र सिंह बेदी; आस्था प्रकाशन, लाडोवाली रोड, जालंधर; 260 रुपए।

नीलकंठ : पराजय का विष और शिव

शिव- जड़ में चेतन का आभास। शिव आदि गुरु हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये सबसे पहले थे। सबसे पहले अर्थात हमारे अस्तित्व से भी पहले। और यह सच है क्योंकि आर्यों के इस भूमि पर आने से पहले भी शिव थे, द्रविड़ों के देव के रूप में। आर्य यहां आए और द्रविड़ों से उनका संघर्ष शुरू हुआ, जिसकी परिणति थी देवासुर संग्राम। यह संग्राम आर्यों और द्रविड़ों के बीच अस्तित्व के लिए लड़ा गया युद्ध था, जिसमें आर्यों का नेतृत्व विष्णु ने किया तो द्रविड़ों की कमान शिव के हाथ थी। युद्ध में आर्यों की विजय हुई और शिव ने पराजय रूपी विष को गरिमा के साथ पिया।

विष्णु और शिव ने मिलकर आर्यों और द्रविड़ों के संघर्ष को सदा के लिए समाप्त करने के लिए आर्यों और द्रविड़ों का संविलियन कराया और दोनों के मिलन से एक नए धर्म- हिंदू धर्म ने जन्म लिया। हिंदू धर्म में शिव सबसे बड़े देव महादेव बन कर उभरे। शिव की विशालता ने आर्यों में उन्हें अति लोकप्रिय बना दिया और लाल वर्ण शिव को आर्यों ने अपना नील वर्ण देकर नीलकंठ बना दिया। कहते हैं कि ईश्वर की अनेक गाथाएं हैं, किसी एक की कल्पना इस किताब में की गई है।

नीलकंठ : पराजय का विष और शिव: संजय त्रिपाठी; मंजुल पब्लिशिंग हाउस, द्वितीय तल, उषा प्रीत कॉम्प्लेक्स, 42 मालवीय नगर, भोपाल; 295 रुपए।

मूर्ख बन कर जियो

हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं की भांति 'व्यंग्य' भी एक सशक्त विधा बनकर उभरी है। यों तो व्यंग्य का पुट अन्य विधाओं में भी कहीं न कहीं दिखाई पड़ जाता है, फिर भी अलग रूप में न होने से इसकी अभिव्यक्ति खुलकर नहीं हो पाती है। इसी पीड़ा को देश के तमाम व्यंग्यकारों ने शिद्दत से महसूस किया और व्यंग्य को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया।

समाज को प्रभावित करने, आह्लादित करने, जीवन में बढ़ती हुई विद्रूपताओं को मुखर करने एवं बात को फटाक से कह देने की जो क्षमता व्यंग्य में निहित है, अन्य किसी विधा में भला कहां? यह अपने पाठकों से सीधा संवाद करता है। इसे पढ़कर व समझकर लोग तिलमिलाते हैं और मुस्कुराते हैं। व्यंग्य का जादू सिर चढ़कर बोलता है, समाज की परत-दर-परत खोलता है।

'मूर्ख बनकर जियो' प्रख्यात साहित्यकार घमंडीलाल अग्रवाल की प्रथम व्यंग्य कृति है। कृति के सभी व्यंग्य लेखों के जरिए समाज की उस तसवीर को पाठकों के समक्ष लाया गया है जो सदा दर्पण के पीछे ही रहा करती है। समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं व्यवस्थागत सवालों के अतिरिक्त राजनीतिक विसंगतियों की ओर भी इन लेखों में इशारा किया गया है।

मूर्ख बनकर जियो : घमंडीलाल अग्रवाल; इंडिया डिजिटल पब्लिशर्स, रेअर पोरशन, डब्ल्यू-116, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली; 350 रुपए।

माउथ ऑर्गन

एक होती है 'कहानी', एक होती है 'कहन'। कहानी और कहन में वर्णमाला के तीन अक्षरों की आवृत्ति के अलावा और एक समानता है, और वह है- कहना। कहानी कही जाती है और कहने की खास शैली कहन बन जाती है। एक लेखक अपनी कहन से पहचाना जाता है। कहानियों में घटनाएं तो होती हैं लेकिन कहानियां केवल घटनाएं नहीं होतीं। बहुत से महाआख्यान और महाकाव्य ऐसे हैं जिनकी कुलजमा कहानी को एक माचिस की डिबिया के पीछे लिखा जा सकता था, पर कहन ने उन्हें कुतुबकद बना दिया।

यह किस्सों की किताब है। कुछ कपोल कल्पना, कुछ आपबीती, कुछ दास्तानगोई, कुछ बड़बखानी। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं- 'नैरेटिव प्रोज'। वर्णन को महत्त्व देने वाला गद्य, ब्योरों में रमने वाला गल्प। आत्मकथा का एक भिन्न रूप जेएम कोएट्जी ने विकसित किया था और उसे 'फिक्शनालाइज्ड मेमॉयर्स' कहा था। कुछ वैसी ही खुदकहानियां और आपबीतियां इस पुस्तक में भी हैं। 'नॉवलिस्टिक एसे' का एक रूप मिलान कुंदरा ने विकसित किया था। कुछ वैसे ही नेरेटिव निबंध भी यहां हैं।

माउथ ऑर्गन : सुशोभित; एका, वेस्टलैंड प्रकाशन, प्रथम मंजिल, ए ब्लॉक, ईस्ट विंग, प्लॉट नं. 40, एसपी इन्फोसिटी, डॉ. एमजीआर सलाइ, पेरूंगुडी, कंदनछावडी, चेन्नई; 175 रुपए।

नई दिल्ली

www.readwhere.com

सीमा पर शांति बनाए रखने पर भारत-चीन ने जताई सहमति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

भारत और चीन ने शनिवार को इस बात पर सहमति जताई कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना जरूरी है। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों के सामरिक दृष्टिकोण के जरिए सीमा से जुड़े मुद्दों पर वार्ता करने पर जोर दिया गया। सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा से जुड़े मुद्दों का उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए प्रयास को तेज करने का संकल्प लिया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत रचनात्मक रही। इस दौरान द्विपक्षीय विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस बात पर आम सहमति बनी कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की संवेदनशीलता और सरोकारों का सम्मान करना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत-चीन संबंधों के सामरिक दृष्टिकोण से सीमा मुद्दे के महत्व को रेखांकित किया गया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीमा मुद्दों का शीघ्र निस्तारण दोनों देशों के मौलिक हितों के लिए आवश्यक है।

वांग शुक्रवार की रात को यहां पहुंचे थे। अधिकारियों ने कहा कि वार्ता के दौरान सीमा से जुड़े के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और दोनों पक्षों ने लगभग 35 हजार किलोमीटर लंबी सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इसी साल अक्तूबर में मलप्पुरम में हुई दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद चीन और भारत के बीच यह पहली उच्च स्तरीय वार्ता थी। डोभाल और वांग सीमा वार्ता के लिए अपने-अपने देशों से नामित विशेष प्रतिनिधि हैं।

सीएए का देशव्यापी विरोध जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली जिले में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगे करने के मामले में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य 130 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, मंगलुरू में भाकपा के राज्यसभा सांसद विनय विश्वम समेत पार्टी के छह कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। कर्फ्यू में ढील दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मंगलुरू हिंसा की जांच होगी, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में दो व्यक्ति मारे गए थे।

महाराष्ट्र के कलमनुरी और हिंगोली में शुक्रवार को हिंसा की खबर आई थी, जहां पुलिसकर्मियों पर पथराव करने की बात भी कही गई थी। अधिकारी ने कहा, 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगा करने के मामले में अभी तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है।' धोखाधड़ी, हत्या की कोशिश, जान को खतरे में डालने या अन्य लोगों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने, जानबूझकर खतरनाक हथियारों से नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने के मामले में 130 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परभणी और बीड़ जिलों में भी भादंस की संबंधित धाराओं के तहत कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परभणी जिले में हिंसा के एक अलग मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उधर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विभिन्न संगठनों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। चारमीनार के पास कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानें बंद रही। कर्नाटक के मंगलुरू में पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को शहर में कर्फ्यू लगे होने के कारण प्रवेश करने से रोक दिया गया।

तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआइ) और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) समेत माकपा से जुड़े संगठनों ने यहां एमजीआर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकने की कोशिश की। जब प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, तब उनके और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव हो गया।

इस बीच, असम और बंगाल में स्थिति शांतिपूर्ण रही, जबकि मेघालय में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। असम में प्रदर्शनकारियों ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ रैलियां निकालीं।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए बीते दिन हुए प्रदर्शन के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। आज दोपहर सहारनपुर से मुजफ्फरनगर पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र उपेंद्र अग्रवाल, डीएम सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव की मौजूदगी में नगर के खालापार, किदवई नगर,रहमतनगर,फक्कर शाह चौक,हड्डी गोदाम, मदीना चौक, कच्ची सड़क, सरवट,रुड़की रोड, मेरठ रोड, मीनाक्षी चौक, शिव चौक आदि अनेक स्थानो से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान एडीएम प्रशासन अमित कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार मौके पर मौजूद रहे।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव में 152 नामजद लोगों समेत ढाई हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। उपद्रव के मामले में 107 आरोपियों को नामजद किया गया है। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को नए नागरिकता कानून के विरोध में मीनाक्षी चौक पर हुई हिंसा के बाद पुलिस ने देर रात 50 से अधिक दुकानों को सील कर दिया। सभी दुकानें वही हैं जहां हिंसा के दौरान लोग खड़े थे। पुलिस उपद्रव की वीडियो फुटेज खंगाल रही हैं। पुलिस ने अब तक भारी बवाल के आरोपियों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।

बकाया नहीं चुकाने पर जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आबंटन रद्द

नोएडा (उप्र), 21 दिसंबर (भाषा)।

बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आबंटन रद्द कर दिया। यह फैसला शनिवार को प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक में लिया गया।

जेपी एसोसिएट्स पर प्राधिकरण सहित विभिन्न खरीदारों का 864 करोड़ रुपए बकाया है। इस राशि के भुगतान के लिए प्राधिकरण ने बीते दिनों जेपी एसोसिएट्स व उसकी सहयोगी कंपनियों को नोटिस जारी किया था।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी है। उस पर तीन बार फार्मूला वन रेस का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा यहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम व हॉकी स्टेडियम भी प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने एसइजेड परियोजना के तहत कंपनी को 1000 हेक्टेयर जमीन आबंटित की थी। उसमें जेपी ने 31 अन्य कंपनियों को करीब 500 हेक्टेयर जमीन बेच दी। मौजूदा समय में कंपनी पर करीब 864 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके भुगतान के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन कंपनी ने पैसा जमा नहीं किया।

डॉ सिंह ने बताया कि 30 जून को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जेपी को एक महीने की मोहलत दी गई थी। उसमें साफ कहा गया था कि एक माह में किश्त जमा नहीं करने पर आबंटन रद्द कर दिया जाएगा। चेतावनी के बाद भी जेपी समूह ने भुगतान नहीं किया। तय शर्तों के अनुसार जेपी समूह ने 200 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त भी जमा नहीं की। इसके बाद शनिवार को हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आबंटन रद्द करने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में खरीदारों के हित को सुरक्षित रखा जाएगा। उसके लिए शीघ्र ही योजना बनाई जाएगी।

सिग्नल के लिए अभी भी पटाखों के सहारे रेलवे

पेज 1 का बाकी

रेल की रफ्तार को भी कम कर देता है। इस वजह से कई मार्गों पर इन दिनों ट्रेनों की संख्या भी कम की गई है। इस समय करीब 60-70 ट्रेनें रद्द चल रही हैं। यह व्यवस्था भी मार्ग पर अधिक यातायात नहीं हो, इसके लिए ही लागू की जाती है। लेकिन इन मार्गों पर रेल संचालन के लिए पटाखों का प्रयोग किया जा रहा है। इसे देखकर चालक सिग्नल आगे अपने मार्ग की तरफ बढ़ता है। प्रतिदिन उत्तर रेलवे में कोहरे के वक्त हजारों की संख्या में ऐसे पटाखों का प्रयोग किया जाता है।

फॉग सेफ्टी डिवाइस भी हो रहा है इस्तेमाल : देश में अब इस परंपरागत तरीके के साथ कोहरे से बचाने वाला उपकरण (फॉग सेफ्टी डिवाइस) भी अब रेल संचालन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह जीपीएस से जुड़ी तकनीक है जो इंजन और स्टेशन मास्टर को किसी भी ट्रेन में चेतावनी संकेत देती है।

इस तकनीक के माध्यम से चालक को सुनने वाला (ऑडियो) व दिखने वाला (वीडियो) संदेश दिया जाता है। अब रेलवे धीरे इस तकनीक को पूरे नेटवर्क में विकसित कर रहा है। लेकिन जहां अब तक यह तकनीक नहीं पहुंची है, उन जगहों पर यह परंपरागत सिस्टम प्रयोग किया जाता है।

उद्यमियों ने देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के तरीकों पर की चर्चा

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शनिवार को यहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने नीतिगत स्थिरता से लेकर स्थानीय वस्तुओं के निर्यात पर जोर देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की और सुझाव दिए।

उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'भारत : पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए खाका' पर आयोजित सत्र में सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी, आइटीसी के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (एमडी) संजीव पुरी, कैडिला हेल्थकेयर के चेयरमैन पंकज आर पटेल, भारती एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन राजन भारती मित्तल और जेके पेपर के वाइस चेयरमैन व एमडी हर्ष पति सिंघानिया ने इन विषयों पर चर्चा की। उन्होंने देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारतीय विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने व वैश्विक मूल्य श्रृंखला का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनने की जरूरत पर जोर दिया।

सेल के चेयरमैन चौधरी ने कहा कि अगर हमें अगले पांच साल में पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है तो हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना होगा। भारत को इस्पात व अन्य विनिर्मित सामानों का निर्यात बढ़ाने की भी जरूरत है। कैडिला हेल्थकेयर के चेयरमैन पटेल ने कहा कि किसी भी कारोबार की वृद्धि के लिए नीतिगत स्थिरता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना नीतिगत स्थिरता के उद्योग जगत के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाना असंभव है।

मित्तल ने सुझाव दिया कि सरकार को देश की डिजिटल रीढ़ को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सिंघानिया ने कहा कि देश के विनिर्माण क्षेत्र को सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की जरूरत है। पुरी ने कहा कि कृषि बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया कराती है। उपज के बाद के प्रबंधन में रोजगार के बहुत सारे अवसर सृजित होते हैं। हमें मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने की जरूरत है।

उपद्रवियों को भेजे जा रहे हैं वसूली नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे बहकावे में नहीं आने की अपील करते हुए शनिवार को कहा कि उपद्रव और हिंसा की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर जुर्माना लगाकर उन्हें वसूली नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर यकीन नहीं करें।

उन्होंने कहा कि जहां भी सार्वजनिक संपत्ति को उपद्रवियों ने क्षति पहुंचाई है, उस संपत्ति की भरपाई, वीडियो फुटेज तथा अन्य पुष्ट प्रमाणों के आधार पर चिन्हित किए जा रहे उपद्रवियों की संपत्तियों को जब्त करके की जाए। पुलिस ने कई उपद्रवियों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित किया है। लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में पकड़े गए आधा दर्जन से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं।

नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के तीन सैनिक ढेर

पेज 1 का बाकी

कर दी, जो पूरे दिन रुक-रुक कर होती रही। मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान की ओर शांति छा गई। शनिवार की शाम लगभग 4.15 बजे कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में बलबीर और उस्ताद पोस्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। बुधवार को नीलम घाटी में पाकिस्तान को भारी नुकसान होने की खबर है।

पलांवाला सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के बैट ने धुंध और कोहरे की आड़ में हमला किया था, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया था। बैट टीम को सीमा पार करने और हमले के बाद वापस जाने के लिए पाकिस्तान सेना ने कवर फायर दिया था। इसमें एक जवान शहीद हुआ था। पाकिस्तान ने पांच अगस्त 2019 के बाद से अब तक नियंत्रण रेखा पर 950 बार सीजफायर तोड़ा। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा पुंछ सेक्टर में गोलाबारी की जा रही है। अकेले पुंछ में ही इस साल 1800 से अधिक बार सीजफायर तोड़ा गया है। शुक्रवार को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और गांवों पर पाक की तरफ से गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी जवानों ने मोर्टार के गोले दागे। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक, मनकोट सेक्टर में हुई गोलीबारी का भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया।भारतीय पक्ष में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

तेजाब हमले के जुर्म में 14 साल की जेल

रामगढ़ (झारखंड) 21 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड के रामगढ़ जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले होली के दौरान सात लोगों पर तेजाब फेंकने के मामले में शनिवार को एक व्यक्ति को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक आर बी राय ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश ने ताजवर टोला इलाके के राजवर साव (27) को भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया। राय ने कहा कि इस संबंध में गोला पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

कोटा में दो को उम्रकैद

पेज 1 का बाकी

माली उर्फ कृष्ण मुरारी (70) और उसके सहयोगी मोहित माली उर्फ मनोज (40) को 13 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के लिए यह सजा सुनाई। कचावा ने कहा कि अदालत ने दोनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजन ने बताया कि उस समय सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि बाबूलाल माली उसे खाने की चीज देने के बहाने गांव के एक कुएं के पास ले गया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल और उसका साथी मोहित लड़की को कुएं के निकट एक कच्चे कमरे में ले गए और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया।

कचावा ने कहा कि दोनों लोगों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाया गया और बाकी का जीवन जेल में बिताने की सजा सुनाई गई।

रांची बलात्कार कांड के दोषी को फांसी की सजा

पेज 1 का बाकी

मामले में मुख्य आरोपी राहुल राज को शनिवार को फांसी की सजा सुनाई और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने उसे शुक्रवार को दोषी करार दिया था। 2016 के इस मामले को 28 मार्च, 2018 को सीबीआइ को सौंपा गया था और लगभग 15 माह की जांच के बाद सीबीआइ ने जून, 2019 में इस मामले की गुत्थी सुलझाई और लखनऊ से राहुल राज को धर दबोचा।

जांच में पता चला कि राहुल अपराध की दुनिया में रचा बसा था और दिसंबर, 2016 में इस नृशंस घटना को अंजाम देकर वह लखनऊ भाग गया था। सीबीआइ ने हत्याकांड के आसपास की बस्ती के लोगों की डीएनए प्रोफाइलिंग करके और घटनास्थल परपीड़िता के शव और कपड़ों से बरामद डीएनए सैंपल से उसका मिलान कर राहुल राज को दबोचा। इससे पूर्व रांची पुलिस को लगभग डेढ़ वर्ष तक उसे इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल सका जिससे उसकी भारी फजीहत हुई थी। अदालत ने इस वर्ष अक्तूबर अंत में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे और लगातार सुनवाई कर महज एक माह में 16 दिनों की सुनवाई में तीस गवाहों की गवाहियां करवाईं और शुक्रवार को उसे दोषी करार दिया था।

असमी भाषा, जमीन और अधिकार की रक्षा के लिए उपायों की घोषणा

गुवाहाटी, 21 दिसंबर (भाषा)।

असम में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के बीच भाजपा नीत असम सरकार ने शनिवार को असमी भाषा और जमीन, मूल निवासियों के कल्याण और स्वायत्त आदिवासी परिषदों की रक्षा के लिए कई उपायों की घोषणा की। वित्तमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल केंद्र से संविधान के अनुच्छेद-345 में संशोधन कर बंगाली बहुल बराक घाटी, दो पर्वतीय जिलों व बोडोलैंड क्षेत्रीय प्रशासनिक जिलों (बीटीएडी) को छोड़कर असमी भाषा को राज्य की भाषा घोषित करने का अनुरोध करेगी।

मलेशियाई प्रधानमंत्री के बयान पर भारत का विरोध

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

भारत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की आलोचना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी टिप्पणी किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के स्थापित राजनयिक चलन के अनुरूप नहीं है। मंत्रालय ने मलेशियाई दूतावास के प्रभारी (चार्ज द अफेयर्स) को विदेश मंत्रालय तलब किया गया और उन्हें महातिर मोहम्मद की टिप्पणी को लेकर भारत की नाराजगी से अवगत कराया गया।

उन्हें बताया गया कि ऐसी टिप्पणी गलत सूचना और असंवेदनशील है। मलेशिया को दोनों देशों के संबंधों के दीर्घकालिक और सामरिक नजरिए को देखने को कहा गया। महातिर मोहम्मद ने कुआलालंपुर में संवाददाता सम्मेलन में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ टिप्पणी की थी। महातिर मोहम्मद ने संशोधित नागरिकता कानून पर कहा था कि कुछ मुसलमानों को नागरिकता से वंचित रखने के लिए भारत यह कदम उठा रहा है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि मलेशिया को भारत के अंदरूनी मामलों पर, खास तौर से तथ्यों की समझ के बगैर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। दरअसल, सीएए उन लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज करता है जो धार्मिक कारणों से सताए जाने की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से देश में आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की स्थिति प्रभावित नहीं होती।

आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश

पेज 1 का बाकी

विभाग के प्रधान सचिव को दिल्ली के एम्स के निदेशक से दूसरा पोस्टमार्टम कराने के लिए अपराध विज्ञान के तीन विशेषज्ञों की एक मेडिकल टीम गठित करने का अनुरोध करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने यह निर्देश भी दिया कि अंत्यपरीक्षण 23 दिसंबर से पहले किया जाए और उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट महापंजीयक के समक्ष दाखिल की जाए।

हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरे पोस्टमार्टम के बाद शव आरोपियों के रिश्तेदारों को सौंपे जा सकते हैं। डॉक्टरों को उनके द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर स्वतंत्र राय रखने की भी सलाह दी गई है। मुठभेड़ की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के प्रमुख को केस डायरी, पुलिस अधिकारियों के आवाजाही रजिस्टर, मुठभेड़ में शामिल हथियारों की फेहरिस्त जैसी सभी सामग्री जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है।

हाई कोर्ट ने कहा कि इन चीजों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आयोग के सामने जरूरत के हिसाब से पेश किया जाए। चिकित्सा दल की विमान यात्रा, उनके ठहरने और उनके लिए अन्य सारी सुविधाओं का इंतजाम राज्य सरकार वहन करेगी। शुक्रवार को तेलंगाना के महाधिवक्ता ने कहा था कि इन चारों के शवों का सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया गया है, इसलिए फिर से पोस्टमार्टम के लिए कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। न्यायमित्र डी प्रकाश रेड्डी ने हालांकि दलील दी थी कि दूसरे पोस्टमार्टम की जरूरत पर गौर करने के लिए ही शवों को सुरक्षित रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मुहर लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की परिस्थितियों की जांच के लिए पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वी एस सरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग गठित किया था।

मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की

पेज 1 का बाकी

किया जा सकता है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि दोपहर से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की समीक्षा की। दोपहर बाद उनका ध्यान आधारभूत क्षेत्र पर रहा जिसमें विभिन्न समितियों के सचिवों ने तीन क्षेत्रों पर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुति दी।

उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते होने वाली बैठक में सामाजिक क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब नागरिकता संशेधन कानून और प्रस्तावित एनआरसी को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि, यह पता नहीं चला है कि बैठक में यह मुद्दा उठा या नहीं। सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर मंत्री परिषद् की बैठक प्रत्येक महीने कैबिनेट की बैठक के बाद होती है, लेकिन इस बार यह बैठक अलग से हो रही है। नियमित कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर को होगी। पिछले कुछ सप्ताहों में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार की नीतियों को लागू करने को लेकर विभिन्न मंत्रालयों की ओर से हुई प्रगति की समीक्षा की है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत सरकार बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आई और नवंबर में उसके छह महीने पूरे हुए हैं।

दिल्ली में भाजपा की रैली आज

पेज 1 का बाकी

लाख पत्र भी प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे। इस रैली में भाजपा नागरिकता संशोधन कानून पर नागरिकों को समझाने की भी कोशिश करेगी। इसके लिए विशेषतौर पर एक पत्र तैयार किया गया है, जो आम जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर्चे में कानून को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है।

मैदान के अंदर व बाहर सड़क बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। भाजपा की तैयारी है कि इस रैली को वह एक जश्न की तरह दिल्ली वालों के लिए पेश करेगी।

हजार से ज्यादा शिक्षाविदों ने किया समर्थन

पेज 1 का बाकी

डर एवं उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे देश के कई हिस्सों में हिंसा हो रही है।' इस बयान के हस्ताक्षरकर्ताओं ने, 'भुलाए गए अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने और भारत के सभ्यतागत स्वभाव को बरकरार रखने' तथा 'धार्मिक प्रताड़ना के कारण भाग कर आने वालों को शरण देने' के लिए संसद को बधाई भी दी।

इसमें कहा गया कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना झेलने वाले अल्पसंख्यकों को शरण देने की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है। बयान में कहा गया कि 1950 के लियाकत-नेहरू संधि की विफलता के बाद से, कांग्रेस, माकपा जैसे राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की मांग की है। इनमें से ज्यादातर दलित समुदाय से हैं। इसमें कहा गया, 'हम इस बात से संतुष्ट हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों की चिंताओं को सुना गया और उचित ढंग से उनका समाधान किया गया। हमारा मानना है कि सीएए पूरी तरह भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुरूप है क्योंकि यह किसी भी देश के किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता पाने से नहीं रोकता है।' बयान में कहा गया कि न ही यह किसी भी तरीके से नागरिकता की शर्तों को बदलता है, यह महज तीन विशेष देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भाग कर आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को खास परिस्थितियों में उनकी समस्या का त्वरित विशेष समाधान करता है। इसमें कहा गया, 'यह इन तीन देशों के किसी भी धर्म या वर्ग के लोगों या अहमदी, हजारा, बलोच किसी को भी नियमित प्रक्रिया के जरिए नागरिकता लेने से नहीं रोकता है।'

यूपी में जारी हिंसा, बिहार में भी बवाल

पेज 1 का बाकी

है। अकेले मेरठ जोन में 250 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) प्रवीण कुमार के मुताबिक, अब तक की हिंसा में मेरठ में चार, फिरोजाबाद में तीन, कानपुर और बिजनौर में दो-दो, वाराणसी, संभल और लखनऊ में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। वाराणसी में भगदड़ में आठ साल के एक बच्चे की मौत हो गई। एक व्यक्ति की मौत रामपुर में हुई है। 263 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 57 को गोली लगी है।

पुलिस महानिदेशक ओमप्रकाश सिंह का कहना है कि पुलिस ने किसी पर भी गोली नहीं चलाई और जो लोग गोली लगने से मरे हैं वे प्रदर्शनकारियों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग की जद में आने के कारण मारे गए हैं। उन्होंने कहा अगर किसी व्यक्ति की पुलिस की गोली लगने से मौत हुई है तो हम उसकी न्यायिक जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। हकीकत यह है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं व बच्चों को ढाल बनाया। सभी जगहों पर पुलिस के पास लाठीचार्ज के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस बीच कानपुर में शनिवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फिर संघर्ष हुआ। प्रदर्शनकारियों ने यतीमखाना पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान जबरदस्त पथराव भी हुआ। इस दौरान सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी और पूर्व विधायक व सपा नेता कमलेश दिवाकर को एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया।

रामपुर में भड़की हिंसा के दौरान हुए पथराव में कई पुलिसकर्मियों समेत अनेक लोग जख्मी हो गए। करीब चार-पांच सौ लोगों की भीड़ ने हिंसा की। इस दौरान पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। जिलाधिकारी आंजनेय सिंह ने बताया कि 12 से 18 साल के बीच के लड़कों ने भी पथराव किया। उधर, चार दिन तक शांतिपूर्ण माहौल के बाद अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में शनिवार को फिर से विरोध प्रदर्शन हुआ।

लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, वाराणसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, फिरोजाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शामली, संभल, अमरोहा, मउ, आजमगढ़ और सुल्तानपुर सहित कई बडे शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।

उधर, बिहार में बांस के डंडे लिए हुए बंद समर्थकों ने राज्य के सभी जिलों में बस अड्डों, रेल की पटरियों और अन्य स्थलों पर जमा होकर यातायात रोका। प्रदर्शनकारियों ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के बाहरी इलाकों में बंद करने के लिए सड़कों पर चल रही टैक्सियों और ऑटो की खिड़कियों के शीशे तोड़ तोड़ दिए और साइकिल रिक्शा को क्षतिग्रस्त कर दिया। कई जगह 10-15 साल के बच्चे भी बंद कराते नजर आए।

राज्य विधानसभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना में बीर चंद पटेल मार्ग स्थित अपनी पार्टी कार्यालय से डाक बंगला क्रॉसिंग तक एक बड़े जुलूस के साथ मार्च किया, जिससे व्यस्त फ्रेजर रोड और बेली रोड पर जाम लग गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में मार्च में हिस्सा लिया। मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, जहानाबाद और नवादा जैसे जिलों से भी बंद के कारण सामान्य कारोबार और यातायात बाधित होने की खबरें हैं।

www.readwhere.com

पारिवारिक व्यवस्था की मजबूती समय की जरूरत : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को पारिवारिक व्यवस्था और इसके मूल्यों को स्कूल के दिनों से ही मजबूत करने और बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाने को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बुजुर्गों के पारिवारिक सदस्यों और समुदायों से आग्रह किया कि उनकी देखभाल और सेहत को उच्च प्राथमिकता दें।

'हेल्थ एंड वेलबीइंग इन लेट लाइफ : पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव्स फ्रॉम इंडिया' पुस्तक के विमोचन के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय पारिवारिक व्यवस्था और पारिवारिक मूल्यों को भारतीय सभ्यता की खासियत बताया। पुस्तक एम्स के जिरियाट्रिक मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉ. प्रसून चटर्जी ने लिखी है।

नायडू ने सामाजिक एवं व्यवहारगत बदलाव का आह्वान करते हुए कहा, 'हमें भारतीय पारिवारिक व्यवस्था, मूल्यों, संस्कृति और परंपराओं की तरफ लौटना होगा। माता-पिता, गुरु और प्रकृति का आदर करना भारतीय दर्शन में समाहित है।'

नागरिकता कानून पर जिद छोड़े केंद्र सरकार : मायावती

लखनऊ, 21 दिसंबर (भाषा)।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से शनिवार को कहा कि वह संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी पर अपनी जिद छोड़कर अपने फैसले वापस ले।

मायावती ने ट्वीट किया, 'अब तो सीएए और एनआरसी के विरोध में केंद्र सरकार के राजग में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अतः बसपा की मांग है कि वे अपनी जिद छोड़कर इन फैसलों को वापस ले।' मायावती ने इससे पहले ट्वीट में कहा था कि देश एवं व्यापक जनहित में केंद्र को चाहिए कि वह नए नागरिकता कानून को वापस लेकर अर्थव्यवस्था की बदहाली, बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी, रुपए की गिरती कीमत आदि की राष्ट्रीय समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करे।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना (नियम 8 (6) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्राविधान के अंतर्गत)

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, सपठित नियम 8(6)के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्राविधानों के आधार पर अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत बैंक बंधक अचल सम्पत्ति की ई–नीलामी यह सूचना आम तौर पर जनता के लिए और विशेष रूप से ऋणी (ओं), व निदेशकों को दी जाती है, कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/भारित है, प्राधिकृत अधिकारी इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा सम्पत्ति का रचनात्मक/भौतिक कब्जा लिया जा चुका है, के द्वारा **"जहाँ है जैसा है"**, **"जैसा है जो है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नलिखित दिनांक को ऋणी (ओं), बंधककर्ता (ओं) जमानतकर्ता (ओं) व निदेशकों से सम्पत्ति की बिक्री कर निम्नलिखित बकाया धनराशि व भविष्य के ब्याज एवं अन्य खर्चे जो कि इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) को वसूल करना है। आरक्षित मूल्य व धरोहर धनराशि निम्नलिखित है। ई–नीलामी वेब पोर्टल **www.magicbricks.com** के प्लेटफार्म पर सम्पन्न होगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/बंधककर्ता/जमानती का नाम व पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस तिथि कब्जे की तिथि बकाया राशि	आरक्षित मूल्य ईएमडी बिड गुणक मूल्य	ई–नीलामी की तिथि व समय	खाते का नाम व बिड जमा करने के लिए खाता संख्या एवं एफएससी कोड	निरीक्षण करने की तिथि व समय एवं संम्पर्क फोन नं0 का विवरण
1.	**शाखाः रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड (1591)** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री राकेश सेन पुत्र ज्ञानेन्द सेन, निवासीः मोतीपुर वार्ड नं0 2, दिनेशपुर, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर 263160	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 396 मिन, क्षेत्रफल 24"x37"768 वर्ग फीट अथवा 71.37 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री राकेश सेन, खेड़ा तहसील गदरपुर, परगना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर, सीमायें:- उत्तरः मनोरंजन मंडल की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि, पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः रास्ता	मांग नोटिस तिथि 19.04.2017 कब्जे की तिथि 08.09.2017 बकाया राशि **रू0 6,32,098/-** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 4,63,930/- रू0 47,000/- रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 159102000009999 IFSC Code: IOBA0001591 IOB Bid Account रूद्रपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05944–247626, मो. नं. 9027338225 पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
2.	**शाखाः रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड (1591)** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री नथ्थूलाल पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासीः गली नं0 6, वार्ड नं0 15, इन्दिरा कॉलोनी, तहसील-रूद्रपुर जिला उधमसिंह नगर	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड संपत्ति खसरा नं0 6/1min, माप क्षेत्रफल 13x24.5 फीट यानि 29.60 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम-बिगवाड़ा परगना-रूद्रपुर तहसील -रूद्रपुर, जिला-उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) संपत्ति स्वामी श्री नथ्थु लाल पुत्र श्री रामस्वरूप, सीमायें:-उत्तरः प्लाट नं0 D2, दक्षिणः गंगापुर का 9.09 मीटर चौड़ा रोड, पूर्वः स्वामी का शेष भाग, पश्चिमः पुरानी गत्ता फैक्टरी	मांग नोटिस तिथि 25.05.2018 कब्जे की तिथि 24.10.2018 बकाया राशि **रू0 4,92,102.77** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 7,54,800/- रू0 75,500 रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या 159102000009999 IFSC Code IOBA0001591 IOB Bid Account रूद्रपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05944–247626, मो. नं. 9027338225 पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
8.	**शाखाः कोटद्वार (2543)** **ऋणीः** श्री संदीप कुमार पुत्र हेतराम, काशीरामपुर, पट्टी सुखेरो नजीबाबाद रोड, कोटद्वार पुरी गढ़वाल-246149 **गारन्टरः** श्री संजीव कुमार पुत्र श्री मुकंदी सिंह, ग्राम- सीमालचौर, पट्टी सुखेरो, कोटद्वार पुरी गढ़वाल- 246149	बंधकः आवासीय सम्पत्ति खाता नं0 142, 143 एवं 144 खाता खतौनी नं0 135 ग्राम- काशीरामपुर, पट्टी सुखेरो, तहसील कोटद्वार, जिला- पुरीगढ़वाल उप-निबन्धक कोटद्वार बही नं0 1 जिल्द नं0 269 पेज नं0 131 से 138 दस्तावेज नं0 1124 दिनांक 29.03.2011 पर पंजीकृत है। कुल क्षेत्रफल 688 वर्ग फीट, सम्पत्ति स्वामिः श्री संदीप कुमार पुत्र हेतराम	मांग नोटिस तिथि 07.10.2017 कब्जे की तिथि 16.01.2018 बकाया राशि **रू0 11,39,741.33/-** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 8,00,000/- रू0 80,000/- रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 254302000002000 IFSC Code: IOBA0002543 IOB Bid Account कोटद्वार शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 01382–229916 / 229912 मो. नं. 7895765100 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
4.	**शाखाः बाजपुर (3504)** **ऋणीः** 1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासीः ग्राम व पोस्ट-लाखनपुर बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401, 2. कानूनी वारिस स्व0 श्रीमती गीता पत्नी सुरेश कुमार, निवासीः ग्राम व पोस्ट-लाखनपुर बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401 **गारन्टर्सः** 1. श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री सर्वजीत शर्मा, निवासीः मकान नं0 130, मुडिया पिस्तौर वार्ड नं0 05, बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401, 2. श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री सर्वजीत शर्मा, 25, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड नं0 4, बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401	बंधक सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति खतौनी नं0 15, खसरा नं0 239 मिन, मुडिया पिस्तौर, तहसील बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, विक्रय विलेख दिनांक 27.05.2015 से, सम्पत्ति स्वामी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद एवं स्व0 श्रीमती गीता पत्नी श्री सुरेश कुमार, ग्राम व पोस्ट लाखनपुर, बाजपुर उधमसिंह नगर-262401, सीमायें:-पूर्वः श्री कृपाल सिंह की भूमि, पश्चिमः रास्ता 4.92 मीटर, उत्तरः श्री खुर्शिद की भूमि दक्षिणः विक्रेता की भूमि	मांग नोटिस तिथि 29.05.2018 कब्जे की तिथि 12.09.2019 बकाया राशि **रू0 12,55,994/-** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 17,05,355/- रू0 1,71,000/- रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 350402000002000 IFSC Code: IOBA0003215 IOB Bid Account बाजपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05949–282280, मो. नं. 8948401888 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
5.	**शाखाः रामनगर (2216)** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह ग्राम देवीपुर बसिटिला, पोस्ट- सेमलखालिया, रामनगर (उत्तराखण्ड) **गारन्टरः** श्री सोमिन्द्र सिंह रावत पुत्र कुबेर सिंह रावत ग्राम एवं पोस्ट- चिलकिया रामनगर (उत्तराखण्ड)	खतौनी नं0 019, खसरा नं0 18/1 न्यूनतम क्षेत्रफल 632.57 वर्ग मीटर सम्पत्ति स्वामी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह स्थित ग्राम देवीपुर बसिटिला, पोस्ट- सेमलखालिया, रामनगर, विक्रय विलेख नं0 771 बही नं0 1, जिल्द नं0 477, पेज 41 से 46 क्र0सं0 771 दिनांक 10.03.2014 पर पंजीकृत है। सीमायें:- पूर्वः ग्राम रोड, पश्चिमः भूपाल सिंह की सम्पत्ति, उत्तरः गोपाल सिंह की सम्पत्ति, दक्षिणः हीरा सिंह की सम्पत्ति।	मांग नोटिस तिथि 07.08.2019 कब्जे की तिथि 14.11.2019 बकाया राशि **रू0 8,11,400.97/–** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 25,44,224 रू0 2,54,422 रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 221602000002000 IFSC Code:IOBA0002216 IOB Bid Account रामनगर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947-252600, मो. नं. 7088992557 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 1:00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
6.	**शाखाः रामनगर (2216)** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री साकिर पुत्र श्री साबीर हुसैन ग्राम शक्ति नगर, रामनगर (उत्तराखण्ड) **गारन्टरः** श्री मौहम्मद अली पुत्र रफिक, ग्राम पुछड़ि रामनगर (उत्तराखण्ड)	बंधक 920 वर्ग फीट आवासीय सम्पत्ति का भाग खाता नं0 43, खसरा नं0 1/1 बही नं0 1 जिल्द नं0 443 पेज नं0 183 क्र0सं0 3314 सम्पत्ति स्वामी श्री साकिर पुत्र साबिर हुसैन विक्रय विलेख दिनांक 16.09.2013 स्थित ग्राम पुछरी रामनगर जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड। सीमायें:- पूर्वः अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, पश्चिमः श्रीमती नईम जहाँ की सम्पत्ति, उत्तरः प्रशांत पांडेय की सम्पत्ति, दक्षिणः 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता।	मांग नोटिस तिथि 07.08.2019 कब्जे की तिथि 14.11.2019 बकाया राशि **रू0 6,98,424.76/–** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 13,15,845 रू0 1,31,585 रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 221602000002000 IFSC Code:IOBA0002216 IOB Bid Account रामनगर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947-252600, मो. नं. 7088992557 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 1:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
7.	**शाखाः ऐंचोली (3506)** **ऋणी/बंधककर्ताः** 1. श्रीमती लक्ष्मी वर्मा पत्नि श्री दीवान सिंह, ग्राम हरेती पट्टी पौन, पोस्ट- डिग्री कॉलेज, तहसील एवं जिला-पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) 2. श्री दीवान सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह ग्राम हरेती पट्टी पौन, पोस्ट- डिग्री कॉलेज, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)- 262530। **गारन्टरः** श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व0 नंदराम ग्राम बगेली केसर पोस्ट- दीन तहसील एवं जिला- पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)	बंधक भूमि खाता नं0 00146 प्लॉट नं0 2963 एवं 2964 खसरा नं0 814 मिन क्षेत्रफल 0.0965 हैक्टेयर, 318 मिन क्षेत्रफल 0.0055 हैक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 12 मुठी भूमि स्थित ग्राम हरेती पट्टी पौन, पोस्ट- डिग्री कॉलेज, तहसील एवं जिला- पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)। सीमायें:- पूर्वः नाला (गदेला), पश्चिमः श्री भुवन चंद की खुली भूमि, उत्तरः श्रीमती भागीरथी देवी की खुली भूमि, दक्षिणः श्री मानदेव की खुली भूमि।	मांग नोटिस तिथि 01.02.2017 कब्जे की तिथि 14.11.2019 बकाया राशि **रू0 8,67,473.00/–** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 10,34,000/- रू0 1,03,400 रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 350602000002000 IFSC Code:IOBA0003506 IOB Bid Account ऐंचोली शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05964-225415, मो. नं. 9980344668 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 1:00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
8.	**शाखाः नथनपुर (3214)** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री संदीप अरोड़ा पुत्र स्व0 श्री केवल कृष्णा अरोड़ा मकान नं0 7/7, गांधी ग्राम, नई बस्ती, न्यू पार्क रोड देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001।	बंधक आवासीय सम्पत्ति नं0 7/7, गांधी ग्राम, नई बस्ती, न्यू पार्क रोड ब्लॉक-II, देहरादून स्थित द्वितीय तल माप क्षेत्रफल 45.82 वर्ग मीटर कवर्ड क्षेत्रफल 45.82 वर्ग मीटर साथ ही जमीन पर आनुपातिक अधिकारों के साथ भूमि पर निर्मित खसरा नं0 1513/2 मौजा कांवली में स्थित है। परगना सेन्ट्रल दून जिला- देहरादून। कुल सम्पत्ति **सीमायें**:- पूर्वः 7.5 फीट चौड़ा रास्ता, साइड माप 17 फीट, पश्चिमः अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, साइड माप 17 फीट, उत्तरः अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, साइड माप 29 फीट, दक्षिणः अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, साइड माप 29 फीट	मांग नोटिस तिथि 16.05.2019 कब्जे की तिथि 15.11.2019 बकाया राशि **रू0 8,48,987.81/-** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 12,14,100 रू0 1,22,000 रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 321402000002000 IFSC Code:IOBA0003214 IOB Bid Account नथनपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 0135-2662574, मो. नं. 7017866290 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 1:00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
9.	**शाखाः काशीपुर (2217)** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री महेश चौहान पुत्र श्री हरकिशन सिंह चौहान निवासीः खसरा नं0 299 मिन, ग्राम खड़कपुर देवीपुरा, तहसील काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)- 244713। **गारन्टरः** श्री वीर सिंह पुत्र श्री कल्लु सिंह, निवासीः 138, द्रोणसागर वार्ड 02, पटेल नगर, काशीपुर (उधम सिंह नगर)- 244713	बंधक भूमि का भाग एवं मकान स्थित खसरा नं0 299 मिन क्षेत्रफल 0.0092 हैक्टेयर ग्राम खड़कपुर देवीपुरा, तहसील- काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर माप क्षेत्रफल पूर्व की ओर 40 फीट, पश्चिम 40 फीट, उत्तर 25 फीट एवं दक्षिण 25 फीट। सब- रजिस्ट्रार ऑफिस काशीपुर, विक्रय विलेख दिनांक 20.03.2012 बुक नं0 1, पेज नं0 91 से 108 इलेक्ट्रोस्टैटिक जिल्द नं0 2880 क्र0सं0 3260 दिनांक 23.03.2012 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्री महेश चौहान। **सीमायें**:- पूर्वः श्री कश्यप की सम्पत्ति, पश्चिमः विक्रेता की सम्पत्ति (संजय एवं मनोज), उत्तरः अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, दक्षिणः 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता।	मांग नोटिस तिथि 31.07.2019 कब्जे की तिथि 14.11.2019 बकाया राशि **रू0 7,99,221/-** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 13,78,517/- रू0 1,38,000 रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 221702000002217 IFSC Code:IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947-272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 1:00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
10.	**शाखाः काशीपुर (2217)** **ऋणी/बंधककर्ताः** 1. श्री अजय कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह, श्री सरोजवती पत्नी नेत्रपाल सिंह हेमपुर इस्माइल, हिम्मतपुर, बाजपुर रोड काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड -244713। 2. श्री सरोजवती पत्नी नेत्रपाल सिंह हेमपुर इस्माइल, हिम्मतपुर, बाजपुर रोड काशीपुर उधम सिंह नगर- 244713 **गारन्टरः** 1. नेत्रपाल सिंह पुत्र हिम्मन सिंह, हेमपुर इस्माइल, हिम्मतपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713, मो0 नं0 7037778998। 2. तिलक सिंह पुत्र करण सिंह, हेमपुर, इस्माइल हिम्मतपुर, काशीपुर, उधम सिंहनगर 244713 मो0 नं0 9837608460	बंधक आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट स्थित ग्राम हेमपुर इस्माइल तहसील काशीपुर खसरा नं0 10 मिन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस काशीपुर, बही नं0 1 जिल्द नं0 5083 पेज 95 से 104 क्र0सं0 6159 दिनांक 24.08.2018 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्रीमती सरोजवती पत्नी नेत्रपाल सिंह। **सीमायें**:- पूर्वः 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः जयकरण की सम्पत्ति, उत्तरः चरणजीत की सम्पत्ति, दक्षिणः हेमचन्द्र जोशी की सम्पत्ति।	मांग नोटिस तिथि 31.07.2019 कब्जे की तिथि 14.11.2019 बकाया राशि **रू0 27,78,035.70/-** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 21,66,057/- रू0 2,17,000 रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 221702000002217 IFSC Code:IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947-272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 1:00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
11.	**शाखाः काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड** **ऋणीः** श्री विनित पुत्र राजेश निवासी मौहल्ला कानी बाग, वार्ड नं0 15, काशीपुर, उधमसिंह नगर-244713 **गारन्टरः** श्री ओमकार सिंह पुत्र श्री जय राम सिंह, निवासीः मकान नं0 15, खारकपुर देवीपुरा, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर-244713 2. राजू पुत्र हीरा लाल, निवासीः खड़कपुर, देवीपुरा काशीपुर जिला उधमसिंह नगर-244713	बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा नं0 274/2 मिन, खाता नं0 1030, स्थित खड़कपुर, देवी पुरा काशीपुर, उधमसिंह नगर, जिसका बही नं0 1, जिल्द नं0 4933, पेज नं0 1 से 14, क्रमांक संख्या 307, उप-निबन्धक काशीपुर पर दर्ज है, कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट। सम्पत्ति स्वामी श्री विनित पुत्र राजेश। सीमायें:-उत्तरः संजीव सक्सेना की सम्पत्ति, दक्षिणः रूप किशोर का मकान, पूर्वः रोड 20 फीट चौड़ा, पश्चिमः श्रीमती माया देवी की सम्पत्ति	मांग नोटिस तिथि 23.05.2018 कब्जे की तिथि 23.10.2018 बकाया राशि **रू0 13,45,118.22** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 12,75,000/- रू0 1,28,000/- रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 221702000002217 IFSC Code: IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947–272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
12.	**शाखाः काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड** **ऋणीः** श्री बलजिंदर सिंह पुत्र श्री भुपिन्द्र सिंह एवं श्रीमती अमन दीप कौर पत्नी श्री बलजिंदर सिंह, फ्लेट नं0 302, तृतीय मंजिल रिद्धि ब्लॉक, गणपति अपार्टमेंट, खसरा नं0 112Min ग्राम गिन्नीखेड़ा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर **गारन्टरः** श्री अमनदीप सिंह पुत्र श्री काश्मीर सिंह, निवासीः फ्लेट नं0 402, ब्लॉक-A, गणपति अपार्टमेंट, खसरा नं0 112Min, ग्राम गिन्नीखेड़ा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर	बंधक सम्पत्ति फ्लेट नं0 302, तृतीय मंजिल रिद्धि ब्लॉक, श्री गणपति अपार्टमेंट, खसरा नं0 112min, ग्राम गिन्नीखेड़ा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर। मकान का कुल क्षेत्रफल 1242.83 वर्ग फीट जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 991.40 वर्ग फीट, निर्मित 3 रूम, एक ड्राईंग रूम, 2 लैट्रीन, किचन स्टोर, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती अमरदीप कौर पत्नी श्री बलजिन्दर सिंह। सीमायें:-उत्तरः फ्लेट नं0 A-301, दक्षिणः फ्लेट नं0 A-303, पूर्वः खुला आकाश, पश्चिमः खुला आकाश	मांग नोटिस तिथि 03.04.2018 कब्जे की तिथि 28.10.2018 बकाया राशि **रू0 18,73,880.96** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 19,63,500/- रू0 1,97,000/- रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 221702000002217 IFSC Code: IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947–272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
13.	**शाखाः काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड** **ऋणीः** श्री हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिव कुमार, निवासी होटल गौतमी हाइट्स के पीछे, खारकपुरा देवीपुरा, काशीपुर, उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)-244713. **गारन्टरः** श्री राजा कुमार पुत्र श्री लाल निवासी श्याम पुरम कॉलोनी, खारकपुरा देवीपुरा काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)-244713	बंधक सम्पत्ति खसरा नं0 274/1 मिन, स्थित खड़कपुर देवीपुरा होटल गौतमी हाइट्स के पीछे, काशीपुर, उधमसिंह नगर, बही नं0 1, जिल्द नं0 5167, पेज 245 से 258, क्रमांक संख्या 5167 उप-निबन्धक काशीपुर पर दर्ज है, कुल क्षेत्रफल 623 वर्ग फीट। सम्पत्ति स्वामी हरेन्द्र कुमार। सीमायें:-उत्तरः रोड 25 फीट चौड़ा, दक्षिणः लखीर सिंह का मकान, पूर्वः विक्रेता का मकान, पश्चिमः 23 फीट चौड़ा रोड	मांग नोटिस तिथि 23.05.2018 कब्जे की तिथि 28.10.2018 बकाया राशि **रू0 14,16,792/-** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 9,71,890/- रू0 98,000/- रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 221702000002217 IFSC Code: IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947–272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते है।
14.	**शाखाः काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड** **ऋणी/बंधककर्ताः** शिखा अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश कुमार मकान नं0 एस 5, हरिया वाला कुंडा काशीपुर, उत्तराखंड-244713 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश, मकान नं. 6, अम्रपाली हरिया वाला कुंडा काशीपुर, उत्तराखंड– 244713	बंधक आवासीय सम्पत्ति विक्रय विलेख संख्या 717, दिनांक 17.02.2014, खसरा नं0 135, ग्राम हरियावाला, तहसील जसपुर, उधमसिंह नगर सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती शिखा अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश अग्रवाल। सीमायें:-उत्तरः अजय कुमार की सम्पत्ति, दक्षिणः अजय कुमार की सम्पत्ति, पूर्वः कच्चा रास्ता 30 फीट चौड़ा, पश्चिमः अजय कुमार की सम्पत्ति	मांग नोटिस तिथि 07.12.2016 कब्जे की तिथि 27.05.2017 बकाया राशि **रू0 23,40,831/-** + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चें	रू0 26,67,725/- रू0 2,67,000/- रू0 10,000/-	**23.01.2020** प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्याः 221702000002217 IFSC Code: IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947–272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते है।

जानकारी अगर कोई हो तो, बैंक की जानकारी के अनुसार कोई भार नहीं, बकाया देय राशि समावेश नहीं, लोकल निजि सरकारी (सम्पत्ति कर, जल सीवरेज, बिजली का बिल इत्यादी) ज्ञात नहीं

बोली के लिए ईएमडी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथिः 24.12.2019 से

बोली के लिए ईएमडी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथिः 22.01.2020, सायं 5.00 बजे तक (कार्यदिवस के समय तक)

प्रत्याशित बोलीदाता सम्पत्ति के निरीक्षण/ई–नीलामी, से संबन्धित जानकारी के लिए **क्र0सं0 1 से 2 के लिएः**–शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, रूद्रपुर शाखा, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, एसजीएडी कॉम्प्लेक्स, नैनीताल रोड, रूद्रपुर–263153, फोन नं0 05944–247626, 9027338225 एवं **क्र0सं0 3 के लिएः**– शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कोटद्वार शाखा, निकट महेश्वरी पेट्रोल पम्प, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार, पुरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पिन–246149, सम्पर्क नं0 **01382-229912/ 229916, 7895765100** पर कार्यदिवस के दौरान कार्यालय पर एवं **क्र0 सं0 4 के लिएः**– शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बाजपुर शाखा, पताः इंडियन ओवरसीज बैंक, बाजपुर, सकरपुर चौराहा रामपुर रोड, बाजपुर, जिला–उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड–248115 सम्पर्क नं0 **05949-282280, 8948401888** एवं **क्र0 सं0 5 से 6 के लिएः**– शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, रामनगर शाखा पताः डंगवाला टॉवर एम0 पी0 कॉलेज मैदान के सामने रामनगर, उत्तराखण्ड– 244715, सम्पर्क नं0 05947–252600, 7088992557 तथा **क्र0 सं0 7 के लिएः**– शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ऐंचोली शाखा पताः होटल प्लाजा, टनकपुर रोड, चंद्र भाग ऐंचोली, पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड– 262530, सम्पर्क नं0 05964–225415, मो0: 9980344668 एवं **क्र0 सं0 8 के लिएः**– शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, नथनपुर शाखा पताः ग्राम नथनपुर पोस्ट नेहरू ग्राम ब्लॉक रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड– 248010, सम्पर्क नं0: 0135–2662574, 7017866290 पर कार्यदिवस के दौरान कार्यालय पर **क्र0 सं0 8 से 14 के लिएः**–काशीपुर शाखा, चामुंडा कॉम्प्लेक्स, रामनगर रोड, एवं काशीपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, पिन–244713, फोन नं0: 05947–272219, मो0 नं0: 9654389470 कार्यदिवस के दौरान कार्यालय पर, अथवा बैंक द्वारा सर्विस प्रदाता magic brick सर्विस लिमिटेड– हेल्प लाइन नं0 9212346000 मोहित शर्मा नं0: 9837778407, ई–मेलः auction@magicbricks.com एवं mohit.sharma@magicbricks.com पर सम्पर्क करें।

विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट (वेब पोर्टल) www.magicbricks.com पर देखें

दिनांकः 21.12.2019 | स्थान–देहरादून | प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक

न्यू राजिन्दर नगर शाखा

जे-400, शंकर रोड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060

फोनः 011-28745756, 28741436

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8(6) के प्रावधान के अंतर्गत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जिसका इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा किया गया है, की यहाँ नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

क्रम सं.	ऋणधारकों का नाम / गारन्टरों का नाम	इंडियन ओवरसीज बैंक को देय राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण / ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि भुगतान	नीलामी की तिथि / ईएमडी जमा करने की तिथि	सम्पर्क व्यक्ति एवं मोबाईल नं.
1.	मै. डीगी एक्स्पोर्ट्स बेन्चर प्रा.लि. श्री अमरजीत सिंह कालरा श्रीमती जगजीत कौर कालरा श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा	19.12.2019 को रु. 14,86,19,194.85 (रु. चौदह करोड़ छियासी लाख उन्नीस हजार एक सौ चौड़ानवे एवं पैसे पचासी मात्र के साथ अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेस्ट्स पर आगे का ब्याज)	सम्पत्तिः 1. कम्पनी के नाम में प्लॉट नं. डब्ल्यूजेड-14ए, ग्राम तिहाड़, बिन्द्रा मार्केट के नाम से विदित कॉलोनी, संत पुरा, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 में भू तल, पूर्वी दिशा में स्थित सम्पत्ति (बिना छत के अधिकार के), एरिया 100 वर्ग याईस	सांकेतिक	रु. 81,82,000/- (FMV+1% टीडीएस)	23.01.2020	सुश्री कोमल शर्मा फोन नं: 28741436
			कोई नहीं		8,18,200/-	22.01.2020	
			सम्पत्तिः 2. कम्पनी के नाम में प्लॉट नं. डब्ल्यूजेड-14ए, ग्राम तिहाड़, बिन्द्रा मार्केट के नाम से विदित कॉलोनी, संत पुरा, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 में प्रथम तल, पूर्वी दिशा में स्थित सम्पत्ति (बिना छत के अधिकार के), एरिया 900 वर्ग याईस	सांकेतिक	रु. 81,82,000/- FMV+1% टीडीएस	23.01.2020	सुश्री कोमल शर्मा फोन नं: 28741436
			कोई नहीं		8,18,200/-	22.01.2020	
			सम्पत्तिः 3. कम्पनी के नाम में प्लॉट नं. डी-151, जीईपीआईपी साइट-5, यूपीएसआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा एक्स्पोर्ट्स प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया-V, कासना, ग्रेटर नोएडा-201301, उ.प्र. में स्थित औद्योगिक प्लॉट तथा उस सम्पत्ति पर भवन	सांकेतिक	रु. 2,09,10,000 (FMV+1% टीडीएस)	23.01.2020	सुश्री कोमल शर्मा फोन नं: 28741436
			कोई नहीं		रु. 2091000/-	22.01.2020	
			सम्पत्तिः 4. डीगी एक्स्पोर्ट् वेन्चर प्राईवेट लिमिटेड के स्वामित्व में खाली एवं बिना निर्माण के आवासीय प्लॉट नं. 171, ब्लॉक सी-10, यमुना विहार, दिल्ली, एरियाः 69.720 वर्ग मी.	सांकेतिक	रु. 13940000/- (FMV+1% टीडीएस)	23.01.2020	सुश्री कोमल शर्मा फोन नं: 28741436
			कोई नहीं		रु. 13,94,000/-	22.01.2020	
			सम्पत्तिः 5. कम्पनी के नाम में प्लॉट नं.-22 एचबी/20/21, खसरा नं. 282 में भू तल पर (बिना छत के अधिकार के) मीनाक्षी गार्डन, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110018 पर सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड-40बी-1ए/डब्ल्यूजेड-40 बी1-बी तथा डब्ल्यूजेड-40 बी 1-सी (समामेलित)	सांकेतिक	रु. 4,16,16,000/- (FMV+1% टीडीएस)	23.01.2020	सुश्री कोमल शर्मा फोन नं: 28741436
			कोई नहीं		रु. 4,14,600/-	22.01.2020	

- जहाँ भी लागू हो, आरक्षित मूल्य में आईटी अधिनियम की धारा 194 (आईए) के अंतर्गत 1% कर शामिल है।
- बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाईट अर्थात www.iob.in (https://www.iob.in/TenderDetails.aspx? Tendertype=E-Auction], https://auctions.magicbricks.com) देखें।
- इसे ऊपर वर्णित तिथि के ई-नीलामी के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारकों तथा गारन्टरों/मार्टगैजनों के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) / नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना मानी जाये।

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 21.12.2019 | प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओरसीज बैंक

www.readwhere.com

10 नए होटल खोलेगा मैरियट इंटरनेशनल

इंदौर (मप्र), 21 दिसंबर (भाषा)।

अतिथि सत्कार क्षेत्र के वैश्विक समूह मैरियट इंटरनेशनल ने शनिवार को कहा कि वह अपने विस्तार अभियान के तहत कैलेंडर वर्ष 2020 के अंत तक भारत में कम से कम 10 नए होटल खोलने की योजना पर काम कर रहा है। नए होटल जिन भारतीय शहरों में खोले जाने हैं, उनमें आगरा और सूरत शामिल हैं।' वर्ष 2019 के दौरान मैरियट देश में 15 होटल खोल चुका है।

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ कर 454.49 अरब डॉलर पर

मुंबई, 21 दिसंबर (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 13 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 1.07 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 454.492 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह यह 2.342 अरब डॉलर बढ़ कर 453.422 अरब डॉलर पर था। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 13 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.163 अरब डॉलर बढ़ कर 422.422 अरब डॉलर रहीं।

'अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी के लिए नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं'

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि जून 2020 से देश भर में लागू होने जा रही सरकार की महत्त्वाकांक्षी 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के तहत एक जगह से दूसरी जगह जाने पर राशन कार्ड का लाभ लेने के लिए नए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी।

पासवान ने कहा कि इस पहल को अभी प्रायोगिक आधार पर लागू किया जा रहा है। किसी नागरिक के देश के दूसरे राज्य में जाने पर वह वहां की राशन की दुकान से राशन ले सकेंगे। सरकार का उद्देश्य अगले साल एक जून से पूरे भारत में इस पहल को लागू करना है। इस पहल के तहत, पात्र लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।

पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा करने वाले पासवान ने कहा कि कुछ अखबारों में खबरें थीं कि इस योजना के लिए नए राशन कार्ड जारी करने होंगे। यह तथ्यहीन बात है। नया राशन कार्ड लेना आवश्यक नहीं है। मौजूदा कार्ड पूरे भारत में मान्य होगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीनों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा कर सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी 12 राज्यों में पूरी तरह और चार में आंशिक रूप से चालू है। आठ राज्य आपस में एक-दूसरे के यहां जारी कार्ड को स्वीकार करने लगे हैं। आठ राज्यों में दो-दो सेट राज्यों के बीच कार्ड की पोर्टेबिलिटी शुरू हो चुकी है। इनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान व कर्नाटक और केरल शामिल हैं। मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा भी पहली जनवरी से इसमें जुड़ कर एक संकुल बन जाएंगे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया जा चुका है। लक्ष्य 81.35 करोड़ लोगों को कवर करने का है।

भारत ऊर्जा खपत के मामले में 2030 तक सबसे बड़ा बाजार : प्रधान

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत ऊर्जा की खपत के मामले में 2030 तक चीन को पीछे छोड़ कर सबसे बड़ा वृद्धि करता हुआ बाजार बन जाएगा।

भारत 2008 से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार है। उसने 2015 में जापान को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार बना। प्रधान ने कहा कि हम तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता बाजार हैं, लेकिन 2030 तक हम सबसे बड़े ग्राहक होंगे। उन्होंने कहा कि उस समय तक ऊर्जा खपत में सालाना 4.5 फीसद की वृद्धि होगी और जो दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ऊर्जा खपत की वृद्धि के मुकाबले सर्वाधिक होगी। भारत की जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोल) की खपत वृद्धि दुनिया में सबसे अधिक होगी। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का 83 फीसद आयात के जरिये पूरा करता है। वहीं आधी प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात की जाती है।

प्रधान ने कहा कि वैश्विक औसत वृद्धि 1.4 फीसद है, वहीं भारत में वृद्धि दर 4.5 फीसद है। उन्होंने कहा कि हम संतुलित रूप से ऊर्जा के मिश्रित उपयोग सृजित करने को लेकर परंपरागत ईंधन और अधिक सतत विकल्पों का उपयोग करेंगे। हम हाइड्रोजन जैसे नए और सतत ऊर्जा के स्रोतों की भी संभावना टटोलेंगे।

प्रदूषण फैलाने पर तीन खनन कंपनियों पर जुर्माना

पणजी, 21 दिसंबर (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट के गोवा पीठ ने तीन खनन कंपनियों को उसके समक्ष 65-65 लाख रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है, ताकि खनन के चलते प्रदूषित हुए खेतों को फिर से दुरुस्त किया जा सके।

न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति एमएस जावलकर ने बुधवार को यह अंतरिम आदेश दिया जब राज्य के अभियोजक ने तर्क दिया कि ये खनन कंपनियां उत्तरी गोवा के सिरिगाओ गांव में धान के खेत में गाद भरने के लिए जिम्मेदार हैं। अदालत ने जिला खनिज संस्था (खनन कंपनियों से मिले कर के जरिए केंद्र द्वारा गठित संगठन) को इस कार्य के लिए दो करोड़ रुपए अलग से रखने के भी निर्देश दिए। इस याचिका में वेदांता इंक, राजाराम बांडेकर (सिरिडाओ) माइंस प्राइवेट लिमिटेड और चावगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रतिवादी थे।

पीठ ने कहा कि हम प्रत्येक खनन कंपनी को 27 जनवरी तक या उससे पहले 65-65 लाख रुपए इस अदालत में जमा करने के निर्देश देते हैं।

बिना चालक वाली कारों को नहीं देंगे अनुमति : गडकरी

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि वह देश में बिना चालक वाली (ड्राइवर लेस) कारों को अनुमति नहीं देंगे।

उद्योग मंडल फिक्की के कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि मुझसे कई बार बिना चालक वाली कारों के बारे में पूछा जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक मैं परिवहन मंत्री हूं, तब तक आप भूल जाएं। मैं ड्राइवर लेस कार को भारत में नहीं आने दूंगा। देश में 22 लाख चालकों की कमी की बात कहते हुए गडकरी ने कहा कि देश में रोजगार में वृद्धि के साथ-साथ उद्योग में भी वृद्धि की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि वाहन कबाड़ नीति अंतिम चरणों में है और यदि हम इसे लाते हैं तो हमारी लागत 100 फीसद घट जाएगी।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
मण्डल कार्यालय – सी–18बी, दीन दयाल पुरम, बरेली–243122, फोन : 0581-2310672, ई–मेल: co.bar@obc.co.in

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांको को पंजीकृत डाक पावती सहित / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम हैं, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

कर्जदार / गारन्टर के नाम	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण
1) मैसर्स मिश्रा ऑटोमोबाइल्स, ऑफिस पता: बरेली मोड़ मौजमपुर शाहजहाँपुर, यू.पी.– 242001 2) अरविंद मिश्रा पुत्र मूलचंद मिश्रा, पार्टनर निवासी (क) 180 हुंदल खेल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी शाहजहांपुर यू.पी. – 242001 (ख) मो. अवास विकास कॉलोनी बरेली मोड़ शाहजहाँपुर, यू.पी. – 242001 (ग) गाटा नं. 510 मो. मौजमपुर पर, जमौर तह. सदर शाहजहांपुर यू.पी. –242001 3) मधु मिश्रा पत्नी अरविंद मिश्रा, पार्टनर, निवासी 180 हुंदल खेल न्यू फ्रेन्ड्स दोस्त कॉलोनी शाहजहाँपुर, यू. पी. – 242001 4) अविनाश मिश्रा पुत्र अरविंद मिश्रा, पार्टनर, निवासी 180 हुंदल खेल न्यू फ्रेन्ड्स दोस्त कॉलोनी शाहजहाँपुर, यू. पी. – 242001 गारंटर: 1) मूलचंद मिश्रा पुत्र राम भरोसे मिश्रा निवासी (क) 180 हुंदल खेल न्यू फ्रेन्ड्स दोस्त कॉलोनी शाहजहाँपुर, यू. पी. – 242001 (ख) गाँव मरहा पार जमौर तह. सदर जिला शाहजहाँपुर, यू. पी. (2) रजनीश मिश्रा पुत्र मूल चंद मिश्रा, निवासी 180 हुंदल खेल न्यू फ्रेन्ड्स दोस्त कॉलोनी शाहजहाँपुर, यू. पी. – 242001	1. साम्यिक बंधक सम्पत्ति गाटा न. 114 जोकि गाँव मरहा पर, जमौर तह. सदर जिला शाहजहाँपुर में स्थित, यह सम्पत्ति श्री मूल चंद मिश्रा पुत्र स्व श्री राम भरोसे मिश्रा के नाम पर है। सेल डीड बुक न. 1 वाल्यूम न. 7131 पेज नं. 239 – 246, क्र.सं. 6930 दिनांक 17.10.1990 सब रजिस्ट्रार सदर शाहजहाँपुर यू.पी. में पंजीकृत चौहद्दी उत्तर में – श्री मोती का गाटा नं. 112, श्री बिंद्रा, श्री निर्मल पुत्र श्री बंधु और श्रीमती सवित्री पत्नी श्री राम सरन और श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री मायकू, लेकिन वर्तमान में आवेदक की गाटा नं. 112 संयुक्त रूप से निर्मित संपत्ति दक्षिण में – रोड नेशनल हाईवे 24, शाहजहापुर, यू.पी से बरेली, पूरब में – श्री मोती पुत्र श्री बंधु का गाटा न. 115, पश्चिम में – श्री महेश चंद अग्रवाल पुत्र श्री राम भरोसे लाल का गाटा न 113 बंधककर्ता का नाम एवं पता: श्री मूल चंद मिश्रा पुत्र स्व. श्री राम भरोसे मिश्रा निवासी : 180 हुंदल खेल न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी शाहजहाँपुर, यू.पी 242001 2. साम्यिक बंधक सम्पत्ति (दो सेल डीड) जोकि मोह. हुंदल खेल तह. सदर शाहजहापुर, यू.पी. मे स्थित, यह सम्पत्ति श्री राजनीश कुमार मिश्रा पुत्र श्री मूल चंद मिश्रा के नाम पर है। सेल डीड 1 बुक नं. 1 वाल्यूम न. 1553 पेज 127–150, क्र.स. 2497 दिनांक 25.05.1998 सब रजिस्ट्रार सदर शाहजहापुर, यू.पी. में पंजीकृत चौहद्दी : उत्तर में – अम्बा टॉकिज, दक्षिण में – सीसीलेन, पूरब में – श्री एस.सी. शुक्ला का मकान, पश्चिम में – फूलमती देवी का मकान, सेल डीड 2: बुक नं. 1, वाल्यूम न 1803, पेज नं. 333–364 क्र.सं. 2311 दिनांक 13.05.1999 सब रजिस्ट्रार सदर शाहजहापुर, यू.पी में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – अम्बा टॉकिज, दक्षिण में – सीसी लेन, पूरब में – श्री रमेश चंद्र शुक्ला का मकान, पश्चिम में – श्री राधे श्याम का मकान बंधककर्ता का नाम एवं पता: श्री रजनीश कुमार मिश्रा पुत्र श्री मूल चंद मिश्रा निवासी : 180 हुंदल खेल न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, शाहजहापुर, यू.पी – 242001 3. साम्यिक बंधक सम्पत्ति नं. 2/78 जोकि मोह. आवास विकास कॉलोनी बरेली मोड़ शाहजहापुर, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र श्री मूल चंद मिश्रा के नाम पर है। सेल डीड 1 बुक न 1 वाल्यूम नं. 9871 पेज 229–246, क्र.सं. 748 दिनांक 19.01.2016 सब रजिस्ट्रार सदर शाहजहापुर में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. 2/95, दक्षिण में – रोड 9मी. चौडा, पूरब में – प्लॉट न. 2/75, पश्चिम में – प्लॉट नं. 2/77 बंधककर्ता का नाम एवं पता: श्री अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र श्री मूल चंद मिश्रा निवासी : 180 हुंदल खेल न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, शाहजहापुर, यू.पी – 242001 4. साम्यिक बंधक सम्पत्ति (दो सेल डीड) गाटा नं. 510 मोह. मौजमपुर पार, जमौर, तह. सदर शाहजहांपुर, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र श्री मूल चंद मिश्रा के नाम पर है। सेल डीड 1 : बुक न. 1 वाल्यूम नं. 3928 पेज 301–322, क्र.स. 7854 दिनांक 22.10.2005 सब रजिस्ट्रार सदर शाहजहापुर, यू.पी. में पंजीकृत, सेल डीड 2 : बुक न. 1 वाल्यूम नं. 5826 पेज 265–288, क्र.स. 7592 दिनांक 22.07.2009 सब रजिस्ट्रार सदर शाहजहांपुर में पंजीकृत चौहद्दी : उत्तर में – दिल्ली लखनऊ एनएच 24 रोड, दक्षिण में – श्री कृष्ण कुमार गर्ग की सम्पत्ति, पूरब में – रास्ता खरसा से गाँव मौजमपुर, पश्चिम में – श्री शिवबल सिंह की सम्पत्ति
मांग सूचना की तारीख 27-11-2019	

क्रेडिट सुविधा स्वीकृत / लाभान्वित	(दिनांक 31.10.2019 तक) बकाया राशि	रिकॉर्डेड ब्याज	बकाया राशि	समय–समय पर ब्याज की दर
नकद ऋण (स्वीकृति राशि रु 2,00,00,000/-	रु. 2,00,80,047.60	704144/-	Rs.2,07,84,191.60/-	वर्तमान प्रभार अर्थात 10.95%

शाखा: शाहजहाँपुर, यू.पी. खाता संख्या: **01754015005402** ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि **31-08-2019**

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक : 21.12.2019, स्थान : शाहजहांपुर, यूपी — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 44/18 — सिंडिकेट बैंक बनाम बब्बर कुन्दन आर्ट्स एवं अन्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

1. मैसर्स बब्बर कुंदन आर्ट, इसके प्रोपराइटर श्री परवीन कुमार बब्बर, 3147/34, बीडनपुरा, करोलबाग, दिल्ली साथ ही : निवासी 79, पॉकेट-10, सेक्टर-20, रोहिणी, नई दिल्ली
2. अर्चना बब्बर पत्नी श्री परवीन कुमार बब्बर, निवासी 79, पॉकेट-10, सेक्टर-20, रोहिणी, नई दिल्ली

[illegible]

8.7 सफल/उच्चतम बोलीदाता ईएमडी समायोजित करने के बाद ई-नीलामी की समाप्ति के 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आरसी नं. 180/2015 के पक्ष में 25% बोली/बिक्री राशि का डीडी/पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह ई-नीलामी की समाप्ति से 3 दिनों के भीतर उनके पास पहुंच जाए अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

8.8. सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश दिवस होता है तो 15वें दिन होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के समक्ष शेष 75% बिक्री राशि का रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के समक्ष शेष 75% बिक्री राशि का रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली खाता आरसी 44/18" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पेआर्डर का भुगतान करना होगा। (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उपरोक्त रूप से उनके पास पहुंच जाए)।

8.9 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं सरकार के पक्ष में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग के लिये दावे करने से वंचित हो जाएंगे जिसके लिय बाद में उसकी बिक्री की जाएगी।

9. संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है।

10. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है

सम्पत्ति की अनुसूची

सह. स्वामियों जहां संपत्ति डिफॉल्टर तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है, के नाम के साथ बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के कोई अन्य ज्ञात विवरण
मकान न. 79 (भूमि का क्षेत्रफल 48.00 वर्ग मीटर) पॉकेट-10, सेक्टर-20, रोहिणी, दिल्ली पर निर्मित फ्री होल्ड सम्पत्ति का एक भाग, छत के अधिकार रहित सम्पूर्ण प्रथम तल पर स्थित सम्पत्ति।	उपलब्ध नहीं		

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 11 दिसम्बर, 2019 को दी गई।
तिथि : 20.12.2019 — (संजू स्नेही)
स्थान : नई दिल्ली — रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः इन्दिरापुरम, गाज़ियाबाद, उ0प्र0

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते हैं। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

क्र. सं.	कर्जदार / गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
1.	ऋणधारकः 1) श्री संजीव कुमार, पुत्र श्री सत्यनारायण मंडल, फ्लैट नं. 62 सी, ब्लॉक-16, सेक्टर-135, नोएडा-201301 सह-ऋणधारकः 2) श्रीमती सुषमा कुमारी, पत्नी श्री संजीव कुमार फ्लैट नं. 62सी, ब्लॉक-16, सेक्टर-135, नोएडा-201301 गारन्टरः श्री आशीष सहाय, पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ सहाय, 901-ए, टावर-1, पंचशील वेलिंग्टन, क्रॉसिंग रिपब्लिक, जिला-गाजियाबाद, पिन-201016	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण मंडल के नाम में प्लॉट नं. जीएच 4बी-1, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम जिला-गौतम बुध नगर, उ.प्र., माप 1440 वर्ग फीट पर निर्मित आवासीय मकान सं. ई-203, टावर-ई, II रा तल, मनोरथ का त्रिपक्षीय अनुबंध तिथि 17.10.2015	01.05.2019 को एनपीए रु. 45,47,718/- 11.12.2019 को (जो इस सूचना की तिथि को मूलधन तथा देय ब्याज का प्रतिनिधत्व करता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः गौतमबुद्ध नगर — प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 11.12.2019 — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद

प्रपत्र संख्या आईएनसी-26

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन **केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में और Affiospark Private Limited जिसका पंजीकृत कार्यालय G-36, फर्स्ट फ्लोर, आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 स्थित है, के मामले में...
याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा रा क्षे) दिल्ली से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 31 अक्तूबर 2019 को आयोजित विशेष आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के चौदह दिनों के भीतर बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेंगे: G-36, फर्स्ट फ्लोर, आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001.

कृते एवं हित Affiospark Private Limited
हस्ता/- [illegible], निदेशक, डीन: [illegible]

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda | POWER OF 3
विजया | देना

शाखा : सेक्टर 63, नोएडा

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8 (1))

जैसा कि

वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित अमलगमेशन की योजना के अनुसरण में, वित्तीय सेवा विभाग ने जी.एस.आर. नं0 2(ई) दिनांक 02.01.2019 को, विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 01.04.2019 से प्रभावी किया गया है। समामेलन की योजना के संदर्भ में, सभी ऋण दस्तावेजों के साथ-साथ विजया बैंक के पक्ष में सिक्योरिटी इन्टरेस्ट को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ स्थानांतरित और निहित किया जाता है।

प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निमाण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की उप धारा 13 (12) नियम 3 के साथ पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) / जमानतदारों के नाम के सम्मुख उल्लिखित धनराशि (जिसका सम्पूर्ण विवरण नीचे उल्लिखित है) के सम्बन्ध में सम्बन्धित उधारकर्ताओं / जमानतदारों से मांग की गयी थी कि वे मांग नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि चुकता कर दें। क्योंकि सम्बन्धित उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋण राशि चुकता नहीं की गयी है इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ताओं / जमानतदारों के साथ-साथ जनता को भी सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के साथ नियम 8 के पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे लिखी सम्पत्ति का कब्जा नीचे उल्लेख तिथि को ले लिया गया है। एतदद्वारा विशेषतः उधारकर्ता(ओं) / जमानतदाए और सामान्य तौर पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी लेन-देन हेतु **बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक)** को देय धनराशि व उसपर देय ब्याज के अनुक्रम में बैंक का प्रभार नोट कर लें। **उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लिखित संपत्तियों पर कब्जा ले लिया है।**

क्र0 सं0	ऋणीकर्ता व गारन्टर का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि / कब्जे की तिथि	बकाया धनराशि
1.	**ऋणकर्ताः–** 1. श्री राहुल कुमार पुत्र ब्रिजपाल सिंह मकान नं. 113 गाँव एछछर सेक्टर-पीआई कासना, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201310 2. श्रीमती कोमल पत्नी राहुल कुमार उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी मकान नं0 113 गाँव ऐछर सेक्टर पी आई कासना ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश– 201310	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल यानी आवासीय संपत्ति भूमि / भवन स्थित मकान / फ्लैट: श्रीमिक कुंज, पहली मंजिल फ्लैट नम्बर 511–बी ब्लॉक एससी सेक्टर –122 नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश श्री राहुल कुमार और श्रीमती कोमल के नाम। सीमायें– उत्तरः अन्य का फ्लैट, दक्षिणः अन्य का फ्लैट, पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य का फ्लैट	01.10.2019 कब्जे की तिथि 19.12.2019	रू. 13,28,127.00 (रुपये तेरह लाख अठाईस हजार एक सौ सत्ताईस केवल) प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.10.2019 से
2.	**ऋणकर्ताः–** 1. श्रीमती दीप लक्ष्मी एस मतवनकर पत्नी श्री यतिन ए देशमुख 2. श्री यतिन ए देशमुख पुत्र श्री अशोक डी देशमुख दोनों निवासी फ्लैट नंबर 1922, ब्लॉक सी, 6 एवेन्यू, गौड़ सिटी, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम जी बी नगर।	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय संपत्ति भूमि और भवन स्थित मकान / फ्लैट: फ्लैट संख्या सी 1902, ब्लॉक सी, 19 वीं मंजिल, छत के अधिकारों के बिना, क्षेत्रफल 1060 वर्ग फीट, "कासा वुडस्टोक" गौड़ सिटी –2, प्लॉट नंबर जीएच– 3 ई, सेक्टर 16 सी, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम जीबी नगर, उत्तर प्रदेश। सीमायें– उत्तर–पूर्वः गौड़ इंटरनेशनल स्कूल, दक्षिण–पश्चिमः 24 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर–पश्चिमः प्रेजेंटाइन एवेन्यू, दक्षिण–पूर्वः सर्कद आकित परियोजना	01.10.2019 कब्जे की तिथि 19.12.2019	रू. 20,08,842.71 (रुपये बीस लाख आठ हजार आठ सौ बयालिस और बाहत्तर पैसे केवल) प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.09.2018 से
3.	**ऋणकर्ताः–** श्रीमती नीलम पत्नी पीयूष गहलौत निवासी फ्लैट नंबर 1604, 16 वीं मंजिल, टॉवर– बी, सुपरटेक लिविंगस्टन, प्लॉट नंबर जीएच –06, क्रॉसिंग रिपब्लिक एनएच–24, गाजियाबाद–201001	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल यानी आवासीय संपत्ति भूमि और भवन स्थित मकान / फ्लैट, फ्लैट नंबर –1604, 16 वीं मंजिल, टॉवर– बी, सुपरटेक लिविंगस्टन, प्लॉट न. जी एच– 06, क्रॉसिंग रिपब्लिक एन एच– 24, गाजियाबाद –201001 संपत्ति श्रीमती नीलम पत्नी पीयूष गहलौत के नाम। सीमायें:– उत्तरः भूतल पर खुला स्थान, दक्षिणः लिफ्ट और फ्लैट नंबर बी–1601, पूर्वः ग्राउंड फ्लोर पर पार्क, पश्चिमः कॉरिडोर और फ्लैट नंबर बी–1603	01.10.2019 कब्जे की तिथि 19.12.2019	रू. 29,61,074.75 (रुपये उनतीस लाख ईकसठ हजार चौहत्तर और पिचत्तर पैसे केवल) प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.10.2019 से

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / तृतीय पक्ष के बंधक की गिरवी हुई संपति विवरण

दिनांक– 20.12.2019 — स्थान–नोयडा — प्राधिकृत अधिकारी

होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
HomeShree — Your Trust, Our Pride
(पूर्व का यूएसबी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
पंजीकृत पता : 705, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
सीआईएन : U65191DL2010PLC206137, दूरभाष : 011-43586767, 8882233311

माँग सूचना

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2 के तहत वैधानिक सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों/बंधकर्ताओं, जिन्होंने होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ("एचएचएफएल") (पूर्व का यूएसबी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) जिसका पंजीकृत कार्यालय 705, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 पर है, से सम्पत्ति ("ऋण") के विरुद्ध कर्ज लिया था, अपना ऋण एचएचएफएल को पुनर्भुगतान करने में चूक की है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के प्रावधानों के तहत उनका ऋण खाता 20.11.2018 को एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। कर्जदारों ने अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति एचएचएफएल को प्रावधानित की है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण तथा बकाया राशियों एवं 20.11.2018 तक कर्जदारों/बंधककर्ताओं द्वारा एचएचएफएल की देयताओं का विवरण नीचे वर्णित है।

एतद्वारा कर्जदारों/बंधककर्ताओं तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि एचएचएफएल, प्रतिभूति लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (सरफाएशी अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कर्जदारों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है तथा निम्नलिखित कर्जदारों के पास पहले ही 02.03.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की जा चुकी है जिसे उनके द्वारा 13.03.2019 को प्राप्त किया गया था। कर्जदारों को स्वीकृत 60 दिनों की अवधि पहले ही 30.04.2019 को समाप्त हो चुकी है और कर्जदार बकाया अदा करने में असफल रहे। अधोहस्ताक्षरी सम्पत्ति पर कब्जा करने तथा उसकी नीलामी करने की शक्ति सहित सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रतिभूत लेनदार को प्रदत्त शक्तियों में से एक या अधिक शक्तियों का उपभोग करने के लिए अधिकृत है। जनसामान्य को नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने की सलाह दी जाती है।

कर्जदारों/बंधककर्ताओं के नाम	प्रतिभूत आस्तियों का विवरण (अचल सम्पत्ति)
1. श्री ब्रजेश कुमार पुत्र श्री जैश्री नारायण शर्मा (कर्जदार), निवासी 804, ओएसआईएमओ-I, महागुन मैंशन फेज-2, प्लॉट सं. 1/4, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.-201014 2.श्रीमती सोमा राज पत्नीश्री ब्रजेश कुमार (सह-कर्जदार), निवासी 804, ओएसआईएमओ-I, महागुन मैंशन फेज-2, प्लॉट सं. 1/4, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.-201014 (इसके बाद "कर्जदार" कहा जायेगा)	खसरा नं. 1347 ख, सत्यम रेजीडेंसी, ग्राम छपरौला, तहसील : दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश पर स्थित समस्त वर्तमान एवं भावी सुपरसंरचनाओं सहित प्लॉट सं. 74, 75, 80 एवं 81 का समस्त भागः उत्तर : 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : विक्रेता का प्लॉट, पूर्व : प्लॉट सं. 76, 77, 78, 79, पश्चिम : अतुल का प्लॉट। प्लॉट का क्षेत्रफल : 372.06 वर्ग मीटर (455 वर्ग गज)
	ऋण खाता सं., माँग सूचना की तिथि तथा राशि
एनपीए घोषित होने की तिथि : 20.11.2018	ऋण खाता नं. एलएपी/डीईएल/10/2017/005, माँग सूचना की तिथि : 02.03.2019, बकाया राशि : रु. 33,15,229/- (रुपये तैंतीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ उनतीस मात्र) एवं 21.11.2018 से भावी ब्याज एवं व्यय

स्थानः नई दिल्ली — ह./-
तिथिः 20.12.2019 — अधिकृत प्राधिकारी, होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
क्लसटर – आर आर एल नोएडा, एसएच–12, प्रथम तल, गामा शॉपिंग सैन्टर, सैक्टर–गामा–I, ग्रेटर नोएडा –201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., फोन : 0120-2322667, ई–मेल: rrl_7658@obc.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारन्टरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा** ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करे तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

कर्जदार / गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रु. में)
मैसर्स चौधरी ऑटो पार्टस्	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक सम्पत्ति मोहल्ला बानी इज्राईल, इंडियन ऑयल पम्प के पास, जेवर, जी.बी नगर में स्थित, क्षेत्रफल 84 वर्ग मी. चौहद्दी : उत्तर में – 1.22 मी. चौडी (9.14मी.) रास्ता, पूरब में – 2.44 मी. चौडा रास्ता (9.14 मी.), दक्षिण में – श्री राजवीर सिंह का मकान (9.14 मी), पश्चिम में – पी / ओ श्री उमेश शर्मा (9.14 मी.)	21-12-2018 19-12-2019	₹ 5,03,654.00 दिनांक 01-12-2018 से होने वाला ब्याज
मैसर्स श्री साँई सेल्स एवं सर्विस (प्रोप. स्वं. श्री संजीव कैंसल)	1. सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि निर्मिणित मकान मोहल्ला कानून गोयां, जेवर कस्बा, जी.बी. नगर, क्षेत्रफल 22.21 वर्ग मी. 2. सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि निर्मिणित मकान मोहल्ला कानून गोयां, जेवर कस्बा, जी.बी. नगर, क्षेत्रफल 27.76 वर्ग मी.	01-05-2012 19-12-2019	₹ 7,37,681.20 दिनांक 01-05-2012 से होने वाला ब्याज

दिनांक 19.12.2019, स्थान : नोएडा, ग्रेटर नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

www.readwhere.com

विपक्ष के दुष्प्रचार के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी भाजपा : नड्डा

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विपक्ष और मुख्यतः कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। पार्टी 'भ्रम और झूठ' की विपक्ष की राजनीति का जवाब देने के लिए 10 दिनों का विशेष अभियान चलाएगी और तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क करेगी।

नड्डा ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में नागरिकता अधिनियम, 2019 पर चर्चा की।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ट्वीट किया, 'कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा मिलती-जुलती है। कांग्रेस और पाकिस्तान का यह वैचारिक मेल देश के लिए घातक है। हमें दोगुनी ताकत से कांग्रेस के दोहरे रवैये और 'नागरिकता संशोधन कानून' की आड़ में जारी उसके कुचक्र को जनता के सामने बेनकाब करना है।' भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि पार्टी हर मंच पर उनके (विपक्ष) षड्यंत्र का पर्दाफ़ाश करेगी। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष के जिम्मेदार राजनीतिक दलों का गैर-जिम्मेदाराना रवैया निराशाजनक और निंदनीय है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

वहीं, भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आरोप लगाया, 'नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विपक्ष और मुख्यतः कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है । विपक्ष द्वारा भ्रम और झूठ की राजनीति की जा रही है, उसका हम जवाब देंगे।'

भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एनआरसी पर स्थिति स्पष्ट करे : दिग्विजय

इंदौर, 21 दिसंबर (भाषा)।

एनआरसी और सीएए को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शनिवार को मांग की कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को एनआरसी पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह बात साफ करनी चाहिए कि देश भर में एनआरसी लागू किया जायेगा या नहीं।' वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह सवाल नड्डा के मध्यप्रदेश दौरे की पूर्व संध्या पर किया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष सीएए के समर्थन में इंदौर में आज आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

दिग्विजय ने कहा, 'देश में एनआरसी लागू होने का मतलब यह है कि सभी लोगों को खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए अपने पुरखों के जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल में पढ़ने के प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज इकट्ठे करने होंगे। आप समझ सकते हैं कि इतने पुराने प्रमाणपत्र कोई व्यक्ति कैसे जुटा पाएगा?'

राज्यसभा सांसद ने कहा, 'केंद्र सरकार के पास नागरिकता देने का अधिकार पहले से था। ऐसे में सीएए की जरूरत ही नहीं थी।' उन्होंने एनआरसी और सीएए के खिलाफ देश भर में जारी हिंसक प्रदर्शनों पर चिंता जताते हुए कहा, 'हम हिंसा के हमेशा विरोधी रहे हैं और हिंसक घटनाओं को रोकने का सतत प्रयास होना चाहिए। हमें महात्मा गांधी के बताए अहिंसक रास्ते पर चलकर अपनी बात कहनी चाहिए।' दिग्विजय ने कहा कि देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एनआरसी लागू करने से इनकार कर दिया है। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं।

बंगाल में ट्रेन पर 'पथराव' कर उसका वीडियो बना रहे पांच लोग गिरफ्तार

बहरामपुर (पश्चिम बंगाल), 21 दिसंबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मुसलमानी टोपी और लुंगी पहन कर एक ट्रेन पर कथित तौर पर पथराव करने के दृश्य का 'नाट्य रूपांतरण' करने और उसका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को स्थानीय स्तर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है।

उल्लेखनीय है कि नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ जिले में प्रदर्शन के दौरान रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में आगजनी की गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को कहा कि आरोपियों ने लालबाग रेलवे स्टेशन के पास परीक्षण के तौर पर चलाई जा रही एक ट्रेन पर पथराव किया और इस कथित

आरोपियों ने लालबाग रेलवे स्टेशन के पास परीक्षण के तौर पर चलाई जा रही एक ट्रेन पर पथराव किया और इस कथित हमले का वीडियो रिकार्ड किया।

हमले का वीडियो रिकार्ड किया।

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया और बाद में उन्हें हमें सौंप दिया। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में कथित तौर पर संलिप्त रहने को लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को एक अदालत में पेश किया गया। उनमें से दो को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जबकि तीन अन्य को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया था कि उन्हें इस बारे में कुछ खुफिया जानकारी मिली है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के लिए कथित तौर पर मुसलमानी टोपियां खरीद रही है, वे लोग उसे सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के दौरान पहनते हैं ताकि एक विशेष समुदाय को बदनाम किया जा सके।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में झारखंड में एक चुनाव रैली में कहा था कि जो लोग आगजनी (संपत्ति में) कर रहे हैं उन्हें टीवी पर देखा जा सकता है, उनकी पहचान उनके कपड़ों से की जा सकती है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल में प्रदर्शन के दौरान 13 से 17 दिसंबर के दौरान हिंसा और आगजनी हुई थी।

इण्डियन ओवरसीज बैंक / INDIAN OVERSEAS BANK

एनएचपीसी कॉम्पलेक्स, प्रथम एवं द्वितीय तल, प्रथम बिल्डिंग (निकट मेन गेट), सेक्टर-33 (आईओबी एनएचपीसी शाखा-1501, फरीदाबाद के ऊपर) जिला फरीदाबाद, पिन कोड-121003 हरियाणा राज्य

चल/अचल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु विक्रय सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 6(2)/8(6) के प्रावधानों के तहत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2)/8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत चल/अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

शाखा का नाम तथा सम्पर्क व्यक्ति का विवरण	खाते का नाम खाता सं. आईएफएस कोड	एनपीए की तिथि	माँग सूचना की तिथि तथा माँग सूचना में दावाकृत बकाये	सांकेतिक कब्जा करने की तिथि तथा कब्जा सूचना में दावाकृत बकाये	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ज.ध.रा. संविदा बढ़ोत्तरी राशि
गुड़गाँव श्री वसन्धा कुमार शाखा प्रबन्धक सम्पर्क नं. 9894780952	हरिन्दर कुमा शर्मा, गगन कौशिक, गौरव कौशिक एवं मैसर्स कौशिक ट्रेडर्स खाता सं. : 04030113301010 आईएफएससी : I0BA0000403	31.08.2019	03.09.2019 रु. 972381.19 एवं भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज एवं बकाये, प्रभार आदि।	06.12.2019 रु. 1006033.65 एवं भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज एवं बकाये, प्रभार आदि।	आवासीय तिमंजिला भवन नगर निगम सं. 3505/31 (पुरानी सं. 2085/11), खसरा नं. 20, निकट चिराग अस्पताल एवं सूरज मेमोरियल पब्लिक स्कूल, विष्णु गार्डन, राजेन्द्र पार्क, गुरुग्राम, हरियाणा में निर्मित प्लॉट पर स्थित। माप : 121 वर्ग गज श्री हरिन्दर के नाम पर	65,99,200/-(1% कर सहित) 6,59,920/- 25,000/-
एसएमई-पानीपत श्रीमती स्मृति सेनापति शाखा प्रबन्धक सम्पर्क नं. 8368589559	श्री चरण सिंह, सतीश कुमार, संगीता एवं निर्मला खाता सं. 28640113301010 आईएफएससी : I0BA0002864	29.11.2018	30.04.2019 रु. 2360747.78 एवं भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज एवं बकाये, प्रभार आदि।	11.07.2019 रु. 2360747.78 एवं भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज एवं बकाये, प्रभार आदि।	चरण सिंह एवं सतीश कुमार के नाम पर सेक्टर-18, अर्बन एस्टेट, पानीपत, हरियाणा पर स्थित मकान नं. 59 में भूतल एवं प्रथम तल पर आवासीय भवन। माप : 315.10 वर्ग मीटर।	1,32,42,500/-(1% कर सहित) 13,24,250/- 10,000/-
वेट कॉलेज श्री मनसिज भटनागर शाखा प्रबन्धक सम्पर्क नं. 9451005196	रितेक कुमार शर्मा खाता सं. 14750113301010 आईएफएससी : I0BA0001475	30.04.2018	16.08.2018 रु. 2040816.00 एवं भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज एवं बकाये, प्रभार आदि।	16.11.2019 रु. 2289741.00 एवं भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज एवं बकाये, प्रभार आदि।	श्री रितेक कुमार के नाम पर ब्लॉक बी, खसरा नं. 97/2 तथा 97/3, मौजा कोयला अलीपुर, गंगा सिटी कॉलोनी, तहसील एवं जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश पर स्थित आवासीय सम्पत्ति विला सं. 22. माप : 99.28 वर्ग मीटर	28,87,100/- 2,88,710/- 10000/-
गोकुल श्री सत्यजीत सोनकर शाखा प्रबन्धक सम्पर्क नं. 8233276450	संजीव कुमार एवं कृष्णा कुमारी खाता सं. 32930113301010 आईएफएससी : I0BA0003293	30.04.2018	04.08.2018 रु. 1996087.00 एवं भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज एवं बकाये, प्रभार आदि।	16.11.2019 रु. 2093638.00 एवं भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज एवं बकाये, प्रभार आदि।	श्री संजीव कुमार के नाम पर खसरा सं. 201, मौजा बाँदी, तहसील महावन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश पर स्थित आवासीय सम्पत्ति।	29,85,900/- 2,98,590/- 10000/-

स्थानीय स्वशासन के बकाये (सम्पत्ति कर, जल कर आदि)/ज्ञात ऋणभार यदि कोई हो : अज्ञात/निल

ज.ध.रा. एवं दस्तावेजों को जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय 22.01.2020 को 5 बजे अपराह्न तक है।

निरीक्षण की तिथि तथा समय : 22.01.2020 तक, नीलामी की तिथि तथा समय : 23.01.2020, 10 बजे प्रातः से 5 बजे सायं

जहाँ भी प्रयोज्य हो, आईटी अधिनियम की धारा 194(आईए) के तहत आरक्षित मूल्य 1% कर शामिल नहीं।

विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया इण्डियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट अर्थात www.iob.in [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction] तथा https://auctions.magicbricks.com देखें।

इस सूचना को कथित ऋण के कर्जदारों तथा जमानतियों/बंधककर्ताओं हेतु उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी धारित करने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत सूचना के रूप में भी लिया जाये।

तिथि : 22.12.2019 स्थान : फरीदाबाद **अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक**

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

B-17, Sector- 18, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh- 201301 Ph.: 0120- 2511226, 2514381, Fax 0120-2515783

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.08.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता मै0. एसियन एण्टरप्राईजेज पार्टनर मोती कमल जैन और मीरा जैन पत्नि मोती कमल जैन कार्यालय पता: बी-31, सेक्टर 6, नोएडा यू0पी0 201301 खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 2,05,70,709/- (रूपये दो करोड पांच लाख सत्तर हजार सात सौ नौ केवल) अदा करने की तिथि 31.07.2019 उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17 दिसम्बर 2019 को निम्नलिखित वर्णित सपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, मोरना शाखा को देय धनराशि रू.- 2,05,70,709/- अदा करने की तिथि 31.07.2019 तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

1- भूमि और ईमारत प्लॉट न0. 18,19,20 ग्वालथई इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, जिला बिलासपुर, एचपी जिसकी माप 2000 स्क्वेयर मीटर। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में प्लॉट नं0.17, **दक्षिण** में प्लॉट नं0. 20,21, **पूर्व** में इण्डस्ट्रियल एरिया रोड़ और **पश्चिम** में नाला।

2- इण्डस्ट्रियल प्रॉपर्टी बीयरिंग न0. बी-31, जिसकी माप 210.46 स्क्वेयर मीटर ब्लॉक बी, सेक्टर - 6, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, मालिक ब्लूमिंग डेल्स मर्चेण्ट. प्रा0लि0. **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में प्लॉट नं0. बी-82, **दक्षिण** में 18.28 मीटर चौड़ा रोड़, **पूर्व** में प्लॉट न0. बी 30, सेक्टर 6 और **पश्चिम** में प्लॉट न0. बी 32, सेक्टर 6।

दिनांक: 17.12.2019
स्थान: नोएडा।

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
Resolution Recovery & Law, कलस्टर ऑफिस: 8/1, अब्दुल अजीज रोड़, डब्लू ई ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005, फोन : 40045717, 40045742, ई-मेल : rrl_7620@obc.co.in
ओ.बी.सी

नियम 8(1) कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, कलस्टर ऑफिस Resolution Recovery & Law, 8/1, अब्दुल अजीज रोड़, डब्लू ई ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कर्जदार : 1. श्री गोल्डी अनेजा, बी-3/41, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110016 और: संपत्ति नं. एच-2, प्रथम तल, अर्जुन नगर, नई दिल्ली-110029 और : I-13, ब्लॉक 1, लाजपत नगर, नई दिल्ली - 110024 और- बी-5/137 भूतल, सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली-110029, 2. श्रीमती वैशाली अनेजा, बी-3/41, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110016 और- सम्पत्ति नं. एच-2, प्रथम तल, अर्जुन नगर, नई दिल्ली- 110029 और: I-13, ब्लॉक 1, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024, और:- बी-5/137 भूतल, सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली-110029** को मांग नोटिस दिनांक 10.10.2019 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि **रू. 29,83,211/- (रु. उनतीस लाख तिरासी हजार दो सौ ग्यारह मात्र) दिनांक 30.09.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, इत्यादि** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **18.12.2019** को लिया है।

उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते, बकाया राशि रू. 30,27,497 दिनांक 30.11.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

बंधक सम्पत्तियों का विवरण

सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत / टेरेस अधिकार के, क्षेत्रफल 68 2/3 वर्ग गज, सम्पत्ति नं. एच-2 में से, अनुपातिक अविभाजित के साथ, अविभाज्य भूमि क्षेत्रफल 68 2/3 के अविभाज्य और समान स्वामित्व अधिकार, स्टिल्ट फ्लोर पर एक कार पार्किंग के साथ, खसरा नं. 50/11 में से, गाँव हिमॉयूपुर, दिल्ली स्टेट, कॉलोनी जिसे अर्जुन नगर कहते है, नई दिल्ली-110029 में स्थित, चौहदी : पूरब में - 15फीट चौडी रोड, पश्चिम में - 6फीट चौडी सर्विस लेन, उत्तर में - अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में - श्री चरण दास की सम्पत्ति

दिनांक : 18.12.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	18.09.2012
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी)
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U55101DL2012PTC242418
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः एफ-2/3, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 परियोजना कार्यालयः प्लॉट नं. सी1-के, जयपी ग्रीन्स विशटाउन, सेक-128, नोएडा-201304, उत्तर प्रदेश
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	सीआईआरपी आरंभ होने की तिथिः 13.12.2019 (IB) 256/(ND)/2019 के माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ के आदेश द्वारा) (आदेश की प्रति 18.12.2020 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	10.6.2020 (दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	नामः श्री मनीश गुप्ता पंजीकरण. सं. IBBI/IPA-001/IP-P01131/2018-19/11826
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	पताः एमपीआर एंड क., ई-62, एलजीएफ, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024 ईमेल का पताः ip.manishgupta31@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः एमपीआर एंड क., ई-62, एलजीएफ, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024 ईमेलः irp.jcworld@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	01.01.2020
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	कॉर्पोरेट ऋण धारक के रीअल इस्टेट प्रॉजेक्ट (वित्तीय क्रेडीटर्स) के अंतर्गत व्यावसायिक स्थान के एलॉटीज
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	1. श्री सुनील कुमार, दिवाला कर्मी, पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00628/2018-2019/11884 2. श्री संजीत कुमार शर्मा, दिवाला कर्मी, पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P01132/2018-19/11827 3. श्री शशि शर्मा, दिवाला कर्मी, पंजी. नं. IBBI/IPA-001/IP-P01261/2018-19/12093
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/downloadform.html भौतिक पताः भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (आईबीबीआई) 7वाँ तल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 13.12.2019 को जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि मद सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 1.1.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये [कॉर्पोरेट ऋणधारक के रीअल इस्टेट प्रॉजेक्ट (वित्तीय क्रेडीटर)] प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं

दावे का प्रमाण भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के चैप्टर IV के अनुसार जमा किया जायेगा। दावे के समर्थन में दस्तावेजीय प्रमाण के साथ प्रमाण के साथ दावे निम्न विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किये जा सकते हैं।

प्रपत्र बीः कर्मियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर ऑपरेशनल क्रेडीटर्स द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र सीः वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र सीएः किसी वर्ग में वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र डीः कर्मियों अथवा कर्मचारियों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र ईः कर्मियों तथा कर्मचारियों के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जमा किये गये दावे के लिये
प्रपत्र एफः क्रेडीटरों द्वारा दावे (वित्तीय क्रेडीटरों तथा कॉर्पोरेट ऋणधारकों के ऑपरेशनल क्रेडीटरों के अतिरिक्त)
उपरोक्त प्रपत्र वेबसाईट www.ibbi.gov.in (भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल) से डाउनलोड की जा सकती है।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

मनीश गुप्ता
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
स्थानः दिल्ली
तिथिः 22.12.2019 पंजी. सं.: **IBBI/IPA-001/IP-P01131/2018-19/11826**

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

मुख्यालय : प्लाट नं. 4, सैक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली
शाखा कार्यालय : लार्ज कारपोरेट शाखा, सैक्टर 17-बी, चंडीगढ़
टेली नं. : (0172) 2721574, ई-मेल आईडी : bo4207@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए इ-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की सं. 54) के अंतर्गत बैंक को रेहन अचल संपत्तियों की बिक्री। चूंकि, पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 6(2)/8(6) के साथ पठित 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना की अनुवर्ती में इसमें वर्णित अनुसार बैंक देयता जमा ब्याज की वसूली के लिए "जैसी है जहां है के आधार और जैसी है जो कुछ है के आधार पर" बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाते में निम्नलिखित संपत्तियों का **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है और चूंकि देय राशि की अदायगी में असफल रहने पर परिणामस्वरूप कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी कथित संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक देयता की वसूली के लिए प्रस्तावित है।

अचल संपत्तियों का विवरण

शाखा व खाते का नाम	कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ता का नाम	पंजाब नैशनल बैंक के साथ प्रभारित संपत्ति का विवरण	बकाया राशि व डिमांड नोटिस की तिथि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	बोली वृद्धि राशि	इएमडी व दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय इ-नीलामी की तिथि/समय
लार्ज कारपोरेट शाखा, सैक्टर 17-बी, चंडीगढ़ मै. हरियाणा ऑयल्स एंड सोया लिमि.	1. मै. हरियाणा ऑयल्स एंड सोया लि. को इसके निदेशक श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल सुपुत्र श्री केदार नाथ के माध्यम से (क) पंजी. कार्यालयः 8 किमी. नरवाना रोड, गांव झांझ कलां, जींद-126102 (हरियाणा) (ख) प्लांट नं. 6, ब्लॉक नं. 54, तीसरा तल, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली (ग) 449/456, प्रथम तल, नया बांस, खड़ी बओली, दिल्ली-110006 2. श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल (निदेशक/रेहनकर्ता/गारंटर) सुपुत्र श्री केदार नाथ निवासी मकान नं. 255, एच-ब्लॉक, विकासपुरी, दिल्ली-110018, 3. श्री राजेश अग्रवाल (निदेशक/रेहनकर्ता/गारंटर) सुपुत्र श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल निवासी मकान नं. 20, रोड नं 7, पूर्वी पंजाबी बाग, दिल्ली-110026 4. श्री संजीव अग्रवाल (निदेशक/रेहनकर्ता/गारंटर) सुपुत्र श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल निवासी मकान नं. 255, एच-ब्लॉक, विकासपुरी, दिल्ली-110018, 5. श्रीमती सावित्री देवी (गारंटर तथा रेहनकर्ता) पत्नी श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल निवासी मकान नं. 255, एच-ब्लॉक, विकासपुरी, दिल्ली-110018, 6. श्री कुशाग्र अग्रवाल (गारंटर तथा रेहनकर्ता) सुपुत्र श्री संजीव अग्रवाल निवासी मकान नं. 255, एच-ब्लॉक, विकासपुरी, दिल्ली-110018, 7. मै. लक्ष्मी चंद अग्रवाल एंड संस-एचयूएफ (रेहनकर्ता) को इसके कर्ता श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल सुपुत्र श्री केदार नाथ निवासी मकान नं. 255, एच-ब्लॉक, विकासपुरी, दिल्ली-110018 के माध्यम से।	लॉटः 1. संपत्ति 1. सब रजिस्ट्रार-II, दिल्ली में पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 6971 दिनांक 20.06.1989 के अनुसार श्री राजेश अग्रवाल (निदेशक, गारंटर तथा रेहनकर्ता) सुपुत्र श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल के नाम पर 1/23, तिलक नगर, दिल्ली में स्थित वाणिज्यिक संपत्ति रकबा 200 वर्ग यार्ड।	73,83,25,071.17 रु. (केवल तिहत्तर करोड़ तिरासी लाख पच्चीस हजार इकहत्तर रुपये तथा सत्तरह पैसे) जो 29.06.2019 है जमा 01.06.2019 से प्रभावी अनुबंधीय दर पर आगामी ब्याज और अन्य खर्चे। डिमांड नोटिस की तिथि: 05.07.2019	लॉटः 1 10.60 करोड़ रु.	1.60 करोड़ रु.	1,00,000/- रु.	22.01.2020/ 24.01.2020 (दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक)
		लॉटः 2. संपत्ति 2. सब रजिस्ट्रार, दिल्ली में पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 8683 दिनांक 28.09.1990 तथा बिक्री विलेख नं. 8309 दिनांक 13.09.1990 के अनुसार श्री राजेश अग्रवाल (निदेशक, गारंटर तथा रेहनकर्ता) सुपुत्र श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल (निदेशक तथा गारंटर) के नाम पर गांव मिट्रो नजफगढ़ रोड, दिल्ली के ओल्ड आबादी, लाल डोरा के अन्दर स्थित भूमि व भवन रकबा 75 वर्ग यार्ड, श्री संजीव अग्रवाल (निदेशक, गारंटर तथा रेहनकर्ता) सुपुत्र श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल के नाम पर गांव मिट्रो नजफगढ़ रोड, दिल्ली के ओल्ड आबादी, लाल डोरा के अन्दर स्थित भूमि व भवन रकबा 960 वर्ग यार्ड तथा श्रीमती सावित्री देवी (गारंटर तथा रेहनकर्ता) पत्नी श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल के नाम पर गांव मिट्रो नजफगढ़ रोड, दिल्ली (2 प्लॉट-एक खसरा नं. 123 में से और दूसरा खसरा नं 115 में से- साथ लगते) के ओल्ड आबादी, लाल डोरा के अन्दर स्थित भूमि व भवन रकबा 450 वर्ग यार्ड।		लॉटः 2 6.20 करोड़ रु.	0.62 करोड़ रु.	1,00,000/- रु.	22.01.2020/ 24.01.2020 (दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक)
		लॉटः 3. संपत्ति 3. सब रजिस्ट्रार-III, नई दिल्ली में पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 9396 दिनांक 06.12.2013 के अनुसार श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल (निदेशक, गारंटर तथा रेहनकर्ता) सुपुत्र श्री केदार नाथ, मै. लक्ष्मी चंद अग्रवाल एंड संस-एचयूएफ (रेहनकर्ता), श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल (गारंटर तथा रेहनकर्ता) व श्री कुशाग्र अग्रवाल (गारंटर तथा रेहनकर्ता) के नाम पर अग्रवाल प्लाजा, प्लॉट नं. 6, ब्लॉक नं. 54 (प्रथम तल, सामने) देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित वाणिज्यिक संपत्ति रकबा 1321 वर्ग यार्ड।		लॉटः 3 10.37 करोड़ रु.	1.40 करोड़ रु.	1,00,000/- रु.	22.01.2020/ 24.01.2020 (दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक)

इ-नीलामी बिक्री की संक्षिप्त निबंधन एवं शर्तें:-

बिक्री प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी और निम्नलिखित आगामी शर्तें हैं :

1) संपत्तियां "जैसी है जहां है के आधार और जैसी है जो कुछ है के आधार" पर बेची जा रही हैं।
2) इसमें सूची में उपरोक्त निर्दिष्ट प्रतिभूतित परिसंपत्तियों विवरण प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम जानकारी से वर्णित किया गया है लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
3) सरकार को देय (संपत्ति कर, वाटर सीवरेज, विद्युत बिल आदि) कोई भी अदायगी बैंक को ज्ञात नहीं है और अब इस तिथि तक किसी प्राधिकरण द्वारा राशि की डिमांड नहीं की गई है।
4) प्रतिभूतित परिसंपत्तियों की आरक्षित मूल्य से नीचे बिक्री नहीं की जाएगी।
5) नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल http//pnbindia.biz के माध्यम से ऑनलाईन की जाएगी।
6) नीलामी पर रखी संपत्तियों के निरीक्षण अनुमति इच्छुक बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्थान पर दी जाएगी।
7) इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त तिथियों को खाता का नाम **पंजाब नैशनल बैंक, एलसीबी, चंडीगढ़, खाता नं.** 4207003171104, **IFSC Code: PUNB0420700** में एनइएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से ईएमडी जमा करनी होगी।
8) ईएमडी जमा करने के पश्चात बोलीदाताओं को जमा करने होंगेः (क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण (जब एनइएफटी/आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया हो)। (ख) पहचान प्रमाण जो कि- पैन कार्ड आदि की स्कैन की गई प्रतियाँ आदि। (ग) रिहायशी पते का प्रमाण (घ) (I) बोलीदाता का नाम (II) मोबाईल नं./संपर्क नं. (III) पता (IV) ई-मेल पता (V) ऑनलाईन ईएमडी प्रत्यर्पण यदि कोई है के लिए बोलीदाता का खाता विवरण (ङ) बोलीदाताओं से अन्य अलग व्यक्ति भी ई-बोलीकरण के लिए उचित आदेशपत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे। बोलीदाता इन दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी का ई-मेल पता: **bo4207@pnb.co.in** के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं और इन दस्तावेजों की स्वयं स्थापित मूल प्रतियां ' खाते में बोली (उपरोक्त वर्णित खाते/संपत्तियों में से)' बड़े अक्षरों में बोली आवरण में इसमें उपरोक्त वर्णित शाखा पते पर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।
9) बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में अपनी बोली प्रस्तुत करने और भागीदारी की विस्तृत ई-नीलामी बिक्री सूचना में निबंधन एवं शर्तों के लिए पोर्टल http//pnbindia.biz, pnbindia.in; tenders.gov.in के माध्यम से जाने की सलाह दी जाती है। **श्री गुलशन कपूर, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नं. 7527911222)** पर संपर्क करें।
10) इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में लॉग इन आइडी और पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है जो **श्री गुलशन कपूर, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नं. 7527911222)** से इ-बोलीकरण हेतु अनिवार्य है। लॉग इन आइडी और पासवर्ड इ-मेल पते के माध्यम से भेजा जाएगा जो बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार बोलीदाता के प्राप्त न करने के मामले में उसे उपरोक्त अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
11) केवल जिन बोलीदाताओं के पास वैध उपयोगकर्ता आइडी व पासवर्ड और एनइएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा इएमडी भुगतान पुष्टी की गई है वे ऑनलाइन इ-नीलामी भागीदारी के योग्य होंगे।
12) प्राधिकृत अधिकारी कोई भी कारण जो भी है बिना बताए किसी भी समय सभी बोलियों को स्वीकार या रद्द करने, यदि स्वीकार्य नहीं पाई जाती है या नीलामी को संस्थगित/रद्द/विस्तारित/बंद या शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
13) नीलामी के समापन समय के अंतिम पांच मिनटों में बोली रखने के मामले में समापन समय स्वतः 5 मिनट विस्तारित हो जाएगा।
14) नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू की जाएगी और बोलीदाता इसमें उपरोक्त कथित अनुसार अपने प्रस्ताव में वृद्धि करेंगे। "ऑनलाईन नीलामी समाप्त होने पर" उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा और ऐसी बिक्री प्रतिभूतित ऋणदाता के पुष्टीकरण के अधीन होगी।
15) सफल बोलीदाता को उपरोक्त क्र.सं. 7 में वर्णित खाते में तुरंत बोली बिक्री राशि का 25% जमा करना होगा और धरोहर राशि बोली/बिक्री राशि के 25% के रूप में समायोजित की जाएगी। वर्णित अवधि के अंदर बोली राशि का शेष 25% की अदायगी में चूक होने के मामले में जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और प्रतिभूतित संपत्तियों की पुनः बिक्री की जाएगी।
16) सफल बोलीदाता को बिक्री पुष्टीकरण की तिथि से 15 दिनों के बोली राशि का बकाया 75% जमा करना अपेक्षित होगा। वर्णित अवधि के अंदर बोली राशि के बकाया 75% अदायगी में चूक होने के मामले में जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता खरीददार के संपत्ति या राशि के किसी भाग पर सभी दावों को जब्त कर लिया जाएगा जो इसकी तुरंत बिक्री की जा सकती है।
17) यदि बैंक देय राशि के साथ उसके द्वारा उपार्जित सभी लागतें, प्रभार और खर्चे या उसका भाग बैंक को स्वीकार्य अनुसार बिक्री की निर्धारित तिथि को या पूर्व में किसी समय कर्जदार या गारंटर की ओर से/द्वारा प्रस्तुत किया जाता है संपत्ति की बिक्री रद्द हो सकती है।
18) सभी सांविधिक देयता/अन्य देयता सहित पंजीकरण प्रभार, स्टाम्प शुल्क, कर आदि खरीददार द्वारा वहन किए जाएंगे।
19) बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम पर जारी किया जाएगा जिस पर बोली प्रस्तुत की गई है।
20) बोलीदाता जिसके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है परन्तु इ-नीलामी में भागीदारी के इच्छुक हैं वे **श्री गुलशन कपूर मुख्य प्रबंधक; प्राधिकृत अधिकारी मोबाइल नं.** 7527911222 से संपर्क कर सकते हैं।
21) प्राधिकृत अधिकारी या बैंक ई-नीलामी संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य के किसी प्रभार, ग्रहणाधिकार, भार, या किसी अन्य देयता के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे।
22) इच्छुक बोलीदाता को संपत्ति पर भार सहित सांविधिक ऋण, बकाया संपत्ति कर, विद्युत देयता आदि पर भार से संबंधित अपनी स्वयं स्वतंत्र जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।
23) बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप आदि का उचित होना सुनिश्चित करें। बैंक इ-नीलामी को प्रभावित करने वाले इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता या तकनीकी कारणों या कारणों/आकस्मिकता के कारण किसी व्यवधान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
24) बैंक योग्य मामलों के लिए बोली करने को स्वतंत्र होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सांविधिक 30 दिनों की सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा अद्यतन ब्याज तथा अनुषंगी खर्चों सहित वर्णित राशि को ई-नीलामी से पहले अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी तथा कोई भी बकाया होगा, ब्याज तथा खर्चे सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 21.12.2019 स्थानः चंडीगढ़ प्राधिकृत अधिकारी

गुजरात में तीन पाक हिंदुओं को मिली नागरिकता

मोरबी, 21 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में जारी प्रदर्शनों के बीच गुजरात के एक सांसद ने शनिवार को पाकिस्तान से एक दशक पहले आए हिंदू परिवार के तीन सदस्यों को नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा।

गुजरात के राजकोट से लोकसभा सदस्य मोहन कुंडारिया ने मोरबी के वावड़ी गांव में आयोजित समारोह में तीन लोगों को देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। इन लोगों में हरसिंह सोढ़ा, सरूपसिंह सोढ़ा और प्रभातसिंह सोढ़ा शामिल हैं। ये लोग 2007 में पाकिस्तान से भारत आए थे। कुंडारिया ने बताया कि मोरबी में रह रहे ऐसे हजारों हिंदुओं को जल्दी ही नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि ऐसे हजारों लोग हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं और मोरबी में रह रहे हैं। नए कानून के तहत अंततः उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत आज तीन लोगों को नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया गया।

इस मौके पर हरसिंह ने कहा कि उनके लिए आज बहुत खुशी का दिन है और केंद्र सरकार का धन्यवाद।

फंसे वाहनों के लिए जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से खुला, तीन की मौत

बनिहाल/जम्मू, 21 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए दो अलग–अलग हादसों में आठ साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि ताजा बर्फबारी के कारण तकरीबन 17 घंटे तक बंद रहने के बाद यह राजमार्ग फंसे हुए वाहनों को निकालने के लिए शनिवार को दोबारा खोला गया। अधिकारियों ने हालांकि बताया कि फंसे हुए यात्रियों को सही ढंग से वहां से निकालने के लिए सुबह जम्मू या श्रीनगर से किसी नए वाहन को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। इस बीच, सुबह में जम्मू और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सूरज नजर आने के बाद लोगों को भीषण ठंड से कुछ राहत मिली। यहां पिछले पांच दिनों से आसमान साफ नहीं था।

अधिकारियों ने बताया कि बडगाम के आठ साल के मुहम्मद मुजामिल और 20 साल के मोहम्मद इमरान की शुक्रवार देर शाम मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए जब जम्मू जाने वाले यात्री वाहन पर रामबन जिले में गंगरू के पास पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य घटना में पुलवामा जिले के ट्रक चालक गुलाम मोहम्मद जू की उस वक्त मौत हो गई जब वह अपने ट्रक को ढकते हुए वह गहरे खड्ड में गिर गया।

अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले 27 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग पर शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे गाड़ियों की आवाजाही जवाहर सुरंग इलाके में ताजा बर्फबारी के बाद रोक दी गई थी। इसकी वजह से आठ हजार से ज्यादा गाड़ियां फंस गई थीं। उन्होंने बताया कि बारिश ने भी पूरे राजमार्ग को प्रभावित रखा जहां रामसू और पंथियाल के बीच रात भर कई भूस्खलन हुए। मार्ग शनिवार सुबह को ही साफ किया जा सका जहां केवल फंसे हुए वाहनों को उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी गई।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बनिहाल में 1.5 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है और यह जम्मू क्षेत्र की सबसे ठंडी जगह रहा जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

कड़ाके की सर्दी का दौर 'चिल्लई कलां' शुरू

श्रीनगर, 21 दिसंबर (भाषा)।

कश्मीर घाटी में ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के साथ ही 40 दिनों के कड़ाके की सर्दी का दौर 'चिल्लई कलां' शनिवार को शुरू हो गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने यह बात कही। इन 40 दिनों की अवधि के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और अधिकतम तापमान काफी घट जाता है।

अधिकारियों के अनुसार घाटी के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी के साथ ही चिल्लई कलां शुरू हो गया है। शुक्रवार तड़के बर्फबारी शुरू हुई थी, जो रात भर जारी रही। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में पांच सेंटीमीटर बर्फबारी हुई और पिछली रात पारा लुढ़ककर शून्य से 9.6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया।

खुफिया एजंसियों के बगैर सैन्य अभियान सफल नहीं

पुणे, 21 दिसंबर (भाषा)।

वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एवं नए थल सेना प्रमुख नामित किए गए लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे ने कहा कि कोई भी सैन्य अभियान खुफिया एजेंसियों के सहयोग बिना सफल नहीं हो सकता।

लेफ्टिनेंट जनरल ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में यह कहा, 'सैन्य अभियान और खुफिया सूचनाओं का आपस में करीबी संबंध है। जब कभी हमें संचालन ब्रीफिंग की जरूरत होती है तब यह हमेशा ही खबर दुश्मन के बारे में के साथ शुरू होता है और खबर वह होती है जो हम अपनी खुफिया एजेंसियों से प्राप्त करते हैं।'

छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक आबादी नहीं कर पाएगी नागरिकता साबित : बघेल

रायपुर, 21 दिसंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यदि देश में एनआरसी लागू हुआ तो छत्तीसगढ़ की आधे से अधिक जनता अपनी नागरिकता प्रमाणित नहीं कर पाएगी। बघेल ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने 1906 में अफ्रीका में अंग्रेजों के कानून का विरोध किया था, ठीक उसी तरह वे भी एनआरसी का विरोध कर रहे हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या एनआरसी लागू होने के बाद देश की जनता को नोटबंदी की तरह कतार में खड़े होकर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'बिल्कुल सही बात है कि हमें प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं और यदि कोई भारतीय किसी कारण से यह प्रमाणित नहीं कर पाया तो उसे किस प्रकार से रखा जाएगा?'

बघेल ने कहा, 'छत्तीसगढ़ में दो करोड़ 80 लाख लोग हैं और उनमें से आधे से अधिक लोग अपनी नागरिकता प्रमाणित नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जमीन का रिकार्ड नहीं है और कई लोगों के पास जमीन ही नहीं है। उनके पूर्वज पढ़े–लिखे नहीं हैं। उनमें से कई दूसरे गांवों या राज्यों में चले गए हैं। वे 50–100 साल का रिकार्ड कहां से लाएंगे। यह अनावश्यक बोझ है।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उसी प्रकार का कानून है जैसे अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में लागू किया था,जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था

उन्होंने कहा, 'यदि घुसपैठिए इस देश में हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए बहुत एजेंसियां हैं। उन्हें पकड़ें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें लेकिन इस तरह वे (भाजपा) आम जनता को कैसे परेशान करेंगे।' मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उसी प्रकार का कानून है जैसे अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में लागू किया था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था और कहा था कि वे रजिस्टर में दस्तखत नहीं करेंगे और न ही उंगलियों के निशान देंगे।

बघेल ने कहा, 'मैं वही बात दोहरा रहा हूं। आप गांधी जी की 150 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और बार–बार गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि वे देश में एनआरसी लागू करेंगे।' बघेल ने कहा, 'मैंने घोषणा की है कि मैं पहला आदमी होऊंगा जो उस रजिस्टर में दस्तखत नहीं करेगा, सरकार चाहे कुछ भी कर ले।' इससे पहले, बघेल ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर कई बार राज्य सरकार की आलोचना की है। बघेल ने इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया है।

माकपा ने की शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की अपील

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

माकपा ने शनिवार को लोगों का आह्वान किया कि वो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन जारी रखें। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर कहा– असंवैधानिक संशोधित नागरिकता कानून और इसी से जुड़े एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन जारी रखें।

उन्होंने कहा, 'हम विरोध प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक और कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बल प्रयोग की निंदा करते हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि वो किसी उकसावे में नहीं आएं।' इससे पहले, माकपा के पोलित ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही अपने यहां राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू करने से इनकार किया है और ऐसे में केंद्र सरकार को एनआरसी एवं राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) की प्रक्रिया से जुड़ी घोषणा को तत्काल वापस लेना चाहिए।

कांग्रेस विधायक जज्जी को राहत

अशोकनगर (मप्र), 21 दिसंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र समिति ने कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह 'जज्जी' के अनुसूचित जाति 'नट' के प्रमाण पत्र को वैध घोषित कर दिया है। समिति ने जिलाधिकारी अशोक नगर को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।

विधायक जज्जी द्वारा सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की जातियों से लड़े चुनाव की शिकायत पर भी समिति ने तय किया है कि सामान्य सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है जबकि पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है।

कैन फिन होम्स लिमिटेड

प्रथम तल, डीडीए बिल्डिंग, निकट पारस सिनेमा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 सीआईएन : L85110KA1987PLC008699

दूरभाष : 7625079108, 011–26435815, 26430236 ई–मेल : delhi@canfinhomes.com

[नियम 9(1) का प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना।

एतद्वारा जन सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास निम्नलिखित बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्तियों, जिसका भौतिक कब्जा कैन फिन होम्स लि., नेहरू प्लेस, नई दिल्ली शाखा के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, की बिक्री **स्व. श्री ऐश्वर्य गुलाटी पुत्र अजय गुलाटी एवं श्रीमती इन्हा गुलाटी पत्नी स्व. श्री ऐश्वर्य गुलाटी (कर्जदार) तथा श्री योगेश शर्मा पुत्र जयकिशन शर्मा (जमानती)** से 01.02.2018 तक बकाया **रु. 30,66,444/– (रुपये तीस लाख छियासठ हजार चार सौ चौवालीस मात्र)** तथा भावी ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभारों की वसूली हेतु 10.01.2020 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'', तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 27,00,000 (रुपये सत्ताईस लाख मात्र) होगी तथा जमा धरोहर राशि रु. 2,70,000 (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति की अनुसूची

फ्लैट सं. एस–3, द्वितीय तल, एमआइजी, पिछला भाग (छत के अधिकार सहित), प्लॉट सं. बी–47, अम्बिका पैलेस, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन–II, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. पिन–201005 पर स्थित फ्लैट का 800 वर्ग मीटर (74.32 वर्ग मीटर) का विस्तार।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तें कैन फिन होम्स लि. की आधिकारिक वेबसाइट (www.canfinhomes.com) में उपलब्ध है, कृपया लिंक https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx देखें।

तिथि : 21.12.2019 ह./– अधिकृत प्राधिकारी,
स्थान : नई दिल्ली कैन फिन होम्स लिमिटेड

बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय, वसूली विभाग

सार्वजनिक सूचना

बैंक ने निम्नथलिखित उधारकर्ताओं तथा उनके निदेशकों/गारंटीकर्ताओं/भागीदारों को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस, दिनांक 24.07.2019 जारी कर "इरादतन चूककर्ता" घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ की है। उक्त नोटिस में आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार संबंधित कारण शामिल हैं ताकि वे या तो अनुबन्धीय देय राशि की चुकौती करें या इरादतन चूककर्ता के रूप में उद्घोषणा के विरुद्ध अपना पक्ष रखें। उक्त कारण बताओ नोटिस को उपलब्ध डाक के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था तथा ये किसी एक या अधिक कारणों से 'डिलिवर न हुए' के रूप में हमें वापस प्राप्त हुए हैं। एन.पी.ए.उधारकर्ताओं तथा उनके निदेशकों/गारंटीकर्ताओं/भागीदारों के विवरण निम्नालिखित हैं :–

क्र. सं.	उधारकर्ता कंपनी के निदेशक /गारंटीकर्ता /भागीदार के नाम	पता
1.	जेडेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (EIEL)	पंजीकृत कार्यालय : 1107, इंद्रप्रकाश बिल्डिंग, 21, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001
2.	पाउलो रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (EIEL)	पंजीकृत कार्यालय : बी–165, फ्लेट नं. डी, भू–तल, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली–110096
3.	यारीख रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (EIEL)	पंजीकृत कार्यालय : 1107, इंद्रप्रकाश बिल्डिंग, 21, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001

अब इस नोटिस के प्रकाशन के माध्यम से, हम एकबार पुनः सभी उपर्युक्त व्यक्तियों को सूचित करते हैं कि वे संबंधित नोटिस प्राप्त करने के लिए हमारी शाखा से तत्काल संपर्क करें तथा इस प्रकाशन के 07 दिनों के अंदर इसका उत्तर दें। यदि 07 दिनों के भीतर हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा तथा यह मान लिया जायेगा कि विधिवत रूप से नोटिस प्रस्तुत की गयी है तथा प्रतिरक्षण के रूप में उन्हें कुछ नहीं कहना है एवं इस मामले में बैंक अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ायेगा।

सहायक महाप्रबंधक
वसूली विभाग, प्रधान कार्यालय

ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली
संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

मामले में:
ओए नं. 867/2019/डीआरटी–III
पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम **श्री मनदीप सिंह एवं अन्य**
आवेदक **प्रतिवादीगण**
सेवा में,

डी–1	श्री मनदीप सिंह, पुत्र श्री जजहार सिंह निवासीः 8921, 14/बी, सिद्धिपुरा, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 साथ हीः मै. एस.सी. प्रॉडक्ट्स, 4–5, 5655/5, नगरिया दयाल मार्केट, हनुमान मंदिर, नवी करीम, दिल्ली–55 साथ हीः फ्लैट नं. जीएफ–2, एमआईजी, भूतल, प्लॉट नं. ए–55, गंगा विहार, ग्राम सैदुल्लाबाद, गाजियाााद, उ.प्र. साथ हीः 599/408, किडगंज, कृष्णा नगर, इलाहाबाद साथ हीः 255, ई.बी.आर.एस. नगर लुधियाना–141008
डी–2	श्रीमती हरविन्दर कौर, पत्नी श्री मनदीप सिंह निवासीः 8921, 14/बी, सिद्धिपुरा, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 साथ हीः फ्लैट नं. जीएफ–2, एमआईजी, भूतल, प्लॉट नं. ए–55, गंगा विहार, ग्राम सैदुल्लाबाद, गाजियाााद, उ.प्र. साथ हीः 599/408, किडगंज, कृष्णा नगर, इलाहाबाद साथ हीः 255, ई.बी.आर.एस. नगर लुधियाना–141008
डी–3	श्री ईझार खान पुत्र श्री हसनीर काहन निवासी 166, आदर्श नगर, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.–201002

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 25.2.2020 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 6 दिसम्बर, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी–III, नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली,
संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना

मामले में
ओ.ए. नं. 860/2019/डीआरटी–III
पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम **श्री अमरनाथ मिश्रा एवं आवेदक**
आवेदक **प्रतिवादीगण**
सेवा में,

डी–1	श्री अमरनाथ मिश्रा पुत्र श्री भुवनेश्वर मिश्रा निवासीः ई–519, गली नं. 22, खजूरी खास, दिल्ली–94 साथ हीः यूजी–2, ऊपरी भूतल सम्पत्ति सं. 29 ए, खसरा नं. 60 में, ग्राम करावल नगर, न्यू सभापुर, शाहदरा, दिल्ली–94
डी–2	सुश्री रंजू मिश्रा पत्नी श्री अमरनाथ मिश्रा निवासी, श्री भुवनेश्वर मिश्रा, निवासीः ई–519, गली नं. 22, खजूरी खास, दिल्ली–94 साथ हीः यूजी–2, ऊपरी भूतल सम्पत्ति सं. 29 ए, खसरा नं. 60 में, ग्राम करावल नगर, न्यू सभापुर, शाहदरा, दिल्ली–94
डी–3	श्री अनिल कुमार, पुत्र श्री देवता झा निवासीः 221, गली नं. 6, ब्लॉक डी, मुकुन्द विहार, करावल नगर, दिल्ली–94 साथ हीः ए–29, भू तल, के.एच. नं. 330 फूटा रोड, न्यू सभापुर, निकट सीनियर सेक. स्कूल, दिल्ली–94

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 25.2.2020 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 6 दिसम्बर, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी–III, नई दिल्ली

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा : 2400, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित तिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
(1) श्री यशपाल मलिक पुत्र इलम सिंह (2) श्रीमती प्रीति मलिक पत्नी श्री यशपाल मलिक (3) श्री रवींद्र कुमार पुत्र श्री राजबीर सिंह	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल बंधक सम्पत्ति फ्लैट नं. 502, पाँचवा तल, ब्लॉक–सी, जीएच–5, डॉक्टर्स पार्क, सैक्टर–5, स्वास्थय एन्कलेव, साहकारी आवास समिति लिमिटेड, वसुंधरा, गाजियाबाद, यूपी – 201002 में स्थित, सभी फिटिंग, फिक्चर्स और कनेक्शन के साथ संलग्न, सामान्य प्रवेश द्वार, मार्ग, और सीढ़ियां, यह सम्पत्ति यश पाल मलिक के नाम पर है।	06-08-2019 / 19-12-2019	रु. 12,92,231.89 दिनांक 31.06.2019 तक साथ में भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित

दिनांक 19.12.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की" धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋणी/सहऋणी/बन्धकर्ता/ गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पति का विवरण
इरशाद अहमद, श्रीमती बेदी सलमा (खाता सं.) LSEST02716-170501399 (L9001060100877491)	25 नवम्बर 2019 ₹1230655/- रु. बारह लाख तीस हजार छः सौ पचपन मात्र दिनांक 19 नवम्बर 2019 तक	आवास प्लॉट नं. 67/1, ब्लॉक नं. 848, जोहरीपुर एन्कलेव, हदबस्त ग्राम बहेता हाजीपुर, लोनी, त. गाजियाबाद, उ.प्र.
बदरी प्रसाद, श्रीमती कमला देवी, श्रीमती कमलेश (खाता सं.) LSDWM05616-170474469 (L9001060100744006)	25 नवम्बर 2019 ₹906770/- रु. नौ लाख छः हजार सात सौ सत्तर मात्र दिनांक 19 नवम्बर 2019 तक	आवास प्लॉट नं. यु-571, घोंडा गुर्जन, उसमानपुर, शाहदरा, दिल्ली
अंशुल कौशिक, मंशुल कौशिक, अजय कुमार कौशिक (खाता सं.) L9001060116449781	25 नवम्बर 2019 ₹2115018/- रु. इक्कीस लाख पंद्रह हजार अठारह मात्र दिनांक 20 नवम्बर 2019 तक	प्लॉट नं. 434, खसरा नं. 1342/3, आवासीय कालोनी खाननगर, लोनी, तह एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र.
सोनू यादव, मुकेश यादव, श्रीमती रजन यादव (खाता सं.) L9001060713338882	25 नवम्बर 2019 ₹1291328/- रु. बारह लाख इकानवे हजार तीन सौ अठाईस मात्र दिनांक 20 नवम्बर 2019 तक	प्लॉट खसरा नं. 99, म.नं.2, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र.
पंकज कुमार राय, श्रीमती रीना कुमारी जमानतदार एवं बंधककर्ता: दिनेशवर राई (खाता सं.) L9001060114519437	25 नवम्बर 2019 ₹1524060/- रु. पंद्रह लाख चौबीस हजार साठ मात्र दिनांक 20 नवम्बर 2019 तक	आवासीय फ्लेट नं. एफ 16/2, झांकर चौक, कुतुब विहार, दिल्ली
मनोहर लाल, श्रीमती कृष्णा देवी (खाता सं.) L9001060113883380	25 नवम्बर 2019 ₹1527435/- रु. पंद्रह लाख सताईस हजार चार सौ पैंतीस मात्र दिनांक 20 नवम्बर 2019 तक	प्लॉट नं. 61, गोंछी, तहसील बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद, हरियाणा
भगवान दास सैनी, श्रीमती जमना, विशाल दास सैनी (खाता सं.) LSGUR02715-160337305 (L9001060100968582)	25 नवम्बर 2019 ₹628961/- रु. छः लाख अठाईस हजार नौ सौ इकसठ मात्र दिनांक 19 नवम्बर 2019 तक	प्लॉट नं. 458, गली नं. 2, स्नेह विहार, बोंडसी गुड़गांव, हरियाणा
भगवान दास सैनी, श्रीमती जमना सैनी, विशाल दास सैनी, विशाल दास सैनी (खाता सं.) LSGUR05816-170501519 (L9001060800994110)	25 नवम्बर 2019 ₹437466/- रु. चार लाख सैंतीस हजार चार सौ छियासठ मात्र दिनांक 20 नवम्बर 2019 तक	प्लॉट नं. 458, रौन विहार, बोंडसी गुड़गांव, हरियाणा
संजय कुमार बंसल, श्रीमती शालू बंसल, सुरेश चन्द गुप्ता (खाता सं.) L9001060113318019	25 नवम्बर 2019 ₹1627114/- रु. सौलह लाख सताईस हजार एक सौ चौदह मात्र दिनांक 19 नवम्बर 2019 तक	प्लॉट नं. 713, वार्ड नं. 12, मुकिमपुरा सुब्जी मंडी, दिल्ली
अशोक कुमार, श्रीमती संतोष हरीआम (खाता सं.) L9001060116691966	25 नवम्बर 2019 ₹2061620/- रु. बीस लाख इकसठ हजार छः सौ बीस मात्र दिनांक 20 नवम्बर 2019 तक	प्लॉट नं. खेवात नं. 567, खतौनी नं. 795, मुसतैल नं. 11, किल नं. 6/2/1/1/2/15/2/10/18, मौजा निजामपुर रोड, नांगल चौधरी, महेन्द्रगढ, हरियाणा

स्थान :जयपुर दिनांक: 21-12-2019 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
विजयपुर- 473 111, गुना (म.प्र.)

ठेकेदारों की पूर्व अर्हता हेतु सूचना

एनएफएल विजयपुर इकाई निम्नलिखित उपकरण कार्यों को करने में सक्षम एवं अनुभवी ठेकेदारों की पूर्व अर्हता हेतु आवेदन आमंत्रित करता है –

Code **I-01:** ARC for **"Miscellaneous Instrumentation Maintenance Jobs & Supply of 'Skilled & Unskilled Manpower."** Estimated Value: **Rs. 63.00 Lakh p.a.**

Code **I-02: Testing & Calibration of Various Standard & Test Equipments.** Estimated - Value: **Rs. 0.40 Lakh p.a.**

Code **I-03:** ARC for **"Servicing, Maintenance, Verification & Stamping of Various Mechanical & Electronic type Weighing & Measuring Equipments."** Estimated Value : **Rs. 04.00 Lakh p.,a.**

Code **I-04: Reconditioning / Overhauling & Testing of Control Valves of Various Types, Sizes & Ratings.** Estimated Value : **Rs. 15.00 Lakh p.a.**

विस्तृत जानकारी के लिए एनएफएल की वेबसाईट www.nationalfertilizers.com अथवा सीपीपी पोर्टल www.eprocure.govt.in देखें अथवा पूर्व अर्हता दस्तावेज उप महाप्रबंधक (उपकरण) के कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। संपर्क फोन 9109992363 ई–मेल: broy@nfl.co.in उपरिलिखित सूचना से सम्बंधित अन्य कोई संशोधन / शुद्धि–पत्र पूर्वोक्त वेबसाईटस पर ही उपलब्ध होगा।

''किसान की पहली पसंद - किसान यूरिया''

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

सनशाइन इन्फ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	सनशाइन इन्फ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24.09.2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45400DL2008PLC183645
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	[illegible] कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, जी–65, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली –110092
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	17.12.2019 (आदेश 20.12.2019 को प्राप्त हुए)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	14.06.2020 (आदेश दिनांक 17.12.2019 से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	पवन कुमार गोयल आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00875/2017-2018/11473
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	304, डी आर. चैम्बर्स, 12/56, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005 ईमेल: ca.pawangoyal@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	304, डी आर. चैम्बर्स, 12/56, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005 ईमेल: cirpsicl@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	03.01.2020 (आदेश की प्राप्ति की तारीख से)
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	डिबेंचर होल्डर्स
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. श्री अमित शर्मा IBBI/IPA-002/IP-N00172/2017-18/10442 2. श्री धर्म वीर गुप्ता IBBI/IPA-001/IP-P01482/2018-2019/12342 3. श्रीमती माया गुप्ता IBBI/IPA-002/IP-N00063/2017-18/11061
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है	क) से लागू फॉर्म डाउनलोड करें http://www.ibbi.gov.in/home/downloads ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण 1. श्री अमित शर्मा ईमेल: amit2002_shr@rediffmail.com 2. श्री धर्म वीर गुप्ता ईमेल: dvgupt@gmail.com 3. श्रीमती माया गुप्ता ईमेल: fcsmayagupta@gmail.com

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **17 दिसम्बर 2019** को **सनशाइन इन्फ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

सनशाइन इन्फ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **03 जनवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के तहत सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए "**डिबेंचर होल्डर्स**" में निर्दिष्ट करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

हस्ता./–
पवन कुमार गोयल
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
दिनांक : 21 दिसम्बर 2019
स्थान : नई दिल्ली आईपी पंजीकरण सं: IBBI/IPA-001/IP-P00875/2017-2018/11473

प्रपत्र जी
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण
[ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

	सुसंगत विशिष्टियां	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स पैन्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	23 अगस्त, 2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	सीआईएन : U72300DL2010PTC207463
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : मैसर्स पैन्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, 602/96, छठी मंजिल, सिद्धार्थ बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, निकट सेंट्रल बैंक, नई दिल्ली–110019 कॉर्पोरेट कार्यालय : मैसर्स पैन्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ई–33, सेक्टर–63, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	19.09.2019
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि	22.12.2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है :	इसे cirp.ptpl@gmail.com पर ई–मेल भेजकर देखा जा सकता है
9.	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता के मानदण्ड उपलब्ध हैं :	इसे cirp.ptpl@gmail.com पर ई–मेल भेजकर देखा जा सकता है
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	06.01.2020
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अस्थायी सूची निर्गत होने की तिथि	16.01.2020
12.	अस्थायी सूची की आपत्तियां जमा करने की अन्तिम तिथि	21.01.2020
13.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची निर्गत होने की तिथि	31.01.2020
14.	सम्भावित समाधान आवेदकों हेतु सूचना ज्ञापन पत्र, मूल्यांकन आव्यूह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि	21.01.2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन आव्यूह, सूचना ज्ञापन पत्र तथा अधिक सूचना हेतु निवेदन प्राप्ति की रीति	भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों हेतु ऋणशोधन अक्षमता विनियम प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36बी(1) के तहत इसे प्राप्त करने के पात्र समस्त सम्भावित समाधान आवेदक (पीआरए) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जायेगा।
16.	समाधान योजनाओं के जमा होने की अन्तिम तिथि	20.02.2020
17.	समाधान प्रोफेशनल हेतु समाधान योजना जमा करने की रीति	डाक या दस्ती तौर पर मुहरबन्द लिफाफे में अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल अर्थात कुमार लॉ फर्म, तीसरी एवं चौथी मंजिल, डीए–9, एनके हाउस, वीर सावरकर ब्लॉक, सामने नत्थू स्वीट्स, मेट्रो पिलर नं. 54, शकरपुर, दिल्ली–110092 के पास भेजकर और बाद में ई–मेल से पुष्टि
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान जमा करने की सम्भावित तिथि	29.02.2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम : श्री गौतम सिंघल पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP/P-01437/2018-2019/12240
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई–मेल	नाम : श्री गौतम सिंघल पता : सी–35, भूतल, विवेक विहार, फेज–1, दिल्ली–110095 ई–मेल : cirp.ptpl@gmail.com
21.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार हेतु प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई–मेल	नाम : श्री गौतम सिंघल पता : कुमार लॉ फर्म, तीसरी एवं चौथी मंजिल, डीए–9, एनके हाउस, वीर सावरकर ब्लॉक, सामने नत्थू स्वीट्स, मेट्रो पिलर नं. 54, शकरपुर, दिल्ली–110092 ई–मेल : cirp.ptpl@gmail.com
22.	अधिक विवरण अग्रलिखित पर या इसके साथ उपलब्ध है	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के साथ नाम : श्री गौतम सिंघल पता : कुमार लॉ फर्म, तीसरी एवं चौथी मंजिल, डीए–9, एनके हाउस, वीर सावरकर ब्लॉक, सामने नत्थू स्वीट्स, मेट्रो पिलर नं. 54, शकरपुर, दिल्ली–110092
23.	प्रपत्र जी के प्रकाशन की तिथि	22.12.2019

1. सभी प्राप्त ईओआई की समीक्षा आईआरपी/आरबी एवं सीओसी द्वारा की जायेगी तत्पश्चात प्रक्रिया से सम्बन्धित भावी सूचना/दस्तावेज शॉर्टलिस्ट किये गये पक्षों को उपलब्ध कराया जायेगा। आईआरपी/आरपी/सीओसी को किसी भी समय ईओआई के लिए मानदण्ड परिवर्तित करने का अधिकार होगा।
2. आईआरपी/आरपी/सीओसी को बिना कोई कारण बताए तथा बिना किसी दायित्व के प्रक्रिया/आवेदन को निरस्त या परिवर्द्धित करने का अधिकार है।

ह./–
गौतम सिंघल
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
दिनांक : 22.12.2019 कृते मैसर्स पैन्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली IBBI/IPA-001/IP/P-01437/2018-2019/12240

खबर कोना

सांता क्लॉज की पोशाक में ब्रिटेन के राजकुमार हैरी।

हॉलीवुड अभिनेत्री जेन फोंडा पांचवीं बार गिरफ्तार

वाशिंगटन, 21 दिसंबर (भाषा)।

हॉलीवुड अभिनेत्री जेन फोंडा को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन के लिए पांचवीं बार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हॉलीवुड कलाकार ने हाल ही में 'फायर ड्रिल फ्राइडे' पहल की शुरुआत की थी जिसके तहत वाशिंगटन डीसी में जलवायु परिवर्तन के लिए साप्ताहिक प्रदर्शन किए जाते हैं। द वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि शुक्रवार को फोंडा को हार्ट सीनेट ऑफिस बिल्डिंग में 137 अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में ले लिया गया। अपनी गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही वह 82 वर्ष की हुई। अभिनेत्री को रात में ही रिहा कर दिया गया।

बीआरएसी के संस्थापक फजले हसन आबिद का निधन

ढाका, 21 दिसंबर (एएफपी)।

विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में एक बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी (बीआरएसी) के संस्थापक फजले हसन आबिद का 83 वर्ष की आयु में ढाका में निधन हो गया। बीआरएसी द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया कि आबिद के मस्तिष्क में ट्यूमर था, जिसका इलाज चल रहा था। बयान में कहा गया, 'हम उनकी विरासत को उसी लचीलेपन, गरिमा और विनम्रता के साथ आगे ले जाएंगे।' आबिद ने लंदन में एक अकाउंटेंट के तौर पर प्रशिक्षण लिया था और 1971 में युद्ध के दौरान उन्हें तेल कंपनी शेल की नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने अपना लंदन का फ्लैट बेचकर बीआरएसी की स्थापना की थी। शुरुआत में लाखों शरणार्थियों की मदद करने के बाद बीआरएसी ने स्वास्थ्य, सूक्ष्म वित्त, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में भी काम किया।

हांगकांग पुलिस ने अधिकारियों पर गोली चलाने वाले को पकड़ा

हांगकांग, 21 दिसंबर (एएफपी)।

हांगकांग पुलिस ने शनिवार को कहा कि एक सशस्त्र संदिग्ध ने अधिकारियों पर उस समय गोली चलाई जब वे महीनों तक चले लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों से जुड़े एक अभियान में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम को ताइ पो जिले में जब अधिकारी 19 वर्षीय युवक की ओर बढ़ रहे थे तब उसने अपनी अर्ध स्वचालित पिस्तौल निकाल ली। उसकी गोली किसी को नहीं लगी और उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद नजदीक के एक फ्लैट में हुई तलाशी में एआर-15 अर्ध स्वचालित राइफल और 250 से अधिक गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने बताया कि इस व्यक्ति और हाल में मिले हथियारों का संबंध इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए एक समूह के लोगों से है जिन पर पिस्तौल रखने और अधिकारियों पर हमला करने की साजिश रचने का आरोप है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जताई आशंका

छद्म कार्रवाई कर सकता है भारत

इस्लामाबाद, 21 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को आशंका जताई कि भारत घरेलू परिस्थितियों से ध्यान भटकाने के लिए उसके खिलाफ 'छद्म कार्रवाई' कर सकता है और साथ ही चेतावनी दी कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी कार्रवाई का मुहंतोड़ जवाब देगा।

खान ने कई ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार में भारत 'फासीवादी विचारधारा' के साथ 'हिंदू राष्ट्र' की ओर से बढ़ रहा है। उन्होंने भारत में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में कहा, 'वे सभी भारतीय जो बहुलवादी भारत चाहते हैं, वे संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और यह अब जन आंदोलन बनता जा रहा है।' खान ने कहा कि भारत में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, उससे 'पाकिस्तान पर खतरा भी बढ़ रहा है और भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की नियंत्रण रेखा पर हालात को लेकर की गई टिप्पणी से 'छद्म कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ गई है।' गौरतलब है कि जनरल रावत ने बुधवार को कहा था कि जम्मू-कश्मीर से लगते नियंत्रण रेखा पर कभी भी तनाव बढ़ सकता है और सेना को इसके लिए तैयार है।

उनकी टिप्पणी अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निष्क्रिय करने के बाद पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं की पृष्ठभूमि में आई है। खान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी दी कि अगर नयी दिल्ली उसके खिलाफ काई कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान के पास भारत को जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

सीरिया में हवाई हमलों के कारण हजारों नागरिक बेघर : संरा

बेरूत, 21 दिसंबर (एएफपी)।

उत्तर पश्चिमी सीरिया के दक्षिण इदलिब क्षेत्र से इस सप्ताह भारी बमबारी के बीच हजारों नागरिक विस्थापित हुए। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

ओसीएचए ने कहा, 'दक्षिणी इदलिब में 16 दिसंबर के बाद से हवाई हमले और गोलाबारी तेज होने के बाद दक्षिण इदलिब के मारेत अल-नुमान इलाके से हजारों नागरिकों के उत्तरी प्रांत की ओर भागने की खबर है।' ओसीएचए (यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनटेरियन अफेयर्स) का यह बयान तब आया है जब शुक्रवार को सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमैन राइट्स ने कहा कि इदलिब में सीरियाई सेना और सशस्त्र समूहों के बीच झड़पों में पिछले 24 घंटे में 80 से अधिक लोग मारे गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एजंसी ने कहा, '19 दिसंबर के बाद से ही मारेत अन-नुमान शहर के लोगों ने मानवीय समुदाय से बात करनी शुरू कर दी कि वे सुरक्षित बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन भारी हवाई बमबारी के कारण वे ऐसा नहीं कर सके।' उसने कहा, 'पिछले 72 घंटों में हजारों परिवारों के विस्थापित होने का अनुमान है।' ओसीएचए के अनुसार, मारेत अल-नुमान में और उसके आसपास करीब 163,000 लोग हैं और हजारों परिवारों के शुक्रवार तक उत्तरी प्रांत की ओर भागने की खबर है।

चीन में बर्फीली नदी में बस गिरने से छह यात्रियों की मौत

बीजिंग, 21 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर पूर्वी चीन के जिलिन प्रांत के औद्योगिक शहर तोंग्हुआ में शनिवार को एक बर्फीली नदी में यात्री बस फिसल कर गिर गई जिसके कारण छह लोगों की मौत हो गई। बस में 37 यात्री सवार थे।

अधिकारियों ने बताया कि डोंगचोंग जिले में स्थानीय समयानुसार सुबह ग्यारह बजे एक अस्पताल के पास बर्फ पर बस के फिसलने से यह हादसा हुआ। सरकारी टीवी चैनल सीजीटीएन की खबर के अनुसार सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।

पाकिस्तान में ईशनिंदा के दोषी प्रोफेसर को मौत की सजा

इस्लामाबाद, 21 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पोस्ट में ईशनिंदा के लिए एक प्रोफेसर को शनिवार को मौत की सजा सुनाई। मीडिया में आई खबरों से यह जानकारी मिली।

पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में बहाउद्दीन जकरिया विश्वविद्यालय (बीजेडयू) के अंग्रेजी साहित्य विभाग में अतिथि प्राध्यापक जुनैद हफीज के खिलाफ पुलिस ने 13 मार्च 2013 को ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया था। मामले की 2014 में सुनवाई शुरू हुई और हफीज को मुल्तान में नए केंद्रीय कारागार के अति-सुरक्षित वार्ड में रखा गया।

डॉन समाचार पत्र की खबर के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काशिफ कय्यूम ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत हफीज को मौत की सजा सुनाई और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हफीज के वकील राशिद रहमान की 2014 में उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

उत्तर कोरिया की आलोचना अमेरिका को पड़ सकती है महंगी : प्योंगयांग

सियोल, 21 दिसंबर (एएफपी)।

उत्तर कोरिया ने शनिवार को चेतावनी दी कि मानवाधिकारों को लेकर उसकी आलोचना कर अमेरिका सिर्फ तनाव को बढ़ाएगा और वाशिंगटन को यह महंगा पड़ सकता है। उत्तर कोरिया ने यह चेतावनी ऐसे वक्त दी है जब दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता में गतिरोध व्याप्त है।

आधिकारिक कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजंसी (केसीएनए) ने उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि प्योंगयांग के मानवाधिकार रेकार्डों की आलेचना करने से स्थिति और खराब होगी जो पहले से ही तनावपूर्ण है। यह आग में घी डालने जैसा होगा।

अमेरिकी विदेश विभाग ने उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई थी, जिस पर उत्तर कोरिया का यह बयान आया है।

होंडुरास की जेल में कैदियों के बीच लड़ाई, 18 की मौत

स्थानीय मीडिया इसे बता रहा दो गिरोहों के बीच की हिंसा

तेगुसिगल्पा, 21 दिसंबर (एएफपी)।

होंडुरास के बंदरगाह शहर तेला स्थित एक जेल में शुक्रवार की शाम कैदियों के दो गुटों में हुई हिंसा के कारण कम से कम 18 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

'नेशनल पेनिटेंशियरी इंस्टीट्यूट' ने बताया कि झड़प के बाद 17 कैदियों की मौत जेल में ही हो गई, जबकि एक अन्य की मौत अस्पताल में हुई। संस्थान के अनुसार इस घटना में 16 अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया इसे दो गिरोहों के बीच की हिंसा बता रहा है।

विरोध सेंटियागो में शुक्रवार को सरकार विद्रोही प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के आंसू गैस छोड़ने पर भागते प्रदर्शनकारी।

माली में बम की चपेट में आने से दो सैनिकों सहित चार की मौत

बमाको, 21 दिसंबर (एएफपी)।

मध्य माली में सड़क किनारे लगे बमों की चपेट में आने से दो सैनिकों और दो नागरिकों की मौत हो गई। स्थानीय सरकार और सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

स्थानीय अधिकारी के अनुसार पश्चिम अफ्रीकी देश के मध्य मोप्ती क्षेत्र के मोंडोरो शहर के पास वाहन से यात्रा कर रही दो महिलाओं की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई, जब गुरुवार को बुर्किना फासो से लगी सीमा से थोड़ा पहले उनका वाहन सड़क किनारे लगे बम की चपेट में आ गया। अस्पताल के एक कर्मचारी ने बताया कि वाहन में सवार दो बच्चे भी बुरी तरह घायल हैं। इस बीच, एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बुधवार को मोंडोरो के उत्तर में लगभग 50 किलोमीटर पर होंबोरी शहर के पास सड़क किनारे लगे बम की चपेट में आने से दो सैनिकों की जान चली गई और चार अन्य जवान घायल हो गए।

कानून की वापसी तक विरोध जारी रहेगा : आसू के मुख्य सलाहकार

गुवाहाटी , 21 दिसंबर (भाषा)।

ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने साफ किया कि जब तक संशोधित नागरिकता कानून को वापस नहीं लिया जाता, तब तक इसका गांधीवादी तरीके से विरोध जारी रहेगा। भट्टाचार्य ने कहा कि असमिया लोग अंतिम सांस तक लड़ने वाले हैं और उनकी आवाज बुलंद रहेगी।

असम में 1979 से 1985 तक ऐतिहासिक आंदोलन की अगुवाई कर चुका है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन।

असम में इंटरनेट बंद होने से छात्र परीक्षा के लिए आवेदन करने से चूके

गुवाहाटी, 21 दिसंबर (भाषा)।

गुवाहाटी विश्वविद्यालय में स्नातक के छात्र रूप ज्योति सरमा को प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करना था लेकिन शहर में इंटरनेट बंद रहने के कारण वे अंतिम तिथि को भी आवेदन नहीं कर पाए। गणेशगुरी इलाके में किराए के मकान में रह रहे 24 वर्षीय सरमा पास के बारपेटा जिले के रहने वाले हैं और ऐसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्हें ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर निर्भर रहना पड़ता है।

उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, 'इंटरनेट पर पाबंदी के दौरान हम छात्रों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा।' उन्होंने बताया, 'मुझे एक परीक्षा के लिए आवेदन करना था लेकिन मैं अंतिम दिन भी आवेदन करने से चूक गया।' सरमा गुरुवार को एईआइ मैदान में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के समूह में शामिल थे, जहां ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेता एवं कलाकारों ने 11 दिसंबर को असम में लागू इंटरनेट पाबंदी की निंदा की थी। असम में मोबाइल इंटरनेट सेवा शुक्रवार सुबह से बहाल हो गई है। इंटरनेट बंद को चुनौती देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं।

अधिकारियों ने बताया कि विवादित नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई थी। पाबंदी के कारण कई लोगों को इलेक्ट्रोनिक रूप से पैसे के हस्तांतरण में परेशानी आई।

सरमा ने कहा कि उनके माता-पिता ने इंटरनेट बंद होने से पहले ही उन्हें पैसे भेज दिए थे लेकिन उनके अधिकतर दोस्त इस मामले में खुशकिस्मत नहीं रहे। उन्होंने बताया, 'मेरे दोस्तों को गुवाहाटी से अपने-अपने घर जाना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसे कम पड़ गए थे और एटीएम में भी पैसे नहीं थे।'

गोरखपुर पुलिस ने जारी की हिंसा में लिप्त प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें

लखनऊ, 21 दिसंबर (भाषा)।

सीएए के खिलाफ शुक्रवार को गोरखपुर में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने शनिवार को वीडियो फुटेज के आधार पर पहचाने गए करीब 50 लोगों की तस्वीरें जारी की। पुलिस क्षेत्राधिकारी वी पी सिंह ने बताया कि हिंसा की वीडियो फुटेज के जरिए करीब 50 लोगों की पहचान करके उनकी तस्वीरें निकाली गई हैं। उन्हें सभी चौराहों और प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। जो भी इन बलवाइयों के बारे में सूचना देगा, उसे इनाम दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने करीब 30 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, मगर बलवाइयों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारी साइबर सेल लगातार वीडियो फुटेज खंगाल रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि किन जगहों और घरों से पथराव हुआ था।

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
वी.एन.एच.एस. शाखा (8423)
3ई/9, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (इसके बाद "अधिनियम" कहा जायेगा) को वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में केनरा बैंक, वी.एन.एच.एस. शाखा (8423) 3ई/9, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते 14 अक्टूबर, 2019 को कर्जदार श्रीमती चरनजीत नरुला (प्रोपराइटर मैसर्स बी.पी. ट्रेडिंग कम्पनी) जमानती : श्री हरीश नरुला पुत्र स्व. श्री रामचन्द नरुला से कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में लिखित राशि रु. 27,75,047.04/- (रुपये सत्ताईस लाख पिचहत्तर हजार सैंतालीस एवं चार पैसे मात्र) एवं भावी ब्याज तथा लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की।

उपर्युक्त कर्जदार(रों)/जमानती(यों) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार(रों)/जमानती(यों) तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में 18 दिसम्बर, 2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार माँग सूचना की तिथि 14 अक्टूबर, 2019 के अनुसार रु. 27,75,047.04/- (रुपये सत्ताईस लाख पिचहत्तर हजार सैंतालीस एवं चार पैसे मात्र) एवं भावी ब्याज तथा लागतों के लिए केनरा बैंक, वी.एन.एच.एस. शाखा (8423) 3ई/9, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री हरीश नरुला पुत्र स्व. श्री रामचन्द नरुला के नाम पर मकान सं. 3डी/171, माप 72 वर्ग गज, एनआईटी फरीदाबाद के उपविभाग सी से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग।

पूर्व : मकान नं. 3डी/172, पश्चिम : मकान नं. 3डी/171 का उपविभाग, उत्तर : 60 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण : मकान नं. 3डी/171 का उपविभाग ए।

दिनांक: 22.12.2019 स्थान: फरीदाबाद अधिकृत प्राधिकारी: केनरा बैंक

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम)
ओ.बी.सी. Cluster Office- RR&L : Resolution, Recovery & Law पीबी-107, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201002, फोन : 0120-4155167, 0120-4155567, ई-मेल: rrl_7624@obc.co.in

नियम - 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रू. में) मांग सूचना के अनुसार
1	शाखा : आईएमएस, गाजियाबाद श्री जय विजय सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि निर्मित रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. एम459/2-बी, द्वितीय तल (बिना छत के अधिकार) एम ब्लॉक सैक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 33.48 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री जय विजय सिंह पुत्र श्री बिरेन्द सिंह के नाम पर सब रजिस्ट्रार I, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, यू.पी में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में - भूतल पर 25फीट चौड़ा रोड, पश्चिम में - फ्लैट नं. 459/1-बी, उत्तर में - भूतल पर 25 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण में - फ्लैट नं 459/4-बी	01-10-2019 19-12-2019	₹ 11,16,355/- और दिनांक 01.10.2019 से होने वाला ब्याज एवं अन्य प्रभार
2	शाखा : मेवाड़ वसुंधरा गाजियाबाद श्रीमती नीरजा दीक्षित पत्नी श्री अशवनी दीक्षित	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. जी-08-डी भूतल, टॉवर नं 8, मेपल वुड गुलमोहर ग्रीन्स मोहन नगर, गाजियाबाद, यू.पी-201005 में स्थित, सुपर निर्मित क्षेत्रफल 1510 वर्ग फीट (140.28 वर्ग मी.) और कवर्ड क्षेत्रफल 108.10 वर्ग मी. सब रजिस्ट्रार III, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, यू.पी में पंजीकृत, यह सम्पत्ति श्रीमती नीरजा दीक्षित पत्नी अशवनी दीक्षित के नाम पर पंजीकृत चौहद्दी : पूरब में - खुला स्पेस, पश्चिम में - रास्ता और सीढ़ियां, उत्तर में - फ्लैट नं. जी-09-ए, दक्षिण में - फ्लैट नं जी-08-ए	15-10-2019 17-12-2019	₹ 47,66,659.88 और दिनांक 01.09.2018 से होने वाला ब्याज एवं अन्य प्रभार

दिनांक 19-12-2019, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

आन्ध्रा बैंक मेरठ, अंचल कार्यालय

कब्जा सूचना {प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 8 (1)}

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आंध्रा बैंक,** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्याक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक माँग नोटिस जारी करके उधारकर्ताओं/गारंटरों और संपत्ति के मालिक/जमानत को नोटिस में वर्णित उल्लिखित बकाया राशि, उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था। ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा नीचे दी गई तारीख को ले लिया है। ऋणी एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन आंध्रा बैंक की बकाया राशि व आगे के ब्याज के अधीन होगा। सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

शाखा और उधारकर्ता का नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	मांग नोटिस और बकाया राशि की तिथि	कब्जा की तिथि
बल्लूपुर चौक देहरादून शाखा - मैसर्स 3एम स्टोर्स (प्रोपराइटर श्रीमती नीतू वर्मा), सह-दायित्व श्री राजीव वर्मा पुत्र श्री राजेंद्र कुमार वर्मा (प्रोपराइटर मैसर्स कम्फर्ट टूर एंड ट्रेवल्स)	आवासीय भूमि एमपीएल नंबर 26/23, पुरानी नंबर 16 फालतू लाइन पंचायती मंदिर के पास और सामने लेन में, क्लॉक टॉवर, देहरादून में स्थित, फ्रीहोल्ड दक्षिणी की ओर प्लॉट मापक्षेत्र 205 वर्ग मीटर, **सीमाएं** - पूर्व में श्री महिमानंद और भवानी दास की संपत्ति, साइड की माप 44 फीट 6 इंच, पश्चिम में खरीददारों की संपत्ति, साइड की माप 39 फीट, उत्तर में श्री प्यारे लाल गुप्ता की संपत्ति साइड की माप 47 फीट 6 इंच, दक्षिण में 14 फीट चौड़ा मार्ग, साइड की माप 54 फीट 9 इंच ।	**दिनांक 02.09.2019 को मांग नोटिस की सूचना (21.09.2019 को पेपर प्रकाशन), दिनांक 02-09-2019 को रु. 30,98,312.35 (रुपए जीरो करोड़ तीस लाख अठानवें हजार तीन सौ तथा बारह और पैंतीस पैसे)**	**16.12.2019**
देहरादून शाखा- श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री मदन लाल, श्रीमती पीताम्बरी देवी पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश, गारंटर श्री अनिल कुमार चौहान पुत्र नौबत सिंह	भूमि और भवन - श्री चंद्र प्रकाश पुत्र श्री मदन लाल (संपत्ति के मालिक) से संबंधित आवासीय घर, खसरा नंबर 1075 Kha पर स्थित है मापक्षेत्र 525 वर्ग फीट, मौजा अधोइवाला, परगना परवा दून, जिला देहरादून में स्थित है, और सीमाएं पूर्व में 25 फीट चौड़ी सड़क, साइड की माप 15 फीट, पश्चिम में अन्य की भूमि, साइड की माप 15 फीट, उत्तर में विक्रेता की भूमि, साइड की माप 35 फीट, दक्षिण में विक्रेता की भूमि, साइड की माप 35 फीट ।	**दिनांक 01.10.2019 को मांग नोटिस की सूचना, दिनांक 01-10-2019 को रु. 8,22,361.00 (रुपए शून्य करोड़ आठ लाख बाईस हजार तीन सौ और इकसठ और शून्य पैसे)**	**16.12.2019**
मेरठ शाखा- मैसर्स जनक एंटरप्राइजेज (प्रोप. श्री राजेंद्र कुमार शर्मा के माध्यम से), श्री राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री लाल चंद शर्मा, गारंटर श्री हिम्मत कुमार शर्मा पुत्र लाल चंद शर्मा	भूमि और भवन - राजेंद्र कुमार शर्मा (संपत्ति के मालिक) से संबंधित आवासीय घर, खसरा नं . 135/2 के दक्षिण भाग में स्थित, कसमपुर, गावं खुर्रमपुर, जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश में 66.88 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थित है और सीमाएं पूर्वः 17 फीट फिर 12 फीट रोड, पश्चिमः 17 फीट का जय पाल का घर, उत्तरः 45 फीट का घर का शेष हिस्सा और दक्षिणः 40 फीट फिर सतपाल का घर।	**दिनांक 04.09.2019 को मांग नोटिस की सूचना (21.09.2019 को पेपर प्रकाशन), दिनांक 04-09-2019 को रु.10,46,910.00 (रुपए शून्य करोड़ दस लाख छियालीस हजार नौ सौ और दस और शून्य पैसे)**	**19.12.2019**
ताज नगरी आगरा शाखा- **1.** मैसर्स एम एफ शूज (पार्टनर्स, श्री मोहम्मद फिरासत हुसैन और श्रीमती साहिबा हुसैन) **2.** मोहम्मद फिरासत हुसैन पुत्र सुजात हुसैन **3.** श्रीमती साहिबा हुसैन पत्नी फिरासत हुसैन	श्रीमान साहिबा हुसैन और मोहम्मद फिरसात हुसैन (संपत्ति के मालिक) से संबंधित आवासीय फ्लैट है, फ्लैट नंबर बी -19, द्वितीय तल, हेरिटेज अपार्टमेंट, बसई ताजगंज, आगरा यूपी 282001, 102.189 वर्ग मीटर क्षेत्र पर स्थित है और सीमाएं पूर्व में खुला आसमान, पश्चिम गलियारा और फ्लैट नं. बी 20, उत्तरी गलियारा और फ्लैट नं. बी 18, दक्षिण में खुला आसमान है।	**दिनांक 02.09.2019 को मांग नोटिस की सूचना, दिनांक 02-09-2019 को रु. 7,27,180.93 (रुपए जीरो करोड़ सात लाख सत्ताईस हजार एक सौ और अस्सी और तिरानवे पैसे)**	**19.12.2019**

दिनांक: 22.12.2019 मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी, आंध्रा बैंक

www.readwhere.com

खबर कोना

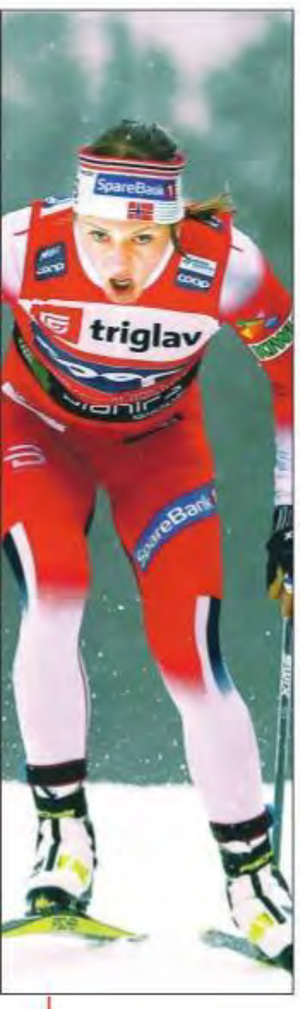

क्रॉस कंट्री स्कीइंग प्रतियोगिता में भाग लेतीं नॉर्वे की कैस्परसन मैकेन फाला।

तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना लक्ष्य : नटराज

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

तैराकी में 50 मीटर बैकस्ट्रोक, 100 मीटर बैकस्ट्रोक और 200 मीटर बैकस्ट्रोक का राष्ट्रीय रेकार्ड बनाने वाले श्रीहरि नटराज ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना है। उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश में हूं। इसके बाद मेरा लक्ष्य एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक 2024 में पदक जीतना है। नटराज ने यह भी कहा कि खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए खेलो इंडिया युवा खेल अच्छी पहल है। पहले दो सत्र में भाग ले चुके नटराज फिलहाल गुवाहाटी में 10 से 22 जनवरी तक होने वाले इन खेलों की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया सरकार की अच्छी पहल है। इससे खिलाड़ियों को एक और स्पर्धा में भाग लेने का मौका मिला है। उन्हें मीडिया में प्रचार भी खूब मिला। मेरा आत्मविश्वास इन खेलों से काफी बढ़ा है। यह प्रतिभाओं को तलाशने का अच्छा मंच है। दो बरस की उम्र से तैराकी करने वाले नटराज ने खेलो इंडिया के पहले सत्र में छह स्वर्ण और एक रजत जबकि दूसरे सत्र में सात स्वर्ण अपने नाम किए।

मानसिक स्वास्थ्य कारणों से क्रिकेट से दूर रहेंगे बिड़ला

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

पिछले आइपीएल तक राजस्थान रॉयल्स के सदस्य रहे आर्यमन बिड़ला ने मानसिक स्वास्थ्य कारणों से क्रिकेट से अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक ले लिया। घरेलू सर्किट में मध्य प्रदेश के लिए खेलने वाले 22 बरस के बिड़ला ने शुक्रवार रात को सोशल मीडिया पर इसका एलान किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह कड़ी मेहनत, समर्पण और साहस भरा सफर रहा जो मैं यहां तक पहुंचा। खेल से जुड़ी चिंताओं से निपटना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देश के प्रमुख व्यवसायियों में शुमार कुमार मंगलम बिड़ला के बेटे आर्यमन ने कहा कि उन्होंने अब तक खेलने की कोशिश की लेकिन अब मानसिक स्वास्थ्य का मसला अहम हो गया है। मध्य प्रदेश के लिए जूनियर वर्ग में खेलने वाले बिड़ला 2017 में रणजी सीनियर टीम से जुड़े। उन्होंने नौ प्रथम श्रेणी मैच और चार लिस्ट ए मैच खेले। उन्होंने सीके नायुडू ट्रॉफी में तीन शतक समेत 602 रन बनाए। वह 2018 से 2020 तक दो सत्र में रॉयल्स का हिस्सा रहे लेकिन कोई मैच नहीं खेल सके।

कोहली के पास बाराबती में रेकार्ड सुधारने का मौका

कटक, 21 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने रविवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले श्रृंखला के निर्णायक तीसरे वनडे से पहले कड़ा अभ्यास किया। वह बाराबती स्टेडियम में अपने रेकार्ड को सुधारना चाहेंगे क्योंकि वह यहां सभी प्रारूपों के चार मैचों में केवल 34 रन ही बना सके हैं।

वैकल्पिक नेट सत्र में कोहली ने काफी समय तक बल्लेबाजी की जिसमें उन्होंने मैदानी स्ट्रोक के अलावा उठाकर शॉट भी खेले। कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ चेन्नई और विशाखापत्तनम में हुए मैचों में क्रमशः चार रन और शून्य बनाया।

बाराबती स्टेडियम में इस भारतीय स्टार खिलाड़ी ने तीन वनडे और एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कुल 34 रन बनाए हैं। वह भारत में जितने स्थलों पर कम से कम तीन मैच खेले हैं, उसे देखते हुए यह उनका न्यूनतम स्कोर है। कोहली यहां श्रीलंका के खिलाफ दिसंबर 2017 में खेले गए पिछले मैच (टी-20 अंतरराष्ट्रीय) में नहीं खेले थे।

वह सबसे पहले पैड लगाकर आए और उन्होंने करीब आधे घंटे तक बल्लेबाजी की और फिर थ्रोडाउन अभ्यास किया। भारतीय खिलाड़ी शाम में पड़ने वाली ओस से काफी चिंतित दिखे। उन्होंने क्षेत्ररक्षण कोच आर श्रीधर के मार्गदर्शन में गीली गेंद से ट्रेनिंग की।

अभ्यास सत्र के दौरान विराट कोहली।

भारतीय तेज गेंदबाजी इकाई दुनिया में सर्वश्रेष्ठ : स्टेन

जोहानसबर्ग, 21 दिसंबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने शनिवार को भारतीय टीम की मैजूदा तेज गेंदबाजी इकाई की तारीफ करते हुए इसे दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ करार दिया। स्टेन को इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने गुरुवार को हुई नीलामी में उनकी मूल कीमत दो करोड़ रुपए के साथ टीम से जोड़ा था।

स्टेन ने ट्विटर पर प्रशंसकों के साथ बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। जब ट्विटर यूजर ने उनसे पूछा कि मौजूदा समय में किस टीम के पास सबसे अच्छी गेंदबाजी आक्रमण है, तो उन्होंने कहा भारत। स्टेन ने कहा कि मौजूदा समय के गेंदबाजों में आस्ट्रेलिया के पैट कमिंस उनके चहेते गेंदबाज हैं। कमिंस को आइपीएल नीलामी में कोलकाता नाइट राडडर्स ने 15.50 करोड़ रुपए की रेकार्ड बोली लगाकर अपनी टीम से जोड़ा।

छत्तीस साल के स्टेन ने कहा कि वह आइपीएल के आगामी सत्र में खेलने का इंतजार कर रहे हैं। स्टेन ने आइपीएल में 92 मैच खेले हैं और वह 100 विकेट तक पहुंचने से सिर्फ चार कदम दूर हैं।

भारत-विंडीज में तीसरा व निर्णायक मुकाबला आज

भारतीय टीम की निगाहें 10वीं द्विपक्षीय श्रृंखला जीतने पर

मैच का समय

दोपहर 1:30 से

कटक, 21 दिसंबर (भाषा)।

आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को तीसरे एकदिवसीय मुकाबले में वेस्ट इंडीज का सामना करेगी। इस मैच में उसका इरादा कैरेबियाई टीम के खिलाफ लगातार 10वीं द्विपक्षीय श्रृंखला जीतने का होगा। वेस्ट इंडीज ने चेन्नई में पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज की थी। भारत ने विशाखानपत्तनम में दूसरा मैच उसी अंदाज में जीतकर वापसी की। कप्तान विराट कोहली खाता नहीं खोल सके लेकिन शीर्षक्रम के सभी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने हैट्रिक लगाई। भारत ने दूसरा मैच 107 रन से जीता।

दूसरे मैच में 159 रन बनाने वाले रोहित सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या के रेकार्ड से नौ रन पीछे हैं। केएल राहुल ने भी पहले विकेट की 220 रन की साझेदारी में शतक जमाया था। जून में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले से पारी का आगाज कर रहे राहुल ने विंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह पक्की कर ली है। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने भी रन बनाए। गेंदबाजी में चोटिल दीपक चाहर की जगह दिल्ली के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को मौका मिल सकता है। क्षेत्ररक्षण में भारत का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। अय्यर ने जरूर शिमरोन हेटमायर को शानदार थ्रो पर रन आउट किया लेकिन चाहर ने निकोलस पूरन और शाइ होप का कैच टपकाया।

अभ्यास करते वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी

दूसरे मैच में 159 रन बनाने वाले रोहित सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या के रेकार्ड से नौ रन पीछे हैं।

हेटमायर पर रहेंगी निगाहें

आइपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने हेटमायर को सात करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। उनके साथी शेल्डन कोटरेल को किंग्स इलेवन पंजाब ने साढे आठ करोड़ में खरीदा।

बाराबती स्टेडियम की पिच भी विशाखापत्तनम की तरह बल्लेबाजों की मददगार होगी। हेटमायर और होप ने चेन्नई में भारतीय गेंदबाजों को दबाव में रखा था और दूसरे मैच में अय्यर का बेहतरीन थ्रो नहीं होता तो वह एक बार फिर बड़ी पारी खेल जाते।

आइपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने हेटमायर को सात करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। उनके साथी शेल्डन कोटरेल को किंग्स इलेवन पंजाब ने साढे आठ करोड़ में खरीदा। वहीं इस साल रोहित के बाद सर्वाधिक रन बना चुके होप पर किसी ने बोली नहीं लगाई और वह इस मैच में बड़ी पारी खेलकर अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे।

किरेन पोलार्ड की टीम ने पहले दो वनडे में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। यहां भी ओस को ध्यान में रखकर टीमें दूसरी पारी में गेंदबाजी से बचना चाहेंगी। वेस्ट इंडीज टीम इस प्रयास में होगी कि भारत से 13 साल बाद कोई द्विपक्षीय श्रृंखला जीत सके। मार्च में आस्ट्रेलिया से द्विपक्षीय श्रृंखला हारी भारतीय टीम ने पिछले 15 साल में लगातार दो द्विपक्षीय श्रृंखलाएं नहीं गंवाई है।

आबिद ने पहले दो टैस्ट में लगातार शतक जड़े

करांची, 21 दिसंबर (एएफपी)।

पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज आबिद अली उन दिग्गज बल्लेबाजों के क्लब में शामिल हो गए जिन्होंने अपने पहले दो टैस्ट में लगातार मैचों में शतक जड़े हैं। आबिद ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच के तीसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की। 32 साल के इस खिलाड़ी ने स्पिनर लसिथ एम्बुलडेनिया पर स्वीप शॉट से दो रन लेने के साथ यह रेकार्ड अपने नाम किया

आबिद इस तरह टैस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले दो टैस्ट में लगातार सैकड़ा जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी और नौंवे बल्लेबाज बन गए।

उन्होंने रावलपिंडी में अपने पदार्पण टैस्ट में 109 रन की पारी खेली थी जो ड्रॉ रहा था। पहले टैस्ट में उस शतक से आबिद टैस्ट और वनडे पदार्पण में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे। उन्होंने इस साल के शुरू में दुबई में आस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले वनडे में 112 रन की पारी खेली थी।

आबिद इस तरह टैस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले दो टैस्ट में लगातार सैकड़ा जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी और नौंवे बल्लेबाज बन गए। भारत के मोहम्मद अजहरूद्दीन ने दिसंबर 1984 में घरेलू मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पदार्पण के बाद पहले तीन टैस्ट में तीन शतक जमाए थे।

पुणे हाफ मैराथन में भाग लेंगे लगभग 20 हजार धावक

पुणे, 21 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिकी ओलंपियन जेनेट चेरोबोन-बावकॉम के नेतृत्व में लगभग 20,000 धावक रविवार को आयोजित होने वाले बजाज आलियांज पुणे हाफ मैराथन (बीएपीएचएम) में भाग लेंगे।

जेनेट इस हाफ मैराथन की ब्रांड दूत भी हैं। मैराथन का आयोजन शहर में श्री शिव छत्रपति खेल परिसर (बालवाड़ी स्टेडियम) में सुबह 5.15 बजे से होगा।

जेनेट ने कहा कि पुणे आने के बाद मैंने शहर में इस आयोजन के प्रति जिस तरह का उत्साह देखा है उससे काफी रोमांचित हूं। ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि यह दौड़ सिर्फ अपने दूसरे वर्ष में है। मैं खुद भी दौड़ के लिए उत्सुक हूं। इस मैराथन में भाग लेने के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं जहां उनकी संख्या लगभग 29 फीसद है। प्रतिभागियों में सात फीसद धावकों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है जिसमें सबसे उम्रदराज धावक 82 साल के हैं।

परिस्थिति के मुताबिक खेलना सीख गया : अय्यर

कटक, 21 दिसंबर (भाषा)।

श्रेयस अय्यर ने शनिवार को कहा कि अपने करिअर की शुरुआत में वह इतने जिम्मेदार नहीं थे लेकिन अब अपने खेल को बखूबी समझते हैं। लंबे समय से भारतीय टीम की समस्या रहे बल्लेबाजी के चौथे नंबर पर अय्यर अपनी दावेदारी पुख्ता करते जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने पहले दो वनडे में अर्धशतक जमाए।

उन्होंने तीसरे वनडे की पूर्व संध्या पर कहा कि यह परिपक्वता और जिम्मेदारी से आता है। प्रथम श्रेणी करिअर के दौर में मैं आक्रामक था और कभी जिम्मेदारी नहीं लेता था। उन्होंने कहा कि बाद में मुझे लगा कि उच्चतम स्तर पर खेलने के बाद परिपक्वता जरूरी है। मैं स्ट्रोक्स भी लगा सकता हूं और एक रन भी ले सकता हूं। मैं अपने खेल को बखूबी समझता हूं और उसके अनुसार खेलता हूं।

आइपीएल 2018 सत्र के बीच में गौतम गंभीर ने दिल्ली टीम की कप्तानी छोड़ दी थी जिसके बाद अय्यर को कप्तान बनाया गया। पिछले सत्र में दिल्ली कैपिटल्स टीम के ढांचे में बदलाव हुआ लेकिन अय्यर कप्तान बने रहे। दिल्ली पिछले सत्र में तीसरे स्थान पर रही।

अय्यर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मैच में 88 गेंद में 70 रन की धीमी पारी के बारे में कहा कि टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना पड़ता है और मैंने वही किया। टीम को उस समय बड़े शॉट्स की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक बड़ी साझेदारी चाहिए थी। तीन दिन बाद पांचवें नंबर पर उतरकर उन्होंने 32 गेंद में 53 रन बनाए।

धोनी और फ्लेमिंग से सीखने का मौका मिलेगा : कुरेन

चेन्नई, 21 दिसंबर (भाषा)।

इंग्लैंड के हरफनमौला सैम कुरेन ने चेन्नई सुपर किंग्स में चुने जाने को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग के दिमाग से 'सीखने का मौका' बताया है। आइपीएल नीलामी में इंग्लैंड के सबसे महंगे खिलाड़ी बने कुरेन को चेन्नई टीम ने साढे पांच करोड़ रुपए में खरीदा। चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच उन्हें खरीदने की होड़ लगी थी।

कुरेन पिछले सत्र में किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा थे जिन्होंने एक हैट्रिक भी लगाई थी। टीम ने उन्हें नीलामी से पहले रिलीज कर दिया।

कुरेन ने अपनी नई टीम द्वारा डाले गए वीडियो में कहा कि चेन्नई आकर अपने नए साथियों से मिलने, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मिलने को बेताब हूं। मेरे लिए यह उनसे सीखने का सुनहरा मौका है और उम्मीद है कि हम ट्रॉफी जीतेंगे।

कुरेन पिछले सत्र में किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा थे जिन्होंने एक हैट्रिक भी लगाई थी। लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण टीम ने उन्हें नीलामी से पहले रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे चेन्नई में खेलने का इंतजार है। पिछले साल मैने चेन्नई के खिलाफ खेला और इस बार चेन्नई टीम में रहूंगा। यह काफी खास होगा। हम दर्शकों के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे।

राहुल द्रविड़ के बेटे समित ने लगाया दोहरा शतक

बंगलुरु, 21 दिसंबर (भाषा)।

भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे समित ने कर्नाटक राज्य अंडर-14 अंतर क्षेत्र क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाया।

उपाध्यक्ष एकादश के कप्तान ने धारवाड़ जोन के खिलाफ 250 गेंद में 22 चौकों की मदद से 201 रन बनाए। महान बल्लेबाज द्रविड़ के बड़े बेटे ने दूसरी पारी में नाबाद 94 रन बनाए और 26 रन देकर तीन विकेट भी लिए। मैच हालांकि ड्रॉ रहा। समित ने 2015 में अंडर-12 टूर्नामेंट में अपने माल्या अदिति इंटरनेशनल स्कूल के लिए तीन अर्धशतक लगाए थे और तीनों में उनकी टीम विजयी रही।

पंजाब व जम्मू कश्मीर पुलिस को हटाने की सिफारिश

हॉकी इंडिया ने अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

हॉकी इंडिया ने शनिवार को अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप से पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस को तुरंत हटाने की सिफारिश की है। उसने अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड से भुवनेश्वर में चल रही इस प्रतियोगिता से अनुशासनहीनता और बदसलूकी के कारण टीमों को तुरंत हटाने के लिए कहा है।

हॉकी इंडिया की अनुशासन समिति ने इस महीने की शुरुआत में पंजाब सशस्त्र पुलिस, जालंधर और जम्मू कश्मीर पुलिस हॉकी टीमों पर तीन महीने के लिए सभी अखिल भारतीय टूर्नामेंटों में भाग लेने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने अनधिकृत सरबत दा भला हॉकी टूर्नामेंट में भाग लिया था।

दिल्ली में नेहरू कप हॉकी के दौरान मैदान पर मारपीट में शामिल रही पंजाब पुलिस पर 10 मार्च 2020 से नौ जून 2020 तक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया गया है। अदालत के आज के फैसले के बाद हॉकी इंडिया ने कहा,'हॉकी इंडिया ने अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के सचिव को लिखा है कि भुवनेश्वर में चल रही अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप से पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस को तुरंत हटाया जाए।

इसमें कहा गया है कि हॉकी इंडिया ने शहर की एक अदालत द्वारा दिए गए स्थगनादेश (जिससे इन दोनों टीमों को टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी) को वापिस लेने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रमुख जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर की थी। प्रमुख जिला न्यायाधीश, जम्मू ने 18 दिसंबर को मामला शहर की उसी अदालत को सौंपा। अदालत ने 19 और 20 दिसंबर को सुनवाई के बाद 21 दिसंबर को दिए आदेश में 12 दिसंबर के स्थगनादेश को वापिस ले लिया।

हॉकी इंडिया की अनुशासन समिति ने इस महीने की शुरुआत में पंजाब सशस्त्र पुलिस, जलंधर और जम्मू कश्मीर पुलिस हॉकी टीमों पर तीन महीने के लिए सभी अखिल भारतीय टूर्नामेंटों में भाग लेने पर रोक लगा दी थी।

आइओसी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धन्यवाद दिया

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख थामस बाक ने संयुक्त राष्ट्र ओलंपिक संधि प्रस्ताव का सह प्रायोजन करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धन्यवाद दिया है। प्रस्ताव के तहत हर तरह के वैमनस्य को भुलाकर तोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2020 में खिलाड़ियों और दर्शकों की भागीदारी और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जाएगी। बाक ने कोविंद को लिखे पत्र में कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र संधि प्रस्ताव का सह प्रायोजन करके ओलंपिक खेलों को आपकी सरकार के सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। यह प्रस्ताव नौ दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र आमसभा में स्वीकार किया गया था।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 35, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com

जनसत्ता रविवारी
• 22 दिसंबर, 2019 •

आग के मुहाने

महानगरों के रिहाइशी इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध कारखाने चलाए जाते हैं। खासकर दिल्ली में यह समस्या दिन पर दिन जटिल होती जा रही है। कई बार अदालतों के निर्देश पर रिहाइशी इलाकों में अवैध रूप से चलाए जा रहे कारखानों को बंद कराने की मुहिम चलाई गई, पर अब भी पचास हजार से ऊपर ऐसे कारखाने मौजूद हैं। इन कारखानों में नियम-कायदों का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से आग लगने जैसी घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते या फिर घायल हो जाते हैं। दिल्ली के अनाजमंडी इलाके की घटना इसका ताजा उदाहरण है। इस पर पेश है अमलेश राजू और निर्भय कुमार पांडेय की रिपोर्ट।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आग की लपटों ने रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी के कारखाने में तैंतालीस मजदूरों की जान ले ली। एक बार फिर शासन-प्रशासन की नीतियों और अभी तक के मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। साथ ही सिविक एजंसियां, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली दमकल के अलावा उन सभी संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगे हैं, जो कारखानों के संचालन के लिए लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र देती हैं।

अनाज मंडी की घटना से साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी जम कर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार और जांच एजंसियां इन हादसों से कोई सबक नहीं लेतीं और न ही कोई ठोस कार्रवाई करती हैं, जिससे दोषियों के बीच खौफ पैदा हो सके। उपहार सिनेमा हादसे में उनसठ लोगों की मौत के बाद तत्कालीन आइपीएस अधिकारी आमोद कंठ को सालों अदालत और सीबीआइ दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े थे। रानी झांसी रोड अनाजमंडी हादसे ने दोबारा उस जख्म को हरा और उन जांच एजंसियों को भी खुली आंखों से फैसले करने को बाध्य कर दिया है।

इस तरह की घटनाओं में हर बार रिहायशी इलाकों में अवैध कारखाने, रेस्तरां, होटल, सिनेमा घर और बिना नक्शा पास कराए बहुमंजिली इमारतों में आग से सुरक्षा के इंतजाम के अभाव की बातें सामने आती हैं। दमकल से सुरक्षा यंत्र लगाने की अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने-देने पर कीचड़ उछलना शुरू हो जाता है। दिल्ली सरकार, नगर निगम और संबंधित अधिकारियों पर दोष मढ़ा जाता है, पर आग ठंडी पड़ते ही मुद्दा और जांच भी ठंडे पड़ जाते हैं।

इसी साल बारह फरवरी को करोलबाग के होटल अर्पित में आग ने सत्रह लोगों की जान ले ली। सुबह एक छोटी-सी चिंगारी ने भयानक आग का रूप ले लिया और होटल के कमरों में सोए लोगों की सुबह तीन बजे नींद खुली तो खुद को आग की चपेट में घिरा पाया। किसी की छत से कूदने से मौत हो गई, तो किसी की दम घुटने से मौत हो गई।

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि होटलों का कवरेज एरिया बढ़ा लिया जाता है और छत पर रेस्तरां बना कर कमाई की जाती है। अर्पित होटल में भी चार मंजिल से ज्यादा नहीं बनाई जा सकती थी, लेकिन होटल प्रबंधन ने पांच मंजिल के ऊपर एक अस्थायी फाइबर शेड बना कर उसमें रेस्तरां बना लिया गया था। दिल्ली दमकल ने सख्त कार्रवाई करते हुए पैंतालीस होटलों की जांच की और तीस होटलों को सुरक्षा नियमों में विफल पाया। तब दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाते हुए तीस होटलों का दमकल का अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। पर अब बहुत मुमकिन है कि दोबारा उस रद्द होटलों में अतिथियों का आगमन-प्रस्थान आसानी से हो रहा होगा। इससे तो यही पता चलता है कि कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है।

निगम की अकर्मण्यता

दिल्ली के आवासीय इलाकों में इक्यावन हजार से अधिक कारखाने चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सील करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (डीएसआइडीसी) ने पंद्रह हजार संपत्तियों की सूची निगम को भेजी थी। तीन चरणों में निगम सर्वे कर कुछ कारखानों को सील किया। निगम को 11 हजार, 972 कारखाने दिसंबर तक सील करने थे, लेकिन छह सौ कारखाने ही सील किए जा सके। बाकी को जनवरी तक का समय दे दिया गया है। निगम ने तीसरे चरण में एक सप्ताह पहले ही अनाज मंडी इलाके में चल रहे कारखानों का सर्वे किया था। तब निगम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यहां कारखाने बंद हैं। अब तैंतालीस लोगों की मौत के बाद निगम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर कारखाने बंद थे, तो फिर इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? अकेले अनाज मंडी इलाके में ही बीते दस सालों से चार हजार से ज्यादा ऐसे कारखाने चल रहे हैं, जिन्हें निगम को सील करना है।

हर घटना के बाद आरोप-प्रत्यारोप

कारखाना चलाने के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, बिजली विभाग, दिल्ली लाइसेंसी विभाग, दिल्ली श्रम विभाग के अलावा कई अन्य विभागों से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। दिल्ली अग्निशमन विभाग अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद यह कह कर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि कारखाना चल रहा था। अधिकारी कहते हैं कि अग्निशमन विभाग को कारखाने की जानकारी ही नहीं होती, तो अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने का सवाल कहां से पैदा होता है। वहीं, पुलिस का कहना है कि कारखाने के बाहर की गतिविधियों पर नजर रखने का काम उनका है। यह तो श्रम विभाग और लाइसेंसी विभाग के अधिकारी तय करेंगे कि कारखाने में क्या काम किया जा रहा है। यही कारण है कि हर बार आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है। ■

व्यवस्था में खामियां

दिल्ली अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा है कि दुनिया के अत्याधुनिक उपकरण विभाग के पास उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में देखा गया है कि आग पर काबू पाने के लिए विभाग के कर्मचारियों को घंटो मशक्कत करनी पड़ती है। इस मामले में भी देखा गया है कि आग पर काबू पाने में दमकलकर्मियों को कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी।

दमकल विभाग का दावा है कि सत्तर फीट तक की ऊंचाई पर लगी आग पर काबू पाने के लिए बेड़े में उपकरण है। पर सवाल खड़ा होता है कि संकरी और तंग गलियों में आग लगने के बाद सभी इंतजाम कागजी साबित होते हैं। हालांकि, छोटे वाहनों पर लगे पंप और मोटरसाइकिल युक्त पंप होने का दावा विभाग की ओर से किया जाता है। पर आग लगने पर ये उपकरण किस प्रकार से मददगार साबित होते हैं। इस संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कई बार देखा गया है कि ऊंची इमारत में आग लगने के बाद पड़ोसियों के घर की छत पर कूद कर लोग अपनी जान बचाते हैं, जो कम जोखिम भरा नहीं होता है।

कानून का खौफ नहीं

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सचिव विष्णु शर्मा का कहना है कि आज आग के मुहाने पर दिल्ली खड़ी है। चाहे अनधिकृत कॉलोनियों हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र, रहेगी। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, राजस्थान और आसपास के राज्यों से दिल्ली में बड़ी संख्या में मजदूर रोजगार की तलाश में आते हैं। इन मजदूरों को नौकरी देने वाले शोषण भी करते हैं और उन्हें सुविधा के नाम पर केवल रहने का स्थान मुहैया करा दिया जाता है। यही कारण है कि वे जहां काम करते हैं वहीं रात को आराम भी करते हैं। जब इस प्रकार की घटना घटित होती है तो वे मौत के मुंह में असमय समा जाते हैं।

शॉर्ट-सर्किट बता देना आसान

पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आग की हर घटना के बाद हर बार संबंधित एजंसियों जो शुरुआती कारण बताती हैं। अपने आप में चौंकाने वाला होता है। हर बार दावा किया जाता है कि आग शॉट-सर्किट की वजह से लगी होगी। संबंधित एजंसियां अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यह रटा-रटाया जवाब देकर अपना पल्ला झाड लेती हैं। मोहम्मद साकिर के भाई मोहम्मद जाकिर का आरोप है कि आखिर हर घटना के पीछे शॉट-सर्किट कारण ही क्यों बता दिया जाता है। अगर यह सही कारण है तो वे उपाय क्यों नहीं किए जा रहे, जिससे इससे निजात पाई जा सके।

अवैध कारखानों के ठिकाने

दिल्ली में चांदनी चौक, सदर बाजार, मटिया महल, अनाज मंडी फिल्मिस्तान, लारेंस रोड, बाहरी दिल्ली के कई गांव- नरेला, बवाना, अलीपुर, शाहदरा, विश्वास नगर, गांधी नगर, धर्मपुरा, कैलाश नगर, रघुवर पुरा, करावल नगर, सभापुर, सबोली, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, सोनिया विहार, मौजपुर, चांद बाग, चौहानपट्टी, खजूरी खास, सुल्तानपुरी, नंद नगरी, मदनपुर खादर, कोटला मुबारकपुर, दिलशाद गार्डन, मंडावली, न्यू अशोक नगर, गाजीपुर, चिल्ला गांव, बुराड़ी, बादली, मंगोलपुरी, जहांगीर पुरी, शालीमार बाग, पीतमपुरा, संगम विहार, जैतपुर, बदरपुर, कालकाजी, जंगपुरा, भोगल, खानपुर, अंबेडकर नगर, मदनगीर, मटियाला, तिलक नगर, नवादा, उत्तम नगर, हरि नगर, सागरपुर, डाबड़ी, पालम गांव, पालम विहार, कापसहेड़ा, नजफगढ़ और मंडोली ऐसे क्षेत्र हैं, जहां छोटे-बड़े कई कारखाने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। नरेला, बवाना, ओखाला भले औद्योगिक क्षेत्र हैं, पर यहां भी कई कारखानों में नियमों को ताक पर रख कर काम कराया जा रहा है।

हर घंटे आग की तैंतीस घटनाएं

दिल्ली अग्निशमन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में करीब तीस हजार आग की सूचना हर साल मिलती है। अपने नारे 'हम रक्षा करने के लिए काम करते हैं' को आत्मसात करने वाले विभाग के आंकड़े बताते हैं कि यहां आग से हर दिन एक व्यक्ति मौत में मुंह में समा जाता है और छह लोग झुलसते हैं। दिल्ली में हर घंटे तैंतीस आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। बावजूद इसके अग्निशमन विभाग में पैंतालीस फीसद पद रिक्त पड़े हैं।

बीते तीन साल के आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में तेईस हजार, 242 घटनाएं हुई। दो हजार अड़सठ लोग घायल हुए। 2015-16 में सताईस हजार, नवासी घटनाएं सामने आईं। दो हजार निन्यानबे लोग घायल हुए। इसी प्रकार 2016-17 में तीस हजार, 285 घटनाएं सामने आईं। 1987 लोग घायल हुए। 2017-18 में उनतीस हजार, 423 घटनाओं के बारे में दमकल विभाग को जानकारी मिली। इसी प्रकार 2018-19 में इकतीस हजार, 264 आग की घटनाओं की जानकारी विभाग को दी गई।

सुरक्षा के इंतजाम नहीं

अनाज मंडी के जिस कारखाने में तैंतालीस मजदूरों की जान चली गई, वह दो सौ गज के चार मंजिला इमारत में बिना अग्नि सुरक्षा उपायों के संचालित किया जा रहा था। कारखाने में लगी आग के समय सभी मजदूर सो रहे थे। संकरी गली होने के कारण दमकल अंदर तक नहीं जा सका और पूरा इलाका तारों के जाल से उलझा हुआ था। कारखाने की खिड़कियां काफी ऊंचाई पर थीं, और उनके ऊपर प्लास्टिक का सामान रखा था। रौशनी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और गेट बंद होने के कारण धुंआ फैलने के बाद बाहर निकलने का कोई आकस्मिक रास्ता नहीं बनाया गया था। ताला तोड़ कर दमकल वाले जब तक अंदर गए, तब तक काफी देर हो चुकी थी। लिहाजा ज्यादातर लोगों की दम घुटने से मौत हो गई।

दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग का कहना है कि दिल्ली की संकरी गलियों को देखते हुए रिहायशी इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति किसी भी विभाग को नहीं देनी चाहिए। दमकल विभाग की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

लाइसेंस का गलत इस्तेमाल

आग लगने की कई घटनाओं में देखा गया है कि कारखाना मालिक लाइसेंस कोई अन्य सामान बनाने के लिए लेता है और उसमें अवैध रूप से कुछ और सामान बनाया जाता है। पिछले साल बवाना स्थित एक पटाखा कारखाने में लगी भीषण आग में सत्रह मजदूरों की मौत हो गई थी। जांच के बाद पता चला था कि कंपनी के मालिक ने प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए लाइसेंस लिया था और उसकी आड़ में मामूली मजदूरी देकर मजदूरों से पटाखा बनवा रहा था। संबंधित विभाग को इसकी भनक न लगे, इस वजह से मालिक रात को काम करवाता था और मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ देता था। ■

5 साल में 1974 मौतें

आंकड़ों पर नजर डालें तो 2013-14 से लेकर 2018-2019 तक 1974 लोगों की मौत आग की चपेट में आने से हो गई थी। हर साल तकीबन तीन सौ लोगों की मौत आग की चपेट में आने से हुई है।

साल	मौत	घायल
2013-14	372	1597
2014-15	291	1767
2015-16	339	1987
2016-17	277	2099
2017-18	318	2068
2018-19	297	2299

चित्र: आरफ चोपड़ा

बड़े स्तर पर ऐसे कारखाने चल रहे हैं, जहां पर जान जोखिम में डाल कर मजदूर काम करते हैं। इन मजूदरों से तय समय से अधिक काम लिया जाता है। नियम-कानून को ताक पर रख कर कारखाने दिन-रात संचालित होते हैं। ऐसी घटना घटित होने पर कारखाना मालिक या फिर संचालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए (लापरवाही) का मामला दर्ज होता है, जो जमानती होता है। कई बार तो मालिकों को छह-सात महीने में ही जमानत मिल जाती है। इसके साथ ही संबंधित निगरानी एजंसियां उदासीन रवैया अपनाती हैं। मालिक रिश्वत देकर धड़ल्ले से ऐसे कारखानों का संचालन दिल्ली के हर हिस्से में कर रहे हैं।

पलयान है बड़ी समस्या

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गौरव सिंह का कहना है कि जब तक पलायन नहीं रुकेगा, तब तक ऐसे हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती

जान की कीमत मुआवजा नहीं

उपहार सिनेमा अग्निकांड में अपने शादीशुदा तीन छोटे भाइयों को गंवाने वाले छतरपुर के राजेंद्र तंवर कहते हैं कि अनाज मंडी में तैंतालीस निर्दोष लोगों की मौत ने उनके सालों पुराने जख्म को भरने से बदले ताजा कर दिया है। उपहार कांड में सामूहिक लड़ाई लड़ी गई और सामूहिक मुआवजा भी मिला, लेकिन जान की कीमत मुआवजे से नहीं तौली जा सकती। इस बार भी मृतक के रिश्तदारों को मुआवजे का एलान दिल्ली सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली भाजपा की ओर से किया गया है। पर सवाल है कि किसी अन्य की लापरवाही से अपनों को खोने वाले मुआवजे की राशि लेकर अपने दुख-दर्द को कैसे भूलेंगे। ■

www.readwhere.com

उसका इंतजार

कहानी

दिव्या विजय

आज एक सुनहरा दिन है। बहुत देर हुई, सूरज कहीं जा छिपा है, पर दिन के सुनहरेपन में कमी नहीं आई है। दिन के रंग आसमान में नहीं, मन के किसी कोने में छिपे होते हैं। वहीं से निकल कर वे आसमान में छितरा जाते हैं। उस रंग के अक्स में दुनिया कभी चमकती हुई दीख पड़ती है, कभी बुझती हुई। जैसे आज उदासियों की तमाम वजहों के बाद भी आरुष का दिन इंतजार के गाढ़े रंग में डूब कर सुनहरा हो गया है।

'सर, सर लाल वाले स्केट्स मैं लूंगा।' विचारों के समुद्र में इस आवाज ने नन्हा-सा पत्थर फेंका। आरुष ने देखा, सफेद स्कर्ट वाली लड़की को पछाड़ते हुए वह लंबा, छरहरा लड़का जूतों को स्केट्स की तरह घसीटते हुए उसके आगे आ खड़ा हुआ। पीछे मुंह बिसूरती वह लड़की धीरे-धीरे आ रही थी। आरुष हंसा और दो जोड़ी लाल स्केट्स निकाल कर रख दिए, जिन्हें देखते ही लड़की खिल गई। लड़के ने देखा तो जल्दी-जल्दी स्केट्स पहनने लगा। 'आज भी मैं फर्स्ट आऊंगा।' वह लड़की को फिर चिढ़ाने लगा। आरुष ने उसे हल्की-सी चपत लगाई। देख कर लड़की खिलखिलाने लगी। थोड़ी देर बाद हाथ पकड़े हुए वे दोनों स्केटिंग रिंक में थे। देखकर आरुष मुस्कुराने लगा। वह जानता है कि कुछ देर बाद दोनों का फिर झगड़ा होगा। दोनों गुत्थमगुत्था हो जाएंगे और उसे रिंक में जाकर दोनों को अलग करना पड़ेगा। सब कुछ रोज की तरह है, पर उसके भीतर कुछ है, जो इन दिनों अलग हो चला है।

भरे हुए बादल गढ़वाल टैरेस के ऊपर बह रहे हैं। दूर देवदार और चीड़ के वृक्ष हवा में डोल रहे हैं। कटोरे-सा देहरादून सामने नजर आ रहा है। कुछ ही घंटों बाद जब सुनहरापन डूबने लगेगा तब वहां बत्तियां जल उठेंगी। बत्तियां यहां से लहरों की तरह दिखती हैं। हिलती-तैरती हुई। अगर वह इस वक्त नीचे उतरे और सचमुच रोशनियां उसे ऐसी ही मिलें, लप-झप करती हुई, तो वह क्या करेगा? वह जरूर उन्हें हाथों में भर लाएगा और रोप देगा, उसके बालों में। इतने लंबे बाल इन दिनों उसने नहीं देखे। मां के बाल इतने ही लंबे हुआ करते थे। मां जिस दिन गुजरी उस दिन उसने अपने हाथों से उनकी चोटी की थी। मां की त्वचा बुढ़ा गई थी, पर बाल आखिरी समय तक युवा थे। आरुष को यकीन है रपंजेल के बाल भी कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन वह तो घूमने आई है। जल्द ही यह शहर छोड़ देगी। वह कभी नहीं जान पाएगा उसके बाल बूढ़े हुए या नहीं। हो सकता है वह फिर यहां लौटे और आरुष जान सके उसके बालों का क्या हुआ। लेकिन वह क्यों लौटेगी! यहां लौटने जैसा है ही क्या!

रूही का बड़ा सहारा है उसे। वह न होती तो कॉलेज और नौकरी दोनों एक साथ चल ही नहीं पाते। स्केटिंग भी तो वह गजब की करती है। लगता है जैसे स्केटिंग रिंक में कोई बैले डांसर उतर आई हो। यों वह अक्सर वहां आती है, लेकिन जिस दिन वह रिंक में उतरती है उस दिन भीड़ जुट जाती है। वह स्केटिंग करती है, तो लगता है जैसे आसमान से सीढ़ी लगा कर सितारे फिसलते हुए आ रहे हैं।

रात ग्यारह बजे बाद जब भीड़ छंट जाती है तब कभी-कभी वे दोनों एक साथ स्केटिंग करते हैं। रूही का हाथ आरुष की कमर के इर्द-गिर्द लिपटा रहता है। ठंड से भीगी रात में कमर का वह एक भाग गर्म रहता है। आरुष को यह गर्माहट भली लगती है। खाली मॉल रोड पर मद्धम संगीत गूंजता है। पेड़ों के नीचे से अपनी दुकान समेटते गुब्बारे वाले, खिलौने वाले, सब ठहर कर उनकी ओर देख कर मुस्कुरा देते हैं। कभी बहुत ऊपर से, कोई बहकी हुई धुन चली आती है, जिसका उस मद्धिम धुन से कोई मेल नहीं बैठता, लेकिन दोनों धुनें मिल कर जुगलबंदी साध लेती हैं। रिंक में वे दोनों होते हैं और बाहर कुर्सियों पर पसरे उनके दोस्त... उनींदी हो चुकी रात में उन्हें मंत्रमुग्ध हो देखते हुए। दोनों के बीच अचानक शर्त लगती है और वे खाली मॉल रोड पर उतर आते हैं। दोनों में से कोई किसी को नहीं पछाड़ पाएगा, यह दोनों जानते हैं, फिर भी दोनों यह खेल नहीं छोड़ते। इस प्रतियोगिता का अंत क्लॉक टावर पर संग पहुंच कर एक लंबे-गहरे चुंबन के साथ होता है। जब तक वे लौटते हैं तब तक सब जा चुके होते हैं। वह रूही को घर छोड़ता है। उसकी मां की परछाईं परदे के पीछे से हाथ हिलाती है। बदले में वह भी हाथ हिला कर अपने घर चला आता है, जहां सब सो चुके होते हैं। बस ठंडी रात का उजला चांद उसकी प्रतीक्षा में रहता है। इन दिनों रूही नहीं है। वह स्केटिंग की किसी प्रतियोगिता में चंडीगढ़ गई है। इन दिनों ओस में भीग कर चांद भी पनीला रहने लगा है।

आरुष ने कलाई घड़ी पर निगाह डाली। छह बजने वाले हैं। लगभग आधा घंटा और। दिन भर भटकने के बाद लौटते वक्त रपंजेल यहां आती है। कुछ देर यहां ठहर कर खाना खाने चली जाती है। तीन ही दिनों में आरुष को उसके बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया है। मसलन, उसका पसंदीदा रेस्तरां, उसके पसंदीदा गाने और उसके पसंदीदा रंग भी। वह तीनों दिन उसी रेस्तरां में गई, जो सबसे अच्छा शाकाहारी भोजन देने का दावा करता है। कुछ दुकानों पर रुक कर उसने खाने की सूची पढ़ी, लेकिन वह वहां गई नहीं। नहीं, वह उसका पीछा नहीं कर रहा था। मॉल रोड के बीचोंबीच स्थित इस जगह से दोनों ओर की सड़क दिखाई पड़ती है, बगैर कोशिश किए। उसने तीनों दिन हिंदी गानों पर अपनी गर्दन मटकाई और पैरों से थाप दी। इसीलिए जब भी वह यहां आती या सामने से गुजरती है वह अंग्रेजी गाने हटा कर हिंदी गाने चला देता है।

जब वह पहली रात आई थी तब यों ही आई थी... एक पता पूछते हुए। उसे देखते ही फैजान ने आरुष को बुला लिया था। फैजान उसे पता बता सकता था, लेकिन यह वही थी, जिसे मॉल रोड पर टहलकदमी करते देखने के लिए आरुष दिन भर रेलिंग के पास खड़ा रहा था। हां, उस दिन उसने कहीं भी जाना स्थगित कर, नियम तोड़ कर बहुत जल्दी स्केटिंग रिंक खोल दिया था। उस रोज सुबह ही तो उसने उसे पुरुष और चार-पांच साल के बच्चे के साथ रिक्शे से सामान उतरवाते देखा था और वह कॉलेज जाने के बजाय यहां आ गया था। फैजान से उसने कुछ कहा नहीं था, लेकिन वह जान गया था। तभी तो उसके आने पर खुशी से लबलबाते हुए उसने आरुष को आवाज दी थी। दोस्त आंखें पढ़ लेते हैं, तिस पर फैजान तो उसका पक्का वाला दोस्त है।

जब वह आई तो आरुष कमरे के भीतर था। उस दिन वह रिंक में नहीं उतरा था। शाम से कमरे के भीतर चुप बैठा था। सब समझ रहे थे कि रूही के न होने से वह उदास है, पर वह उदास नहीं था। वह ट्रांस में था। वह रूही से प्रेम करता है, फिर क्यों किसी अपरिचित स्त्री को देख वह इस तरह बेचैनी से घिर गया है। किसी को एक बार देख लेने भर से उसका वजूद इस तरह हावी हो जाए कि उसके अलावा कुछ भी सोचना मुमकिन न रहे, यह बात अजीब थी, पर उसके साथ घट रही थी।

वह बाहर आया तो उसने देखा, वह खड़ी थी। रात के दस बज रहे थे। इस वक्त! वह तो शाम को जा चुकी थी। उसे मालूम तो नहीं हो गया कि वह आज पूरा दिन उसे देखता रहा है। उसके गाल सुर्ख हो गए। वह उसके पास आकर खड़ा हो गया। मीठी, भीनी खुशबू का भंवर वहां डेरा डाले हुआ था। शायद वह अभी नहा कर आई थी। उसके बालों की नमी वह महसूस कर रहा था। उसने एक बार फिर पता पूछा। आरुष को पता मालूम नहीं था। उसे यहां के बारे में सब पता है, फिर इस जगह का नाम उसने क्यों नहीं सुना। अपनी हैरानी छिपाते हुए वह बोला, 'आपको स्केटिंग करनी है तो आप यहां भी कर सकती हैं।'

'नहीं। दरअसल,' कह कर वह चुप हो गई। उसकी चुप्पी शुष्क थी। उसके चेहरे की तरलता के उलट। उसने अपना मोबाइल निकाला और तस्वीरों के फोल्डर में कुछ खोजने लगी। वह एक ब्लैक ऐंड वाइट तस्वीर थी।

'मैं यह ढूंढ़ रही हूं। आप स्केटिंग सिखाते हैं, तो सोचा आपको मालूम होगा।'

वह जगह नहीं पहचान पाया और ना में गर्दन हिला दी। वह अठारहवीं सदी की कोई तस्वीर थी, जिसमें लोग बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे।

'यह तस्वीर मैंने किसी जर्नल में देखी थी।'

आरुष उसके बालों की नमी देख रहा था। वह शुक्रिया कह कर पलटने को हुई कि फैजान कनखियों से उसके साथ वाले आदमी की ओर देखता हुआ बोला, 'आप स्केटिंग करने आइएगा।' आदमी कुछ दूर खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। बच्चा प्रैम में सो रहा था। आदमी की चेहरे पर कुछ नागवारी थी। यह बात इतनी दूर से भी सबने महसूस की।

उसने स्केटिंग के लिए हां नहीं कहा था। लेकिन उसने शुक्रिया कहा था। उसका शुक्रिया देर तक हवा में गूंजता रहा।

'अब तो रिंक में आ जा।' फैजान पूरे जोश में चिल्लाया और म्यूजिक सिस्टम की आवाज बढ़ा दी। फैजान को इंतजार था कि वह पलट कर एक बार देखेगी। इंतजार उसे भी था, लेकिन उसने नहीं देखा। वह कॉफी शॉप की तरफ चली गई और वह रिंक में। उस रात वह पहली बार रूही के बिना देर रात तक स्केटिंग करता रहा। तब तक, जब तक वह कॉफी पीकर लौटते हुए नहीं दिखी। वह स्केटिंग रिंक की बत्तियां बंद करके अंधेरे में खड़ा हो गया, जहां से वह उसको देख सकता था, पर रपंजेल उसे नहीं देख सकती थी। लौटते हुए उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं। अपना शॉल उसने सिर के चारों ओर कस कर लपेटा हुआ था। उसके लंबे बाल उसकी स्कर्ट की किनारी तक पहुंच रहे थे। बच्चा अब भी सो रहा था।

उस दिन के बाद वे दोनों दिन, शाम को यहां आई, पर कुछ नहीं बोली सिवा एक अस्फुट शुक्रिया के। जब वह सुबह यहां से गुजर कर जाती है, न उसकी आंखों में पहचान कौंधती है न होंठों पर मुस्कुराहट। लेकिन वह उसे देखती है... इस तरह जैसे यह देखना ही अंतिम सत्य है। इस देखने के अलावा संसार में हर बात आधारहीन है। वह इस देखे जाने के हर क्षण को पीता है। उसे मालूम है, वह जल्द ही चली जाएगी। फिर कोई उसे यों नहीं देखेगा। रूही भी नहीं।

उसे खयाल आया कि रपंजेल को यहां आए तीन दिन पूरे हो गए हैं। आज चौथा दिन है। अगर वह आज नहीं आई तो? हो सकता है जाने से पहले उसे सामान बांधना हो या ऐसी जगहें देखनी हों जो उसने अभी तक न देखी हों और आज वह सब देख लेना चाहती हो। लेकिन तब भी वह सब नहीं देख पाएगी। सोच कर उसे दुख हुआ। वह रपंजेल को बिनोंग पहाड़ी पर स्थित ज्वाला मंदिर ले जा सकता था। उसने वह निश्चित तौर पर नहीं देखा होगा। कहीं वह भी गिनी-चुनी जगह देख कर न चली जाए। आज वह आएगी तो आरुष उससे पूछेगा कि वे लोग कहां घूमे। फिर वह उसे बताएगा कि उसे कहां घूमना चाहिए। लेकिन वह बात कैसे शुरू करेगा? सोचा तो उसने कल भी यही था कि उससे बात करेगा।

कल उसने पीला दुपट्टा ओढ़ा था। वही दुपट्टा जो बार-बार उसके कंधे पर से उतर रहा था। दुपट्टे का आधा भाग उसने बेंच पर फैलाया और अपने बेटे को बिठा दिया। उसे लगा होगा कि बेंच गरम है या शायद बच्चे को चुभेगी। आरुष ने अपनी कुर्सी से गद्दी हटा कर उसे पकड़ा दी। उसने धीरे से कुछ कहा जिसका अर्थ शुक्रिया हो सकता था या हो सकता है उसने कहा हो इसकी क्या जरूरत थी। आरुष उसे पास से देखकर हड़बड़ा गया था, इसलिए ठीक से सुन नहीं सका। यहां बात शुरू की जा सकती थी, किंतु वह तुरंत स्केटिंग रिंक में चला गया और बहुत देर तक उसकी ओर नहीं देखा। बाद में उसने देखा बच्चा गद्दी पर बैठे हुए आराम से सो गया। बच्चे का सिर उसकी गोद में था और वह एकटक स्केटिंग रिंक के पार घाटी देख रही थी। उसने न जाने क्या सोच कर म्यूजिक सिस्टम पर गाना बदल दिया।

'बोल दो न जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।'

उसने ऐसी हरकत पहले कभी नहीं की थी पर कल वह खुद को रोक नहीं पाया। रूही होती तो नाराज होती। नहीं, वह उसको चिढ़ाती और तब तक हंसती जब तक उसकी आंखों से आंसू न बहने लगते। लेकिन अगर वह होती तो यह होने पाता! वह उसको इस तरह देख पाता या वही उसको इस तरह देखती? हां, पिछले तीन दिनों से एक-दूसरे को देखना उनके अस्तित्व का इतना बड़ा सच हो चला है कि कोई और सच उसे ढक नहीं पाता। भले ही वह रूही हो या वह आदमी जो अभी आता ही होगा।

गाने के बोल बदलते ही रपंजेल ने गर्दन उठाई। उसके गर्दन उठाते ही रूही खो गई। दोनों ने क्षणांश भर को एक-दूसरे को देखा। रपंजेल की आंखों का वह अजाना भाव गहरा गया। इतना गहरा कि वह सदा के लिए उसके भीतर खो सकता था। आरुष को महसूस हुआ कि ऐसे गानों के साथ वह ज्यादा सुंदर लगती है। उसने तय किया कि जब तक वह यहां है, वह ऐसे ही गाने बजाएगा। रूही के अंग्रेजी गानों की पेन ड्राइव उसने दराज में रख दी।

उसने घड़ी देखी। समय हो चला है। वह रेलिंग पर झुक कर खड़ा हो गया है। कल या परसों से उसका आना, अतीत हो जाएगा। वह तब भी इंतजार करेगा। हो सकता है वह रुकना चाहे पर बच्चे की वजह से उसे जाना पड़े। उसने प्रार्थना की कि बारिश न हो। उसी प्रार्थना के बीच एक लड़का आया और उस से स्केट्स मांगे। लड़के का आना उसे प्रार्थना कबूल होने जैसा लगा। उसने उसके पैर देख कर अंदाज से उसकी नाप के स्केट्स निकाले और उसके गाल थपथपा दिए। लड़का खुश होकर स्केट्स पहनने लगा और वह खड़ा होकर वह फिर उधर देखने लगा जिधर से वह आ रही थी। अब उसका चेहरा दिखने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कुछ नहीं था, यहां तक कि खालीपन भी नहीं। बच्चा उसकी गर्दन में मुंह छिपाए चिपटा हुआ था। वह आदमी उसके साथ नहीं था। रोज की तरह वह कहीं रुका होगा और थोड़ी देर बाद उन दोनों को ले जाने आएगा। उसने आरुष को देख लिया था। अब वह उसको वैसे ही देख रही थी जैसे उसके अतिरिक्त देखने को वहां कुछ नहीं है। इस बार आरुष ने नजरें नहीं फेरीं। देखने का प्रत्युत्तर देखना ही हो सकता है, इसलिए वह देखता रहा... घूंट-घूंट।

वह भीतर आई तो उसकी रोज की जगह पर एक स्त्री बैठी थी। वह बच्चे को लेकर खड़ी रही, जगह खाली होने के इंतजार में। वह कहीं और नहीं बैठना चाहती। यह जगह कमरे और रिंक के सबसे नजदीक है। आरुष दोनों में से किसी भी जगह रहे, यहां बैठने से वह उसके पास रहेगी। आरुष भी यही चाहता है कि वह यहीं बैठे। उसके जाने के बाद वह इस जगह से कुर्सी हटा देगा। वह कभी लौटेगी तो अपनी जगह खाली पाएगी।

कुर्सी पर बैठी औरत उठी तो वह बैठ गई। आरुष ने गाना बदल दिया। वह स्केटिंग रिंक में आ गया। आज सप्ताहांत पर बहुत भीड़ थी। रोज आने वाले बच्चों को उसने कुछ टिप्स दिए। स्केटिंग रिंक के भीतर उसे सिर्फ एक ही खयाल आ रहा था कि आज उसे कुछ बात जरूर करनी चाहिए। तभी उसे सड़क पर चलते आदमी के घुंघराले बाल दिखे। वह शायद यहीं आ रहा था। अब वह उसकी रपंजेल को ले जाएगा। वह रिंक से बाहर आ गया। वह उसके पास जाना चाहता था, लेकिन कमरे में चला गया। रपंजेल ने भी शायद आदमी को देख लिया था। वह बच्चे की उंगली थामे खड़ी हो गई। उसने बच्चे के कान में धीरे से कुछ कहा।

बच्चा उस तक आया और अटकते हुए पूछा, 'आप स्केटिंग सिखाते हैं?'

उसने रपंजेल की ओर देखते हुए हां कहा। बच्चा वापस उस तक गया। उसने फिर कान में कुछ कहा। बच्चा आरुष के पास आया और कहा, 'हम अगले साल फिर आएंगे। आप हमें स्केटिंग सिखाना।'

'हां, जरूर। तब तक आप भी कुछ बड़े हो जाएंगे।' उसने उसकी छोटी उंगली थामते हुए कहा। यह वही उंगली थी, जिसे थाम कर वह खड़ी हुई थी। उसे यह स्पर्श बहुत अच्छा लगा। वह इस नन्हे हाथ को छोड़ना नहीं चाहता था।

वह बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। उसने पहली बार उसे मुस्कुराते देखा है। न, दूसरी बार। मुस्कुराने से उसके गालों में गड्ढे बनते हैं। वह वहां अपनी नाक टिका देना चाहता है। उसने देखा, आदमी उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। उसने एक कागज पर जल्दी से एक सूरज बनाया, एक फूल उकेरा और नीचे लिखा, इंतजार। यह कागज का टुकड़ा उसने बच्चे की मुट्ठी में खोंस दिया। तब तक बच्चे ने आदमी को देख लिया था। बच्चा अपनी मां के पास लपक कर गया और उसके हाथ में कागज का टुकड़ा थमा कर किलकता हुआ आदमी के पास दौड़ गया। उसने देखा रपंजेल ने कागज का टुकड़ा हाथ में पकड़ी किताब के हवाले किया और मुड़ गई। वह रपंजेल की पीठ देख रहा था। उसकी पीठ सर्पिल नदी थी। लंबे बाल हवा में उड़ रहे था। उसने सोचा किसी दिन वह उन बालों को छुएगा।

अब वह किसी चेहरे को यहां दोबारा देखेगा तो उसे हैरानी नहीं होगी। लोगों के लौट आने का एक कारण अब उसे मालूम हो गया है। बार-बार लौट आने वाले अपने इंतजार की जड़ यहां रोप जाते हैं। अब वह इंतजार करेगा कि अगले साल, या किसी और साल की गर्मियों में रपंजेल अपने बच्चे के साथ आएगी और वह उनको स्केटिंग सिखाएगा। ❑

भारतीय मानस और साहित्य

प्रसंग

श्रीभगवान सिंह

उन्नीसवीं सदी में फ्रांसीसी विचारक हिपोलाइत तेन ने साहित्य-सृजन के संदर्भ में 'नस्ल' परिवेश और समय के प्रभाव का प्रतिपादन करके साहित्य की समाज-काल सापेक्षता के महत्त्व को रेखांकित किया, जो परवर्ती काल में साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन का आधार बना। पर देखा जाए तो यह अवधारणा साहित्य के बाह्य प्रभाव पर अधिक बल देती प्रतीत होती है। जिसे हम 'अंतरात्मा' कहते हैं, उसे तो बाह्य प्रभाव से आगे बढ़ कर ही समझा जा सकता है। चित्त और मानस अंतरात्मा से संबद्ध है, इस लिहाज से साहित्य मनुष्य के अंतःकरण या आभ्यंतरीकरण से अधिक संबद्ध होता है। चित्त और मानस से संयुक्त भारत की अंतरात्मा कुछ दूसरे ढंग की रही है- अधिक समावेशी रही है।

गांधीवादी चिंतक धर्मपाल साहित्य-विषेषज्ञ तो नहीं थे, फिर भी इस संबंध में उनका यह कथन गौरतलब है- 'भारतीय सभ्यता का जो पुराना साहित्य है, उसे भी भारतीय चित्त और काल की एक अभिव्यक्ति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उस साहित्य में शायद भारतीयता की, सहज भारतीय चित्त और काल की बहुत विषद झलक मिल जाए। यह सही है कि भारतीय साहित्य में जो है, वह सब का सब सीधे चित्त और काल के स्वरूप से संबंधित नहीं होगा। इस विशाल साहित्य में अनेक विषयों पर अनेक प्रकार की बातें हैं। पर वे सब बातें भारतीय चित्त और काल के सहज धरातल से, संसार की भारतीय समझ के अनुरूप और भारतीय मुहावरे में ही की गई होंगी। फिर जो बातें इस साहित्य में बहुत मौलिक दिखाई देती हैं, जो सारे कथ्य का आधार-सा लगती हैं और जो विभिन्न प्रकार के साहित्य में बार-बार दोहराई जाती हैं, वे बातें तो शायद भारतीय चित्त और काल की सहज वृत्तियों की परिचायक ही होंगी।'

जाहिर है कि भारत के विशाल साहित्य में 'अनेक विषयों पर अनेक प्रकार की बातें हैं' पर यहां के विभिन्न प्रकार के साहित्य में वे बातें बार-बार दोहराई जाती रही हैं, जिसे भारतीय चित्त और काल की सहज वृत्तियों की उपज ही माना जा सकता है। वस्तुतः भारतीय चित्त और मानस की जो सहज प्रवृत्तियां रही हैं वे हैं समन्वयात्मकता की प्रक्रिया से गुजरते हुए आत्मसातीकारण की। अंग्रेजी समीक्षक आइए रिचर्डस के शब्द उधार लें, तो कहा जा सकता है कि भारतीय चित्त 'अंतर्वेशी काव्य' की तरह ही समावेशी-प्रवृत्ति का रहा है और यही यहां के दीर्घकालीन साहित्य-सृजन में अभिव्यक्ति पाता रहा है।

इतिहास सम्मत तथ्यों के आलोक में सिद्ध है कि भारतवर्ष के हजारों वर्षों के इतिहास में कितनी जातियां, समुदाय या नस्लें यहां आती रहीं और कालांतर में घुल-मिल कर एक-सी हो गईं। यही कारण है कि आर्य, द्रविड़ या अनार्य, शक, हूण जैसी नस्लों की बात करने वाले भी आज ठीक-ठीक यह नहीं पहचान कर सकते कि कौन आर्य है कौन द्रविड़, कौन शक है कौन हूण? सभी ने साथ रहते हुए खूनी संघर्ष भी किए, लेकिन इसके साथ-साथ उनके बीच जीवन-शैलियों, उपासना, पूजा-विधियों का भी इतना आदान-प्रदान होता रहा कि वे विभिन्नता के बावजूद एक चित्त का अंग बन गईं। शिव किसी समय, जैसा कि कहा जाता है, द्रविडों के देवता हुआ करते थे, लेकिन वे आर्यों के भी उतने ही पूज्य देवता ही नहीं, देवाधिदेव महादेव के रूप में समादृत हो गए। जो हिंदू राम-कृष्ण की पूजा करते हैं, हरे राम, हरे कृष्ण जपते हैं, वे ही शिवलिंग पर जल भी ढारते हैं, हर-हर महादेव का मंत्रोचार करते हैं। एक ही परिवार में पिता का नाम शिवप्रसाद होता है, तो पुत्र का नाम रामप्रसाद, एक भाई का नाम शिवशंकर होता है, तो दूसरे-तीसरे भाइयों के नाम रामचंद्र, भरत या लक्ष्मण, एक बहन का नाम पार्वती होता है, तो दूसरी बहन का नाम सीता या जानकी। इसी तरह आर्येतर समझी जाने वाली जाति नागवंशियों की नागपूजा को आर्य-पूजा पद्धति में भी स्थान मिल गया, जिसका प्रमाण है प्रतिवर्ष सावन महीने में हिंदुओं द्वारा 'नागपंचमी' का त्योहार मनाना।

विभिन्न जातियों, समुदायों के बीच परस्पर आदान-प्रदान के उदाहरणों से यहां का साहित्य भरा पड़ा है, जिनकी अभिव्यक्ति 'रामायण', 'महाभारत' जैसे हमारे प्राचीन काव्यग्रंथों में यथेष्ट मात्रा में मिलती है। 'महाभारत' में ही चंद्रवंशी पांडव पुत्र भीमसेन के असुर कन्या हिडिंबा से विवाह का प्रसंग है, तो दूसरे पांडव पुत्र अर्जुन के नाग कन्या उलूपी से विवाह का प्रसंग है।

चित्र: वाजदा खान

एक तरफ एक पतिव्रता होने के कारण सावित्री, सीता जैसी स्त्रियों का गौरव-गान है, तो दूसरी तरफ एक पतिव्रत की सीमा के पार जाने वाली कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, तारा, मंदोदरी जैसी स्त्रियों को 'प्रातः स्मरणीय कन्याओं' के रूप में सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। यह ऐसा इसलिए हो सका कि जिसे भारतीय चित्त और मानस कहते हैं, वह अत्यंत समावेशी प्रकृति का रहा है। भारत एक देश के साथ-साथ एक ऐसा लोक भी रहा है, जो विभिन्न चित्त वृत्तियों के बीच सामंजस्य जन्य अंतरात्मा का पालना रहा है। भरत मुनि के शब्दों में कहें तो इसी 'लोकवृत' (लोकचित्त) का अनुकरण यहां के साहित्य में होता रहा है। इसे देखते हुए रवींद्रनाथ ने उचित ही कहा कि 'हेथाय आर्य हेथाय अनार्य हेथाय द्रविड़, चीन, शक-हूण दल, पठान-मोगल एक देहे होलो लीन।'

वस्तुतः जो 'लोकचित्त' या 'लोकवृत्त' भारतीय साहित्य को आकार देता रहा है वह 'रेस मिल्यू तथा मोमेंट' से आगे की चीज है, क्योंकि ये तीनों समय-प्रवाह में जहां परिवर्तित होते रहते हैं, वहां विभिन्न प्रवृत्तियों के आत्मसातीकरण से निर्मित चित्त और मानस स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं और वे ऐतिहासिक तथ्यों तथा साक्ष्यों के मोहताज न रह कर जन-जन के कंठहार बन जाते हैं। राम, कृष्ण, शिव के जन्म, विवाह आदि के संबंध में भले ही ऐतिहासिक तथ्य चूक जाते हों, लेकिन उनसे जुड़ी जन्म, विवाह की लीलाएं ही लोक में प्रचलित हैं, जबकि अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर जैसे महान सम्राटों के ऐतिहासिक प्रमाण होने के बावजूद उनकी लीलाओं को लोक-जीवन में कोई स्थान नहीं प्राप्त हो सका।

मतलब यह कि सभी सभ्य देशों में हुए साहित्य-सृजन में यद्यपि बहुत कुछ सामान्य प्रवृत्ति के रूप में पाया जाता है, बावजूद इसके हरेक देश के साहित्य में आंतरिक अंतर हुआ करता है और यह अंतर संबद्ध देश के निजी चित्त और मानस की उपज हुआ करता है। इस दृष्टि से भारतीय साहित्य की कुछ अपनी विशिष्टताएं रही हैं। यहां पर साहित्य को न सत्य का मिथ्यारोपण माना गया, न राजनीति और समाजनीति का प्रतिपक्ष माना गया। यहां तो साहित्य को स्वायत्त सत्ता मानते हुए इसे ईश्वरकृत सृष्टि के समानांतर सृष्टि रचने का श्रेय दिया गया। चूंकि भारत के लोकचित्त में मनुष्य-मनुष्येतर-धरती, आकाश, पशु-पक्षी, नदी, समुद्र, पर्वत-पेड़ आदि सबको सम्मानजनक, आत्मीयतापूर्ण स्थान दिया गया, इसलिए यह समग्र चित्त ही यहां के साहित्य में अभिव्यक्त होता रहा। यही कारण है कि हमारे साहित्य में आधुनिक युग के पूर्व अलग से वर्ग विमर्श, दलित-विमर्श, स्त्री-विमर्श, आदिवासी विमर्श या फिर पर्यावरण विमर्श जैसे अस्मितामूलक विमर्शों को स्थान न देते हुए सबका यथोचित ढंग से समावेश किया जाता रहा। मसलन, आज दलित विमर्श वाले शंबूक या एकलव्य को दलित चेतना का प्रतिनिधि-पात्र बना कर जिस तरह अलग से दलित विमर्श का अभियान चला रहे हैं, वह शंबूक भी तो 'रामायण' का और एकलव्य 'महाभारत' के पात्र हैं। फिर यह विलाप कि भारतीय साहित्य में दलित चेतना का अभाव है, कितना बेमानी है। पांडवों का बारह वर्षों तक और राम-सीता का चौदह वर्षों तक वन में रहना क्या हमारे साहित्य में वन्य जीवन के समावेश का प्रमाण नहीं है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि-मुनियों के आश्रम अरण्य में ही हुआ करते थे जहां वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। इसे ही रवींद्रनाथ भारतीय सभ्यता का 'तपोवन' युग कहते हैं। राजा दुष्यंत का वन-कन्या शकुंतला से प्रेम विवाह क्या नागर और वन्य जीवन के समागम का सच नहीं है? अहिल्या के साथ छलात्कार, द्रौपदी का चीर हरण की कथाएं क्या स्त्रियों के साथ किए जाने वाले मनुष्यता विरोधी तथा स्त्री-उत्पीड़न जैसे कार्यों के प्रमाण नहीं हैं?

मतलब कि जिसे हम भारतीय साहित्य कहते हैं, वह नाना द्वंद्वों, संघर्षों के उपरांत भारतीय लोकचित्त में बसे समग्र जीवन-बोध की अभिव्यक्ति रहा है। ❑

प्रेम है, तो दिखावा क्यों ?

समाज

पुष्पलता

किसी व्यक्ति का प्रेम में होना स्वाभाविक और प्राकृतिक बात है। ये हार्मोंस हर किसी में बनते हैं, मगर हर देश की संस्कृति अलग होती है। हमारे देश में खुल्लमखुल्ला किसी को चूमना सही नहीं मानते। सही भी है प्रेम है तो आप अकेले में, घर में जो मर्जी करिए, दूसरों को इसका दिखावा क्यों? वैसे भी प्रेम एक आकर्षण होता है, जो साथ रहने पर उड़न-छू भी हो जाता है। हालांकि मोह, प्रेम, स्नेह, सब अलग-अलग अवस्थाएं हैं। स्नेह सम्मान का प्रदर्शन हो सकता है। अब आप कहेंगे कि प्रेम प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकता, जैसा कि एक महिला मित्र ने कहा। प्रेम की अगली अवस्था आप भी जानते हैं, वह उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि स्नेह, सम्मान में ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खुलेआम होने लगेगा, तो इंसान और पशु में फर्क नहीं रहेगा। सवाल इस बात का है कि यह प्रक्रिया होती कैसे है। गाल छुवाने या चूमने में इतना बुरा भी नहीं लगता। प्रेम के आवरण में लिपटी भूख को छिप कर मिटाइए, वैसे तो हवस की खोपड़ी कभी भरती नहीं, मगर भरने की कोशिश करनी है, तो छिप कर करिए न। खुलेआम करोगे तो हमारे तुम्हारे सबके कम उम्र के बच्चे पढ़ाई लिखाई आदि छोड़ गलत कामों पर लगेंगे।

अमेरिकी राछ्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत से गंदगी आ रही है। जबकि हवस की गंदगी भारत में अंग्रेजों ने और दुनिया में ट्रंप जैसे लोगों ने फैलाई है। भारत में संयम और मर्यादा को व्यक्ति का गहना और चरित्र माना जाता है, तभी तो हम राम सीता को पूजते हैं। अब आप कृष्ण का नाम लेंगे, वहां हवसखोरी नहीं है, विशुद्ध प्रेम है। जब जो प्रेम बताया तब तो उस प्रेम का देह में अंकुर ही नहीं फूटता, वे तो एक राजकुमार की बाल क्रीड़ाएं हैं। राधा एक काल्पनिक भाव है, उसमें भी वह बच्चे से उम्र में बड़ी हैं। बाद में जिन राक्षस की बीवियों से शादी की, वह सिर्फ नाम के लिए ताकि कोई उन्हें लावारिस समझ हवस का शिकार न बनाए। उन्हें उसकी कैद से मुक्ति दिला कर शरण दी है। यहां स्त्री-पुरुष, पर-स्त्री-पुरुष से प्रेम या आकर्षण हो भी जाए तो उसे जिस्मानी पड़ाव तक ले जाना पाप माना जाता है, क्योंकि शादीशुदा व्यक्ति एक करार में है। पहले उस करार को खत्म करें, फिर चाहे जो करें। अगर बिना करार तोड़े ये करते हैं तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आप एक घटिया नीच व्यक्ति में गिने जाते हैं। सब जानते हैं आप घर में क्या करते हैं नहीं भी करते तो वे मान लेते हैं कि करते हैं, मगर खुलेआम क्यों? क्या आने वाली मासूम बच्चियों, बच्चों की नस्ल की चिंता नहीं कि वे उम्र से पहले परिपक्व हो जाएंगे।

वहां यही तो हो रहा है। बच्चे पढ़ते-लिखते नहीं, बड़े होते नहीं, हवसखोरी में लग जाते हैं। प्रेम भी शालीनता में उम्र पर सुंदर लगता है। आजकल तो शर्म-हया कहीं रही ही नहीं। नाचती हुई आती दुल्हन बेशर्मी से सबको लाज-शर्म ताक पर रख इशारों पर नचाती है। पुरुष की बराबरी करिए, मगर सिगरेट, शराब, हवसखोरी में नहीं, खुद को किसी मुकाम पर स्थापित करने में, किसी क्षेत्र में उससे ऊपर होकर दिखाइए। गाड़ी चलाइए, जज, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर और आइएस आदि बनिए। तब परिवार भी गर्व करेगा, समाज भी और बच्चे भी। आप कहेंगे, मैं पिछड़ी हूं, कतई नहीं, पूर्ण रूप से आधुनिक हूं, मगर आधुनिकता की परिभाषा जानती हूं। आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी करिए, बस उससे दूसरे की भावनाएं, समाज की शालीनता और परिवार की गरिमा आहत नहीं होनी चाहिए।

वह ऊंची गरिमा आप खुद गढ़िए। गांव वालों ने भी समय बदला, तो बिना सिर ढके आई दुल्हन भी स्वीकार कर ली है। बदल तो दोनों पक्ष रहे हैं मगर उतावला पन क्यों?

स्त्री आज दोराहे पर खड़ी है। पुरुष अय्याशी पर उतारू, स्त्री मर्यादा में जकड़ी। उसे रोके तो चुड़ैल घोषित, न रोके, उसके नक्शेकदम पर चले, तो बदमाश कुलटा। अब देवी तो वह बनेगी नहीं, जिसे पत्थर बना कर पूजो या तो खुद को रोकिए या खुली छूट अपना कर घर, समाज, परिवार पाश्चात्य संस्कृति जैसा बनाइए। बच्चों के शोषण बहुतायत में होते हैं वहां सब चंगा-चंगा नहीं है। यद्यपि परिवर्तन किसी के रोके रुकेगा नहीं, मगर पीने का पानी तो छान सकते हैं। भारत की गंगा तो अपने देश में बह रहे नाले के बलात्कारों से ही मैली हो गई और किसी को क्या दोष दें!

ग्रामीण स्त्री की एक जोड़े को खुलेआम मेट्रो में चुंबन करते हुए डांटने का वीडियो वायरल हुआ है। उससे इस विषय पर एक नई बहस की शुरुआत हो गई। दरअसल, हम ग्रामीण व्यक्ति को कमतर मानते हुए उसे कम समझ-सोच लेते हैं, जबकि उसकी समझ, अनुभव हमसे कहीं ज्यादा बेहतर और दूरदर्शी होती है। एक दिन हमने भी मॉल में सीढ़ियों पर ऐसा दृश्य देखा, तो मेरी ननद उन्हें लताड़ने चल दी। मैंने रोका, वह बोली, मुझे तो ये मेरे वाले बच्चे दिख रहे हैं। वे किसी तरह मैंने रोक ली कि ये दृश्य आम हैं, आदत डाल लो, छोड़ो। नाबालिग बच्चे अच्छा-बुरा नहीं समझते, उन्हें बताना पड़ता है। हम किसी की स्वतंत्रता का हनन क्यों करें? मगर यही सोच तो सबको गलत रास्ते पर स्वछंद छोड़ रही है।

अब अनेक ऐसे जोड़ों में शादी के एक हफ्ते बाद पति-पत्नी से बोर हो जाता है, क्योंकि वह एक नए जिस्म के अलावा कुछ नहीं थी, अब और नया चाहिए। वह इस सब से गुजर चुका होता है। प्रेम कहां है, यह अलग विषय? प्रेम दरअसल, एक काल्पनिक अवधारणा है, जो लुभाती है। वह हमारे दिमाग की कल्पना की कोठरी में सोई है, सामने वाले व्यक्ति में नहीं है, फिर जब नहीं मिलता तो हम उसे कोसने लगते हैं। वह गलत था, वह तो वैसा ही था जैसा है हमारी अवधारणा उसके विषय में हमने अपने हिसाब से गढ़ ली थी।

बड़ी पीढ़ी को संयम का परिचय देते हुए अगली पीढ़ी संभालनी होती है, यहां तो बूढ़े-बूढ़ी ढसर रहे हैं, जो आपकी काल्पनिक अवधारणा का प्रेम है, उसे करिए कोई नहीं रोकता। मगर याद रखिए, काल्पनिक चीजें कल्पना में ही चलती हैं। प्रत्यक्ष में अपना कर आप बदमाश, मक्कार, दिलफेंक रसिया आदि का तमगा लोगे। आप समाज की परवाह करो न करो, वह आपकी परवाह करना आपको सही करना, सबक देना छोड़ेगा नहीं। समाज में रह कर उससे कट नहीं सकते। आखिर आपके बच्चे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। अगर आपके बच्चे मेट्रो में या अन्य सार्वजनिक स्थल पर ये करते हैं तो सिर्फ बेटे नहीं, बेटियां भी करेंगी। अगर आपको इससे दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब आपको अभी इसके परिणाम पता नहीं। दूरदर्शिता से सोचिए बेटी किसी से मानसिक रूप से जुड़ी फिर कचरे की तरह फेंकी गई तो प्रत्युषा की तरह आत्महत्या करेगी, तब आप रोएंगे, जबकि जिम्मेदार कौन है? आप बेटे के बारे में सोचेंगे कि मौज-मस्ती करने दो, हम तो कर नहीं पाए और बेटियों के बारे में सुनते ही ऑनर किलिंग पर उतारू। आपकी नाक तब जड़ से कट जाए! ये आंख और नाक इतनी दोगली क्यों हैं। जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। जो चाहोगे, वह देना भी पड़ेगा। ■

मदन मोहन मालवीय

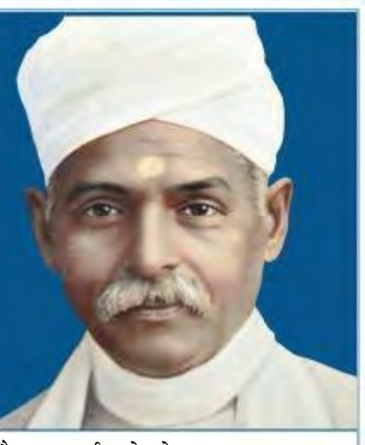

जन्म : 25 दिसंबर, 1861
निधन : 12 नवंबर, 1946

शख्सियत

पंडित मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी और युग प्रवर्तक थे। वे एक सफल अधिवक्ता, कुशल राजनीतिज्ञ, निष्पक्ष पत्रकार, निर्भीक जनप्रतिनिधि, दूरदर्शी शिक्षाविद, समाज सुधारक और असाधारण देशभक्त थे।

उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे और श्रीमद्भागवत की कथा सुना कर आजीविका चलाते थे। पांच साल की उम्र से ही मदन मोहन मालवीय ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी थी। धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। फिर उन्होंने इलाहाबाद जिला स्कूल में दाखिला लिया। 1879 में उन्होंने दसवीं की परीक्षा पास की। फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए किया। बीए पास करने के बाद वे शिक्षक बन गए। बाद में उन्होंने एलएलबी किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता बने। वे उच्च कोटि के वकील हुए। चौरा चोरी कांड में जब एक सौ सत्तर भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई, तो मालवीय जी ने वह मुकदमा अपने हाथों में लिया और एक सौ इक्यावन क्रांतिकारियों को फांसी से छुड़ाया।

'भारत निर्माता' और 'महामना' की संज्ञा

वे अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे और देश को जातिगत बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे। उनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं मालवीय जी से मिला, तो वे मुझे गंगा की धारा की तरह निर्मल और पवित्र लगे। गांधी ने उन्हें अपना बड़ा भाई कहा और 'भारत निर्माता' की संज्ञा दी। उदार हृदय वाले मदन मोहन मालवीय को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने 'महामना' की उपाधि दी थी। उन्होंने 'सत्यमेव जयते' के नारे को जन-जन में लोकप्रिय बनाया।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव

मदन मोहन मालवीय ने चार फरवरी 1916 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। उन्होंने इसकी स्थापना के लिए देश भर से धन जुटाया था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप इस विश्वविद्यालय को दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में माना गया। हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। देश में पहली बार हिंदी भाषा को एक विषय के रूप में इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया गया। वे 1919-1938 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे।

हिंदी पत्रकारिता

मदन मोहन मालवीय ने 1887 में हिंदी दैनिक 'हिंदोस्थान' के संपादक के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की। 1909 में इलाहाबाद से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र 'द लीडर' की स्थापना की, जहां वे 1909-1911 तक संपादक थे। इसके अलावा उन्होंने 'अभ्युदय' और 'मर्यादा' पत्रिका का भी संपादन-प्रकाशन किया। 1924 से 1946 तक 'हिंदुस्तान टाइम्स' के संचालन का पदभार भी ग्रहण किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1936 में हिंदुस्तान दैनिक का प्रकाशन शुरू हुआ।

राजनेता और समाज सुधारक

पचास साल की उम्र में वकालत छोड़ कर उन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया। इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन से उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली। वे 1909 में लाहौर, 1918 और 1930 में दिल्ली तथा 1932 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। महामना स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान उदारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच सेतु माने जाते थे। उन्होंने 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाई। लाला लाजपत राय के साथ साइमन कमीशन का विरोध किया और 1930 में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गए। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया। फिर 1937 में राजनीति से संन्यास लेकर समाजसेवा से जुड़ गए। समाज सुधारक के रूप में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का घोर विरोध किया।

2014 में मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था।

निधन : पचासी वर्ष की उम्र में महामना का निधन हो गया। ■

मजेदार मेथी

मेथी के गुणों से सभी परिचित हैं। मधुमेह रोगियों के लिए यह बहुत गुणकारी औषधि मानी जाती है। इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। सर्दी में मेथी बहुतायत मिलती है। आमतौर पर लोग मेथी के परांठे बनाते या फिर आलू के साथ सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कढ़ी भी बनाते हैं। पर मेथी को खाने के इन पारंपरिक तरीकों से अलग कुछ और भी व्यंजन बनते हैं, जो स्वाद में लाजवाब होते हैं। इस बार मेथी के कुछ ऐसे ही व्यंजन।

मेथी मटर मलाई

दाना-पानी

मानस मनोहर

मेथी मटर मलाई लजीज सब्जी में शुमार है। इसमें चूंकि मलाई और फ्रेश क्रीम डाली जाती है, इसलिए यह गरिष्ठ सब्जी हो जाती है। मगर स्वाद में इसका कोई जवाब नहीं। कई लोग इसे खाने रेस्तरां जाते हैं। हालांकि इसे घर में बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग इसे बटर, मलाई, काजू पेस्ट और फ्रेश क्रीम में पकाते हैं। कुछ लोग इसमें टमाटर प्यूरी या पिसा टमाटर और दही, बेसन, क्रीम का इस्तेमाल करते हैं।

हम इसे दूसरी विधि से बनाएं, तो इसे सभी आयुवर्ग के लोग खा सकते हैं। जिन्हें अधिक चिकनाई खाने से परहेज है, वे भी इसे खा सकते हैं। दरअसल, इसमें स्वाद मेथी और मटर का ही मजेदार होता है, पर मलाई यानी क्रीम पड़ने से और मजेदार हो जाता है। चूंकि इसका नाम ही है मेथी मटर मलाई, सो मलाई तो इसमें पड़नी ही चाहिए।

घर में आप जो दूध इस्तेमाल करते हैं, उसे ठंडा करने के बाद उसके ऊपर से मलाई उतार कर रख लें। यह मलाई इस सब्जी में उपयोग की जा सकती है। इसके अलावा सब्जी को और लजीज बनाना चाहते हैं तो बाजार की फ्रेश क्रीम भी ले लें। अगर इसे और मुलायम बनाना चाहते हैं तो कुछ काजू के दाने भिगो कर रख दें और जब टमाटर पीसें, तो उसके साथ काजू को भी पीस लें।

तो, आइए बनाते हैं मेथी मटर मलाई। इसके लिए सबसे पहले मेथी को साफ कर के अच्छी तरह धो लें। साफ करते समय मेथी के सिर्फ मुलायम हिस्से को लें। अगर हो सके, तो सिर्फ पत्ते लें। फिर मटर के दाने धोकर साफ कर लें। मेथी और मटर की मात्रा वजन में बराबर रख सकते हैं। चाहें तो मेथी की मात्रा कुछ अधिक रखें। अगर वजन का अंदाजा नहीं कर पा रहे, तो अगर एक कटोरी मटर के दाने ले रहे हैं, तो दो से ढाई कटोरी कटी हुई मेथी के पत्ते ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालने के लिए एक से डेढ़ खाने वाले चम्मच से बेसन ले लें। एक कटोरी दूध से उतारी हुई मलाई को अच्छी तरह फेंट कर ले लें। आधा कटोरी पानी निथारा हुआ दही लें। दो मध्यम आकार के टमाटर और चार-पांच काजू के दाने ले लें। इसमें लहसुन-प्याज का इस्तेमाल न करें, तो खुशबू अच्छी आती है। वैसे हरी सब्जियों में प्याज का इस्तेमाल करने से परहेज ही करना चाहिए।

अब एक कड़ाही में दो चम्मच देसी घी गरम करें। आंच तेज रखें और फिर उसमें मटर के दानों को चलाते हुए दो मिनट के लिए तल लें। उन्हें बाहर निकाल कर रख लें। फिर उसमें मेथी के पत्ते डाल कर उसी तरह तेज आंच पर दो मिनट के लिए भूनें। इस तरह मेथी की कड़वाहट कुछ कम हो जाएगी और सब्जी में उसका हरापन बरकरार रहेगा।

अब टमाटर और काजू का पेस्ट बना लें। एक कड़ाही गरम करें। उसमें दो चम्मच घी या तेल गरम करें जीरे का तड़का देने के बाद एक से डेढ़ चम्मच बेसन डाल कर मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। जब यह भुन जाए, तो उसमें निथरे हुए दही को अच्छी तरह फेंट कर डालें और चलाते हुए तब तक पकाएं, जब तक कि वह तेल न छोड़ दे। अब इसमें चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच सब्जी मसाला डालें और ठीक से मिला लें। अब फेंटी हुई मलाई डालें और चलाते रहें। इसी के साथ मेथी और मटर डालें। जरूरत भर का नमक डालें और सब कुछ को मिला कर थोड़ी देर के लिए ढंक कर पकाएं। अगर पानी कम लग रहा है, तो थोड़ा-सा गरम पानी डाल सकते हैं। जब उबाल आने लगे तो ढक्कन खोलें और सब्जी को चला कर देख लें कि सब कुछ ठीक से मिल गया है या नहीं। फिर ऊपर से आधा कटोरी फ्रेश क्रीम डालें और दो मिनट चलाते हुए पकाने के बाद आंच बंद कर दें। मेथी मटर मलाई तैयार है। हरी मिर्च और अदरक से सजाएं और परोसें।

मेथी दाल

मेथी दाल रोजमर्रा उपयोग में लाई जाने वाली दाल की तरह ही होती है। इसे रोटी या चावल के साथ खाया जा सकता है। दाल में मेथी का स्वाद बहुत लजीज होता है। सेहत की दृष्टि से तो यह उत्तम है ही। मेथी दाल बनाना बहुत आसान है। यों तो इसमें किसी भी दाल का उपयोग किया जा सकता है, पर बिना छिलके वाली मूंग की दाल में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है।

इसे बनाने के लिए अगर एक कटोरी मूंग की दाल ले रहे हैं, तो दो से ढाई कटोरी मेथी के पत्ते लें। दाल को आधे घंटे पहले भिगो कर रखें।

एक कड़ाही में दो चम्मच देसी घी गरम करें और तेज आंच पर पहले मेथी के पत्तों को दो मिनट के लिए तल कर अलग रख लें। फिर उसमें जीरा और अजवाइन का तड़का लगाएं और दाल डाल दें। अगर चटपटा बनाना चाहते हैं, तो एक टमाटर और कुछ लहसुन की कलियां बारीक काट कर तड़के में डाल सकते हैं। दो कटोरी पानी डालें और उसमें चुटकी भर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, जरूरत भर का नमक और एक चम्मच सब्जी मसाला डाल कर आंच धीमी करके कड़ाही पर ढक्कन लगा कर पकने दें। जब दाल में उबाल आकर झाग खत्म हो जाए, तो ढक्कन खोलें और फिर तली हुई मेथी डालें। सब कुछ को मिला लें। जब दाल के दाने पक कर फटने लगें, तो आंच बंद कर दें। दाल तैयार है। इसमें ऊपर से हरी मिर्च और अदरक महीन-महीन काट कर डालें और गरमा-गरम खाएं। ■

सर्दी में सांस संबंधी परेशानियां

सेहत

ठंड का मौसम सर्दी, जुकाम और सांस की बीमारी वाले मरीजों के लिए काफी तकलीफदेह होता है। लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं, तो यहां ठंड के साथ वायु प्रदूषण का भी प्रकोप सहना पड़ेगा। यही कारण है कि सर्दी के शुरुआती दिनों में ही चिकित्सकों ने अस्थमा, हृदय रोग और एलर्जी से पीड़ित मरीजों को अपनी दवा साथ में रखने की सलाह दी थी। श्वास रोग विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ठंड में अस्थमा, साइनस और स्नोफिलिया यानी एलर्जी से रोगियों की श्वांस संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बढ़ती ठंड और वायु में प्रदूषण का बढ़ता स्तर सांस की बीमारी वाले मरीजों के लिए जानलेवा भी हो सकता है।

कारण

सर्दियों में श्वास नलियां सिकुड़ने लगती हैं और कफ भी ज्यादा बनता है। इससे बलगम जैसा पदार्थ जमा होने लगता है और यह सांस लेने में नलियों को प्रभावित करता है। इससे अस्थमा या एलर्जी के रोगियों को दिक्कत होने लगती है। सर्दियों के दौरान ठंडी हवाएं सांस की नलियों को और ज्यादा सख्त कर देती हैं, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अस्थमा रोगियों के फेफड़े और सांस लेने की नलियां बहुत संवेदनशील होती हैं। इसलिए अस्थमा या सांस संबंधी समस्याएं सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं स्नोफिलिया यानी एलर्जी तब होती है जब रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या अपने स्तर से अधिक मात्रा में हो जाती है।

क्या करें

धूल और धुएं से बचें

धूल और धुआं अस्थमा, एलर्जी आदि से पीड़ित रोगियों के लिए घातक है। ऐसे मरीजों को धूल और धुएं वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। इसलिए इस मौसम में जितना हो सके, घर से बाहर जाने से बचें। अगर बाहर निकलना ही पड़े, तो अच्छी गुणवत्ता का मास्क पहन कर निकलें। सुबह की सैर की जगह घर पर ही रह कर योग और कसरत करें। धूप निकलने के बाद ही घर से निकलें। सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों को अपने आसपास सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने बिस्तर और कपड़े साफ रखें, ताकि छींक और सर्दी से बचे रहें।

इन्हेलर साथ में रखें

बाहर या घर के भीतर कभी भी अस्थमा या एलर्जी का आक्रमण हो सकता है, इसलिए इससे पीड़ित मरीज अपना इन्हेलर और दवाइयां हमेशा पास रखें।

गरम कपड़े पहनें

सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए शरीर को पूरी तरह ढंक कर रखें। गरम कपड़े पहनें। गरम कपड़ों को पहनने से पहले उसे धूप दिखाएं या फिर धोकर ही पहनें।

गरम पानी का इस्तेमाल

सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों को पूरी सर्दी गुनगुना पानी पीना चाहिए। नहाने के लिए भी गरम पानी का ही इस्तेमाल करें।

शहद और पानी

रोजाना सुबह एक ग्लास हल्के गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिला कर पीने से एलर्जी में आराम मिलता है। शहद एक अच्छा एंटी बायोटिक है और यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा कर रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा को सामान्य करता है। इससे गले के खरास में भी आराम मिलता है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन सी

मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और शरीर का तापमान स्थिर रखने के लिए शरीर को अधिक पोषक तत्त्वों की जरूरत होती है। इसलिए ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त चीजें खाएं, जिनमें एलर्जी से लड़ने वाले प्राकृतिक एंटी-इनफ्लेमेटरी तत्त्व हों। बादम, अखरोट और मछली ओमेगा-3 के अच्छे स्रोत हैं। वहीं विटामिन सी के लिए अमरूद और संतरा खाएं। इन फलों को दिन के समय ही खाना चाहिए। साथ ही रोजाना गरम पेय पदार्थों को लेने की आदत डालें। वैसे तो गरम पेय में आप चाय और कॉफी ले सकते हैं, लेकिन सब्जियों का सूप लेना सबसे अच्छा होता है। फलों का रस और ग्रीन टी को भी अपने खानपान में प्रमुखता से शामिल करें।

क्या न करें

- कोहरे के समय सुबह में सैर पर न जाएं।
- ठंड में बाहर का खाना खाने से बचें।
- सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें।
- बीड़ी-सिगरेट सांस संबंधी बीमारियों को और बढ़ावा देती हैं, इनका सेवन न करें। ■

समझें बच्चों के मन को

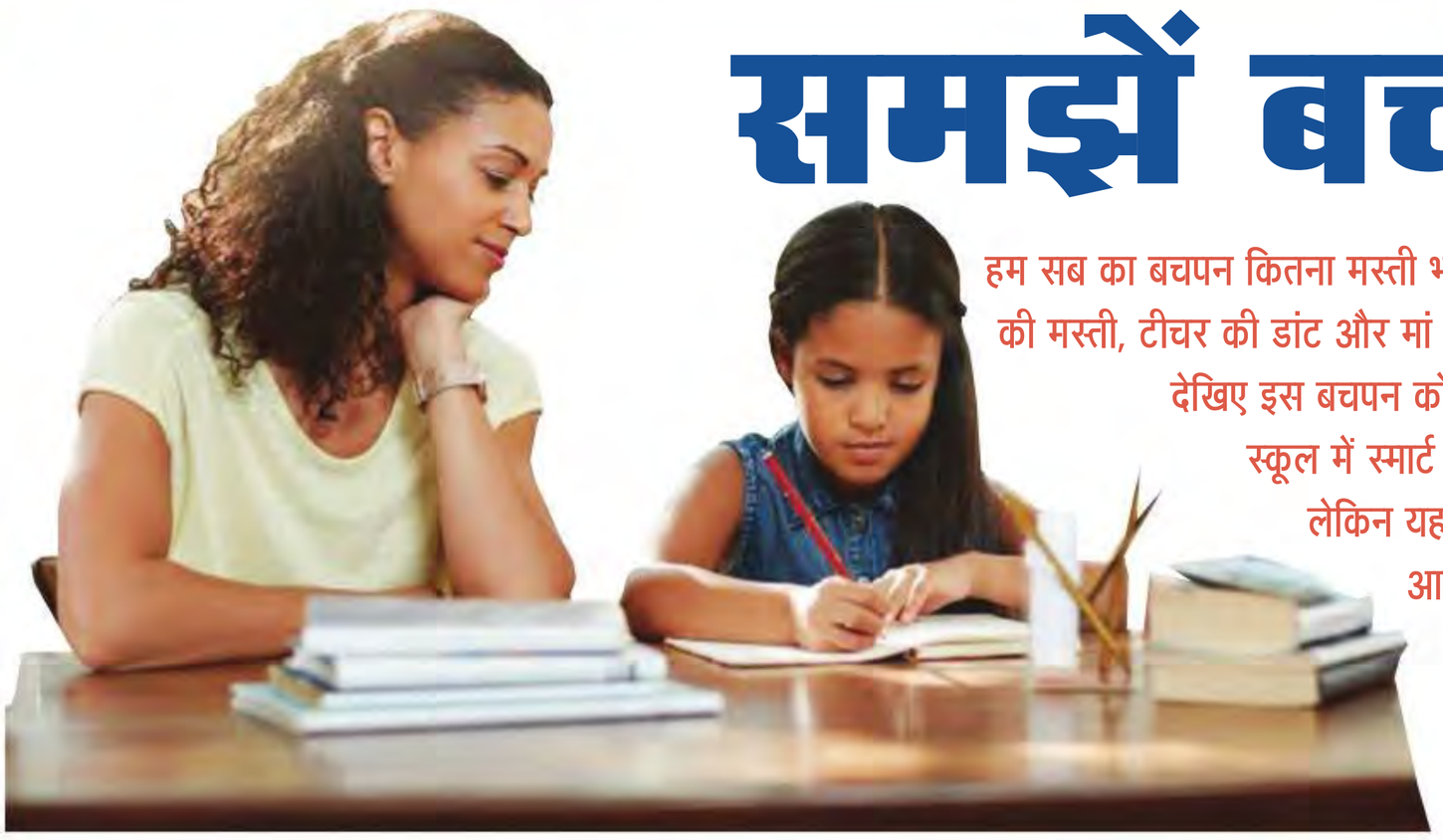

हम सब का बचपन कितना मस्ती भरा था न! वह दिन का स्कूल, स्कूल की मस्ती, टीचर की डांट और मां की थोड़ी-सी झिड़की। लेकिन आज देखिए इस बचपन को। अब का बचपन बहुत डिजिटल है, स्कूल में स्मार्ट क्लास से घर में स्मार्ट फोन तक, लेकिन यह अकेला और तनावों से भरा है। तो आइए इस बचपन को थोड़ा-सा अपनों का प्यार और दुलार दें। कैसे होगा बच्चों का बचपन प्यार से सराबोर बता रही हैं वंदना शर्मा।

बचपन हर गम से बेगाना होता है? इस वाक्य पर लगा प्रश्नचिंह हम सभी की ओर उंगली उठा रहा है हमने अपना बचपन तो बहुत खुलेपन, खेलकूद, प्रेम, अपनत्व और सुरक्षा के दायरे में रहकर गुजारा किंतु अपने ही बच्चों के बचपन को न जाने क्यों हम इन सबसे वंचित कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जिस संवेदनात्मक अपनत्व और प्रेम से भरा हुआ हमारा वो बचपन था, उसी से आज के बचपन को पल्लवित और पुष्पित करें वरना हमें इस बात से इंकार नहीं करना चाहिए कि यह आखिरी पीढ़ी होगी जिसके बचपन की मधुर यादें उसके स्मृति पटल पर अंकित हैं अन्यथा आज का बचपन बचपन ना होकर बड़प्पन का ही पर्याय बनकर रह जाएगा क्योंकि जिस तनाव, मानसिक-अवसाद और असुरक्षा से हम बड़े घिरे हैं। उसी से बचपन घिरा होगा तो बचपन और बड़प्पन में क्या अंतर रह जाएगा। इसके लिए भविष्य में पश्चाताप और आत्म ग्लानि का अनुभव करने से पूर्व हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करना होगा।

बस्ते के बोझ तले बचपन

आज बच्चे बचपन का आनंद नहीं ले रहे हैं। वे इसे मात्र एक बोझ की तरह ढो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा व्यस्त जीवन उनके लिए घातक सिद्ध हो रहा है? कहीं उनके भविष्य को संवारने के लिए की गई हमारी जद्दोजहद ही उनके अंतर्मन की पीड़ा का कारण न हो? हमारी दिनचर्या और उनकी दिनचर्या लगभग एक सी ही है, बल्कि बच्चों की दिनचर्या प्रातः सात बजे से बस्तों के बोझ तले आरंभ होती है और उसी बोझ तले विद्यालय से लौटकर गृह कार्य करने और परीक्षा के तनाव से लेकर रात्रि में टीवी चैनल के सीरियलों को देखते हुए समाप्त हो जाती हैं और बीच-बीच में मोबाइल गेम, मोबाइल पर अन्य चीजों से जुड़े रहना भी शामिल रहता है। इस पूरी दिनचर्या में कहीं भी मां का वात्सल्य और पिता की प्रेरणा दृष्टिगोचर नहीं है। उसकी दिनचर्या में मां, पिता, दादी और नानी के आलिंगन से प्राप्त संवेदनात्मक सुरक्षा का भी अभाव है।

इस बचपन में कहीं भी खेलकूद, मस्ती-मजा, मनोरंजन और परिवार के साथ बातचीत का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में मासूम बच्चों का अंतर्मन कुंठा ग्रस्त, अकेलेपन और मानसिक अवसाद से घिर जाता हैं। मैदान में खेल कूद, मित्रों के साथ बातचीत और परिवार के साथ अपने दिनभर के अनुभवों को साझा करने का समय नहीं मिल पाने के कारण वे भीतर से अलग-थलग महसूस करते है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें हमारी व्यस्तताओं के कारण कहीं उनका बचपन तो पीछे नहीं छूट रहा है। वस्तुतः बच्चों का पालन पोषण निश्चिंतता, तनावहीनता के साथ करते हुए उन्हें बचपन की वह खुशियां दी जाए, जिनके वह हकदार हैं। उनके भीतर इस अवस्था में तनाव,चिंता और अवसाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

सर्वगुण संपन्न बच्चे की चाह

सर्वप्रथम हमें इसके कारण को समझना होगा इसका सबसे बड़ा कारण है परिवार का बच्चों के प्रति रवैया आज हम एक विद्यार्थी स्तर के बच्चे को हरफनमौला (पारंगत) बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अध्ययन के सभी विषयों में वह सर्वोत्कृष्ट बनें। हम उसे एक सर्वगुण संपन्न रोबोट बनाना चाहते हैं, और देखिए वह बन भी रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि कहीं हम एक भावनाहीन, संवेदनहीन व्यक्तित्व तो तैयार नहीं कर रहे है जो कि भविष्य में परिवार, समाज और देश के लिए बोझ हो जाए।

बच्चों का केंद्र बिंदु

बच्चों के बचपन को खुशहाल करने में मां का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। एक मासूम बच्चे के लिए उसकी पूरी दुनिया होती है, उसकी मां। मां की खुशी के लिए वह अपनी खुशियां दांव पर भी लगा जाता है। अपरिपक्व होते हुए भी उनकी बुद्धि अपनी मां की खुशी- नाखुशी किस में है, वह शीघ्र ही जान लेता है। यही कारण है कि बच्चे को अपनी प्रतिष्ठा का मापदंड बनाने के लिए मात्र दिखावे हेतु अपनी अभिलाषाएं उस पर ना थोपकर उसकी इच्छा, आकांक्षा के अनुसार उसे ढालने का प्रयास करना चाहिए। समाज के दिखावे के लिए अपने मासूम को बलि का बकरा ना बनाएं। बच्चों का लालन-पालन स्वभाविक तरीके से होना चाहिए। बच्चों की छोटी-छोटी बातों को अक्सर गौण समझकर उन्हें सिर्फ पढ़ाई करने की हिदायत देना उन्हें काफी मानसिक चोट पहुंचाता है। हां, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उसकी पढ़ाई को नकार दिया जाए। बच्चे की प्रतिभा को पढ़ाई को अंक तक सीमित ना करके उसे अपने आसपास के वातावरण से पढ़ाई को जोड़कर उसका मार्ग प्रशस्त करें।

अंक के आधार पर मूल्यांकन सही नही

परिवार के बाद बारी आती हैं, विद्यालय की। घर-परिवार के अतिरिक्त बच्चों के जीवन का दूसरा पहलू उनका विद्यालयी जीवन है। बच्चों को विद्यालय में किताबी शिक्षा की बजाय व्यावहारिक शिक्षा दी जाए, चाहे विषय कोई भी हो। विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन द्वारा उसकी अभिरुचि क्षमता, अवलोकन क्षमता का विकास हो और वह असल में कुछ कर दिखाएं। विषयों की लिखित परीक्षाएं बच्चों और अभिभावकों को मात्र अंकों तक ही सीमित कर देती है और अंकों के आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जाता है। अंक भी मूल्यांकन का एक आधार हो किंतु समग्र मूल्यांकन अंकों के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि हमें बच्चों की बौद्धिक क्षमता को उभारना है तो अभिभावकों और अध्यापकों को अंक के आधार पर मूल्यांकन से बचना होगा।

अंकों के आधार पर किए गए मूल्यांकन से बच्चों के भीतर प्रतियोगिता की होड़ उनकी प्रतिभा के नन्हें पौधे को कुचल देती है। मात्र अंक लाना ही बच्चों का ध्येय बन जाता है जो उनके भविष्य में कहीं न कहीं रुकावट ही बनता है और तो और प्रतिभा का यही नन्हां पौधा विकसित तो हो जाता है किंतु एक कमजोर जड़ वाले वृक्ष का रूप धारण कर लेता है जो जीवन में आई छोटी-छोटी समस्याओं रूपी झोंको से भी पस्त हो जाता है। यदि उसकी इसी प्रतिभा को व्यावहारिक शिक्षा और प्रोत्साहन की धूप से पनपाया जाए तो शायद उनका जीवन रूपी यही पौधा एक मजबूत वृक्ष बनें।

बच्चों को सुनना-समझना है जरूरी

हमें चाहिए कि हम उनकी छोटी-छोटी बातों, खुशियों और समस्याओं को साझा करें ताकि उनके भीतर छिपे विचार अभिव्यक्त हो सके और वे एक आत्मसंतुष्टि या सुख का अनुभव कर सके। हमारे नौनिहालों के छोटे से दिल में यही छोटी-छोटी अभिलाषाएं हैं। उनके मासूम हृदय की इन्हीं आशाओं, अभिलाषाओं को पूर्ण करना हमारा दायित्व है। उनकी मासूमियत, नादानियत को बरकरार रखना भी हमारी जिम्मेदारी है ताकि ये जीवन में खालीपन और अकेलेपन से दूर अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। आइए क्यों न हम बाल दिवस मनाने के साथ-साथ अपने बाल गोपालों को अपने वर्तमान को आत्मसात कराते हुए उनके बचपन को प्यार, दुलार और भावनात्मक स्मृतियों से सरोबार करें। ताकि बड़ा होकर उसके भीतर वह प्रेम स्वतः ही परिवार के प्रति आकर्षण और जुड़ाव का कारण बने और वह एक ऐसा व्यक्तित्व बने जो भविष्य में आत्मबल, आत्मविश्वास के बलबूते पर वास्तव में सफल जीवन जी सके। ❑

चटोरेपन की आदत

कहानी

शिल्पा जैन सुराणा

जग्गू, फ्रिज में पड़ी चॉकलेट तुमने खाई?' मम्मी ने गुस्से में पूछा।

'नहीं मम्मी।' जग्गू अपने खिलौने से खेलते हुए लापरवाही से बोला।

'तो ये चॉकलेट का रैपर तुम्हारे बैग से कैसे निकला?' मम्मी ने गुस्से से कहा।

'वो मम्मी, मैंने... मैंने ही खाई।' जग्गू धीमी आवाज में बोला।

'जग्गू, मैं परेशान हो गई हूं तुम्हारी इन गंदी आदतों से। चॉकलेट, चिप्स और बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं है। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुमको। कोई भी चीज लिमिट में खाएं तो ही सही रहती है। अपनी चटोरी जीभ पर काबू रखो, वरना तुम्हें ही ये नुकसान पहुंचाएंगी।' मम्मी ने कहा।

'सॉरी मम्मी।' जग्गू ने मम्मी को गले लगाते हुए कहा।

पर जग्गू तो जग्गू था। जग्गू उर्फ जगन अपने घर का लाड़ला बेटा था। दादा, दादी, बुआ, चाचा सबका दुलारा, बस उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके पास इतने लोगों का साथ था, नतीजा यह हुआ कि जग्गू को बाहर का जंक फूड, चॉकलेट्स, केक ही पसंद आते, घर का खाना और खासतौर से सब्जियां दूध तो उसे दुश्मन लगते। मम्मी की नजर बचा कर वह उन्हें इधर-उधर फेंक देता, पर जबसे उसके दांत खराब होने शुरू हुई है, सबने उसे चॉकलेट और जंक फूड दिलाना बंद कर दिया।

जब भी मम्मी उसे खाना टिफिन में देतीं, तो वह जिद करता कि उसे खाने में नूडल्स, सैंडविच चाहिए। जब भी परांठा, रोटी सब्जी उसके टिफिन में होते, तो वह सबकी नजरें बचा कर उसे स्कूल जाते वक्त कचरे के डिब्बे में फेंक देता और स्कूल के कैंटीन से चिप्स लेकर खा लेता।

एक दिन वह पार्क में अपने दादाजी के साथ गया, तो देखा कि एक नया पानीपूरी वाला आया है। उसने खने की जिद की, पर दादाजी ने साफ मना कर दिया। 'जग्गू, जब मम्मी घर में इतनी अच्छी पानीपूरी बनाती है, तो यह बाहर की क्यों? यह अच्छी भी नहीं है। 'दादाजी उसे समझा-बुझा कर घर तो वापस ले गए, पर उसका मन वहीं अटका रहा। जब भी वह दादाजी के साथ पार्क जाता, पानीपूरी देख कर उसके मुंह मे पानी आ जाता।

आज बुआ दादी उसके घर आई थीं। जाते वक्त उन्होंने जग्गू को रुपए दिए। जग्गू खुश था कि वह आज पानीपूरी खाएगा। शाम को वह जब दादाजी के साथ पार्क गया, तो दादाजी पास वाले ही एक बूढ़े व्यक्ति दादाजी से बात करने लगे थे। तब उसने कहा, 'दादाजी बिट्टू मुझे बुला रहा है, मैं अभी आता हूं।'

जग्गू चुपके से पानीपूरी वाले के पास चला गया और जम कर पानीपूरी खाई।

'अहा, क्या स्वादिष्ट पानीपूरी है! पेट भर गया, पर मन नहीं भरा।' जग्गू पानीपूरी खाकर दादाजी के पास पार्क में चला गया।

घर पहुंचे थोड़ी ही देर हुई थी कि जग्गू के पेट में जोर से दर्द होने लगा। जग्गू जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा। बस फिर क्या था, जग्गू की हालत खराब हो गई। हर थोड़ी देर में उसे बाथरूम भागना पड़ा। वह पंद्रह बार टॉयलेट हो आया। फिर उसे चक्कर आने लगे और उस पर बेहोशी छाने लगी। फिर उसके मम्मी-पापा उसे अस्पताल ले गए।

अगले दिन जब होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। मम्मी उसके पास ही थीं।

'अब सब ठीक है जग्गू, तुझे फूड प्वाइजनिंग हो गई थी। कल तो तूने हम सबको डरा दिया। अब सच सच बता, कल तूने क्या खाया?' मम्मी ने सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा।

जग्गू ने रोते रोते मम्मी को सारी बात बता दी। तभी डॉक्टर अंकल भी आए। उन्होंने जग्गू को समझाते हुए कहा, 'देखो बेटा, ये बाहर की चीजें दिखने में भले ही स्वादिष्ट लगती हैं, पर वाकई में ये बहुत नुकसान करती हैं। तुमने जो पानीपूरी खाई, उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें केमिकल डाले गए थे और उसी का नतीजा है कि तुम आज हॉस्पिटल में हो। बाहर का खाना कभी भी घर के खाने जितना हेल्दी नहीं होता है। अगर तुम खाना चाहते हो, तो अपने मम्मी-पापा के साथ जाओ, ताकि वे तुम्हे सही जगह से तुम्हारी पसंद की चीजें खिलाएं। सड़क पर मिलने वाली सभी चीजें अच्छी नहीं होतीं।'

जग्गू ने हां में अपना सिर हिलाया और कान पकड़ लिए कि अगली बार वह जीभ के लालच में नही आएगा और अब से सिर्फ हेल्दी खाना खाएगा। जग्गू की चटोरी जीभ को सबक मिल गया था। ❑

कविता

राजेश चंद्र शर्मा

कहे मेरा मन

कहे मेरा मन मैं आकाश को चूमूं
मस्ती में झूमूं, सपनों में घूमूं

भीतर जग की शक्ति यह सारी भरकर
अंधड़ अथाह पवनों पर सहसा चढ़कर
आकाश से ऊंचा जो और कुछ हो
जाकर, लपककर उसे भी मैं छू लूं
कहे मेरा मन मैं आकाश को चूमूं
मस्ती में झूमूं, सपनों में घूमूं।

जाते हुए मुझको जो कोई बुलाए
चाहे पराया या अपना कहलाए
भली-भांति इस मन के कहने को
अधूरा न पर कभी मैं छोड़ पाऊं
कहे मेरा मन मैं आकाश को चूमूं
मस्ती में झूमूं, सपनों में घूमूं।

पहुंचूं वहां जहां देवता रहते हों
लोग जिसे घर इंद्र का कहते हों
छिपते-छिपाते सबसे बचते-बचाते
कोष हरष के सारे नीचे बिखराऊं
कहे मेरा मन मैं आकाश को चूंमूं
मस्ती में झूमूं, सपनों में घूमूं।

हो कोई सपना या फिर सच्चाई हो
इच्छा से मेरी सब जगह पहुनाई हो
आत्मा हूं मैं यह जान-पहचान करके
तन छोड़ कर मन में ही बस जाऊं
कहे मेरा मन मैं आकाश को चूमूं
मस्ती में झूमूं, सपनों में घूमूं।

सुख-दुख है क्या सब कुछ भुलाकर
इनसे बहुत दूर बहुत दूर जाकर
छांव में आनंद की यह जीवन बिताता
अनंत एक आनंद ही मैं हो जाऊं
कहे मेरा मन मैं आकाश को चूमूं
मस्ती में झूमूं, सपनों में घूमूं। ❑